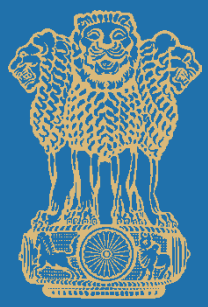

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2017-2018

भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
Government of India, Ministry of Minority Affairs

वार्षिक रिपोर्ट

2017–18

भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

Web - site : www.minorityaffairs.gov.in

विषय सूची

अध्याय सं.	अध्याय शीर्षक	पृष्ठ संख्या
	कार्यकारी सारांश	1–3
1	प्रस्तावना	4–8
2	बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की योजना (एमएसडीपी)	9–12
3	छात्रवृत्ति	13–14
4	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	15
5	नया सवेरा – नि:शुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना	16–17
6	नई उड़ान	18–19
7	पढ़ो परदेश	20
8	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना – नई रोशनी	21
9	हमारी धरोहर	22
10	नई मंजिल	23–26
11	उत्तर–पूर्व क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए योजना–वार बजट आबंटन	27
12	अल्पसंख्यकों हेतु कौशल विकास पहल	28
13	विकास के लिए परम्परागत कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन (उस्ताद)	29–30
14	जियो पारसी–भारत में पारसियों की जनसंख्या की गिरावट को रोकने हेतु योजना	31
15	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान की योजना	32
16	आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक	33
17	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	34–35
18	वक़्फ प्रशासन, केन्द्रीय वक़्फ परिषद एवं राष्ट्रीय वक़्फ विकास निगम	36–44
19	दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेर	45–49
20	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	50–52
21	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता अनुदान	53–55
22	अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम	56–60
23	सच्चर समिति की रिपोर्ट और अनुवर्ती कार्रवाई	61–68
24	हज प्रबंधन	69–72
25	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	73
26	सरकारी लेखापरीक्षा	74
27	स्वच्छ भारत मिशन	75–77
28	ई–आफिस का कार्यान्वयन	78
29	नागरिक/ग्राहक का चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र	79
	अनुलग्नक I से IX	80–96

कार्यकारी सारांश

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की उपलब्धियां

- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की स्थापना 29 जनवरी, 2006 को की गई थी। इसे 6 (छह) अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों यथा मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी और जैन, जो भारत की आबादी का 19% से अधिक हैं, के कल्याण और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने का अधिदेश दिया गया है। अक्तूबर, 2016 से मंत्रालय को हज यात्रा के प्रबंधन का भी अधिदेश दिया गया है।

- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने शैक्षिक–सशक्तिकरण; अवसंरचना विकास; आर्थिक सशक्तिकरण; विशेष जरूरतों को पूरा करने; और अल्पसंख्यक संस्थानों के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अल्पसंख्यकों के विकास के लिए मंत्रालय ने बहु–शाखी रणनीति अपनाई है।

- मंत्रालय की कल्याण और विकास योजनाएं अल्पसंख्यकों के गरीब और वंचित वर्गों पर केन्द्रित हैं। अधिकांश योजनाओं में पात्रता मानदंड आर्थिक आधार पर तैयार किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनके लाभ गरीब और वंचित वर्गों तक पहुंचें।

- शैक्षिक योजनाएं सभी स्तरों पर छात्रवृत्तियों, अध्येतावृत्तियों और उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने तथा अच्छी गुणवत्ता की कोंचिग प्रदान करने के लिए सहायता देने को कवर करती हैं ताकि अल्पसंख्यक सरकारी और प्राइवेट नौकरियां प्राप्त कर सकें।

- ''स्किल इंडिया मिशन'' और ''मेक इन इंडिया मिशन'' के अनुरूप मंत्रालय ने नौकरी से जुड़ी अपनी ''सीखो और कमाओ'' योजना का सुदृढ़ीकरण और विस्तार किया है तथा पारंपरिक कलाओं/शिल्पों के संरक्षण के लिए ''उस्ताद'' और अल्पसंख्यकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा को कौशल से जोड़ने के लिए ''नई मंजिल'' नामक नई योजनाएं कार्यान्वित की हैं।

- वर्ष 2016–17 के दौरान, शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य से संबंधित अवसंरचना विकास के लिए बड़ी परियोजनाएं कवर करने के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) का पुनःअभिमुखीकरण किया गया। इसके कार्यक्षेत्र में अन्य विशिष्ट जरूरतों के लिए 2017–18 के दौरान और विस्तार किया गया है। तद्नुसार 2017–18 के दौरान विभिन्न राज्यों के लिए 58 'सद्भावना मंडपों' (बहु–उद्देशीय सामुदायिक केन्द्र) के निर्माण के लिए परियोजनाएं और 33 अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल स्वीकृत किए गए।

- योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने और फीडबैक/सुझाव प्राप्त करने के लिए रामपुर, उत्तर प्रदेश और अलवर, राजस्थान सहित विभिन्न स्थानों पर 'प्रोग्रेस पंचायतें' आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए समन्वय बैठकों की योजना बनाई गई है। उत्तरी अंचल के 9 राज्यों के लिए पहली बैठक 18.01.2018 को लखनऊ में आयोजित की गई।

- ''नई रोशनी'' के माध्यम से अल्पसंख्यक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्यक्रम हैं। अन्य विशेष कार्यक्रमों में पारसी समुदाय की घटती आबादी को रोकने के लिए ''जियो पारसी'' योजना और भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अधीन अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत और संस्कृति के संरक्षण के लिए ''हमारी धरोहर'' योजना शामिल हैं।

- डिजीटल इंडिया अभियान से तालमेल करते हुए मंत्रालय 12 योजनाएं डीबीटी मोड के अधीन लेकर आया है जैसे (1) अल्पसंख्यकों के लिए मेरिट–सह–साधन छात्रवृत्ति, (2) अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, (3) अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति, (4) अल्पसंख्यकों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, (5) पढ़ो परदेश–विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज इमदाद, (6) नई उड़ान–संघ लोक सेवा

आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए सहायता, (7) नई रोशनी, (8) अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना (नया सवेरा), (9) नई मंजिल, (10) कौशल विकास पहलें – सीखो और कमाओ, (11) विकास के लिए पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशलों और प्रशिक्षण का उन्नयन (उस्ताद), (12) हमारी धरोहर। इसके अतिरिक्त, सीखो और कमाओ, नई रोशनी, नई उड़ान के लिए आनलाइन पोर्टल भी विकसित और चालू किए गए हैं। इसके अलावा मंत्रालय ने हाल ही में हज के लिए एक मोबाइल ऐप्प भी लांच किया है। मंत्रालय ने ई–आफिस मोड में शिफ्ट होने के लिए भी कार्रवाई की है।

- मंत्रालय ने उत्तर–पूर्व सहित देशभर में दूरदर्शन नेटवर्क, एफएम चैनलों सहित आकाशवाणी के नेटवर्क, प्राइवेट एफएम चैनलों, प्राइवेट टीवी चैनलों, वेबसाइटों, सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार के लिए मल्टी–मीडिया अभियान भी चलाया है। इसके अतिरिक्त पारंपरिक शिल्पों/कलाओं को बढ़ावा देने और उनका बाजार से संबंध सुदृढ़ करने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2017 में 'हुनर हाट' आयोजित करते हुए बाह्य प्रचार किया गया।

- मंत्रालय ने 16 से 31 नवंबर, 2017 तक ''स्वच्छता पखवाड़ा'' आयोजित किया और इसमें पूरे मंत्रालय ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने धार्मिक स्थानों और इसके आस–पास के क्षेत्रों में जैसे निजामुद्दीन दरगाह, बंगला साहिब गुरूद्वारा, कालकाजी मंदिर, पारसी फायर टेंपल और इस्कान मंदिर आदि को स्थानीय सिविक एजेंसियों के साथ सफाई अभियान के लिए चुना और पखवाड़ा के दौरान जागरूकता पैदा की। मंत्रालय ने स्लोगन लेखन प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता और ड्राइंग प्रतियोगिता भी आयोजित की। मंत्रालय ने सीजीओ परिसर में विभिन्न स्थानों पर कूड़ेदान भी रखे।

- स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने इस मंत्रालय के अधिकारियों के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की सफाई के लिए श्रमदान दिया। उन्होंने परिसर में पौधे भी लगाए।

- 21 जून, 2017 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए मंत्रालय में योग सत्र आयोजित किया गया जिसमें मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया।

- 31.12.2016 तक मुख्य उपलब्धियां निम्नलिखित अनुसार हैं:

  - वर्ष 2016–17 के दौरान देश के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि से संबंधित अवसंरचना को और सुदृढ़ करने के लिए एमएसडीपी के अधीन विभिन्न परियोजनाएं (31.12.2017 के अनुसार) स्वीकृत की गई है। मुख्य प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं:
    - (क) सद्भाव मंडपों के निर्माण के लिए परियोजनाएं – 58
    - (ख) आवासीय स्कूलों के निर्माण के लिए परियोजनाएं – 33
    - (ग) स्वास्थ्य प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए परियोजनाएं – 43 यूनिटें
    - (घ) छात्रावास और स्कूल भवनों के निर्माण के लिए परियोजनाएं – 199 यूनिटें
    - (ङ) शौचालयों के निर्माण के लिए परियोजनाएं – 570 यूनिटें
  - वर्ष 2012–13 से 2017–18 (31.01.2018 के अनुसार) के दौरान मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अधीन 3,40,56,999 छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए 5164.45 करोड़ रु. जारी किए गए है।
  - वर्ष 2012–13 से 2017–18 (31.01.2018 के अनुसार) के दौरान मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अधीन 42,23,730 छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए 2326.01 करोड़ रु. जारी किए गए है।
  - वर्ष 2012–13 से 2017–18 (31.01.2018 के अनुसार) के दौरान मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति

योजना के अधीन 6,13,472 छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए 1634.99 करोड़ रु. जारी किए गए है।

- वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के अधीन यूजीसी को 31.12.2017 के अनुसार 99.85 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। 2017–18 के लिए यूजीसी द्वारा अध्येतावृत्ति प्रदान किए जाने के लिए नए 756 छात्रों का चयन किया गया है।
- निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के अधीन 9699 छात्रों को कोचिंग प्रदान करने के लिए विभिन्न एनजीओ/संस्थानों को 32.21 करोड़ रु. (अनंतिम) का सहायता–अनुदान (31.12.2017 के अनुसार) जारी किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2017–18 (31.01.2018 के अनुसार) के दौरान नई उड़ान योजना (संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों के लिए सहायता) के अधीन 681 अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 3.12 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।
- वर्ष 2017–18 के दौरान, पढ़ो परदेश (विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज इमदाद की योजना) के अधीन 736 अभ्यर्थियों (31.12.2017 के अनुसार) के नवीकरण के लिए ब्याज इमदाद हेतु नोडल बैंक (केनरा बैंक) को 6.52 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।
- ''सीखो और कमाओ'' के अधीन 2017–18 के दौरान 250.00 करोड़ रु. की राशि से 1,20,000 अल्पसंख्यकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 10.02.2018 तक पीआईओ को प्रशिक्षण के लिए 1,18,500 अल्पसंख्यक युवा आबंटित किए गए हैं।
- 2017–18 के दौरान ''उस्ताद'' योजना के अधीन चार हुनर हाट नामतः पुडुचेरी, आईआईटीएफ, दिल्ली, मुंबई और खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित की गई है।
- 2017–18 के दौरान ''अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना'' (नई रोशनी) के तहत महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए 20.01.2018 तक 1.80 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।
- चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान (31.01.2018 तक) एनएमडीएफसी द्वारा सावधि ऋण और लघु वित्त के तहत 1,08,494 लाभार्थियों को 515.90 करोड़ रु. के ऋण प्रदान किए गए हैं।
- सरकार लगातार दूसरे वर्ष के लिए भारत का हज कोटा बढ़वाने में सफल रही है और स्वतंत्रता के बाद पहली बार अब रिकार्ड 1,75,025 भारतीय मुस्लिम हज पर जाएंगे।
- भारत में पारसियों की घटती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना ''जियो पारसी'' योजना के अधीन 2017–18 (31.12.2017 तक) के दौरान चिकित्सा सहायता और पक्ष–समर्थन कार्यक्रम के लिए परजोर फाउंडेशन को 1.42 करोड़ रु. की निधियां जारी की गई।
- एमएईएफ को 2017–18 के दौरान इसकी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 113.00 करोड़ रु. समग्र निधि के रूप में जारी किए गए हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान एमएईएफ ने 54.00 करोड़ रु. की लागत पर मेधावी छात्राओं को 45000 छात्रवृत्तियां स्वीकृत कीं। इसके अतिरिक्त इसने सहायता–अनुदान योजना के अधीन 40 एनजीओ को 10.01 करोड़ रु. स्वीकृत किए।
- वर्ष 2017–18 के लिए बजट प्राक्कलन (बीई) 4195.48 करोड़ रु. है और संशोधित प्राक्कलन (आरई) स्तर पर भी इतना ही रखा गया है। 31.12.2017 तक व्यय 2688.92 करोड़ रु. था।
- 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि में कार्यान्वयन के लिए मूल्यांकन रिपोर्टों के आधार पर मंत्रालय की योजनाओं में उपयुक्त संशोधन किया गया है।

अध्याय–1

प्रस्तावना

1.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में से किया गया था और पांच अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिक्ख, पारसी से संबंधित मामलों पर और अधिक अभिकेन्द्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए बल देने के लिए 29 जनवरी, 2006 को इसको सृजित किया गया था। जैनों को भी दिनांक 27 जनवरी, 2014 की अधिसूचना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय में शामिल किया गया है। मंत्रालय का अधिदेश अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ के लिए समग्र नीति तैयार करने और योजना, समन्वयन, मूल्यांकन, विनियामक एवं विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करना है।

संकल्पना एवं मिशन

1.2 इस मंत्रालय की संकल्पना अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त बनाना तथा हमारे राष्ट्र के बहु–जातीय, बहु–सांस्कृतिक, बहु–भाषायी एवं बहु–धार्मिक स्वरूप के सुदृढ़ीकरण के लिए वातावरण निर्मित करना है।

1.3 मिशन सकारात्मक कार्रवाई तथा समावेशी विकास के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाना है ताकि प्रत्येक नागरिक को सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय रूप से भागीदारी करने का समान अवसर प्राप्त हो, अल्पसंख्यक समुदायों हेतु शिक्षा, रोजगार, आर्थिक क्रियाकलापों में समान हिस्सेदारी को सुग्राही बनाना तथा उनका उत्थान सुनिश्चित करना है।

1.4 श्री मुख़्तार अब्बास नक़वी ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री का प्रभार संभाला हुआ है और डॉ. वीरेन्द्र कुमार अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री हैं। मंत्रालय के सचिव के कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए एक अपर सचिव, 3 संयुक्त सचिव, एक संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार हैं। मंत्रालय की स्वीकृत नफरी 121 अधिकारियों/कर्मचारियों की है और इस समय 79 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। मंत्रालय का पदधारिता विवरण **अनुलग्नक–I** पर दिया गया है। हालांकि मंत्रालय के अधिकांश बहु–प्रकृति के कार्य इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं, तथापि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अधिकारियों/संगठनों द्वारा इसे सहायता प्रदान की जाती है।

कार्यों का आबंटन

1.5 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 की दूसरी अनुसूची के अनुसार इस मंत्रालय को आबंटित किए गए विषय इस प्रकार हैं:–

i. अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विनियामक तथा विकास कार्यक्रमों पर समग्र नीति, योजना तैयार करना, समन्वय, मूल्यांकन तथा समीक्षा करना।

ii. कानून और व्यवस्था से संबंधित मामलों को छोड़कर अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित सभी मामले।

iii. केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों तथा राज्य सरकार के परामर्श से अल्पसंख्यकों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए नीति की पहलें करना।

iv. भाषायी अल्पसंख्यकों तथा आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक के कार्यालय से संबंधित मामले।

v. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम से संबंधित मामले।

vi. शरणार्थी सम्पत्ति अधिनियम, 1950 (1950 का 31), (अब निरस्त) के प्रशासन के अंतर्गत शरणार्थी वक्फ़ सम्पत्तियों से संबंधित कार्य।

vii. एंग्लो–इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व।

viii. विदेश मंत्रालय के परामर्श से 1955 के पंत–मिर्जा समझौते के अनुसार पाकिस्तान में गैर– मुस्लिम पूजा

स्थलों और भारत में मुस्लिम पूजा स्थलों का संरक्षण और परिरक्षण करना।

ix. विदेश मंत्रालय के परामर्श से पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित प्रश्न।

x. परोपकार और धर्मार्थ संस्थान, विभाग में निपटाए जा रहे विषयों से संबंधित धर्मार्थ एवं धार्मिक स्थायी निधि।

xi. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान[2] सहित अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यक संगठनों के सामाजिक– आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक स्थिति से संबंधित मामले।

xii. वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) और केन्द्रीय परिषद।

xiii. दरगाह ख़्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 (1955 का 36)।

xiv. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम सहित अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों और परियोजनाओं का वित्त पोषण।

xv. अल्पसंख्यकों के लिए केन्द्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ–साथ निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर।

xvi. अन्य संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित उपाय करना।

xvii. धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के मध्य सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग।

xviii. न्यायाधीश सच्चर समिति से संबंधित सभी मामले।

xix. अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम।

xx. अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित कोई अन्य विषय।

xxi. हज़ समिति अधिनियम, 1959 (159 को 51) और उसके अधीन बनाए गए नियमों[3] के प्रशासन सहित हज़ तीर्थ यात्रा का प्रबंधन।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा करते हुए।

1. संशोधन श्रंखला सं. 283 दिनांक 16..2.2006 के तहत शामिल।
2. संशोधन श्रंखला सं. 284 दिनांक 28.02.2006 के तहत परिशोधित।
3. संशोधन श्रंखला सं. 329 दिनांक 19.09.2016 के तहत शामिल।

राजभाषा का प्रयोग

1.6 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों में भारत सरकार की सुविचारित राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में एक संयुक्त निदेशक (राजभाषा), एक सहायक निदेशक (राजभाषा), एक वरिष्ठ अनुवादक और तीन कनिष्ठ अनुवादकों के पद स्वीकृत हैं। फिलहाल, मंत्रालय में संयुक्त निदेशक (राजभाषा) और कनिष्ठ अनुवादक के दो पद रिक्त है।

1.6.1 मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात जैसे संकल्प, सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञप्तियां, प्रशासनिक रिपोर्टें तथा संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए गए। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए।

1.6.2 राजभाषा अधिनियम और इसके उपबंधों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जांच बिंदु बनाए गए हैं।

1.6.3 अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए मंत्रालय की सभी योजनाएं यथा अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मैरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना, मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों, बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, सीखो और कमाओ, अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास हेतु नई रोशनी योजना, पढ़ो परदेश, हमारी धरोहर, उस्ताद, प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम, नई मंजिल योजना आदि से संबंधित सामग्री राजभाषा हिंदी में प्रकाशित कराई गई।

1.6.4 माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है।

1.6.5 इसके अतिरिक्त मंत्रालय में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की निगरानी एवं समीक्षा के लिए संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्य कर रही है। यह समिति नियमित आधार पर मंत्रालय में राजभाषा के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है।

संयुक्त सचिव, श्री के.सी. सामरिया हिन्दी में काम करने के लिए हिन्दी पखवाड़ा के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों को शपथ दिलाते हुए।

1.6.6 अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना काम हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने और हिंदी में मूल रूप में टिप्पण और प्रारूप तैयार करने के लिए उन्हें प्रभावी रूप से प्रशिक्षित करने हेतु हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

1.6.7 मंत्रालय में 14 सितम्बर से 29 सितम्बर, 2017 के दौरान हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। 14 सितंबर, 2017 को हिन्दी दिवस के अवसर पर संयुक्त सचिव ने अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने की शपथ दिलाई। मूल रूप से हिंदी में टिप्पण एवं प्रारूप लेखन को बढ़ावा देने के लिए "हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता" का आयोजन किया गया। पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

अपर सचिव, श्री एस.के.डी वर्मन हिन्दी पखवाड़ा में विजेताओं को पुरस्कार वितरित करते हुए।

हिन्दी भाषण प्रतियोगिता में भाषण देते हुए एक प्रतियोगी।

1.6.8 मंत्रालय की वेबसाइट को द्विभाषी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एनआईसी–सीएमएफ टीम का गठन किया गया। एनआईसी–सीएमएफ टीम की सहायता से वेबसाइट के द्विभाषीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। वेबसाइट पर हिन्दी और अंग्रेजी में सामग्री उपलब्ध है।

1.6.9 मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग ने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को सरल और सुगम बनाने हेतु **राजभाषा दिग्दर्शिका** तैयार की है, जिसमें भारत सरकार की राजभाषा नीति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और साथ ही, अंग्रेजी–हिंदी शब्दावली तथा रोजमर्रा में प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी/हिंदी वाक्यांशों को भी शामिल किया गया है।

सतर्कता इकाई

1.7 श्री जान–ए–आलम, संयुक्त सचिव (वक्फ) ने मंत्रालय के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में कार्य किया और मंत्रालय तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के बीच लिंक का कार्य भी किया।

सीवीओ मंत्रालय में संयुक्त सचिव (हज एवं वक्फ मामले) के रूप में अपने सामान्य कार्यभार के अलावा सतर्कता का कार्य भी देखते हैं।

1.7.1 सीवीओ को निम्नलिखित जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं:

- ❖ मंत्रालय से संबंधित सतर्कता एवं अनुशासनात्मक संबंधी सभी मामले।
- ❖ प्राप्त शिकायतों की जांच और उन पर समुचित कार्रवाई।
- ❖ शिकायतों के संबंध में जांच/पूछताछ/निरीक्षण तथा अनुवर्ती कार्रवाई।
- ❖ केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ समन्वय करना।
- ❖ केंद्रीय सतर्कता आयोग से, जब कभी अपेक्षित हो, सलाह लेना।

- ❖ भ्रष्टाचार प्रवण संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान तथा इन पदों पर नियुक्त अधिकारियों का समय–समय पर स्थानांतरण करना और इस प्रकार निवारक सतर्कता को प्रोत्साहित करना।
- ❖ सरकार के कार्यकरण में सत्यनिष्ठा, कार्यक्षमता और पारदर्शिता में वृद्धि करना।

1.7.2 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 13 अधिकारियों के सतर्कता क्लीयरेंस जारी किए गए।

1.7.3 सतर्कता अनुभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाईयां:

- ❖ संवेदनशील प्रकृति के अभिज्ञात क्षेत्रों पर निगरानी रखना।
- ❖ मंत्रालय में औचक सतर्कता निरीक्षण कर सकता है।

बजट

1.8 वर्ष 2017–18 के लिए इस मंत्रालय को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए 4195.48 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी जो 2017–18 के लिए संशोधित अनुमान में वही रखी गई। बजट अनुमान, संशोधित अनुमान 2017–18 और 31.12.2017 तक वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक–III** में दिया गया है।

एंग्लो–इंडियन समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

1.9 एंग्लो–इंडियन नेता और विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधियों की एक बैठक नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री की अध्यक्षता में 13.1.2017 को आयोजित की गई। बैठक में संसद के मौजूदा नामित एंग्लो–इंडियन सदस्यों, पूर्व सांसद, पांच राज्यों के विधायकों के अलावा एंग्लो–इंडियन समुदाय के अन्य नेताओं द्वारा भाग लिया गया। एंग्लो–इंडियन समुदाय के प्रतिनिधियों ने इस बैठक को आयोजित करने की पहल को ऐतिहासिक बताते हुए इसकी प्रशंसा की क्योंकि यह पहली बार है कि एंग्लो–इंडियन समुदाय के मुद्दों पर ध्यान देने के लिए केन्द्र सरकार में मंत्री के स्तर पर एंग्लो–इंडियन समुदाय के नेताओं के साथ कोई बैठक की गई है। प्रतिनिधियों ने एंग्लो–इंडियन समुदाय के सम्मुख आ रही विभिन्न समस्याओं एवं मुद्दों पर प्रकाश डाला और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से उन पर ध्यान देने का अनुरोध किया। माननीय मंत्री ने उनकी चिंताओं को सुना और एक उचित तरीके से इन मुद्दों पर गौर करने के लिए सहमत हुए। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की बैठकों को अब और अधिक नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा।

❖❖❖❖❖

अध्याय–2

बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की योजना (एमएसडीपी)

क. एक सिंहावलोकन

2.1 बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी), एक केंद्रीय प्रायोजित योजना, वर्ष 2008–09 में आरंभ किया गया था और इसके पश्चात् जून, 2013 में इसकी पुनर्संरचना की गई। यह एक विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में जहां अल्पसंख्यक आबादी काफी है, सामाजिक–आर्थिक और मूलभूत सुविधाओं के लिए परिसंपत्तियां विकसित करना है। कार्यक्रम के अधीन जिन जिलों में कम–से–कम 25% अल्पसंख्यक आबादी है और पिछड़ेपन के एक या दोनों मानदंड अर्थात् सामाजिक–आर्थिक और मूलभूत सुविधाएं राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं, उन्हें अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) के रूप में पहचाना गया है। पुनर्संरचित एमएसडीपी में एमसीडी के स्थान पर अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक (एमसीबी), अल्पसंख्यक बहुल नगर (एमसीटी) और गांवों का समूह कर दिया गया है।

2.2 एमएसडीपी के अधीन अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों की पहचानः

एमएसडीपी के कार्यान्वयन के लिए यूनिट क्षेत्र की पहचान के लिए सामाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधाएं मानदंडों के अधीन निम्नलिखित संकेतक प्रयोग किए गए हैंः–

(क) **जिला स्तर पर धर्म–विशिष्ट सामाजिक–आर्थिक संकेतक**

(i) साक्षरता दर;
(ii) महिला साक्षरता दर;
(iii) कार्य में भागीदारी दर; और
(iv) महिलाओं द्वारा कार्य में भागीदारी दर

(ख) **जिला स्तर पर आधारभूत सुविधाएं संकेतक –**

(i) पक्की दीवार वाले मकानों का प्रतिशत;
(ii) स्वच्छ पेयजल वाले मकानों का प्रतिशत;
(iii) विद्युत सुविधा वाले मकानों का प्रतिशत;

2.3 **अल्पसंख्यकः** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अधीन मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन समुदायों को एमएसडीपी के प्रयोजनार्थ अल्पसंख्यक माना जा रहा है।

ख. एमसीडीपी के अधीन 11वीं और 12वीं योजना अवधि के दौरान उपलब्धियांः

2.4 11वीं पंचवर्षीय योजना और 2012–13 के दौरान 90 जिलों, जिनमें कम–से–कम 25% अल्पसंख्यक आबादी थी और पिछड़ेपन के मानदंडों अर्थात् सामाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधाएं के संबंध में एक या दोनों के लिए राष्ट्रीय औसत से नीचे पाए गए थे, को पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) के रूप में पहचाना गया।

2.5 कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने और लक्ष्यित लाभार्थियों पर अभिकेन्द्रित करने के लिए योजना की 2013–14 में पुनर्संरचना की गई। पुनर्संरचित एमएसडीपी में एमसीडी के स्थान पर अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक (एमसीबी), अल्पसंख्यक बहुल नगर (एमसीटी) और गांव का समूह कर दिया गया है। इन यूनिट क्षेत्रों की पहचान जनगणना 2001 के आंकड़ों और निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर की गईः–

i. **अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक (एमसीबी):** 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछड़ेपन के मानदंडों के आधार पर चुने गए पिछड़े जिलों में रहने वाली न्यूनतम 25% अल्पसंख्यक आबादी वाले ब्लॉकों की पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों (एमसीबी) के रूप में पहचान की गई। 6 राज्यों (लक्षद्वीप, पंजाब, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और जम्मू एवं कश्मीर) के मामले में जहां अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्या में

हैं, अल्पसंख्यक आबादी के 15% का न्यूनतम कटऑफ उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अधिसंख्या वाले अल्पसंख्यक समुदाय की अपेक्षा स्वीकार किया गया है।

ii. **अल्पसंख्यक बहुल गांवों का समूहः** पिछड़े जिलों में ब्लॉकों के भीतर, जिन्हें एमसीबी के रूप में नहीं चुना गया है, आस–पास के अल्पसंख्यक बहुल गांवों के समूह **(कम से कम 50% अल्पसंख्यक आबादी वाले)** की पहचान की गई। पूर्वोत्तर राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों के मामले में, ऐसे गांव जिनमें अल्पसंख्यक आबादी 25% है, की पहचान की जा सकती है। उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करने वाले समूहों की पहचान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई।

iii. **पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल नगर/शहर :** कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय औसत से नीचे के सामाजिक, आर्थिक एवं आधारभूत सुविधा मानदंडों वाले न्यूनतम 25% अल्पसंख्यक आबादी वाले नगरों/शहरों (6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अधिसंख्या वाले अल्पसंख्यक समुदाय की अपेक्षा अल्पसंख्यक आबादी के 15%) की पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल नगरों/शहरों के रूप में पहचान की गई है। 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों के बाहर वाले 53 जिलों के कुल 66 अल्पसंख्यक बहुल नगरों की कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु पहचान की गई है। इस कार्यक्रम ने नगरों/शहरों में अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाने हेतु कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा सहित केवल शिक्षा के संवर्धन हेतु हस्तक्षेप किया है।

2.6 यह कार्यक्रम 2017–18 के दौरान 12वीं पंचवर्षीय योजना के फार्मेट में ही जारी रहा। कार्यक्रम के अधीन कवर किए गए एमसीबी/एमसीटी की सूची में जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार संशोधन का प्रस्ताव एमएसडीपी को 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि के दौरान कार्यान्वित करने के लिए कुछ अन्य परिशोधनों के साथ विचाराधीन है।

2.7 जैसा कि नवीकृत बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों में संकल्पना की गई है, एमएसडीपी के अधीन ली जा रही परियोजनाएं कुछ आय पैदा करने के अवसर सृजित करने के अलावा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, स्वच्छता, पक्के मकान, सड़कों और पेयजल के लिए बेहतर अवसंरचना के प्रावधान से संबंधित है। इनके अलावा कंप्यूटर साक्षरता और आधुनिक शिक्षण उपकरणों के लिए सहायता की परियोजनाएं भी इस कार्यक्रम के अधीन अनुमोदित की गई हैं।

2.8 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि और 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (31.12.2017) तक की गई वित्तीय और वास्तविक प्रगति के ब्यौरे निम्नलिखित अनुसार हैं:–

I. **11वीं योजना अवधि के दौरानः–**

(क) **वित्तीय प्रगतिः** 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अधीन 3780 करोड़ रुपए के कुल आबंटन में से 3733.89 करोड़ रुपए (आबंटन का 99%) के केंद्रीय शेयर वाली योजनाओं/परियोजनाओं को अनुमोदन दे दिया गया है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2935.56 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार राज्य सरकारों ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए उन्हें जारी की गई कुल निधि में से 2621.29 करोड़ रुपए का उपयोग किया है। राज्य–वार ब्यौरा **अनुलग्नक–IV** पर है।

(ख) **वास्तविक प्रगतिः**

क्रम सं.	परियोजनाओं के नाम	स्वीकृत ईकाइयां	पूरी की गई इकाइयां	कार्य प्रगति पर
1	इंदिरा आवास योजना	301221	238151	32659
2	स्वास्थ्य केंद्र	2537	1992	269
3	आंगनवाड़ी केंद्र	27595	20896	2658
4	पेयजल आपूर्ति	35776	26734	4085
5	अतिरिक्त क्लास–रूम	13508	9747	1515
6	स्कूल भवन	660	395	246
7	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	72	28	26
8	पालिटेक्निक संस्थान	31	10	16
9	छात्रावास	334	127	152

राज्य–वार ब्यौरा **अनुलग्नक–V** पर है।

II. **12वीं योजना के दौरानः–**

(क) **वित्तीय प्रगतिः** 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, इस कार्यक्रम के लिए 5775 करोड़ रुपए के कुल आबंटन में से 55867.51 करोड़ रुपए के केंद्रीय शेयर वाली योजनाओं/परियोजनाओं को अनुमोदन दे दिया गया है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 31.12.2017 तक 4563.41 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। राज्य–वार ब्यौरा **अनुलग्नक–VI** पर है।

(ख) **वास्तविक प्रगतिः** 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, एमएसडीपी के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं की कुल संख्या में अग्रलिखित शामिल हैं। इंदिरा आवास योजना–47403, स्वास्थ्य केंद्र–1856, आंगनवाड़ी केंद्र–9503, हैंड पम्प–24061, पेयजल सुविधा–10649, अतिरिक्त क्लास–रूम–18637, स्कूल भवन–1172, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान–97, पॉलिटेक्निक संस्थान–17, छात्रावास–710, मुफ्त साइकिल–13960, साईबर ग्राम–371657, सद्भाव मंडप–272, मार्केट शेड–420, अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल–27 तथा कौशल प्रशिक्षण–127605. राज्य–वार ब्यौरा **अनुलग्नक–VII** पर है।

बालिका छात्रावास गुलबर्गा, कर्नाटक

अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास लिमबाडा, हिंगोली, महाराष्ट्र

III. **2017–18 के दौरानः–**

(क) **वित्तीय प्रगतिः** 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि के दौरान, इस कार्यक्रम के लिए 3972 करोड़ रुपए के कुल आबंटन में से 1414.29 करोड़ रुपए के केंद्रीय शेयर वाली योजनाओं/परियोजनाओं को अनुमोदन दे दिया गया है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 31.12.2017 तक 815.05 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। राज्य–वार ब्यौरा **अनुलग्नक–VIII** पर है।

(ख) **वास्तविक प्रगतिः** एमएसडीपी के अधीन 2017–18 के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं की कुल संख्या में अग्रलिखित शामिल हैं। डिग्री कॉलेज–1, छात्रावास–57, स्वास्थ्य केंद्र–43, आंगनवाड़ी केंद्र–1529, हैंड पम्प–24061, पेयजल सुविधा–65, अतिरिक्त क्लास–रूम–4455, स्कूल भवन–142, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान–1, सद्भाव मंडप–58, मार्केट शेड–16, अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल–33. राज्य–वार ब्यौरा **अनुलग्नक–IX** पर है।

(ग) **निगरानी तंत्रः**

2.9 15 सूत्री कार्यक्रम के लिए जिला एवं राज्य स्तरीय समितियां क्रमशः जिला एवं राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। केंद्र में, अधिकार–प्राप्त समिति भी कार्यक्रम को मॉनीटर करने के लिए निगरानी समिति के रूप में कार्य करती है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भी तिमाही आधार पर प्रगति को मॉनीटर किया जाता है।

2.10 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सचिवों के नियमित सम्मेलनों के माध्यम से इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करता है। मंत्रालय कार्यक्रम के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा के लिए जिला अधिकारियों तथा राज्य स्तर के अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय सम्मेलन भी आयोजित करता है। इसके अलावा, क्रियान्वयनकर्ता अधिकारियों के निरंतर फॉलोअप के तौर पर जिला एवं राज्य के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस भी की जाती है। साथ ही, मंत्री (अल्पसंख्यक कार्य) तथा सचिव, अल्पसंख्यक कार्य की ओर से मुख्यमंत्रियों तथा प्रमुख सचिवों को उनके राज्यों में लंबित महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में सुग्राही बनाने के लिए पत्र भी भेजे गए हैं। योजना के बारे में जागरूकता फैलाने और फीडबैक और सुझाव प्राप्त करने के लिए रामपुर, उत्तर प्रदेश और अलवर, राजस्थान सहित विभिन्न स्थानों पर 'प्रोग्रेस पंचायतें' आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त, योजनाओं के कारगर कार्यान्वयन के लिए उत्तरी क्षेत्र के 9 राज्यों के लिए 18.01.2018 को लखनऊ में एक समन्वय बैठक आयोजित की गई। देश के अन्य अंचलों में इसी प्रकार की बैठक आयोजित करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

लखनऊ में आयोजित अल्प संख्यक कार्य मंत्रालय और 9 राज्यों के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की 'विकास समन्वय बैठक'

अध्याय–3

छात्रवृत्ति

यह मंत्रालय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित तीन छात्रवृत्ति योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है:–

(i) **मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना;**

(ii) **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना; और**

(iii) **मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना**

छात्रवृत्ति योजनाओं में पारदार्शिता में सुधार लाने के लिए 2017–18 के दौरान छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का एक नया एवं नवीकृत रूपांतरण शुरू किया गया है। इस मंत्रालय की सभी तीनों छात्रवृत्ति योजनाएं इस पोर्टल पर हैं। छात्रवृत्तियां प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) तरीके से विद्यार्थियों के बैंक खाते में अंतरित की जाती हैं।

(i) मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना

3.1 अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना 30 जनवरी, 2008 को अनुमोदित की गई थी। यह 100% केन्द्रीय वित्तपोषण के साथ केन्द्र क्षेत्र की एक योजना है। पिछली परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने वाले ऐसे विद्यार्थी जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपए से अधिक नहीं है, वे योजना के अंतर्गत मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के पात्र है। इस योजना के अंतर्गत नवीकरण के अलावा प्रतिवर्ष 30 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। 30% छात्रवृत्तियां बालिकाओं के लिए निर्धारित हैं। प्रत्येक चुने गए छात्र को 1000/– रु. से 10,700/–रु. तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

3.2 12वीं पंचवर्षीय योजना में योजना अवधि (2012–18) के दौरान 414.50 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान करने और नवीकरण के लिए 5000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय वर्ष 2017–18 (31.01.2018 तक) 50.87% बालिकाओं सहित 3,40,56,999 छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए 5164.45 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

(ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

3.3 अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत नवम्बर, 2007 में की गई थी। यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पारदर्शी रूप में चयनित और अधिसूचित आवासीय सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल/कॉलेज सहित सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल/कॉलेज में भारत में अध्ययन के लिए प्रदान की जाती है। प्रत्येक चुने गए छात्र को 6000/– रु. से 15,000/– रु. प्रदान की जाती है।

3.4 ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पिछले वर्ष की अंतिम परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हैं और जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं हैं, वे छात्रवृत्ति पाने के पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत, नवीकरण के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष 5 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जानी प्रस्तावति हैं। 30% छात्रवृत्तियां बालिकाओं के लिए निर्धारित की गई हैं। यदि पर्याप्त संख्या में छात्राएं उपलब्ध नहीं होती हैं, तो ये छात्रवृत्तियां पात्र छात्रों को प्रदान कर दी जाती है।

3.5 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–18) के दौरान 37.02 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान करने और नवीकरण के लिए 2850.00 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना और वित्तीय वर्ष 2017–18 (31.01.2018 तक) 55.92% बालिकाओं सहित 42,23,730 छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए 2326.01 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

(iii) मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

3.6 मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है, जो वर्ष 2007 में शुरू की गयी थी। छात्रवृत्ति का संपूर्ण व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। उपयुक्त प्राधिकरण से मान्यता–प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वालों को ये छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्तियों के नवीकरण के अतिरिक्त 60,000 नई छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है। इन छात्रवृत्तियों में से 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं जो पर्याप्त संख्या में पात्र छात्राएं उपलब्ध न होने पर पात्र छात्रों द्वारा उपयोग की जा सकती हैं।

3.7 इस योजना के तहत व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए 85 संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है। इन संस्थानों में प्रवेश प्राप्त अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र छात्रों को पूरे पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। अन्य संस्थानों में अध्ययन कर रहे छात्रों को 20,000/– रु. वार्षिक की दर से पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त, एक दिवा छात्र 5,000/–रु. और छात्रवासी छात्र 15,000/– रु. की दर से अनुरक्षण भत्ता पाने के लिए भी पात्र हैं।

3.8 छात्रवृत्ति प्राप्ति के लिए पात्रता यह है कि छात्र को उपयुक्त प्राधिकरण से मान्यताप्राप्त किसी भी तकनीकी अथवा व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश लिया होना चाहिए। यदि छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा दिए बिना प्रवेश मिल गया हो तो उन्हें 50% से कम अंक अर्जित किया हुआ नहीं होना चाहिए। परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3.9 12वीं पंचवर्षीय योजना में योजना अवधि (2012–18) के दौरान 4.91 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान करने और नवीकरण के लिए 1580.00 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में वित्तीय वर्ष 2017–18 (31.01.2018 तक) के लिए 6,13,472 छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए 1634.99 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। बालिका छात्राओं को 32.13% छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं।

योजना के अधीन छात्रों को शिक्षा प्रदान की जा रही है

अध्याय–4

मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

4.1 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमएएनएफ) की शुरुआत एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस) के रूप में 11 अप्रैल, 2009 को की गई थी। यह योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। योजना के अंतर्गत 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति का उद्देश्य उच्चतर अध्ययनों यथा एम. फिल और पीएच.डी. को करने जारी के लिए केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में पांच वर्ष की अध्येतावृत्तियां प्रदान करना है। इस अध्येतावृत्ति की परिधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालय/संस्थान आते हैं। अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के अंतर्गत अध्येतावृत्ति, नियमित और पूर्णकालिक एम.फिल और पीएच.डी. पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले शोध छात्रों को प्रदान की जाने वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अध्येतावृत्ति के अनुरूप है। जेआरएफ/एसआरएफ प्रदान करने के लिए अर्ह होने के लिए, स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55% के अंक सहित यूजीसी मापदंड क्रमशः प्री–एम.फिल और प्री–पीएच.डी. चरण लागू होंगे। 30% अध्येतावृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। महिला अभ्यर्थियों की कमी के मामले में अध्येतावृत्ति उसी समुदाय के पुरुष छात्रों को दी जा सकती है।

4.2 सक्षम प्राधिकारी ने इस योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि अर्थात् 2019–20 तक कुछ परिशोधनों के साथ जारी रखने का अनुमोदन कर दिया है।

4.3 संशोधित योजना के अनुसार वर्ष 2018–19 और 2020 के लिए अध्येतावृत्तियों की संख्या 756 से बढ़ाकर 1000 कर दी गई है। अध्येतावृत्ति का लाभ लेने के लिए पात्र अभ्यर्थी के माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय की ऊपरी सीमा 2.5 लाख रु. है से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। इस योजना के अधीन अध्येतावृत्ति प्रदान किए जाने के लिए सीबीएसई–एनईटी/सीएसआईआर–एनईटी परीक्षा पहले से पास करना एक पूर्वापेक्षा होगी। चयनित अभ्यर्थियों के लिए अध्येतावृत्ति की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में सीधे अभ्यर्थियों के खाते में संवितरित की जाती है।

4.4 नवीकरण के अतिरिक्त 2756 नए स्कॉलरों को अध्येतावृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि (2017–18 से 2019–20) के लिए 494.40 करोड़ रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

4.5 वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान योजना के अधीन 756 नए छात्रों को अध्येतावृत्तियां प्रदान किया गया है। पात्र स्कॉलरों को अध्येतावृत्ति की राशि आगे संवितरित करने के लिए 31.12.2017 के अनुसार 99.85 करोड़ रु. की राशि यूजीसी को जारी की गई है।

अध्याय–5

नया सवेरा – निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना

5.1 अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए ''निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना'' नामक योजना इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 17.7.2007 से शुरू की गयी।

5.2 इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों और अभ्यर्थियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करना है ताकि वे सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकें तथा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में ख्यातिप्राप्त संस्थानों में प्रवेश पा सकें।

5.3 सक्षम प्राधिकारी ने इस योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि अर्थात् 2019–20 तक कुछ परिशोधनों के साथ जारी रखने का अनुमोदन कर दिया है।

5.4 संशोधित योजना के अनुसार अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित केवल वही अभ्यर्थी योजना के अंतर्गत पात्र होंगे जिनकी सभी स्रोतो से कुल पारिवारिक आय 6.00 लाख रु. प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है। संगठन/कार्यान्वयनकर्त्ता एजेंसी को संबंधित छात्र/अभ्यर्थी से उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। कोचिंग के लिए स्वीकृत विद्यार्थियों की संख्या में से 30% स्थान छात्राओं/बालिका अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। पात्र महिला अभ्यर्थियों/छात्रों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने पर बकाया स्लॉट मंत्रालय की पूर्व अनुमति/सूचना के साथ पुरूष छात्रों/अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे।

5.5 निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के अंतर्गत एक नया संघटक विज्ञान विषयों (भौतिकी, रसायन, जीव–विज्ञान और/अथवा गणित) के साथ 11वीं और 12वीं कक्षाओं में अल्पसंख्यक छात्रों की अभिकेंद्रित तैयारी के लिए वर्ष 2013–14 से जोड़ा गया है और इसे प्रायोगिक आधार पर केवल 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू किया गया है। तथापि, संशोधित योजना के अनुसार इस नए घटक को पात्र संस्थानों/संगठनों और पर्याप्त निधियों की उपलब्धता की शर्त पर अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। नए घटक में जिन छात्रों ने विज्ञान विषयों के साथ 12वीं कक्षा 75% अंकों के साथ पास की है, उनके लिए एक वर्ष का आवासीय कोचिंग कार्यक्रम भी जोड़ा गया है।

5.6 उपर्युक्त के अलावा सिविल सेवा परीक्षाओं की सम्मिश्रित तैयारी के लिए एक विशेष आवासीय कोचिंग कार्यक्रम भी योजना में जोड़ा गया है। तथापि, जो विद्यार्थी सिविल सेवा परीक्षाओं की सम्मिश्रित तैयारी के लिए आवासीय कोचिंग लेंगे, वे मंत्रालय की ''नई उड़ान'' योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।

5.7 योजना के अधीन वित्तीय सहायता व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और सरकारी नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षाओं/प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अल्पसंख्यक छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए चुने गए कोचिंग संस्थानों/संगठनों को प्रदान की जाती है। कोचिंग संस्थानों/संगठनों को देय कोचिंग फीस दर पर छात्रों के लिए वजीफे की राशि नीचे दी गई है :–

कोचिंग की किस्म	प्रति अभ्यर्थी कोचिंग शुल्क	प्रति छात्र प्रतिमाह वजीफे की राशि	अवधि
सिविल सेवा परीक्षा की सम्मिश्रित तैयारी हेतु आवासीय कोचिंग कार्यक्रम	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, 1.00 लाख रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन	कोई वजीफा नहीं दिया जाएगा। निशुल्क आवास एवं भोजन सहित आवासीय कार्यक्रम	9 महीने

समूह की सेवाएं	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, 50,000/– रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन	2500/– रु. प्रतिमाह	6 महीने
तकनीकी / व्यावसायिक पाठ्क्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, 50,000/– रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन	–वही–	6 महीने
समूह 'ख' सेवाएं	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, 30,000/– रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन	–वही–	4 महीने
समूह 'ग' सेवाएं	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, 20,000/– रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन	–वही–	3 महीने
नया घटक (मेडिकल/ इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए अभिकेन्द्रित कोचिंग	संस्थान द्वारा निर्धारित परंतु 1.0 लाख रु. की अधिकतम ऊपरी सीमा के अधीन	कोई वजीफा नहीं अदा किया जाएगा। निःशुल्क भोजन एवं आवास के साथ आवासीय कार्यक्रम	8–10 महीने

5.8 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि (2017–18 से 2019–20 तक) के दौरान अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से लगभग 33 हजार छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए 238.75 करोड़ रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। 2017–18 के लिए बजट आबंटन 48.00 करोड़ रु. है जिसमें से योजना के अधीन 31.12.2017 के अनुसार 9699 छात्रों को निशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए कोचिंग संस्थानों/संगठनों को 32.21 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

अध्याय–6

नई उड़ान

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), राज्य लोक सेवा आयोगों (एसपीएससी) इत्यादि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों हेतु सहायता।

6.1 इस योजना का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वे संघ तथा राज्य सरकारों की सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने में पर्याप्त रुप से सक्षम हो सकें तथा ग्रुप 'ए' तथा 'बी' संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी); राज्य लोक सेवा आयोगों (एसपीएससी) तथा कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) इत्यादि के राजपत्रित एवं गैर–राजपत्रित पद) की प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देते हुए सिविल सेवाओं में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है।

6.2 सक्षम प्राधिकारी ने इस योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि अर्थात् 2019–20 तक कुछ परिशोधनों के साथ जारी रखने का अनुमोदन कर दिया है।

6.3 संशोधित योजना के अनुसार योजना के अधीन लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी की कुल वार्षिक पारिवारिक आय 4.50 लाख रु. से बढ़ाकर 6.00 लाख कर दी गई है। किसी अभ्यर्थी द्वारा इस वित्तीय सहायता का लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकता है। अभ्यर्थी केंद्र अथवा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की किसी अन्य समान योजना से लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। जिन अभ्यर्थियों ने इस योजना का लाभ लिया है, वे मंत्रालय की निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के अधीन लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे।

6.4 योजना के अधीन देशभर में प्रत्येक वर्ष अधिकतम 2000 अभ्यर्थियों को पात्रता मानदंड पूरा करने पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। अभ्यर्थियों का चयन परीक्षा–वार/समुदाय–वार संख्या पर आधारित होगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवाओं की आरंभिक परीक्षा पास करने पर आर्थिक सहायता की अधिकतम दर एक लाख रुपए केवल (1,00,000/– रु.) होगी; राज्य लोक सेवा आयोगों (राजपत्रित पद) द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर पचास हजार रुपए केवल (50,000/– रु.) और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अराजपत्रित पदों के लिए आयोजित संयुक्त स्नातक स्तर की परीक्षा पास करने पर पच्चीस हजार रुपए केवल (25,000/– रु.) होगी। संशोधित दर 29.09.2017 के बाद प्राप्त आवेदनों पर लागू है।

6.5 पात्र अभ्यर्थी इस योजना का लाभ लेने के लिए परिणाम घोषित होने की तारीख से एक महीने के भीतर www.naiudaanmoma.gov.in पोर्टल के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वित्तीय सहायता की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा कर दी जाती है।

6.6 लगभग 6000 अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 3 वित्तीय वर्षों अर्थात् (2017–18, 2018–19 और 2019–20) के लिए योजना की कुल आंकी गई लागत के रूप में 24.75 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 (31.12.2017 तक) के दौरान बजट आबंटन 4.0 करोड़ रु. जिसमें से 3.12 करोड़ रु. 681 अभ्यर्थियों को जारी कर दिए गए हैं जिन्होंने यूपीएससी विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं।

योजना के अधीन स्वागत समारोह

अध्याय–7

पढ़ो परदेश

अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज इमदाद की योजना

7.1 इस योजना का उद्देश्य अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित मेधावी छात्रों को ब्याज इमदाद प्रदान करना है ताकि उनको विदेश में उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर दिए जा सकें और उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि की जा सके। इस योजना के अंतर्गत ब्याज इमदाद पात्र छात्रों को केवल एक बार या तो स्नातकोत्तर अथवा पी.एच.डी स्तर पर ही उपलब्ध है। छात्र ने पाठ्यक्रमों के लिए विदेश में स्नातकोत्तर, एम.फिल अथवा पीएच.डी स्तरों पर अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया होना चाहिए। यह योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और केनरा बैंक के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार एक नोडल बैंक अर्थात् केनरा बैंक के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

7.2 ऋण स्थगन अवधि के दौरान (अर्थात पाठ्यक्रम की अवधि साथ में एक वर्ष और अथवा नौकरी मिलने के पश्चात छह माह, जो भी पहले हो) जैसा कि बैंकों की शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत निर्धारित है, बैंकों से शैक्षिक ऋणों का लाभ उठाने वाले छात्रों द्वारा भुगतेय ब्याज का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। ऋण स्थगन अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात, बकाया ऋण राशि पर ब्याज का वहन छात्र द्वारा मौजूदा शैक्षिक ऋण योजना के अनुसार, जिसमें समय–समय पर संशोधन किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। अभ्यर्थी ऋण स्थगन अवधि के बाद मूलधन और ब्याज को वहन करेगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह योजना 29.09.2017 से अनुमोदित की गई है।

7.3 नियोजित अभ्यर्थियों अथवा बेरोजगार अभ्यर्थियों के मामले में उनके माता–पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 6.00 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। 35% सीटें छात्राओं के लिए निर्धारित की जाएंगी। बालिका छात्राएं उपलब्ध न होने पर सीटें छात्रों को हस्तांतरित कर दी जाएंगी।

7.4 सक्षम प्राधिकारी ने इस योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि अर्थात् 2019–20 तक 64.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत और नवीकरण के अतिरिक्त 1200 के वास्तविक लक्ष्य के साथ जारी रखने का अनुमोदन कर दिया है।

7.5 वर्ष 2017 (31.12.2017 के अनुसार) के दौरान 8.00 करोड़ रु. के कुल बजट आबंटन में से योजना के अधीन 736 नवीकरण अभ्यर्थियों के संबंध में ब्याज इमदाद की प्रतिपूर्ति के लिए 6.52 करोड़ रु. केनरा बैंक को जारी किए गए हैं।

अध्याय–8

''नई रोशनी'' अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना

8.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकास के लिए एक अनन्य योजना **'नई रोशनी'** कार्यान्वित की जाती है जिसका उद्देश्य सभी स्तर पर सरकारी तंत्रों, बैंकों एवं मध्यस्थों के साथ संपर्क करने हेतु जानकारी, उपकरण एवं तकनीक उपलब्ध कराते हुए अल्पसंख्यक महिलाओं का सशक्तिकरण करना तथा उनमें विश्वास जगाना है। यह योजना पैनल में शामिल गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

8.2 यह छह दिनों (आवासीय के लिए पांच दिन) का सुग्राहीकरण कार्यक्रम होता है जिसके बाद एक वर्ष की अवधि के लिए महिलाओं से अनन्य रूप से संबंधित मुद्दों को कवर करते हुए मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूलों पर हैंडहोल्डिंग की जाती है। प्रशिक्षण मॉड्यूल महिलाओं से संबंधित मुद्दों जैसे निर्णय करने में भागीदारी के माध्यम से महिलाओं का नेतृत्व, महिलाओं के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता महिलाओं के कानूनी अधिकार, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, स्वच्छ भारत, जीवन कौशल तथा सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन के लिए पक्ष–समर्थन को कवर करते हैं।

8.3 2015–16 में मंत्रालय ने एक आनलाइन आवेदन प्रबंधन प्रणाली (ओएएमएस) शुरू की है जिससे पारदर्शिता आई है, आनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया है, देरी में कमी है और स्वीकृतियां आनलाइन जारी करने में सक्षम बनाया है।

8.4 इसकी शुरुआत से देशभर में 27 राज्यों में 66.00 करोड़ रु. की राशि के साथ 2.97 लाख से अधिक महिलाओं का प्रशिक्षण स्वीकृत किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा योजना के कार्यान्वयन की मानीटरिंग की जाती है।

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–13 से 2016–17 तक) के दौरान वित्तीय एवं वास्ताविक उपलब्धियां

वर्ष	बी.ई. (रु. करोड़ में)	आर.ई. (रु. करोड़ में)	व्यय (रु. करोड़ में)	वास्तविक लक्ष्य (प्रशिक्षित की जाने वाली महिलाओं की संख्या)	उपलब्धियां (प्रशिक्षार्थी/ स्वीकृत महिलाएं)
2012–13	15.00	12.80	10.45	40,000	36,950
2013–14	15.00	14.74	11.96	40,000	60875
2014–15	14.00	14.00	14.00	40,000	71075
2015–16	15.00	15.00	14.99	40,000	58725
2016–17	15.00	15.00	14.72	40,000	69125
कुल	74.00	71.54	66.12	2,00,000	2,96,750

8.5 ''नई रोशनी'' योजना संशोधित दिशा–निर्देशों के साथ तीन वर्षों अर्थात् 14वें वित्त आयोग (2017–2020) के दौरान अनुमोदित की गई है जिसमें उन महिलाओं की पहचान पर विशेष बल रहेगा जो सामान्य हैंडहोल्डिंग के अलावा आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किसी अल्प अवधि के प्रशिक्षण के अधीन प्रशिक्षित किए जाने की इच्छुक हैं/ आगे प्रशिक्षित किया जा सकता है ताकि उन्हें उपयुक्त वैतनिक रोजगार या स्व–रोजगार/लघु उद्यम के माध्यम से सतत आर्थिक आजीविका अवसर प्राप्त कर सकें, इसमें विकलांग महिलाओं के लिए कार्यक्रम शामिल हैं।

'नई रोशनी' – अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए योजना 2017–18 की स्थिति

(20.01.2018 के अनुसार)

वर्ष	वित्तीय लक्ष्य (बीई/आरई) (रु. करोड़ में)	वास्तविक लक्ष्य (बीई/आरई)	20.01.2018 के अनुसार वित्तीय उपलब्धि (रु. करोड़ में)	वास्तविक उपलब्धि
2017–18	**17.00**	**40,000**	**1.80**	**अभी स्वीकृत किया जाना है।**

अध्याय–9

''हमारी धरोहर''

भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अधीन भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की योजना

9.1 भारत की समृद्ध विरासत में अल्पसंख्यकों के योगदान को प्रदर्शित करने हेतु चुनिंदा हस्ताक्षेप के लिए योजना।

9.2 2014–15 के दौरान अनुमोदित की गई।

9.3 योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:–

(i) भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना।

(ii) प्रदर्शनियों की क्यूरेटिंग।

(iii) साहित्य/दस्तावेजों आदि का संरक्षण।

(iv) कैलीग्राफी आदि की सहायता एवं संवर्धन।

(v) अनुसंधान एवं विकास।

9.4 योजना के अधीन कवर किए गए क्रियाकलाप (विरासत के संरक्षण के लिए) निम्नलिखित अनुसार हैं।

(क) विरासत को प्रदर्शित तथा संरक्षित करने के लिए आइकोनिक प्रदर्शनियों/नृत्य कला सहित प्रदर्शनियों की क्यूरेटिंग;

(ख) कैलीग्राफी आदि के लिए सहायता एवं संवर्धन;

(ग) साहित्य, दस्तावेज, पाण्डुलिपि आदि का संरक्षण;

(घ) मौखिक परंपराओं/कला विधाओं का प्रलेखन;

(ङ) अल्पसंख्यक समुदायों की विरासत को प्रदर्शित करने एवं संरक्षित करने हेतु 'एथनिक संग्रहालयों' (संस्कृति मंत्रालय अथवा इसके निकायों की योजनाओं के अंतर्गत सहायता न प्राप्त) के लिए सहायता देना;

(च) विरासत से संबंधित सेमिनारों/कार्यशालाओं के आयोजन के लिए सहायता;

(छ) विरासत के सरंक्षण और विकास में अनुसंधान हेतु अध्येतावृत्ति;

(ज) अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने हेतु व्यक्तियों/संस्थानों को अन्य कोई सहायता।

9.5 अब तक शुरू की गई परियोजनाएं:

1. **द एवरलास्टिंग फ्लेम:**

माननीय वित्त मंत्री ने 2015–16 के लिए अपने बजट भाषण में पारसी संस्कृति पर प्रदर्शनियों, नामतः ''द एवरलास्टिंग फ्लेम'' की घोषणा की थी। पारसी संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए 2015–16 के दौरान तीन प्रदर्शनियां – ''द एवरलास्टिंग फ्लेम'', ''थ्रेड्स ऑफ कंटीन्यूइटी'' और अक्रॉस द ओसन्स एंड फ्लोइंग सिल्क्स'' आयोजित की गई। परियोजना के लिए 18.73 करोड़ रु. जारी किए।

2. **दैरातुल मारीफिल उस्मानिया, उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा कार्यान्वित परियोजना:**

मध्यकालीन युग से संबंधित 240 दस्तावेजों के अरबी से अंग्रेजी में अनुवाद, उनके डिजीटीकरण और पुनर्मुद्रण के लिए 2015–16 के दौरान संगठन को 2.77 करोड़ रु. जारी किए गए।

अध्याय–10

नई मंजिल

अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक एकीकृत शिक्षा और आजीविका पहल

10.1 नई मंजिल वर्तमान सरकार की एक नई पहल है। इसका शुभारंभ 8 अगस्त, 2015 को पटना, बिहार में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ऐसे अल्पसंख्यक युवाओं को लाभावित करना है जिनके पास औपचारिक रूप से स्कूल छोड़ने का प्रमाण–पत्र नहीं है, अर्थात् जो स्कूल ड्रापआऊट्स की श्रेणी में आते हैं अथवा मदरसों जैसे सामुदायिक शिक्षा संस्थानों में पढ़े हैं, ताकि उन्हें औपचारिक शिक्षा और कौशल प्रदान किए जा सके और वे संगठित क्षेत्र में बेहतर रोजगार तलाश करने में सक्षम हो सकें तथा इस प्रकार उन्हें बेहतर जीवन जीने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

10.2 यह योजना 5 वर्षों के लिए 650 करोड़ रुपए की लागत के साथ अनुमोदित की गई है। 50% वित्त–पोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाना है। विश्व बैंक ने 50 मिलियन अमेरिकी डालर के वित्त–पोषण का अनुमोदन कर दिया है। योजना 22 राज्यों के 38 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 72 परियोजना के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है जो 9 से 12 महीने तक गैर–आवासीय एकीकृत शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है जिसमें राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एसएसक्यूएफ) के अनुसरण में न्यूनतम 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। निर्धारित फ्रेमवर्क के अनुसार कौशल प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात, अपनी योग्यता के अनुसार लाभार्थियों को नौकरियों में नियुक्त किया जाएगा।

10.3 नई मंजिल योजना के अंतर्गत कवर किए जाने वाले लाभार्थियों का कुल लक्ष्य 1 लाख व्यक्ति है। तथापि, वर्तमान चरण में, कवर किए जाने वाले लक्ष्यित लाभार्थियों की संख्या 69840 व्यक्ति है। शेष 30160 व्यक्तियों/लाभार्थियों को कवर करने के लिए नए पीआईए को लेने की प्रक्रिया अभी चल रही है। अधिक पीआईए के नामांकन के लिए समाचार पत्र में एक विज्ञापन 02 दिसम्बर, 2017 को जारी किया था।

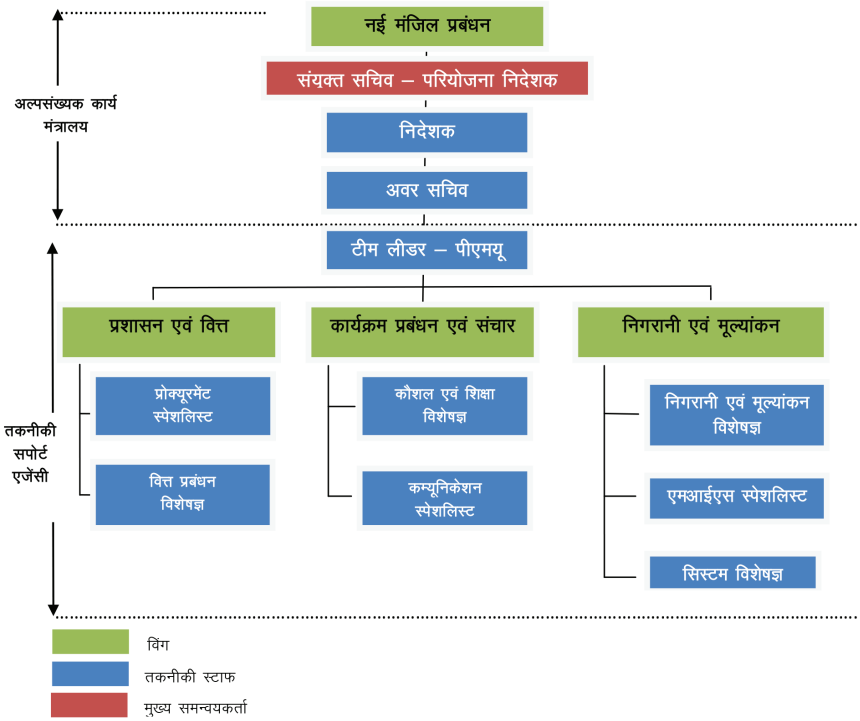

नई मंजिल योजना कार्यान्वयन संरचना :

10.4 योजना के रोजमर्रा कार्य प्रबंधन के लिए मंत्रालय में एक परियोजना प्रबंधन एकक (पीएमयू) स्थापित की जा रही है जिसमें एक टीम लीडर और 7 तकनीकी विशेषज्ञ हैं। टीम की संरचना निम्नलिखित अनुसार है:

टीम लीडर, शिक्षा एवं कौशल विशेषज्ञ, कम्यूनिकेशन विशेषज्ञ, एमआईएस विशेषज्ञ, प्रोक्यूमेंट विशेषज्ञ, वित्त प्रबंधन विशेषज्ञ, एम एण्ड ई स्पेशलिस्ट एवं सिस्टम एनालिस्ट।

10.5 दिसंबर 2017 के अनुसार योजना के एमआईएस आधारित एक्सेल के माध्यम से एकत्रित डेटा के अनुसार प्रत्येक परियोजना 970 लाभार्थियों को शामिल करके 72 परियोजनाओं के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन के लिए 19 सोसाइटियों, 1 सरकारी संगठन, 5 ट्रस्ट तथा 13 कंपनियों सहित 38 पीआईए को 69840 व्यक्तियों को कवर करने का लक्ष्य दिया गया है। जबकि 28% अभ्यर्थी ओपन बेसिस एजूकेशन (ओबीई) में नामांकित है और 61% माध्यमिक शिक्षा में। आधारिक स्तर पर अध्ययन में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए पीआईए में 1129 अध्यापकों तथा 473 अन्य स्टाफ जो योजना के कार्यान्वयन में सहायता के लिए 228 मुख्य रिसोर्स व्यक्तियों को नियुक्त किए जा रहे है तथा कुल मिलाकार आधारिक स्तर पर 1803 ऑपरेशन स्टाफ कार्यरत है।

नई मंजिल भीलवाड़ा सेंटर, राजस्थान

नई मंजिल पटना सेंटर बिहार

10.6 वर्ष 2017–18 के लिए, नई मंजिल योजना के कार्यान्वयन के लिए 125.00 करोड़ रु. निर्धारित किया गया है। अर्थात् संवितरण से जुड़े संकेतकों के लिए स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी, एमआईएस (डिजाइन, विकास एवं प्रबंधन) एजेंसी, निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए तकनीकी सपोर्ट एजेंसी, आईईसी स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए एजेंसी तथा योजना कार्यान्वयन जैसे 04 बाहरी तकनीकी सपोर्ट एजेंसियों को किराये पर/पैनल में शामिल करने की योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया को सुकर बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

10.7 नई मंजिल योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए दो संचालन समिति बैठक आयोजित की गई थी। संचालन समिति की प्रथम बैठक 13 अक्तूबर, 2017 को तथा दूसरी बैठक 13 दिसम्बर, 2017 को आयोजित की गई थी।

मेघालय में नई मंजिल योजना के छात्र

बोनियार सेंटर, जिला बारामुला, जम्मू एण्ड कश्मीर में नई मंजिल केन्द्र पर पढ़ाते हुए प्रशिक्षक

10.8 नई मंजिल परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) के लिए एक पूर्ण दिवसीय ऑरियन्टेशन वर्कशॉप 31 अक्तूबर, 2017 को पार्क होटल, नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार तथा विश्व बैंक द्वारा

आयोजित की गई थी। पूर्ण दिवसीय वर्कशॉप का उद्देश्य देश के 22 राज्यों में योजना के कार्यान्वयन में लगे 38 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों का उन्मुखीकरण था। वर्कशॉप में निदेशक, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, सचिव, एनआईओएस, विश्व बैंक के अधिकारियों ने भाग लिया। वर्कशॉप की विस्तृत रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट पर है।

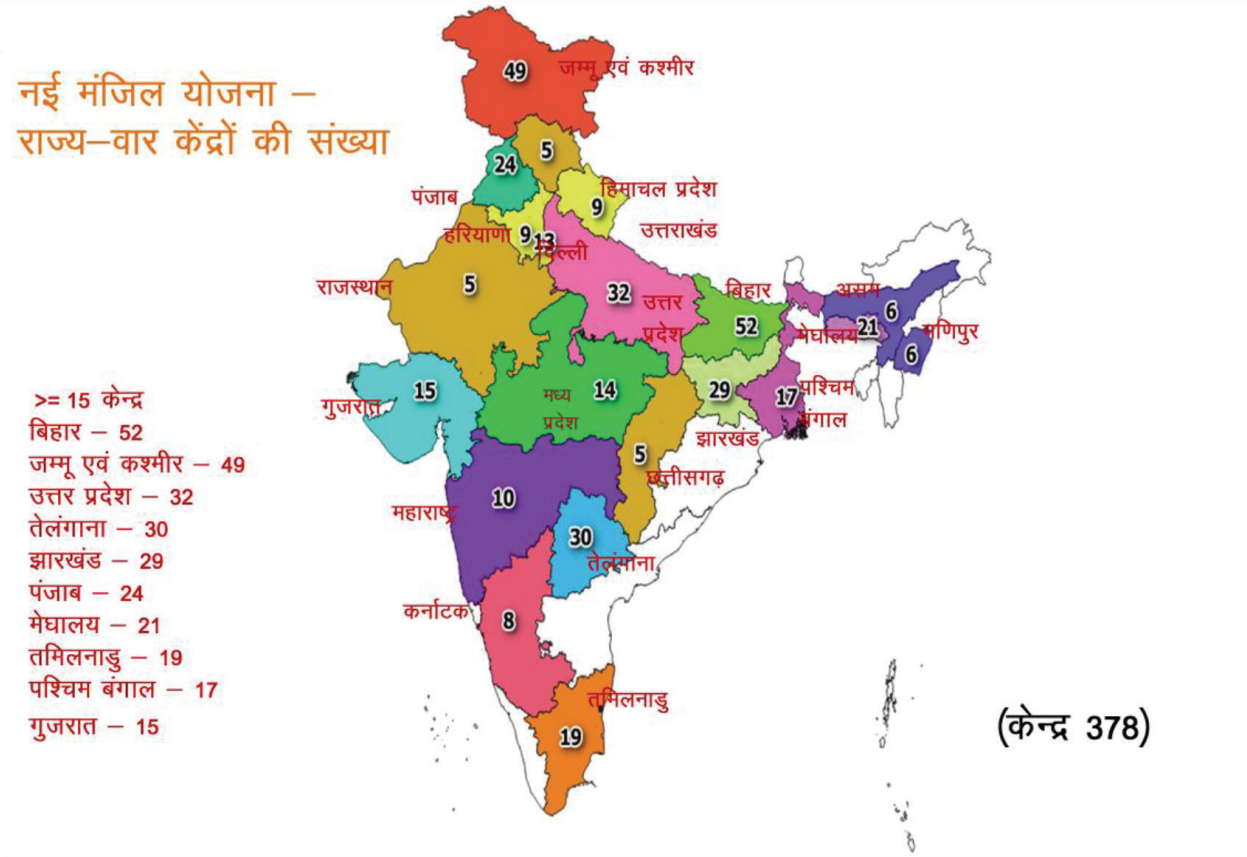

10.10 पर्यावरणीय रक्षोपायों के अंतर्गत, अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पर्यावरण संबंधी तीन घंटे के मॉड्यूल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही, श्रम कल्याण विधान संबंधी संक्षिप्त सत्र को भी इसके भाग के रूप में शामिल किया जाएगा। सामाजिक रक्षोपायों के अंतर्गत उन आठ राज्यों को अभिज्ञात किया गया है जहां अनुसूचित जनजातियां लगभग 10% अथवा इससे अधिक हैं। इन राज्यों में प्रत्येक हेतु, नई मंजिल केंद्रों के आसपास के कैचमेंट क्षेत्रों में सामुदायिक परामर्शनों के माध्यम से देशज पीपुल्स डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है।

नई मंजिल योजना में नामांकित छात्रों की संख्या
जेंडर वितरण

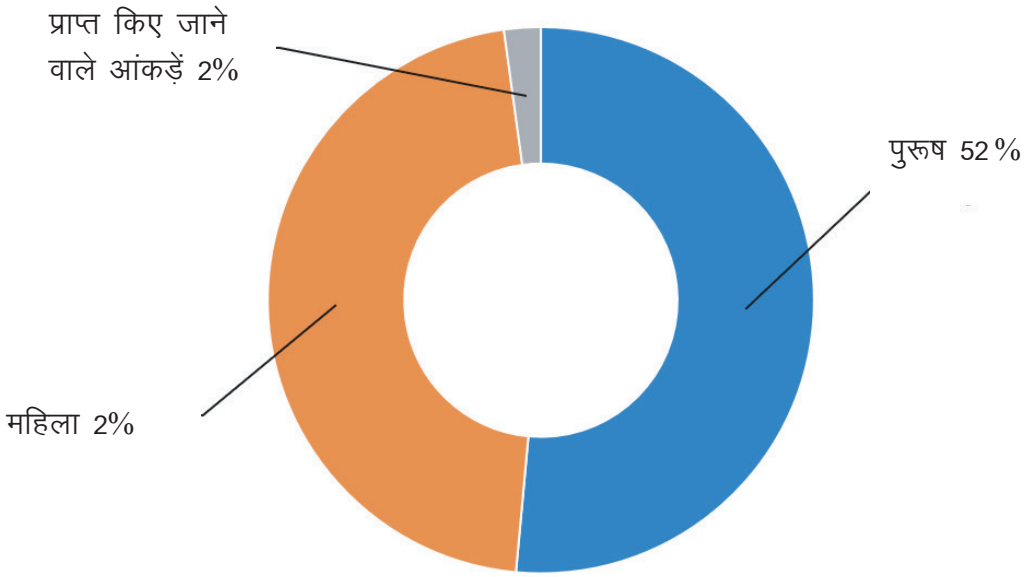

नामांकित छात्रों की संख्या – ओबीई एवं माध्यमिक स्तर

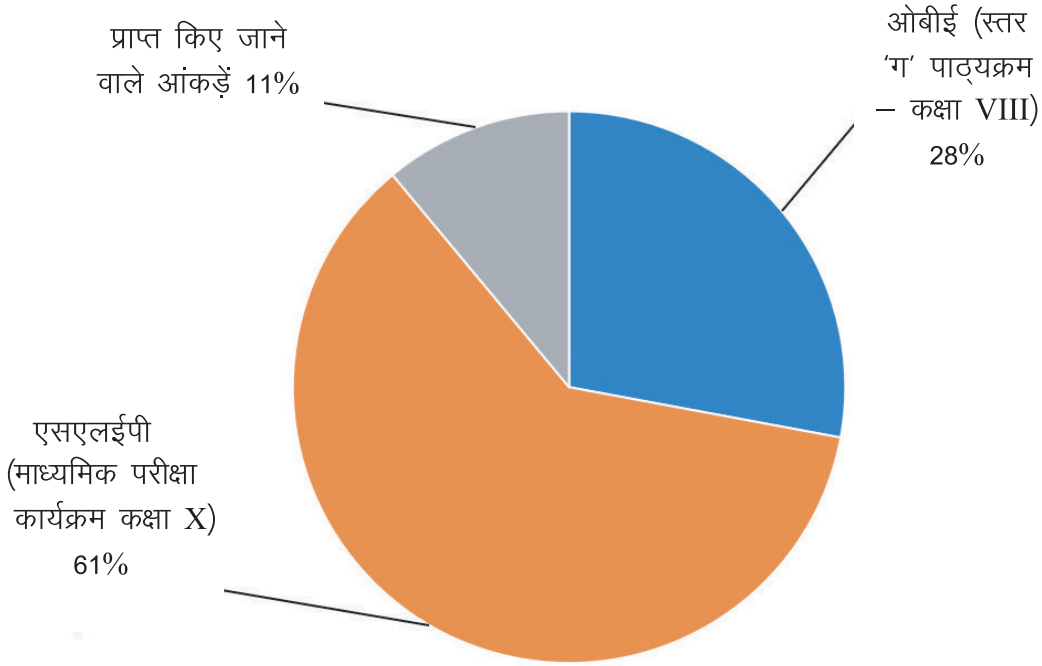

अध्याय–11

उत्तर–पूर्व क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 2017–18 और 2018–19 के लिए योजना–वार बजट आबंटन

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	योजनाओं के नाम	बजट अनुमान 2017–18	संशोधित अनुमान 2017–18	बजट अनुमान 2018–19
1	अल्पसंख्यकों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति	20.00	20.00	25.00
2	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	41.50	41.50	50.00
3	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	30.00	30.00	40.00
4	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता–अनुदान	0.20	0.20	0.30
5	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना	1.50	1.50	2.00
6	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	0.30	0.70	1.30
7	राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण	0.50		
8	अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	8.00	8.00	18.00
9	कौशल विकास पहलें	25.00	25.00	28.00
10	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम में निवेश	15.00	15.00	15.00
11	अल्पसंख्यकों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)	124.91	142.11	233.84
12	संघ लोक सेवा आयोग / कर्मचारी चयन आयोग आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता	0.40	0.40	1.00
13	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	3.00	3.00	6.00
14	नई मंजिल			12.00
	कुल योग	**270.31**	**287.41**	**432.44**

अध्याय–12

अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास पहल

''सीखो और कमाओ (Learn & Earn)''

12.1 मंत्रालय ने वर्ष 2013 से अल्पसंख्यकों के लिए "सीखो और कमाओ (Learn & Earn)", प्लेसमेंट से जुड़े एक कौशल विकास योजना की शुरुआत की है। योजना विभिन्न आधुनिक/पारंपरिक व्यवसायों में उसकी शैक्षणिक योग्यता, मौजूदा आर्थिक रूझाान एवं बाजार की क्षमता के आधार पर अल्पसंख्यक युवाओं के कौशलों का उन्नयन करेगी, जिससे उन्हें उचित रोजगार मिलेगा अथवा वे स्व–रोजगार के लिए उपयुक्त रूप से कुशल हो सकेंगे।

12.2 यह योजना चयनित परियोजना क्रियान्वयन एजेसियों (पीआईए) के माध्यम से विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित की जाती है।

12.3 योजना के अंतर्गत, कौशल विकास कार्यक्रम के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की सामान्य शर्तों का पालन किया जाता है। राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुपालन में पाठ्यक्रम लिया जाना है। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा किए जा रहे पारंपरिक कौशलों का भी विकास किया जाएगा और उन्हें बाजार से जोड़ा जाना है।

12.4 यह योजना न्यूनतम 75% प्रशिक्षाणियों का प्लेसमेंट सुनिश्चित करती है जिसमें से 50% प्लेसमेंट संगठित क्षेत्र में होना चाहिए।

12.5 पीआईए के लिए प्रशिक्षणार्थियों की प्लेसमेंट पश्चात ट्रैकिंग एक वर्ष तक जरूरी है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो संगठित क्षेत्र में लगे हैं। पीआईए से प्लेस किए गए अभ्यार्थियों के बैंक खाता संख्या, वेतन पर्ची आदि की सूचना रखना जरूरी है।

12.6 योजना के अधीन अल्पसंख्यक बालिकाओं/महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% सीटें आरक्षित हैं।

12.7 वर्ष 2013–14 के दौरान, 20,164 अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए 17.00 करोड़ रु. जारी किए गए। इनमें से 19,524 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया और 15,247 अभ्यर्थियों का प्लेसमेंट हुआ।

12.7.1 2014–15 के दौरान, 20720 प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण के लिए 46.21 करोड़ रु. जारी किए थे। इसमें से, 20,686 अल्पसंख्यक युवा प्रशिक्षित हुए तथा 15694 प्रशिक्षणार्थियों को नियुक्त किया गया है।

12.8 वर्ष 2015–16 के दौरान 1,23,330 अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए 191.96 करोड़ रुपए जारी किए गए। 31.12.2017 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 96494 अल्पसंख्यक युवाओं का प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है और इनमें से 45496 प्रशिक्षार्थियों का प्लेसमेंट हुआ है।

12.9 वर्ष 2016–17 के दौरान, 53240 अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए 204.93 करोड़ रुपए जारी किए गए। 31.12.2017 तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 47947 अल्पसंख्यक युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया।

12.10 वर्ष 2017–2018 के दौरान 120000 अल्पसंख्यकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 31.12.2017 तक 83000 अल्पसंख्यक युवाओं का प्रशिक्षण पहले ही आबंटित किया जा चुका है। निगरानी एवं मूल्यांकन मानकों को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के मानकों के अनुसार बनाने का प्रयास किए गए है।

12.11 मंत्रालय ने प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के लिए ''सीखो और कमाओ'' का एक आनलाइन पोर्टल अर्थात www.seekhoaurkamao-moma.gov.in भी शुरू किया है जिसमें परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों, प्रशिक्षार्थियों, प्रशिक्षकों, परियोजनाओं का स्थान आदि का विवरण दिया गया है। सामान्य जनता के साथ–साथ नियोक्ताओं की सूचना के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों, प्रशिक्षण केन्द्रों, स्थानों, प्रशिक्षार्थियों, प्रशिक्षण के क्षेत्र आदि के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी गई है।

अध्याय–13

विकास के लिए परम्परागत कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन (उस्ताद)

13.1 ''उस्ताद (विकास के लिए परम्परागत कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन)'' 14 मई, 2015 को औपचारिक रूप से वाराणसी (उ.प्र.) में शुरू की गई।

13.2 इस योजना का उद्देश्य मास्टर शिल्पकारों/कारीगरों की क्षमता का निर्माण करना और पारंपरिक कौशलों का उन्नयन करना; अल्पसंख्यकों की पहचानी गई परम्परागत कलाओं/शिल्पों का प्रलेखन करना; परम्परागत कौशलों के लिए मानक निर्धारित करना; मास्टर शिल्पकारों के माध्यम से अल्पसंख्यक युवाओं को विभिन्न पहचानी गई परम्परागत कलाओं/शिल्पों में प्रशिक्षण देना; और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार लिंकेज विकसित करना है।

13.3 मंत्रालय ने डिजाइन में सहायता; उत्पाद रेंज विकास; पैकेजिंग; प्रदर्शनियां, बिक्री बढ़ाने के लिए ई–मार्केटिंग पोर्टलों के साथ टाई–अप करना; और ब्रांड निर्माण के लिए विभिन्न कलस्टरों में काम करने हेतु भारतीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी), राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) और भारतीय पैकेजिंग संस्थान(आईआईपी) को नियोजित किया है।

13.4 2015–16 के लिए 17.01 करोड़ रु. के निर्धारित बजट में से 16.90 करोड़ रु. (99% से अधिक) उपयोग किए गए।

13.5 2016–17 के दौरान, पारंपरिक शिल्पों में प्रशिक्षण के लिए 20.00 करोड़ रु. निर्धारित किए गए थे। 11 राज्यों में योजना के कार्यान्वयन के लिए परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को कुल 16,200 प्रशिक्षणार्थी को स्वीकृत किए गए है और 38 पीआईए को 19.77 करोड़ रु. जारी किए गए है।

13.6 2017–18 के दौरान (31.12.2017 तक), 2016–17 की शेष किस्त 14.89 करोड़ रु. पीआई को जारी किए गए है।

13.7 2017–18 के दौरान उस्ताद योजना के कार्यान्वयन के लिए नए पीआईए का चयन प्रक्रियाधीन है।

13.8 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2017–18 के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के माध्यम से उस्ताद ब्रांड के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों की पारम्परिक कलाओं शिल्पों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित 3 ''हुनर हाट'' एक प्रदर्शनी का आयोजन किया :

(i) **पुदुच्चेरी – 24 सितंबर से 30 सितंबर 2017 तक**
(ii) **भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला – 2017 (14 नवम्बर से 27 नवम्बर, 2017 तक)**
(iii) **मुम्बई – 3 जनवरी, 2018 से 10 जनवरी, 2018 तक**

''केन्द्रीय मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 37वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में ''हुनर हाट'' का उद्घाटन करते हुए''

पुडुचेरी में आयोजित ''हुनर हाट''

मंत्रालय द्वारा बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित चौथी ''हुनर हाट''

अध्याय–14

जियो पारसी–भारत में पारसियों की जनसंख्या की गिरावट को रोकने हेतु योजना

पारसी समुदाय की जनसंख्या की गिरावट को रोकने के लिए, 2013–14 के दौरान 'जियो पारसी' नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना आरंभ की गई थी। योजना का उद्देश्य वैज्ञानिक नवाचार और ढांचागत क्रियाकलापों को अपनाकर पारसी आबादी के गिरते रूझान को उलटना और उनकी जनसंख्या को स्थिर रखना तथा भारत में उनकी जनसंख्या का संतुलन बनाए रखना है।

14.1 यह योजना बॉम्बे पारसी पंचायत (बीपीपी) की मदद से तथा संबंधित समुदाय के ऐसे संगठनों/सोसायटियों/अंजुमनों और पंचायत, जो तीन वर्षों से कम अवधि वाली न हों, के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

14.2 योजना के अंतर्गत एक नया संघटक अर्थात् समुदाय के स्वास्थ्य को शामिल करते हुए इसे 29.09.2017 से संशोधित किया गया है। इसमें शिशुगृह/शिशु देखभाल सहायता, बच्चों की देखभाल हेतु वरिष्ठ नागरिक मानदेय, वृद्व व्यक्तियों की सहायता को शामिल किया गया है। वृद्ध आश्रित व्यक्तियों हेतु सहायता के संघटक की परिकल्पना उन पारसी दंपत्तियों को मौद्रिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए की गई है जिनकी पारिवारिक आय 10 लाख रूपये से कम है और जिनके परिवार में वृद्ध व्यक्ति साथ रह रहे हों जहां ऐसी जिम्मेदारी बच्चे पैदा न करने अथवा उनकी संख्या बढ़ाने में बाधक है।

14.3 योजना के अंतर्गत तीन संघटक हैं अर्थात् पक्ष समर्थन, समुदाय का स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सहायता, 2017–18 से 2019–20 के दौरान योजना के कार्यान्वयन हेतु इन तीन संघटकों के लिए 12 करोड़ रूपये का कुल बजटीय प्रावध ाान किया गया है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निधि एक संघटक से दूसरे संघटक में अंतरित की जा सकती है।

14.4 वर्ष 2017 के दौरान (31/12/2017 के अनुसार), पारज़र फॉउन्डेशन को चिकित्सा सहायता एवं पक्ष समर्थन हेतु 4.0 करोड़ रु. के कुल बजट आबंटन में से, 1.42 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। 07/01/2018 की स्थिति के अनुसार, 2013–14 से जियो पारसी योजना की सहायता से 131 शिशुओं का जन्म हुआ है।

केन्द्रीय मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी, पारसी समुदाय को संबोधित करते हुए

अध्याय–15

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान की योजना

15.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) अपनी योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से करता है। राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां लाभार्थियों की पहचान, ऋणों को सूत्रबद्ध और लाभार्थियों से वसूली का कार्य करती हैं। तथापि, अधिकांश राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की अवसंरचना बहुत कमजोर है, जिससे उनकी प्रदानगी प्रणाली भी कमजोर है। फलस्वरूप, एनएमडीएफसी के कार्य का विस्तार और कार्य निष्पादन में सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक इन एजेंसियों की अवसंरचना में सुधार न लाया जाए।

15.2 मंत्रालय ने वर्श 2007–08 के दौरान राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की अवसंरचना की स्थिति में सुधार के लिए उन्हें सहायता अनुदान देने की योजना शुरू की थी। इस योजना के अधीन केन्द्र सरकार द्व ारा एनएमडीएफसी के माध्यम से एससीए को 100% सहायता प्रदान की जाती है। 10% राज्य का हिस्सा जो पहले योजना की एक आवश्यकता थी, 2013 से समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को अपनी जरूरत के अनुसार निधियां उपयोग करने की आजादी देते हुए योजना के विभिन्न घटकों पर व्यय की ऊपरी सीमा को हटाते हुए योजना को आसान बनाया गया है। इस योजना के लिए मंत्रालय द्वारा आबंटित और जारी राशि का विवरण निम्नलिखित अनुसार हैं:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	मंत्रालय द्वारा जारी राशि
2007–08	10.00	10.00	10.00
2008–09	5.00	230	0.00
2009–10	2.00	2.00	2.00
2010–11	4.00	4.00	3.83
2011–12	2.00	2.00	1.35
2012–13	2.00	0.60	0.00
2013–14	2.00	2.00	2.00
2014–15	2.00	2.00	2.00
2015–16	2.00	2.00	2.00
2016–17	**2.00**	**2.00**	**0.97 (31.12.2016 तक)**

अध्याय–16

आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक

16.1 राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार संविधान (7वां संशोधन) अधिनियम, 1956 के परिणामस्वरूप, संविधान के अनुच्छेद 350–ख के प्रावधानों के अनुसरण में आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक (सीएलएम) के कार्यालय की स्थापना जुलाई, 1957 में की गई थी। अनुच्छेद 350–ख के अनुसार भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त का यह कर्तव्य होगा कि वे भारत में संविधान के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों को प्रदत्त रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करे और ऐसे अंतराल पर राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे जैसा कि राष्ट्रपति निर्देश दें और राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएंगे और इन्हें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों/प्रशासनों को भी भिजवाएंगे। आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक का मुख्यालय दिल्ली में है, जिसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय बेलगाम, चेन्नई और कोलकाता में हैं। आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक, भाषाजात अल्पसंख्यकों से संबंधित संवैधानिक और राष्ट्रीय तौर पर सहमति–प्राप्त रक्षोपायों के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों से संपर्क करते हैं। आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक की जुलाई, 2014 से जून, 2015 की अवधि के लिए 52वीं रिपोर्ट राज्य सभा और लोक सभा के पटल पर क्रमशः 03–05–2016 और 04–05–2016 को रखी गई थी।

भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक संरक्षोपाय

16.2 भारत के संविधान के अंतर्गत, धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को कतिपय संरक्षोपाय प्रदान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने और उनकी भिन्न–भिन्न भाषाओं, लिपियों अथवा संस्कृतियों को संरक्षित रखने के उनके अधिकार को मान्यता देने तथा उनके विकल्प के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और चलाने की संकल्पना है। अनुच्छेद 347 में, किसी राज्य अथवा उसके किसी भाग की आबादी के पर्याप्त अनुपात द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को, जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट हो, किसी भाषा की मान्यता हेतु राष्ट्रपति के निदेश की व्यवस्था है। अनुच्छेद 350 संघ/राज्यों में प्रयुक्त किसी भाषाओं में संघ अथवा राज्य के किसी प्राधिकरण को शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 350–क में भाषायी अल्पसंख्यक समूहों से संबधित बच्चों की शिक्षा के प्राथमिक चरण पर मातृभाषा में अनुदेश देने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 350–ख संविधान के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यक समूहों के लिए प्रावधान किए गए संरक्षोपाय से संबंधित सभी मामलों की जांच करने के लिए भाषायी अल्पसंख्यक समूहों हेतु आयुक्त के रूप में विनिर्दिष्ट एक विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है।

आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक संगठन के कार्य एवं क्रियाकलाप

16.3 आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक संगठन भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों से संबंधित सभी मामले उठाता है जो भाषायी अल्पसंख्यकों–व्यक्तियों/समूहों/संघों/संगठनों द्वारा उसके ध्यान में लाए जाते हैं। आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक रक्षोपायों की योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का मौके पर आंकलन करने के लिए स्वयं भाषायी अल्पसंख्यक क्षेत्रों और शैक्षिक संस्थानों का दौरा करता है। इस संबंध में आयुक्त जब कभी आवश्यक हो राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और उप राज्यपालों के साथ चर्चा करते हैं। सीएलएम, प्रशासन के सर्वोच्च शिखर अर्थात् मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (शिक्षा) और भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों की योजना के कार्यान्वयन की मानीटरिंग का काम सौंपे गए विभागों के प्रधान सचिवों के साथ भी चर्चा करते हैं।

अध्याय–17

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

17.1 भारत सरकार ने जनवरी, 1978 में, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष आदेश के माध्यम से ''अल्पसंख्यक आयोग'' गठित किया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अधिनियमन के साथ ही अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय बन गया और इसे पुनः ''राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग'' का नाम दिया गया।

17.2 प्रथम सांविधिक आयोग का गठन 17 मई 1993 को किया गया था। भारत सरकार ने 23 अक्तूबर, 1993 की अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के तहत पांच धार्मिक समुदायों अर्थात मुस्लिमों, ईसाईयों, सिक्खों, बौद्धों तथा पारसियों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया था। भारत सरकार के दिनांक 27 जनवरी, 2014 की अधिसूचना द्वारा जैनों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

17.3 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 3(2) के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और ख्यातिप्राप्त तथा योग्य और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से केन्द्र सरकार द्वारा नामित पांच सदस्य होंगे। अध्यक्ष सहित सभी 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 4(1) के अनुसार, अध्यक्ष सहित सभी सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे।

17.4 आयोग के मुख्य कार्य अल्पसंख्यक वर्ग के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए संविधान में उपबंधित और केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित विधियों में दिए गए रक्षोपायों के कार्यकरण को मॉनीटर करना और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में प्राप्त विशेष शिकायतों की जांच करना है। यह आयोग अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण भी करता है और अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन की अनुशंसा भी करता है।

17.5 08.11.2017 के अनुसार, आयोग में निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल हैः–

(i)	श्री सैयद खयरोल हसन रिजवी	:	अध्यक्ष
(ii)	श्री जोर्ज कुरियन	:	उपाध्यक्ष
(iii)	श्री सुनील सिंधी	:	सदस्य
(iv)	सुश्री सुलेखा कुम्भारे	:	सदस्य
(v)	श्री खुर्शिद के दस्तूर	:	सदस्य
(vi)	श्री मंजीत सिंह राय	:	सदस्य

08.11.2017 के अनुसार, आयोग में एक सदस्य पद रिक्त है।

17.6 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 12 के अनुसार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है और मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 13 के अनुसार, आयोग की वार्षिक रिपोर्ट और इसमें उल्लिखित केन्द्र सरकार से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन, इन सिफारिशों में से किसी सिफारिश को स्वीकार न किए जाने के कारणों सहित, यदि कोई हों, संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जानी होती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 9(3) के अनुसार, विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से संबंधित सिफारिशों को उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जाता है।

17.7 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने सदन में रखने के लिए 2016–17 तक की वार्षिक रिपोर्टें मंत्रालय को प्रस्तुत की है।

17.8 आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का गठन कर लिया है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा नई दिल्ली में 17 जनवरी, 2017 को आयोजित राज्य अल्पसंख्यक समितियों के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन

अध्याय–18

वक़्फ प्रशासन, केंद्रीय वक़्फ परिषद एवं राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम

18.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय वक्फ अधिनियम, 1995, जो 1 जनवरी, 1996 से लागू हुआ, के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इस अधिनियम में अंतिम संशोधन 2013 में किए गए थे। यह अधिनियम, जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। जम्मू और कश्मीर, जिसका स्वयं का अपना अधिनियम है, को छोड़कर बत्तीस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस अधिनियम के अंतर्गत वक्फ बोर्डों का गठन कर लिया है।

मॉडल वक्फ नियम बनाना

18.2 यथा संशोधित वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 109 के तहत वक्फ नियम बनाने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों की सहायता करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा विधि एवं न्याय मंत्रालय के साथ परामर्श करके मॉडल वक्फ नियम, 2016 बनाया गया है। इस नियम को सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों में परिचालित किया गया है।

केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) के पुनर्गठन का अध्ययन

18.3 राष्ट्रीय श्रमिक आर्थिक अनुसंधान एवं विकास संस्थान (नीति आयोग के अंतर्गत एक संगठन) को राष्ट्रीय वक्फ परिषद के पुनर्गठन का अध्ययन कार्य सौंपा गया है। एजेंसी ने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। व्यवहार्य अनुशंसा पर आवश्यक कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है।

विभिन्न निकायों में संगठन के अध्यक्षों की नियुक्ति

I. श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता (जीजे:1987) को राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड (नावाडको) (NAWADCO) में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

II. श्री आई.बी.पीरज़ादा, आईएएस (सेवानिवृत्त), को दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेर में नाजिम के रूप में नियुक्त किया गया है।

वक्फ प्रभाग निम्नलिखित तीन योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है:

(i) **कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना (पूर्व में राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण और सुदृढ़ीकरण की योजना के रूप में ज्ञात)**

इस योजना में इसी वर्ष संशोधन किया गया है। इस योजना में दो चल रही योजनाओं का विलय कर दिया गया है। पूर्व में राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण तथा राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण नामक दो अलग–अलग योजनाएं थीं। संशोधित योजना के अंतर्गत, इन्हें संघटक बनाया गया है। कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना में सहायता अनुदान दो संघटकों में उपलब्ध कराया जाता है।

योजना का संघटक–वार ब्यौरा निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

संघटक–I :–

राज्य वक्फ बोर्डों के रिकॉर्डों का कंप्यूटरीकरण:

योजना में वक्फ बोर्डों की रिकॉर्ड कीपिंग को सुप्रवाही बनाने, पारदर्शिता लाने और वक्फ बोर्डों के कार्यों/प्रक्रियाओं का कंप्यूटरीकरण करने में मदद देना आशयित है। इस प्रयोजनार्थ, एनआईसी द्वारा निम्नलिखित चार मॉड्यूलों को शामिल करते हुए केंद्रीकृत डाटाबेस का रख–रखाव करने के लिए वक्फ मैनेजमेंट् सिस्टम ऑफ इंडिया (वामसी) नामक वेब–आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तैयार की गई थी:

(i) रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फस

(ii) मुतवल्ली रिटर्न्ज़ एसेस्मेंट,

(iii) लीजिंग डिटेल्स ऑफ प्रापर्टीज

(iv) लिटिगेंशन ट्रैकिंग

राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण की योजना में संशोधन किए गए हैं और संशोधित योजनाओं में निम्नलिखित नई व्यवस्था की गई हैं:–

i. राज्य वक्फ बोर्ड को जीआईएस मैपिंग हेतु वक्फ संपत्ति के समन्वय के एकत्रण हेतु 550/– रु. प्रति वक्फ संपत्ति के हिसाब से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वर्षों 2017–18 से 2019–20 के दौरान, प्रत्येक वर्ष क्रमशः 10%, 20% तथा 20% की जीआईएस मैपिंग को कवर करना आशयित है।

ii. राज्य वक्फ बोर्डों को डब्ल्यूएमएएसआई मॉड्यूलों में आंकड़ों की प्रविष्टि का कार्य पूरा करने के लिए, आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से असिस्टेंट प्रोग्रामर के रूप में जनशक्ति की तैनाती के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

iii. 32 राज्य वक्फ बोर्डों में केंद्रीकृत संगणक सुविधा केंद्र (सीसीएफ) के अनुरक्षण हेतु 6,000 वक्फ संपत्तियों से ज्यादा वाले राज्य वक्फ बोर्डों को 3.00 लाख रु. प्रतिवर्ष तथा 6,000 वक्फ संपत्तियों से कम वाले राज्य वक्फ बोर्डों को 2.00 लाख रु. प्रतिवर्ष के हिसाब से वित्तीय सहायता।

iv. राज्य वक्फ बोर्डों के बेहतर संचालन हेतु ईआरपी सॉल्यूशन के लिए सीडब्ल्यूसी को हर राज्य वक्फ बोर्ड के हिसाब से 3.00 लाख रु. का एकबारगी अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

v. राज्य वक्फ बोर्डों तथा सीडब्ल्यूसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता।

vi. अपने कार्यों के कंप्यूटरीकरण में सर्वोत्तम पद्धतियां अपनाने वाले मुतवल्ली/प्रबंधन समिति को नकद पुरस्कार की व्यवस्था।

आदिनांक डब्ल्यूएएमएसआई ऑनलाइन पंजीकरण मॉड्यूल में 5,67,522 अचल वक्फ संपत्तियों की आंकड़ा प्रविष्टि दर्ज की गई है।

संघटक–II :–

राज्य वक्फ बोर्डो का सुदृढ़ीकरण :

इस संघटक का उद्देश्य वक्फ बोर्डों को सुदृढ़ बनाना है ताकि उनकी वक्फ संपत्तियों का और अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह संचालन तथा प्रबंधन हो सके और आत्मनिर्भरता प्राप्त करते हुए आय सृजन में सुधार हो सके। इससे उनको अपने प्रवर्तन विंग को सुदृढ़ करते हुए वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने में सहायता मिलती है। उनको कुछ शर्तों के अध्यधीन सहायता–अनुदान उपलब्ध कराया जाता है जो यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य वक्फ बोर्डों का कार्यकरण और संस्थागत क्षमता से उनके आय सृजन में सुधार हो और वे आत्मनिर्भर बन सके। उनकी कुशलताओं में सुधार होने से उनकी आय में वृद्धि होने में मदद मिलेगी जिससे समय के साथ–साथ उनकी बाहरी वित्तीय सहायता पर निर्भरता समाप्त होगी।

इससे पूर्व, यह संघटक एक अलग योजना था और 2014–15 से चालू था। योजना की शुरूआत से, राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड (नावाडको) के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को 15.30 करोड़ रु. की राशि जारी की गई

थी। इस संघटक के अधीन राज्य वक्फ बोर्ड को निम्नलिखित के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

- राज्य वक्फ बोर्डों को अपने विधिक तथा लेखाकरण अनुभाग को सुदृढ़ बनाने और साथ ही प्रशिक्षण तथा एसडब्ल्यूबी की प्रशासनिक लागत के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- सर्वेक्षण सहायक, लेखाकार एवं विधिक सहायक की नियुक्ति के लिए तथा ज्यादा वक्फ संपत्तियों वाले वक्फ बोर्डों में अंचल कार्यालय की स्थापना के लिए भी सहायता–अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।
- मुतवल्ली/प्रबंधन समिति के क्षमता निर्माण के लिए 6,000 वक्फ संपत्तियों से ज्यादा वाले राज्य वक्फ बोर्डों को 3.00 लाख रु. प्रतिवर्ष तथा 6,000 वक्फ संपत्तियों से कम वाले राज्य वक्फ बोर्डों को 2.00 लाख रु. प्रतिवर्ष के हिसाब से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- सर्वेक्षण आयुक्त हेतु सहायता अनुदान।
- संशोधित योजना में सीडब्ल्यूसी को वित्त–वर्ष 2017–18 के आरंभ से क्रियान्वयनकर्ता एजेंसी बनाया गया है।

वित्त–वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमान 13.00 करोड़ रु. है। वित्त–वर्ष 2017–18 के दौरान सीडब्ल्यूसी को 7.31 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

(ii) शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास हेतु योजना

औकाफ मुस्लिम कानून द्वारा धर्मनिष्ठ, धार्मिक अथवा धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त प्रयोजन हेतु चल अथवा अचल संपत्तियों के स्थायी समर्पण हैं। उनके धार्मिक पहलुओं के अलावा, औकाफ सामाजिक कल्याण के उपकरण भी हैं क्योंकि इसके लाभ सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में जरूरतमंदों को प्रोद्भूत होते हैं। तथापि, देश में ज्यादातर औकाफ की एक सीमित एवं लगभग स्थिर आय है। परिणाम यह है कि आमतौर पर मुतवल्ली(औकाफ के प्रबंधक) वक्फ के आशय को अथवा उन प्रयोजनों को पर्याप्त रूप में पूरा करने में कठिनाई अनुभव करते हैं जिनके लिए ये वक्फ सृजित किए गए हैं। अधिकांश शहरी वक्फ भूमियों में विकास की बहुत संभावना पड़ी है किन्तु मुतवल्ली और यहां तक कि वक्फ बोर्ड भी पर्याप्त संसाधन जुटाने अथवा इन भूमियों पर आधुनिक कार्यात्मक भवनों का निर्माण करने की स्थिति में नहीं है।

औकाफ तथा औकाफ बोर्डों की वित्तीय स्थिति को सुधारने और उन्हें अपने कल्याण संबंधी क्रियाकलापों का दायरा बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए, केंद्र सरकार केंद्रीय वक्फ परिषद को देश में वक्फ बोर्डों/वक्फ संस्थानों को उनकी शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विशिष्ट प्रयोजनार्थ सहायता–अनुदान देती है।

केंद्रीय वक्फ परिषद राज्य वक्फ बोर्डों/वक्फ संस्थानों को परिषद द्वारा अनुमोदित आर्थिक व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य विकास संबंधी कुछ विशिष्ट परियोजनाओं हेतु ऋण प्रदान करती है। इन परियोजनाओं में वक्फ भूमियों पर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य भवनों का निर्माण अथवा पुनर्निर्माण शामिल है। बढ़ी हुई आय का वक्फ बोर्डों/वक्फ को अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने और अपने कल्याण एवं धर्मार्थ क्रियाकलापों का विस्तार करने के लिए सक्षम होने हेतु उपयोग किया जाता है।

वित्त–वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमान 3.16 करोड़ रु. है। वित्त–वर्ष 2017–18 के दौरान सीडब्ल्यूसी को 3.16 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्लयूसी)

पृष्ठभूमि तथा वक्फ अधिनियम के अधीन सांविधिक उपबंध

वक्फ से अभिप्राय धार्मिक अक्षयनिधि अर्थात् मुस्लिम कानून के द्वारा धार्मिक, धर्मार्थ अथवा पूर्त के रूप में मान्यता प्राप्त तथा गरीबों, निराश्रितों, विधवाओं आदि की सहायता के प्रयोजनार्थ चल अथवा अचल संपत्ति का ऐच्छिक एवं बेबदल

लोकापर्ण है। वक्फ संपत्तियां देशभर में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जिनका प्रबंधन राज्य वक्फ बोर्डों के क्षेत्राधिकार के अधीन मुतवल्लियों/प्रबंधन समितियों द्वारा किया जाता है। केंद्रीय वक्फ परिषद, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना देश में वक्फ बोर्डों के कार्यकरण से जुड़े मामलों तथा औकाफ के समुचित संचालन से संबंधित मुद्दों पर केंद्र सरकार की सलाहकारी निकाय के रूप में वक्फ अधिनियम, 1954 में दिए गए उपबंध के अनुसार 1964 में की गई थी। तथापि, परिषद की भूमिका को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के उपरांत व्यापक बना दिया गया है। जिसमें उसे केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देने की शक्तियां प्रदान की गईं हैं। इसके अलावा, वक्फ अधिनियम, 1995 यथा संशोधित की धारा 9(4) के अंतर्गत उपबंध को भी शामिल किया गया है जिसमें भी परिषद को बोर्डों के निष्पादन, विशेषकर उनके वित्तीय निष्पादन, सर्वेक्षण, राजस्व अभिलेखों, वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण, वार्षिक रिपोर्ट और लेखा–परीक्षा रिपोर्ट आदि के संबंध में बोर्डों/राज्य सरकारों को सूचना उपलब्ध कराने के निदेश जारी करने की शक्तियां सौंपी गई हैं।

वर्तमान संरचना

केंद्रीय वक्फ परिषद में एक अध्यक्ष होता है, जो वक्फ का केंद्रीय प्रभारी मंत्री होता है और अधिनियम में विहित किए गए अनुसार विभिन्न श्रेणियों से ऐसे अन्य सदस्य जिनकी संख्या 20 से अधिक न हो, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जा सकते है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, श्री मुख्तार अब्बास नकवी, माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, केंद्रीय वक्फ परिषद के पदेन अध्यक्ष हैं। 11वीं परिषद का पुनर्गठन वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 9 की उप धारा(1) और (2) में दिए गए उपबंध के अनुसार 23 नवंबर, 2015 को 3 वर्षों की अवधि के लिए किया गया है। केंद्रीय वक्फ परिषद का कार्यालय केंद्रीय वक्फ भवन, पी–13 एंड 14, सेक्टर–6, पुष्प विहार, फैमिली कोर्ट के सामने, साकेत, नई दिल्ली में स्थित है।

संकल्पना

वक्फ अधिनियम, 1995 यथा संशोधित के उपबंध के अंतर्गत अनुसार औकाफ का संरक्षण, पुनः प्राप्ति, विकास, बेहतर प्रबंधन और ई–मॉनीटरिंग।

मिशन

औकाफ के हित की रक्षा तथा राज्य वक्फ बोर्डों को उनकी कार्य क्षमता बेहतर बनाने और देशभर के औकाफ के संरक्षण एवं विकास हेतु प्रभावी कार्य सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ काम करने में पूर्व–सक्रिय भूमिका ताकि सामुदायिक विकास हेतु कल्याण संबंधी क्रियाकलापों को विस्तृत बनाने के लिए संसाधनों में वृद्धि करना।

केंद्रीय वक्फ परिषद के कार्य

- राज्य वक्फ बोर्डों को उनके वित्तीय निष्पादन, सर्वेक्षण, वक्फ विलेखों के रख–रखाव, राजस्व अभिलेख, वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण, वार्षिक रिपोर्ट और लेखा–परीक्षा रिपोर्ट के संबंध में निर्देश जारी करना।
- बोर्डों के कार्यकरण से संबंधित मामलों तथा औकाफ के समुचित संचालन से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देना।
- वक्फ अधिनियम, 1995 यथा संशोधित के उपबंधों के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन को मॉनीटर करना।
- वक्फ संपत्तियों के संरक्षण एवं पुनः प्राप्ति तथा अतिक्रमण आदि को हटाने के संबंध में कानूनी सलाह देना।
- शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास एवं विकास हेतु संभावित वक्फ भूमि की पहचान की योजना को कार्यान्वित करना।
- कौशल विकास हेतु शैक्षणिक एवं महिला कल्याण संबंधी योजनाओं को कार्यान्वित करना तथा गरीबों,

विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाना।

- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजना, राज्य वक्फ बोर्डो के रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण की योजना को कार्यान्वित करना।
- वक्फ अधिनियम, 1995 यथा संशोधित की धारा 9(4) के अंतर्गत राज्य वक्फ बोर्डों के निष्पादन के संबंध में राज्य सरकारों/बोर्डों से आवश्यक सूचना मंगाना।
- केन्द्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों जैसे कि एएसआई, रेलवे, राजस्व और वन आदि के साथ वक्फ संबंधी मामलों को उठाना।
- परिषद की भूमिका को प्रोत्साहित करने तथा वक्फ संस्थानों तथा बोर्ड को उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारियों के बारे में सुग्राही बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

केन्द्रीय वक्फ परिषद की 29 जून, 2017 को नई दिल्ली में हुई 76वीं बैठक

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास की योजना की प्रगति

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, वक्फ विकास समिति की दिनांक 28.12.2017 को हुई बैठक में निम्नलिखित परियोजनाओं को ऋण जारी करने की सिफारिश की गई :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अनुशंसित राशि
1.	सैय्यद सुलेमन बादशाह खादरी दरगाह, लक्ष्मेश्वर (कर्नाटक) की विकास परियोजना	81.50 लाख रु.
2.	हिदायतुल इकुवान संगम, एर्नाकुलम (केरल) की विकास परियोजना	200.00 लाख रु.
3.	सैय्यद हसन जैदी वक्फ, जनसथ, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) की विकास परियोजना	41.00 लाख रु.
	योग	**322.50 लाख रु.**
		(तीन करोड़ बाइस लाख पचास हजार रु. केवल)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान तीन नई परियोजनाओं के विकास के लिए भी सीडब्ल्यूसी को 316.00 लाख रु. की राशि जारी की है।

परिक्रामी निधि से वित्त–पोषित लघु परियोजनाएं

ऋणी द्वारा चुकाई गई मूलधन की राशि से परिषद की "परिक्रामी निधि" बनती है जिसे उन्हीं शर्तों और निबंधनों पर 75.00 लाख रु. तक लघु परियोजनाओं को ऋण प्रदान करने के लिए पुनः उपयोग किया जाता है।

लघु परियोजना योजना के अंतर्गत, परिषद ने 100 लघु परियोजनाओं के लिए 781.11 लाख रु. की राशि के कुल ऋण प्रदान किए हैं जिनमें से 70 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं।

''कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना (पूर्व में राज्य वक्फ बोर्डो का सुदृढ़ीकरण और अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण'' के नाम से ज्ञात।)

केन्द्रीय वक्फ परिषद को 2017–2020 के दौरान ''कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती'' की परिशोधित योजना के लिए कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। यह उल्लेख करना भी संगत है कि केंद्रीय वक्फ परिषद को पहले ''राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण'' की योजना को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया था और इसी तरह राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड (नावाडको) को ''राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण'' की योजना कार्यान्वित करने का काम सौंपा गया था। तथापि, उपर्युक्त दोनों योजनाओं जिन्हें ''कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना'' के रूप में पुनः नाम दिया गया है, का कार्य सौंपे जाने का निर्णय लिए जाने के परिणामस्वरूप परिषद ने परिशोधित योजना को कार्यान्वित/पूरा करने की जिम्मेदारी ले ली है। केंद्रीय वक्फ परिषद के कार्यालय ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के समग्र मार्गदर्शन में परिशोधित योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी है। वर्ष 2017–18 के दौरान, मंत्रालय ने परिशोधित योजना के अधीन 7,31,40,925.00 रु. (सात करोड़ इक्कतीस लाख चालीस हजार नौ सौ पच्चीस रुपये केवल) की राशि जारी की है।

डब्ल्यूएएमएसआई ऑनलाइन प्रणाली पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डो के स्टाफ का प्रशिक्षण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों के स्टाफ के लिए डब्ल्यूएएमएसआई ऑनलाइन प्रणाली पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी एनआईसीएसआई के पैनल में शामिल एक वेंडर, मैसर्स डाटाप्रो कंप्यूटर प्राईवेट लिमिटेड, के मास्टर प्रशिक्षक के माध्यम से आयोजित किया गया ताकि स्टाफ डब्ल्यूएएमएसआई ऑनलाइन प्रणाली की विभिन्न विशेषताओं का प्रयोग कर सके और सभी मॉड्यूलों में रिकॉर्ड को अद्यतन कर सके। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित बोर्डों के स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया है:–

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य वक्फ बोर्ड का नाम	प्रशिक्षण की तारीख
1	बिहार (सुन्नी) एवं बिहार (शिया)	17.04.2017 से 21.04.2017
2	गुजरात	01.05.2017 से 05.05.2017
3	पंजाब एवं चंडीगढ़	03.07.2017 से 07.07.2017
4	हरियाणा	10.07.2017 से 14.07.2017
5	महाराष्ट्र एवं दादर एवं नगर हवेली	07.08.2017 से 11.08.2017
6	मणिपुर	21.08.2017 से 26.08.2017
7	दिल्ली	28.08.2017 से 01.09.2017
8	मेघालय	30.10.2017 से 03.11.2017
9	जम्मू एवं कश्मीर	27.11.2017 से 01.12.2017

केंद्रीय वक्फ परिषद के सदस्यों और अधिकारियों द्वारा राज्य वक्फ बोर्डो का दौरा

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान केंद्रीय वक्फ परिषद के सदस्यों और अधिकारियों द्वारा महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड, उत्तर प्रदेश सुन्नी एवं शिया वक्फ बोर्ड, कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड, पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड, पंजाब वक्फ बोर्ड, चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड, तेलंगाना वक्फ बोर्ड और तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का दौरा किया।

स्वच्छता पखवाड़ा

केंद्रीय वक्फ परिषद के कार्यालय में 15 सितंबर से 2 अक्तूबर, 2017 तक स्वच्छता पखवाड़ा (भारत को हरा–भरा और साफ–सुथरा बनाने का एक प्रयास) आयोजित किया गया। परिषद के विभिन्न भागीदारों ने लोगों को ऐसे कार्यक्रमों को सफल बनाने और हरा–भरा और स्वच्छ भारत का मिशन हासिल करने के लिए लोगों को इनमें भाग लेने के लिए प्रेरित करने हेतु अपने विचार प्रस्तुत किए।

संविधान दिवस

केंद्रीय वक्फ परिषद के कार्यालय में 24 नवंबर, 2017 को संविधान दिवस मनाया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

केंद्रीय वक्फ परिषद के कार्यालय में 30.10.2017 से 04.11.2017 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड (नावाडको)

पृष्ठभूमिः–

भारत के पास विश्व की में विशालतम वक्फ भूमि है। सच्चर समिति की रिपोर्ट, 2006 के अनुमान के अनुसार लगभग 4.9 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियां है जिनमें लगभग 6 लाख एकड़ भूमि, इन संपत्तियों का बाजार मूल्य 1.20 लाख करोड़ रु. है। इनमें से अधिकांश संपत्तियां शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं, उनकी क्षमता 12,000 करोड़ रु. प्रतिवर्ष की वार्षिक आय (2006 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार), अर्थात् बाजार मूल्य पर 10% प्रतिफल पर सृजित करने की है, यदि इन संपत्तियों का समुचित ढंग से विकास एवं प्रबंध किया जाएं। इन संपत्तियों से होने वाली अधिशेष वार्षिक आय का उपयोग समुदाय के लोगों के कल्याण हेतु किया जाएगा।

वक्फ संपत्तियों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, 500 करोड़ रु. की प्राधिकृत पूंजी तथा 19.74 करोड़ रु. की प्रदत्त शेयर पूंजी के साथ राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड (नावाडको) की स्थापना की गई थी। यह निगम कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में है। इसके लिए अधिदेश भारत भर में इच्छुक मुतवल्लियों/राज्य वक्फ बोर्डों की तैयारी पर वक्फ संपत्तियों को विकसित करना है ताकि अल्पसंख्यकों के सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राज्य वक्फ बोर्डों/वक्फ संस्थानों की आय में बढ़ोत्तरी हो सके। निगम का शेयरधारिता पैटर्न निम्नलिखित अनुसार है :–

संस्थान का नाम	प्रतिशतता (%)
1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	49
2. केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी)	09
3. खुदरा खंड (कारपोरेट निकायों सहित वक्फ संस्थान एवं जनता)	42
कुल	**100**

II. वक्फ संपत्तियों की पहचान

नावाडको भारत भर में 100 (एक सौ) से ज्यादा वक्फ संपत्तियों की पहचान करने में सक्षम रहा है, जिनपर संबंधित वक्फ संस्थानों द्वारा वाणिज्यिक विकास के लिए विचार किया जा सकता है। आवश्यक सांविधिक अनुमोदन की व्यवस्था

के लिए राज्यों की तैयारी/इच्छा के आधार पर नावाडको द्वारा वित्तीय रूप से व्यवहार्य संपत्तियां ली जा सकी हैं।

वाणिज्यिक विकास के लिए नावाडको द्वारा पहचानी गई वक्फ संपत्तियों की संख्या नीचे दिए अनुसार हैः–

क्र. सं.	नाम	पहचानी गई संपत्तियों की संख्या	नावाडको द्वारा किया गया मूल्यांकन/संभाव्यता जांच
1	आंध्र प्रदेश	3	2
2	बंगाल	2	
3	बिहार	7	3
4	चंडीगढ़	1	
5	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	12	
6	गुजरात	8	
7	हरियाणा	1	1
8	हिमाचल प्रदेश	2	
9	कर्नाटक	15	
10	मध्य प्रदेश	6	
11	महाराष्ट्र	12	
12	पंजाब	1	
13	राजस्थान	5	4
14	तमिलनाडु	8	
15	तेलंगाना	5	
16	उत्तराखंड	7	
17	उत्तर प्रदेश	6	
		101	**10**

इस अवधि के दौरान नावाडको के उद्देश्यों के बारे में जानकारी पैदा करने और संभावित वक्फ संपत्तियों की पहचान करने के लिए व्यापक प्रयास किए गए।

III. वक्फ संपत्तियों का मूल्यांकन

भारत भर में संभावित वक्फ संपत्तियों की वित्तीय संभाव्यता का मूल्यांकन करने के लिए एक अचल संपत्ति विशेषज्ञ एजेंसी, मैसर्स जे.एल.एल. को नियुक्त किया गया है। वक्फ बोर्डों की तैयारी के आधार पर राजस्थान के चार भूमि खंड, बिहार के तीन(3), आंध्र प्रदेश के दो(2) का नावाडको द्वारा मूल्यांकन करवाया गया जिनकी संभाव्यता रिपोर्टें संबंधित राज्य वक्फ बोर्डों को भी भेजी गई।

नावाडको ने लेन–देन परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए 6(छह) प्रतिष्ठित अचल संपत्ति एजेंसियों को पैनल में शामिल किया है ताकि वह स्वयं को राज्य/राज्य वक्फ बोर्डों से मौजूदा वक्फ अधिनियम की धारा 56 के अधीन 30 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दिए जाने के लिए अनुमोदन प्राप्त होते ही तत्काल विकासात्मक प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में रख सके।

IV. राज्य वक्फ बोर्डो के साथ समझौताः-

(क) नावाडको ने बैंगलुरू में तीन वक्फ संपत्तियों को विकसित करने के लिए कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तथापि, राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त न होने के कारण तीनों परियोजनाएं अटक गई हैं। वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक व्यवसाय योजनाएं भी दी गईं। तथापि, कोई प्रगति नहीं की जा सकी।

(ख) राजस्थान के साथ सामान्य समझौता–ज्ञापन और परियोजना विशिष्ट समझौता निष्पादित करने के लिए बातचीत अग्रिम दौर में हैं। अन्य राज्यों में भी परियोजनाएं लेने के लिए प्रयास जारी है।

नावाडको से संभाव्यता रिपोर्टें प्राप्त होने पर बिहार को प्रेरित किया गया और अब एक(1) संपत्ति अर्थात् बैली रोड, पटना को नावाडको को शामिल किए बिना स्वयं विकसित करने पर विचार कर रहा है।

V. वित्त :–

- वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए सांविधिक लेखा–परीक्षा और सीएजी की लेखा–परीक्षा आयोजित की गई है और तुलन–पत्र समय पर प्रकाशित किए गए। कम्पनी की चौथी वार्षिक आम बैठक 21.09.2017 को आयोजित की गई।
- ट्रेडमार्क पंजीयन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अधीन नावाडको का ट्रेडमार्क पंजीकृत किया गया है।

VI. वेबसाइट

विकासकर्ता द्वारा नावाडको की वेबसाइट का डिजाइन और विकास पूरा किए जाने के परिणामस्वरूप कम्पनी ने सुरक्षा लेखा–परीक्षा करवाने के लिए एक अन्य एजेंसी को नियोजित किया है जो कि चल रहा है। इस बीच कम्पनी और विकासकर्ता नावाडको की वेबसाइट को एनआईसी के सर्वर पर अपलोड करने के लिए अपेक्षित प्रत्यय–पत्रों के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान–केंद्र के साथ तालमेल कर रहे हैं।

अध्याय–19

दरगाह ख्वाज़ा साहेब, अजमेर

वर्ष 2017–18 के लिए दरगाह समिति, दरगाह ख्वाजा साहेब (आर.ए.), अजमेर (31.12.2017 के अनुसार)

19.1 दरगाह शरीफ का प्रबंधन

दरगाह समिति का अधिदेश दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 के उपबंधों एवं इसके उप कानून 1958 के अनुसार अवसंरचना के विकास के माध्यम से तीर्थयात्रियों को सेवा उपलब्ध कराना है।

19.2 विशिष्ट स्थिति

दरगाह शरीफ के कार्यों का प्रबंधन ने हमेशा शासकों का ध्यान आकर्षित किया है और स्वतन्त्र भारत में, केवल यही दरगाह शरीफ है जिसका प्रबंधन भारतीय संसद द्वारा पारित विशेष अधिनियम जिसका नाम दरगाह ख्वाजा साहिब के अंतर्गत अधिनियम, 1955 है के अंतर्गत किया जाता है।

19.3 2016–17 के दौरान दरगाह समिति द्वारा समर्पित सेवाओं से संबंधित संक्षिप्त विवरण

- दरगाह में प्रतिदिन फूल, चंदन एवं मोमबत्ती देना।
- हजरत ख्वाजा गरीब नवाज(आर.ए.) के वार्षिक उर्स का प्रबंधन।
- दरगाह शरीफ के अंदर मुहरम शरीफ का प्रबंधन एवं हजरत बाबा फरीद (आर.ए.) का चिल्ला खोलना।
- खुल्फा–ए–रशीदीन एवं बुजुरगन–ए–दीन का फतीहा।
- रमजान के पवित्र महीने के दौरान विशेष सहरी/इफ्तार के प्रबंध के साथ गरीबों के लिए रोजाना लंगर।
- धर्मशास्त्र का ज्ञान उपलब्ध कराते हुए दारूल उलूम मोइनिया उस्मानिया दरगाह शरीफ का संचालन।
- सीबीएसई से कक्षा XII मान्यता प्राप्त ख्वाजा मॉडल सेकेण्डरी स्कूल, (अंग्रेजी माध्यम का स्कूल) का संचालन। यह स्कूल धर्मशास्त्र के आधारभूत ज्ञान और नैतिक शिक्षा के साथ–साथ शिक्षा उपलब्ध करा रहा है।
- गरीब नवाज कंप्यूटर केंद्र का प्रबंधन।
- विधवाओं और जरूरतमंद व्यक्तियों को वज़ीफा।
- दो अलग–अलग औषधालयों अर्थात् यूनानी और होम्योपैथिक का अनुरक्षण।
- चिकित्सा, इंजीनियरिंग एवं अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए जरूरतमंद और मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां।
- ईदगाह का अनुरक्षण और विभिन्न मस्जिदों को वित्तीय सहायता।
- लावारिस शवों को दफनाया जाना।
- दरगाह में फिल्टर किए गए पेयजल की व्यवस्था।
- वजू के लिए जल प्रबंधन। शीत काल के दौरान गर्म पानी का प्रावधान।

- निर्बाध विद्युत आपूर्ति
- लगभग 180 कमरे के अतिथि गृह का रख–रखाव
- दरगाह एवं गेस्ट हाऊस में हर समय सफाई।
- मौसम के खतरों से 'जायरीन' के संरक्षण के लिए दरगाह परिसर में शामियाना प्रदान करना। इस तरह उर्स एवं आवधिक धार्मिक समागमों के समय पर शेल्टर भी प्रदान करना।
- पैतृक स्टाफ को हुकूक (मानदेय) की अदायगी।
- राष्ट्रीय एकता संबंधी कार्यक्रम का आयोजन।
- समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए कानूनी साक्षरता कार्यक्रम।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा राजस्व विभाग द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिए अवसंरचना व पर्यवेक्षण हेतु व्यवस्था आशयित है।
- संपत्तियों एवं धर्मस्व निधियों का संरक्षण एवं आवधिक अनुरक्षण तथा विकास।

19.4 वर्ष के दौरान प्रमुख उपलब्धियां

सुविधाएं:

- फिल्टर जल की आपूर्ति की उत्तम व्यवस्था, स्टैन्ड–बाई जेनरेटरों के साथ निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था तथा सफाई।
- 1600 बसों की पार्किंग सुविधा के साथ एक लाख ज़ायरीन के लिए विश्रामस्थली (अब गरीबनवाज़ मेहमानखाना) का विकास।
- झालरा जल परियोजना, 4 लाख लीटर प्रतिदिन के हिसाब से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु एक अनूठी परियोजना।
- ठण्ड के मौसम में गर्म पानी तथा गर्मी में ठण्डे पानी की आपूर्ति।
- फ्लोर क्लीनिंग मशीन के माध्यम से सफाई।
- गेस्ट हाऊस का कंप्यूटरीकरण, गेस्ट हाऊस में ऑनलाइन के माध्यम से बुकिंग प्रणाली एवं ऑनलाइन के माध्यम से बुकिंग प्रणाली एवं ऑनलाइन के माध्यम से दान (नाजुर सेक्शन)।
- तीर्थयात्रियों को रहने के लिए दरगाह गेस्ट हाऊस में अतिरिक्त चार कमरे का निर्माण।

संपत्तियों का विकास:

- दरगाह संपत्तियों के सरंक्षण हेतु एक स्थायी रणनीति तैयार की गई।
- कानूनी मामलों में 99% सफलता।
- अनाधिकृत अधिभोगियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई और अभियान।

शिक्षा एवं अन्य शैक्षणिक क्रियाकलाप:

- ख़्वाजा मॉडल सैकेण्डरी स्कूल, कंप्यूटर सेंटर और दारूल उलूम के लिए शैक्षणिक अवसंरचना का विकास।

- राज्य सरकार एवं भारत सरकार की आरएएस, आरजेएस, पटवारी, सचिवालय स्टाफ एवं कंप्यूटर परीक्षाओं का आयोजन करना
- राष्ट्रीय एकता संबंधी सेमीनार/सम्मेलन।
- ख्वाजा मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों के लिए प्ले ग्राउण्ड का रख–रखाव
- अल्पसंख्यक दर्जे वाले स्कूलों को वित्तीय सहायता।
- छात्रों और शिक्षकों के लिए शैक्षणिक भ्रमण।

वित्तः

- आय में वृद्धि
- चालू वित्त वर्ष के दौरान एफडीआर में 95 लाख रु. की निवेश (अतः अब कुल एफडीआर 7.79 + 95 = 8.79 करोड़ रु.)

प्रचारः

- वेबसाइट/बुकलेट्स/ मीडिया के माध्यम से दरगाह समिति के मामलात के संबंध में प्रचार।

सुरक्षाः

- सुरक्षा अवसंरचना जैसे कि कैमरा, वायरिंग, कंप्यूटर, एलसीडी, जनरेटर, फर्नीचर, सिक्योरिटी गार्ड आदि की व्यवस्था।
- फ्लड लाइट्स का संस्थापन।
- अग्नि सुरक्षा के उपाय।

उर्स एवं समागमः

- ख्वाजा साहेब का 805वां उर्स, 2017 का मिनी उर्स (मुहर्रम 1439 हिजरी) तथा कई समागमों का सफलतापूर्वक प्रबंधन।

19.5 कल्याण एवं चैरिटीः

- आज़मीन–ए–हज को सेवायें।
- जरूरतमंद और शैक्षणिक रूप से बुद्धिमान छात्रों को वित्तीय सहायता।
- तीन औषधालयों के माध्यम से चिकित्सा सेवाये।
- विधवाओं को पेंशन।
- रमजान के महीने के दौरान 400 के लगभग गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराना ऐतेकाफ और तरवीह की व्यवस्था करना
- रोजाना लंगर।

19.6 उर्स एवं समागमों का प्रबंधनः

ख़्वाजा गरीब नवाज (आर.ए.) का 805वां वार्षिक उर्स मार्च/अप्रैल, 2017 में आयोजित किया गया जिसमें लगभग 5.0 लाख ज़ायरीनों ने दरगाह की यात्रा की। उर्स में कोई आपात घटना नहीं हुई और ज़ायरीनों को

सुविधाओं की पूर्ण अवसंरचना मुहैया कराई गई। इन प्रबंधों की राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा की गई। महान सूफी संत को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए विभिन्न गणमान्य अतिथियों ने भी दरगाह की यात्रा की।

दरगाह समिति द्वारा मोहर्रम (मिनी उर्स) के दौरान भी व्यवस्था की गई थी। समिति जिला प्रशासन, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी तथा स्थानीय निकार्यों को उनके स्वैच्छिक सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त करती है। उर्स एवं मोहर्रम (मिनी उर्स) के दौरान जायरीनों के लिए कायद विश्राम स्थली (गरीब नवाज मेहमान खाना) का उपयोग किया जाता है।

19.7 <u>परियोजनाएं:</u>

क. <u>ख्वाजा मॉडल सीनियर सेकेण्डरी स्कूल:</u>

बेसमेंट तथा 24 अतिरिक्त क्लासरूम का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

ख्वाजा मॉडल स्कूल में प्रयोगशाला का परिवर्तन पूरा हो गया है।

(i) <u>प्रस्तावना :</u>

ख़्वाजा मॉडल सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, अजमेर (केएमएस) की स्थापना दरगाह समिति, दरगाह ख़्वाजा साहेब अजमेर के तत्वावधान में 14 जुलाई, 1994 को की गई थी। अंग्रेजी माध्यम के दिवा स्कूल के रूप में, इसकी शुरूआत 35 छात्रों के साथ की गई थी, जबकि आज इसकी क्षमता 1700 प्लस से ज्यादा है। इसमें विशिष्ट सह–पाठ्यक्रम कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। एक प्राथमिक दिवा स्कूल होते हुए, कैम्पस एक सुन्दर जगह पर 05 बीघा जमीन पर स्थित है। 2014–15 के दौरान दरगाह समिति द्वारा स्वीकृति के लिए स्कूल भवन प्लान प्रस्तुत किया है और नगर निगम, अजमेर से मंजूरी मिली है। सीबीएसई मापदण्डों के अनुसार बेसमेंट एवं 24 कमरों का निर्माण पूरा हो गया है। सह–शिक्षा वाला यह स्कूल सभी (जाति, वर्ग, पंथ, समुदाय अथवा धर्म का विचार किए बिना) के लिए खुला है। केंद्र/राज्य सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक केंद्र के रूप में उपयोग किया जाता है। स्कूल निम्नलिखित क्रियाकलापों अर्थात राज्य सरकार एवं भारत सरकार से संबंधित आरएएस, आरजेएस, पटवारी, सचिवालय स्टाफ एवं कंप्यूटर परीक्षाओं के आयोजन के लिए सहायता प्रदान करते है। राष्ट्रीय एकता पर सेमिनार/सम्मेलन/विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए शैक्षिक दौरे।

(ii) <u>लक्ष्य एवं उद्देश्य:</u>

स्कूल का उद्देश्य शैक्षिक, पाठ्येतर क्रियाकलापों, खेलकूद और चरित्र निर्माण में उत्कृष्टता प्राप्त करना है। ऐसा उन सूफी संतों जिन्होंने धर्म या विचारों की रूढ़िवादिता का समर्थन नहीं किया, की परंपरा के मूल्यों के साथ सर्वतोमुखी, अर्थपूर्ण और नैतिक मूल्यों के साथ उदार शिक्षा प्रदान करते हुए किया जाएगा।

(iii) <u>योग्य शिक्षण स्टाफ:</u>

सीबीएसई द्वारा संबद्धता के बाद स्कूल ने विशेषज्ञों तथा दरगाह समिति के सदस्यों द्वारा एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्त किया है।

(iv) <u>शुल्क में सहायता:</u>

- ❖ स्कूल का शुल्क अजमेर के अन्य प्रतिष्ठित कॉन्वेंट स्कूलों से कम है।
- ❖ इस तरह के कम शुल्क संरचना का उद्देश्य समाज के निचले स्तर से आने वाले विद्यार्थियों की वित्तीय सहायता करना है। अतः दरगाह समिति प्रतिवर्ष स्कूल को सहायता प्रदान करती है।

ख. <u>कयाद–अजमेर में विश्राम स्थली :</u>

- राजमार्ग सं. 8 अजमेर–जयपुर रोड–दरगाह शरीफ से 13 कि.मी.–दूर पर स्थित।
- 230 बीघा तक फैला (दरगाह समिति का 80 बीघा – 150 बीघा राजस्थान सरकार द्वारा आबंटित)
- लगभग 18 दिनों के लिए वार्षिक उर्स एवं मोहर्रम के लिए उपयोग किया जाना है।
- एक लाख तीर्थयात्रियों के रहने की व्यवस्था के लिए 27 डोरमेट्रियों के निर्माण का प्रस्ताव।
- 1600 बसों के लिए पार्किंग सुविधा।
- सुरक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य सेवाओं, बिजली, पानी, बस और रेलवे बुकिंग के लिए पूर्ण और व्यापक अवसंरचना।
- जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर सामग्री की उपलब्धता।
- पार्क का निर्माण वर्षा जल संचयन आदि।

विश्राम स्थली के लिए भावी योजना:

- 3 लाख लीटर क्षमता के साथ एक ऑवर हेड वाटर टैंक तथा 200 शौचालयों का निर्माण भारत सरकार के विचाराधीन है।
- एमएईएफ की निधि से सुलभ इंटरनेशनल द्वारा 100 अतिरिक्त शौचालयों का निर्माण जल्द ही शुरू किया जाएगा।

ग. दारूल उलूम मोइनिया उस्मानिया का कार्यकरण :

समिति दारूल उलूम मोइनिया उस्मानिया का सफलतापूर्वक प्रबंधन करती है जो धर्मशास्त्र का एक स्कूल है जिसमें गरीब नवाज के उपदेश भी दिए जाते हैं। दारूल उमूल में आलिम, फाजिल, हाफिज, कारी तथा लैब्रेरियन की पांच संख्या है। यहां एदादिया, ऊला, सानिया, राबिया, तहतानिया एवं हिफ्ज क्लासों में विद्यार्थियों की संख्या 50 हैं। समिति ने विद्यार्थियों के लिए आवास का प्रबंधन भी किया है।

केन्द्रीय मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी दरगाह में ''चादर'' चढ़ाते हुए

अध्याय–20

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)

20.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) 30 सितम्बर, 1994 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के अंतर्गत एक लाभ रहित कंपनी के रूप में निगमित की गई थी। एनएमडीएफसी अल्पसंख्यक समुदायों के बीच 'पिछड़े वर्गों' के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए स्व–रोज़गार एवं आय उत्पन्न करने वाले उद्यमों के लिए रियायती ऋण उपलब्ध कराता है।

20.2 एनएमडीएफसी की योजनाएं यथा आवधिक ऋण, शैक्षिक ऋण, लघु वित्त एवं महिला समृद्धि योजना संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइज़िंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है।

20.3 एनएमडीएफसी योजनाओं के अधीन सहायता का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय का पात्रता मानदंड ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 98,000 रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए 1,20,000/– रु. है। इसकी व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एनएमडीएफसी ने थोड़ी उच्च ब्याज दरों पर थोड़ी अधिक मात्रा में ऋण प्रदान करने के लिए अभी हाल ही में 6.00 लाख रुपए तक की उच्चतर वार्षिक पारिवारिक आय का पात्रता मानदंड शुरू किया है।

20.4 सरकार ने 2015 में एनएमडीएफसी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 1500.00 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3000.00 करोड़ कर दी है और केन्द्र सरकार, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और संस्थानों/व्यक्तियों के लिए शेयर धारण करने की पद्धति भी 65:26:9 से संशोधित करके क्रमशः 73:26:1 कर दी है। भारत सरकार ने 31.01.2017 तक एनएमडीएफसी की केन्द्रीय इक्विटी में 1435 करोड़ रुपए का अंशदान दिया है जबकि राज्यों ने 360.60 करोड़ रुपए का अंशदान दिया है।

20.5 ऋण प्रदान करने की गतिविधि के अतिरिक्त, एनएमडीएफसी लक्षित समूह को स्व–रोजगार/वैतनिक रोजगार के लिए क्षमता निर्माण हेतु राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं विपणन सहायता में मदद प्रदान करता है।

20.6 उपलब्धियां:

- 1994 में इसकी शुरुआत से 31.01.2017 तक एनएमडीएफसी ने 1393513 लाभार्थियों को 4513.23 करोड़ रुपए का ऋण संवितरित किया है।
- 2016–17 के दौरान 108588 लाभार्थियों को 503.32 रुपए की राशि वितरित की गई।
- चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 (30.01.2018 तक) के दौरान एनएमडीएफसी ने 108494 लाभार्थियों को 515. 90 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान किए हैं।

20.7 एनएमडीएफसी की योजनायें एवं कार्यक्रमः एनएमडीएफसी की मौजूदा रियायती ऋण पद्धति को दो धारकों में विभाजित किया गया है:–

ऋण पद्धति 1 :– यह रियायती ऋण की वर्तमान धारा है जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में 98,000 रु. प्रतिवर्ष तथा शहरी क्षेत्रों में 12.00 लाख रु. प्रतिवर्ष की आय सीमाओं के आधार पर रियायती ब्याज दर पर संवितरित किया जा रहा है।

ऋण पद्धति 2 :– अल्पसंख्यक आबादी के 6.00 लाख रु. तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले तबके जिसे भारत सरकार द्वारा ओबीसी के ''क्रीमी लेयर'' मापदंड के आधार पर परिभाषित किया गया है, को रियायती ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यह उस ब्याज दर पर रियायती ऋण प्राप्त करेगा, जो ऋण पद्धति 1 से उच्चतर है।

i. सावधि ऋण योजना

यह योजना वैयक्तिक लाभार्थियों के लिए है तथा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसिययों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। सावधि ऋण योजना के अंतर्गत, वित्तपोषण हेतु 1,20,000/– रु. तक की लागत वाली परियोजनाओं (ऋण पद्धति–2 हेतु 30.00 लाख रुपए तक) पर विचार किया जाता है। परियोजना की शेष लागत का वहन एससीए और लाभार्थी द्वारा किया जाएगा। एनएमडीएफसी परियोजना लागत के 90% की सीमा तक ऋण उपलब्ध कराता है। तथापि, 5 वर्ष की अवधि के पाठ्यक्रम के लिए लाभार्थियों को परियोजना की बकाया लागत का न्यूनतम 5% अंशदान देना होता है। लाभार्थी से 6% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर प्रभारित की जाती है। ऋण पद्धति–2 के लिए, पुरूष लाभार्थियों को 8% प्रतिवर्ष तथा महिला लाभार्थियों को 6% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 30.00 लाख रु. तक दिए जाते हैं।

सावधि ऋण योजनाओं के अंतर्गत वाणिज्यिक रूप से किसी भी व्यवहार्य एवं तकनीकी रूप से व्यावहारिक उद्यम के लिए सहायता उपलब्ध है, जिसे सुविधा के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है:

क) कृषि एवं संबद्ध

ख) तकनीकी ट्रेड

ग) लघु व्यवसाय

घ) कारीगर एवं पारम्परिक व्यवसाय, तथा

ङ) परिवहन एवं सेवायें क्षेत्र

ii. शैक्षणिक ऋण योजना

यह योजना वैयक्तिक लाभार्थियों के लिए है तथा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसिययों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। एनएमडीएफसी अल्पसंख्यकों से संबंधित पात्र व्यक्तियों के लिए रोजगार आधारित शिक्षा को सुकर बनाने के उद्देश्य से शैक्षणिक ऋण उपलब्ध कराता है। इस योजना के अंतर्गत, पांच वर्षों से अनधिक अवधियों के 'तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों' के लिए 20.00 लाख रुपए का ऋण अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा, विदेश के पाठ्यक्रमों के लिए 30.00 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध है। इस प्रयोजनार्थ एससीए को 1% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर निधियां, लाभार्थियों को 3% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उधार देने के लिए उपलब्ध कराई जाती है। ऋण पद्धति–2 के अंतर्गत, एससीए को 2% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर निधियां, लाभार्थियों को पुरूष लाभार्थियों को 8% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर तथा महिला लाभार्थियों को 5% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उधार पर देने के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। यह ऋण पाठ्यक्रम की समाप्ति के पश्चात् अधिकतम पांच वर्षों में देय है।

iii. लघु वित्त–पोषण योजना

लघु वित्त–पोषण योजना के अंतर्गत, एससीए/एनजीओ के माध्यम से स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों को लघु–ऋण दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, स्व–सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य को अधिकतम 1.00 लाख रु. तक के लघु–ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। गैर सरकारी संगठनों/ एससीए को 1% की ब्याज दर पर निधियां दी जाती हैं जो आगे 7% प्रतिवर्ष से अनाधिक की ब्याज दर पर स्व–सहायता समूहों को उधार देते हैं। ऋण–पद्धति–2 के अंतर्गत, स्व–सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य को 1.50 लाख रु., पुरूष लाभार्थियों के लिए 10% प्रतिवर्ष तथा महिला लाभार्थियों के लिए 8% प्रतिवर्ष से अनाधिक की ब्याज दर पर दिया जाता है। योजना के अंतर्गत अदायगी की अवधि अधिकतम 36 महीने हैं।

iv. महिला समृद्धि योजना

स्व–सहायता समूहों में शामिल की जाने वाली महिलाओं को टेलरिंग, कटिंग और एम्ब्रायडरी इत्यादि सरीखे व्यवसायों में शामिल लघु ऋण को जोड़ने की एक अनूठी योजना है। यह एनएमडीएफसी की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत, किसी उपयुक्त महिला अनुकूल शिल्प क्रियाकलाप में लगभग 20 महिलाओं के समूह को प्रशिक्षण दिया जाता है। यह समूह प्रशिक्षण के दौरान ही स्व–सहायता समूह बना दिया जाता है और प्रशिक्षण के उपरान्त, इस प्रकार गठित स्व–सहायता समूह के सदस्यों को लघु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रशिक्षण की अधिकतम अवधि छहः माह है और प्रशिक्षण के अधिकतम खर्चे प्रति प्रशिक्षणार्थी 1500 रुपए प्रतिमाह हैं। प्रशिक्षण के दौरान, प्रशिक्षुओं को 1000 रुपए प्रतिमाह का वजीफा भी दिया जाता है। प्रशिक्षण लागत और वजीफे के खर्च की पूर्ति एनएमडीएफसी द्वारा अनुदान के रूप में की जाती है। प्रशिक्षण के उपरान्त, स्व–सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य को 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर अधिकतम 1.00 लाख रुपए के अध्यधीन आवश्यकता आधारित लघु ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

20.8 एनएमडीएफसी की संवर्धनात्मक योजनाएं

i. **व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाः** एनएमडीएफसी की व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य स्व/ मजदूरी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लक्षित व्यक्तिगत लाभार्थियों को कौशल प्रदान करना है। यह योजना राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है, जो स्व/मजदूरी रोजगार के लिए संभाविता वाले ट्रेडों में स्थानीय सरकार के स्वामित्व वाले/मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों की मदद से अपने राज्यों में आवश्यकता आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम की लागत छहः महीनों की अधिकतम अवधि के पाठ्यक्रमों के 2000 रु. प्रति अभ्यर्थी प्रति माह तक है। प्रशिक्षण के दौरान प्रति अभ्यर्थी को 1000 रु. प्रति माह की दर से वजीफा भी दिया जाता है।

ii. **विपणन सहायता योजनाः** विपणन सहायता योजना व्यक्तिगत शिल्पकारों, एनएमडीएफसी के लाभार्थियों के साथ–साथ एसएसजी के लिए है और एससीए के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। विपणन को सवंर्धित करने और शिल्पकारों के उत्पादों का लाभकारी कीमतों पर बिक्री हेतु उनकी सहायता के उद्देश्य से, एनएमडीएफसी चुनिन्दा स्थानों पर राज्य/जिला स्तर की प्रर्दशनियां आयोजित करने में एससीए की मदद करता है। इन प्रर्दशनियों में, अल्पसंख्यक शिल्पकारों के हस्तकरघा/ हस्तशिल्प उत्पादों को प्रर्दशित किया जाता तथा बेचा जाता है। ऐसी प्रदर्शनियां ''क्रेता–विक्रेता समागम'' का प्रयोजन भी सिद्ध होता है, जिसे घरेलू बाजार के साथ–साथ निर्यातों के लिए उत्पाद विकास और बाजार संर्वधन के लिए अत्यधिक उपयोगी समझा जाता है। एनएमडीएफसी प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए अनुदान प्रदान करता है।

हैदराबाद में 8 जुलाई, 2017 को हुए एनएमडीएफसी की एससीए के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए

अध्याय–21

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता अनुदान

21.1 भूमिका

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। एमएईएफ की स्थापना जुलाई, 1989 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी और यह भारत सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित है। माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री प्रतिष्ठान के पदेन अध्यक्ष हैं और संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमएईएफ के प्रभारी) भी एमएईएफ के पदेन सदस्य हैं। एमएईएफ के सामान्य निकाय में 15 सदस्य होते हैं जिनमें छह सदस्य पदेन होते हैं और नौ सदस्यों को एमएईएफ के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। एमएईएफ का प्रबंधन इसके शासी निकाय के सुपुर्द है।

21.2 स्रोत

एमएईएफ की सहायता अनुदान योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की प्लान योजना है। प्रतिष्ठान को अब तक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से 1362.00 करोड़ रु. की कुल समग्र निधि प्राप्त हुई है जिसका अर्थ है कि मूलधन की राशि बरकरार रहेगी और समग्र निधि के निवेश से एकत्रित ब्याज का उपयोग प्रतिष्ठान द्वारा अपनी शैक्षणिक योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु किया जाएगा चालू वर्ष 2017–18 के दौरान 1362.00 करोड़ रु. में से, 113 करोड़ रु. की राशि प्राप्त हुई है। बैंकों में सावधि जमा के रूप में मौजूदा समग्र निधि के निवेश से, एमएईएफ प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रु. की ब्याज आय अर्जित करता है।

21.3 एमएईएफ की योजनाएं

एमएईएफ निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

1. **गैर–सरकारी संगठनों को शैक्षणिक संस्थानों के अवसंरचना विकास हेतु सहायता अनुदान**
2. **अल्पसंख्यक समुदायों की मेधावी लड़कियों हेतु बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति**
3. **नई मंजिल योजना के अंतर्गत ब्रिज पाठ्यक्रम**
4. **अल्पसंख्यकों हेतु गरीब नवाज कौशल विकास प्रशिक्षण**
5. **स्वच्छ विद्यालय पहल**

ऊपर क्रम सं. 4 और 5 पर उल्लिखित योजनाएं चालू वर्ष 2017–18 के दौरान आरंभ की गई है।

1. **एनजीओ को सहायता अनुदान :**– इस योजना के अंतर्गत, एमएईएफ एनजीओ को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है:–
   - स्कूल भवनों का निर्माण/विस्तार,
   - छात्रावास भवनों का निर्माण,
   - बी.एड./डी.एड. कॉलेजों का निर्माण/विस्तार,
   - तकनीकी संस्थानों/वीटीसी का निर्माण,
   - प्रयोगशाला उपकरणों, फर्नीचर आदि की खरीद।

इस योजना से छोटे संस्थानों को अपनी अवसंरचना का विस्तार करने में मदद मिली है जिसके परिणामस्वरूप लक्षित समूह के बीच शैक्षणिक क्रियाकलापों में समग्र रूप से सुधार हुआ है। यह एक ऐसी अनूठी योजना है जो एमएईएफ द्वारा सीधे राज्य सरकार अथवा अन्य बाहरी एजेंसी की मध्यस्थता के बिना कार्यान्वित की जाती है। अब चालू वर्ष से, इस योजना को ऑनलाइन बना दिया गया है जिससे प्रस्ताव को यथासमय संसाधित करने और उसकी बेहतर मॉनीटरिंग में मदद मिलेगी। सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत 80 प्रस्ताव मंजूरी के लिए तैयार हैं और लगभग 150 प्रस्ताव प्रक्रिया में है। 2017–18 के लिए सहायता अनुदान योजना हेतु 30 करोड़ रु. की बजट व्यवस्था है।

2. **बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति** : एमएईएफ ने 2003–04 में यह छात्रवृत्ति योजना आरंभ की थी। अल्पसंख्यक समुदायों की मेधावी लड़कियों के लिए उनकी उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा अर्थात् कक्षा 11 और 12 हेतु राष्ट्रीय स्तर की यह पहली छात्रवृत्ति योजना थी। इस योजना से न केवल अल्पसंख्यक लड़कियों को इपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहन मिला है अपितु इसके परिणामस्वरूप उनकी साक्षरता दर में समग्र सुधार भी हुआ है। वर्ष 2017–18 से, एमएईएफ ने कक्षाओं 9 और 10 में पढ़ने वाली अल्पसंख्यक लड़कियों को भी छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाते हैं। एमएईएफ को चालू वर्ष 2017–18 के दौरान छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत दो लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी जांच की जा रही है और जिन पर जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस वर्ष 2017–18 में छात्रवृत्ति योजना के लिए 70 करोड़ रु. की बजट व्यवस्था है।

3. **नई मंजिल के अंतर्गत मदरसा छात्रों हेतु ब्रिज पाठ्यक्रम** : एमएईएफ नई मंजिल योजना के अंतर्गत मदरसा छात्रों हेतु ब्रिज पाठ्यक्रम चलाने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। ब्रिज पाठ्यक्रम मदरसा छात्रों/ड्रापआउट्स को मुख्य धारा की शिक्षा जारी रखने में मदद करने के लिए कराए जा रहे है। ब्रिज पाठ्यक्रम के समाप्त होने के उपरांत, ये छात्र स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरो पर इन विश्वविद्यालयों के विभिन्न नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले रहे हैं। चालू वर्ष 2017–18 के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय हेतु 200 लाभार्थियों का लक्ष्य है और इस वर्ष इस प्रयोजनार्थ 2.20 करोड़ रु. का कुल परिव्यय है।

4. **अल्पसंख्यकों हेतु गरीब नवाज कौशल विकास प्रशिक्षण** : एमएईएफ ने चालू वर्ष 2017–18 से गरीब नवाज कौशल विकास प्रशिक्षण शीर्षकयुक्त नई योजना का शुभारंभ किया है ताकि अल्पसंख्यक युवाओं को जॉब उन्मुख कौशल विकास पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जा सकें जिससे कि वे कौशल आधारित रोजगार हेतु समर्थ हो सकें। उक्त योजना एमएईएफ के सामान्य निकाय द्वारा अनुमोदित की गई थी। यह योजना पैनलबद्ध कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) के माध्यम से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीएण्डई) के सामान्य मानकों के अनुसार कार्यान्वित की जाएगी।

   एमएईएफ ने 31 राज्यों के 108 पीआईए को 1,06,600 लाभार्थियों का लक्ष्य आबंटित किया है। इन पीआईए को पहली किस्त जारी करने के लिए चालू वर्ष 2017–18 से इस योजना के अंतर्गत 160 करोड़ रु. का वित्तीय परिव्यय है। पैनलबद्ध पीआईए के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किए जा रहे हैं और पहली किस्त प्रशिक्षण केंद्रों की वास्तविक जांच के पश्चात जल्द ही जारी किए जाने की संभावना है।

5. **स्वच्छ विद्यालय पहल** : स्वच्छ विद्यालय पहल योजना एमएईएफ के सामान्य निकाय द्वारा अनुमोदित की गई है। इस योजना के अंतर्गत स्कूलों/मान्यताप्राप्त/पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित मदरसों को स्वच्छ भारत मिशन के मद्देनजर लड़कों और लड़कियों के लिए अलग–अलग शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। एमएईएफ इस योजना को पैनलबद्ध पीआईए के माध्यम से कायान्वित करेगा।

21.4 वर्ष 2017–18 के अनुसार एमएईएफ के अन्य क्रियाकलाप :

- **स्कूलों/सामुदायिक कॉलेजों/राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना** : एमएईएफ ने अल्पसंख्यकों हेतु शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की जांच करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। उक्त समिति ने जुलाई, 2017 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे एमएईएफ के सामान्य निकाय द्वारा स्वीकार किया

गया। अपनी रिपोर्ट में समिति ने एमएईएफ द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए स्थापित किए जाने वाले शैक्षणिक संस्थानों की पिरामिड संरचना की अनुशंसा की है जिसमें 211 केंद्रीय विद्यालय नीचे, 25 सामुदायिक कॉलेज मध्य में तथा 5 राष्ट्रीय संस्थान शीर्ष पर हों। प्रस्तावित शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए, संबंधित राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। निर्माण कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा एमएसडीपी के अंतर्गत कराया जाएगा तथा आवर्ती/चालू व्यय एमएईएफ द्वारा वहन किया जाएगा। एमएईएफ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ सलाह–मशीवरा करके इन संस्थानों की रीतियों पर कार्य कर रहा है।

- **मंत्रालय की सीखो और कमाओ योजना का कार्यान्वयन** : एमएईएफ ने मौलाना आजाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी (मानस) द्वारा कार्यान्वित की जा रही अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की सीखो और कमाओ योजना के अंतर्गत निधियां जारी करने के लिए एमएईएफ को 129 करोड़ रु. की राशि जारी की है।

- **जांचकर्त्ता प्राधिकारियों को पैनल में शामिल करना** : एमएईएफ ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 291 जांचकर्त्ता प्राधिकारियों (आईए) की सूची तैयार की है। अधिकांश आईए सेवानिवृत्त/सेवारत सरकारी सेवक है जो एमएईएफ की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक जांच करने में बहुत मददगार हैं। इन आईए की सेवाओं का उपयोग मंत्रालय द्वारा भी अपनी परियोजनाओं की जांच करने के लिए किया जा रहा है।

- **जांचकर्त्ता प्राधिकारियों (आईए) की कार्यशाला** : एमएईएफ ने जांचकर्त्ता प्राधिकारियों को एमएईएफ की योजनाओं की संपूर्ण जानकारी एवं इस संबंध में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों से रूबरू कराने के लिए चालू वर्ष 2017–18 के दौरान नई दिल्ली में दो कार्यशालाओं (पहली 10.07.2017 को तथा दूसरी 13.01.2018 को) का आयोजन किया है।

एमएईएफ के जांचकर्ता प्राधिकारियों के लिए नई दिल्ली में 13 जनवरी, 2018 को कार्यशाला का उद्घाटन

अध्याय–22

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम

22.1 अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्री कार्यक्रम की घोषणा जून, 2006 में की गई। इसमें निश्चित लक्ष्यों के साथ कार्यक्रम विशिष्ट क्रियाकलापों की व्यवस्था है, जिन्हें निर्धारित समय–सीमा में प्राप्त किया जाना होता है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं – (क) शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना; (ख) वर्तमान तथा नयी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक क्रियाकलापों और रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समुचित भागीदारी, स्व–रोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि और केन्द्र व राज्य सरकार की नौकरियों में भर्ती सुनिश्चित करना; (ग) अवसंरचना विकास योजना से जुड़ी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना; और (घ) सांप्रदायिक असामंजस्य तथा हिंसा का निवारण और नियंत्रण करना।

22.2 इस कार्यक्रम के अंतर्गत नए कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्प सुविधाप्राप्त लोगों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित वर्गों तक पहुंचे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन योजनाओं के लाभ अल्पसंख्यकों तक समान रूप से पहुंचें, नए कार्यक्रम में इन विकास परियोजनाओं के कुछ भाग को अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अवस्थित करने की परिकल्पना की गई है। इसमें यह भी प्रावधान है कि जहां कहीं संभव हो, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्यों और परिव्ययों का 15% अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

22.3 इस कार्यक्रम के लक्षित समूह में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यकों में पात्र वर्ग हैं–मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी तथा जैन। राज्यों में जहां राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से एक समुदाय वास्तव में, अधिसंख्या में है, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक/वित्तीय लक्ष्य केवल अन्य अधिसूचित समुदायों के लिए निर्धारित होंगे। ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं–जम्मू और कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप।

22.4 इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रगति की निगरानी मासिक आधार पर प्रत्येक संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा की जाती है। केन्द्रीय स्तर पर, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा इसकी समग्र प्रगति की समीक्षा अन्य मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों के साथ तिमाही आधार पर की जाती है। इस कार्यक्रम के प्रगति की समीक्षा सचिवों की समिति द्वारा 6 माह में एक बार की जाती है तथा उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। दिशानिर्देशों में की गई परिकल्पना के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रगति की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय समितियां गठित करनी होती हैं। इसी प्रकार जिला स्तर पर भी ऐसे ही तंत्र की परिकल्पना की गई है।

22.5 प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम को आरंभ करने के समय 11 मंत्रालयों/विभागों की 24 योजनाएं/कार्यक्रम/पहलें थी। तथापि, समय बीतने पर कुछ योजनाएं/कार्यक्रम या तो बंद कर दिए गए है या अधिकतम स्तर तक पहुंच चुकी है। यह योजनाएं है :

(i) आईटीआई का उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उन्नयन की योजना (कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय),

(ii) एकीकृत बाल विकास सेवाएं (महिला और बाल विकास मंत्रालय),

(iii) शहरी गरीबों हेतु आधारभूत सेवा (बीएसयूपी) (शहरी आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय),

(iv) एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) (शहरी आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय),

(v) शहरी अवसंरचना एवं शासन (यूआईजी) (शहरी विकास मंत्रालय),

(vi) छोटे एवं मध्यम शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) (शहरी विकास मंत्रालय)

उपरोक्त नं. (i) और (ii) पर दी योजनाएं अधिकतम स्तर तक पहुंच चुकी है जबकि अन्य बंद कर दी गई है।

22.6 वर्ष 2017–18 के दौरान अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतगर्त विभिन्न योजनाएं के तहत की गई प्रगति निम्नानुसार है।

क. वर्ष 2017–18 के दौरान 15% निर्धारण योग्य योजनाओं के अंतर्गत प्रगति नीचे दर्शायी गई हैं:

I. वास्तविक

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम/पहल		उपलब्धि (संख्या)
1.	सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) (उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कार्यान्वित) (30.09.2017 के अनुसार)		कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था
	(i) निर्मित प्राथमिक विद्यालयों की संख्या		
	(ii) निर्मित उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या		
	(iii) निर्मित अतिरिक्त कक्षा कमरों की संख्या		
2.	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), पीएमएवाई–जी (पूर्व में इंदिरा आवास योजना) के अंतर्गत सहायता प्राप्त गरीबी रेखा के नीचे के परिवार (ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित) – **(30.09.2017 के अनुसार)**		2,03,014
3.	दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) (पूर्व में एसजीएसवाई/आजीविका) (ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित) – **(30.09.2017 के अनुसार)**		
	संघटक	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**
	क) सोशल मोबलाईजेशन के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	1,08,749	56,751
	ख) परिक्रामी निधि के अंतर्गत सहायता प्राप्त स्व–सहायता समूहों (एसएचजीएस) की संख्या	71,013	20,973
	ग) सामुदायिक निवेश सहायता निधि (सीआईएफ) के अंतर्गत सहायता प्राप्त एसएचजीएस की संख्या	45,655	4,313
4.	दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई–एनयूएलएम) के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियां (आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित)– (30.09.2017 के अनुसार)		
	(i) लाभार्थियों की संख्या, जिन्हें कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना	45,000	उपलब्ध नहीं है।
	(ii) लघु–उद्योग (व्यक्तिगत एवं समूह) की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	5,775	– तदैव –
	(iii) बनाए गए स्व–सहायता समूहों के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या	68,475	– तदैव –

	(iv) एसएचजी – बैंक लिंकेज के अंतर्गत एसएचजी में कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या	57,750	– तदैव –
5.	आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) योजना के अंतर्गत आंगनवाडी केंद्रों का परिचालन		योजना अधिकतम स्तर तक पहुंचने के कारण कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

II. वित्तीय :

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम/पहल	उपलब्धि (करोड़ रु. में) (30.9.2017 के अनुसार)
1	प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी)	3,248.72
2	दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई–एनयूएलएम)	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।
3	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल)	2,98,716.25 (30.09.2017 के अनुसार बकाया संचयी आंकड़ें)
4	दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) (राशि परिक्रामी निधि के रूप में वितरित)	25.27
5	दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) (राशि सीआईएफ के रूप में वितरित)	20.42
6	आईटीआई को उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में उन्नयन (कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित)	योजना अधिकतम स्तर तक पहुंचने के कारण 2017–18 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

ख. 2017–18 के दौरान कार्यक्रम में शामिल तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं (अनन्य रूप से अल्पसंख्यकों के लिए) के अंतर्गत प्रगति निम्नलिखित अनुसार है।

क्र.सं.	योजना	वास्तविक (संख्या) 2017–18		वित्तीय (करोड़ रु. में) 2017–18	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना	30,00,000	39,71,379	950.00	5164.45
2	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	5,00,000	5,16,959	550.00	2326.01
3	मेरिट–सह–साधन छात्रवृत्ति योजना	60,000	78,448	393.54	1634.99
4	स्नातकोत्तर अध्येतावृत्ति / मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	756	756	100.00	99.87
5	आर्थिक क्रियाकलापों के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की ऋण योजनाएं	75,000	1,08,494	–	515.90
6	(i) शैक्षणिक संस्थानों के अवसंरचना विकास के लिए एनजीओ को सहायता–अनुदान (31.01.2018 के अनुसार)	150	77	60	प्रक्रिया में

	(ii) बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (31.01.2018 के अनुसार)	50.000	48,000	60,00	प्रक्रिया में
7	निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना (31.01.2018 के अनुसार)	9000	9699	48.00	32.21

ग. 2016.17 के दौरान अल्पसंख्यक संस्थानों/विद्यालयों के लिए विशेष पहल के रूप में शामिल योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियां **(30.09.2016 के अनुसार)**

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम/पहल	उपलब्धि
1.	मदरसों में गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना (एसपीक्यूईएम) (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा कार्यान्वित)	3712 मदरसों के 9934 अध्यापकों को कवर करते हुए 50.95 करोड़ रु. जारी किए गए।
2.	अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास (आईडीएमआई) (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा कार्यान्वित)	शून्य
3.	उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा कार्यान्वित)	उपलब्ध नहीं है

घ. वर्ष 2017–18 के दौरान 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत शामिल की गई उन योजनाओं की उपलब्धियां, जिनके तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए धनराशि प्रवाह/लाभ की निगरानी रखी जाती है, नीचे दर्शायी गई हैं:

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम/पहल	उपलब्धि (कवर किए गए अल्पसंख्यक बहुल नगरों/शहरों की संख्या और स्वीकृत परियोजना लागत)
1	शहरी गरीबों के लिए आधारभूत सेवाएं (बीएसयूपी) (तत्कालीन आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय)	योजना बंद कर दी गई है
2	समन्वित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) (तत्कालीन आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित)	योजना बंद कर दी गई है
3	शहरी अवसंरचना एवं शासन (यूआईजी), (तत्कालीन शहरी विकास मंत्रालय)	योजना बंद कर दी गई है
4	छोटे एवं मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) (तत्कालीन शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित)	योजना बंद कर दी गई है
5	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) (पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित) (डीडब्ल्यूएस) (30.09.2017 के अनुसार)	1264 आवासों के लिए (कुल का 06.84%) 163.27 करोड़ रु. (कुल का 7.12%) जारी

ङ. सरकारी विभागों/संगठनों में अल्पसंख्यकों की भर्ती (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दी गई सूचना):

केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, बैंकों आदि में अल्पसंख्यकों की भर्ती की स्थिति नीचे दर्शायी है (कोष्ठक के

आंकड़े कुल भर्ती से भर्ती किए गए अल्पसंख्यकों के प्रतिशत को दिखाते है) :–

संगठन	2013–14	2014–15	2015–16
मंत्रालय/विभाग, अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालय	5,814 (8.21)	*5,161 (8.92)	
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तथा वित्तीय संस्थान	10,504 (10.83)	5,572 (8.58)	
अर्ध सैनिक बल	2,576 (8.55)	2,303 (8.44)	
डाक	710 (14.66)	777 (8.50)	
रेल	5,598 (7.00)	4,176 (8.68)	
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)	1,03,762 (7.69) का 234 सीपीएसई :	833 (6.61)	
कुल	**1,28,964 (7.89)**	**18.822 (8.56)**	@**7,851 (7.5)**

*74 मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त डाटा

**79 मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त डाटा

सीपीएसईरू केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

@ 44 मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त डाटा

च. सांप्रदायिक सद्भाव पर दिशा–निर्देश (गृह मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना):

गृह मंत्रालय ने जून, 2008 में सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। "साम्प्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण एवं पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005" शीर्षकयुक्त विधेयक, जो राज्य सभा में लंबित था, को 05.02.2014 को वापिस ले लिया गया तथा ''सांप्रदायिक हिंसा की रोकथाम (न्याय एवं क्षतिपूर्ति तक पहुंच) विधेयक, 2013'' शीर्षकयुक्त विधेयक तैयार किया गया एवं 16.12.2013 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। राज्य सभा में विधेयक के पुरःस्थापन के लिए दिनांक 17.12.2013 को नोटिस भेजा गया था किंतु इसे पुरःस्थापित नहीं किया जा सका। "साम्प्रदायिक हिंसा की रोकथाम (न्याय एवं क्षतिपूर्ति तक पहुंच) विधेयक, 2014" शीर्षकयुक्त विधेयक के पुरःस्थापन के लिए 20.01.2014 को राज्य सभा में पुनः नोटिस दिया गया था। तथापि, सदन ने दिनांक 05.02.2014 को राज्य सभा में विचार–विमर्श के उपरांत इसके पुरःस्थापन को आस्थगित कर दिया था।

वर्ष 2017 के दौरान (सितम्बर, 2017 तक) देश में कुल 611 सामुदायिक घटनाओं की रिपोर्ट आई थी जिनमें 88 व्यक्ति मारे गए और 1793 व्यक्ति घायल हुए।

अध्याय–23

सच्चर समिति की रिपोर्ट और अनुवर्ती कार्रवाई

भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए आंकड़े/जानकारी एकत्र करने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राजिन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने दिनांक 17 नवम्बर, 2006 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार ने सच्चर समिति की अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में कई निर्णय लिए और संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नलिखित अनुसार है :–

23.1 वित्तीय सेवाएं विभाग :

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को निदेष दिए गए हैं कि वे पर्याप्त अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों में अधिक से अधिक शाखाएं खोलें। दिनांक 30.09.2017 की स्थिति के अनुसार, अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले जिलों (एमसीडी) में 21,273 बैंक शाखाएं कार्य कर रही हैं।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ऋण सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्राथमिक क्षेत्र ऋण संबंधी अपने मास्टर सर्कुलर को 1 जुलाई, 2017 को संशोधित किया है। दिनांक 30.09.2017 की स्थिति के अनुसार, 2,98,716.7562 करोड़ रुपए जो कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का 14.94% है, अल्पसंख्यकों के प्रति बकाया था।

(iii) अग्रणी बैंकों की जिला परामर्शी समितियां (डीसीसी) अल्पसंख्यकों के ऋण आवेदनों के निस्तारण और उन्हें अस्वीकार किए जाने के कार्य पर नियमित मॉनीटरिंग कर रही हैं।

(iv) महिलाओं में लघु वित्त ऋण को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक महिलाओं के 7,02,096 खाते खोले गए तथा 9,607 करोड़ रुपए का लघु ऋण दिया गया (30.09.2017 के अनुसार बकाया)।

(v) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/जिलों/नगरों में जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं। वर्ष 2017–18 के दौरान (30.06.2017 तक) ऐसे क्षेत्रों में 10,808 जागरूकता अभियान चलाए गए।

(vi) वर्ष 2017–18 के दौरान (30.09.2017 तक) अग्रणी बैंकों ने अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/जिलों/नगरों में 2,725 उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए और लाभार्थियों की संख्या 47,475 है तथा 17,082 लाभार्थियों को 152.97 करोड़ रुपए की राशि का ऋण दिया गया।

23.2 मानव संसाधन विकास मंत्रालय :

सच्चर समिति द्वारा यथा इंगित मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक पिछड़ेपन की समस्या के समाधान हेतु एक बहु–आयामी कार्यनीति अपनाई गई है, जो नीचे दर्शायी गई है:–

(क) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) योजना के तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों के मानदण्ड को 1 अप्रैल, 2008 से संशोधित किया गया है, ताकि 30% से कम ग्रामीण महिला साक्षरता वाले ब्लॉकों तथा राष्ट्रीय औसत से नीचे के महिला साक्षता वाले शहरी क्षेत्रों को योजना में शामिल किया जा सके। अभी तक वर्ष 2006–07 से 30.06.2017 तक अल्पसंख्यक बहुल जिलों में स्वीकृत सभी 560 केजीबीवी में से 554 केजीबीवी को शुरू कर दिया गया है।

(ख) माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापरक शिक्षा सुलभ कराने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) नामक योजना अनुमोदित की गई है। इस योजना में सरकारी स्कूल खोलने के लिए

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए वरीयता निर्धारित की गई है। राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे योजना के तहत प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करते समय अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में नए स्कूलों की स्थापना/स्कूलों के उन्नयन को प्राथमिकता दें। वर्ष 2009–10 में आरएमएसए की शुरुआत से 30.09.2017 तक देश में 8482.51 करोड़ रुपए की राशि के साथ स्वीकृत कुल 12,682 नए माध्यमिक स्कूलों में से 903.69 करोड़ रुपए (10.65%) राशि के साथ 1,375 (10.84%) को अल्पसंख्यक बहुल जिलों में मंजूरी दी गई है।

(ग) पॉलीटेक्निकों संबंधी सब–मिशन की योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय स्तर पर 291 जिले वित्तीय सहायता हेतु लक्षित हैं, जिनमें से 55 जिलें अल्पसंख्यक बहुल जिले (एमसीडी) हैं। संचयी रूप से 2009 से 2015–16 तक राष्ट्रीय स्तर पर 295 पॉलीटेक्निकों के लिए 2,442.44 करोड़ रुपए जारी किए गए थे जिसमें से 413.78 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक बहुल जिलों के 55 पॉलीटेक्निकों हेतु जारी किए गए थे। वर्ष 2017–18 के दौरान दिनांक 30.09.2017 को उपलब्धि 'शून्य' है।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अल्पसंख्यक विशेषकर, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में और अधिक बालिका छात्रावासों की व्यवस्था करने को वरीयता दी जाती है। कार्यक्रम की शुरुआत से 30.09.2017 तक राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत 2291 महिला छात्रावासों में से 348 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अनुमोदित/स्वीकृत किए गए है।

(ङ) क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को संशोधित कर दो योजनाओं में बांटा गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना (एसपीक्यूईएम) की शुरुआत की गई थी। इसमें शिक्षकों को बेहतर वेतन प्रदान करने तथा पुस्तकों, शिक्षण सामग्रियों और कम्प्यूटरों के लिए अधिक सहायता प्रदान करने और व्यावसायिक विषयों की शुरुआत करने आदि जैसे आकर्षक प्रावधान शामिल है। अन्य योजना अल्पसंख्यक संस्थानों का विकास है जो सहायता प्राप्त/सहायता–रहित अल्पसंख्यकों के निजी संस्थानों में अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी है। 2017–18 के दौरान 1405 मदरसों और 3433 अध्यापकों की सहायता के लिए 8.84 करोड़ की निधियां जारी की गई हैं। यह योजनाएं मांग प्रेरित है। आईडीएमआई के अंतर्गत उपलब्धि 'शून्य' है।

(च) परिवर्ती उच्चत्तर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, राज्य मदरसा बोर्डों द्वारा, जिनके प्रमाण–पत्रों और अर्हताओं को तत्संबंधी राज्य बोर्डों द्वारा समकक्ष माना गया है, जारी प्रमाण–पत्रों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), कॉउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन इन इंडिया (सीओबीएसई) अथवा/और किसी अन्य स्कूल परीक्षा बोर्ड के समकक्ष माना जाएगा। वर्ष 2005 से 01.03.2017 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का दर्जा देने वाले 12,842 प्रमाण–पत्र जारी किए हैं।

(छ) संशोधित योजना के तहत, ऐसे किसी क्षेत्र के सरकारी स्कूल में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है, जिस क्षेत्र में उर्दू बोलने वालों की आबादी 25% से अधिक हो। वित्तीय सहायता राज्य सरकार के स्कूलों में नियुक्त उर्दू शिक्षकों के लिए प्रचलित वेतन ढांचे पर आधारित होगी। अंश–कालिक उर्दू शिक्षकों को मानदेय भी स्वीकार्य है। वर्ष 2014–15 के दौरान, पंजाब सरकार को 42 उर्दू शिक्षकों के वेतन के लिए 1.18 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई थी। योजना में और संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार भारत सरकार उर्दू शिक्षकों, जहां किसी कक्षा के 15 अथवा इससे अधिक छात्र इसका विकल्प लेते हैं, की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। वर्ष 2016–17 के दौरान उर्दू शिक्षकों को स्वीकृत करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ज) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का नया रूपांतरण 'साक्षर भारत' 11वीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए 08.09.2009 को शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य योजना के अंत तक 70 मिलियन गैर–साक्षर

वयस्कों को साक्षर बनाना है। इस योजना का अल्पसंख्यकों से संबंधित महिलाओं पर विशेष ध्यान है। कार्यक्रम के अधीन 12 मिलियन मुस्लिमों (10 मिलियन महिलाएं और 2 मिलियन पुरुष) को कवर करने का प्रस्ताव है। साक्षर भारत 26 राज्यों में 410 पात्र जिलों में से उन 395 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है और जहां 2001 की जनगणना के अनुसार वयस्क महिला साक्षरता दर 50% या इससे नीचे है। इसके अतिरिक्त, मुस्लिमों विशेषकर महिलाओं में साक्षरता में सुधार करने के लिए साक्षर भारत कार्यक्रम की समग्र छत्रछाया में एक लक्षित अभिकेन्द्रित दृष्टिकोण, मौलाना आजाद तालीम–ए–बालिगन फरवरी, 2014 में शुरू किया गया है।

साक्षरता की मांग पैदा करने और इसके लाभों का प्रचार करने के लिए मुस्लिम समुदाय में लोकप्रिय मीडिया के सभी रूपों (प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक), लोक, सांस्कृतिक और धार्मिक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए एक जन संघटन अभियान डिजाइन किया गया है। इस अभियान के अधीन 11 राज्यों में 61 अल्पसंख्यक बहुल जिलों को मिलाकर राज्य संसाधन केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिन्हें साक्षर भारत के अधीन कवर किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित राज्य संसाधन केन्द्रों की 2014–15 की वार्षिक कार्य योजना में उपयुक्त बजट प्रावधान रखा गया है। चूंकि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के सहयोग से अगस्त, 2010 से अगस्त, 2016 में पहला आंकलन किया गया है, अतः 5.12 करोड़ वयस्क साक्षर के रूप में प्रमाणित किए हैं जिनमें से 147 लाख (कुल का 9.18%) अल्पसंख्यक समुदाय से प्रमाणित नौसिखिया के रूप में दर्ज किए गए हैं। 2016–17 के दौरान, अल्पसंख्यक बहुल जिलों के साक्षर भारत पात्र जिलों सहित सभी जिलों में साक्षर भारत कार्यक्रम का कार्यान्वयन जारी है।

(झ) जन शिक्षण संस्थान देश में 88 मुस्लिम प्रधानता वाले जिलों में से 33 में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। पर्याप्त अल्पसंख्यक आबादी वाले अतिरिक्त जिलों को कवर करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इस कार्यक्रम के अधीन 2012–13 में कवरेज 12.2% था। वर्ष 2013–14 (अक्तूबर, 2013 तक) 2,48,757 लाभार्थियों में से 30,629 (12.31%) मुस्लिम थे। 2015–16 तथा 2016–17 की प्रथम तिमाही के दौरान, कोई नया जन शिक्षण संस्थान स्थापित नहीं किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मौलाना आजाद तालीम–ए–बालिगन पहल के अधीन मुस्लिम बहुल जिलों में 10 नए जन शिक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ञ) एमडीएम योजना देश में वर्ष 2007–08 से आगे सभी क्षेत्रों के लिए बढ़ाई गई और उच्चतर प्राथमिक स्कूलों को भी कवर करती है। इस योजना के अधीन मुस्लिम बहुल आबादी वाले ब्लॉक कवर किए जाते हैं। मदरसों में पढ़ रहे बच्चे भी इस कार्यक्रम के अधीन कवर किए जाते हैं। तत्कालीन योजना आयोग (नीति आयोग) ने इस योजना को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में स्थित गैर–सहायता प्राप्त निजी तौर पर प्रबंधित स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए लागू करने को अनुमोदित किया है; जिससे एमसीडी और विशेष अभिकेन्द्रित जिलों में 29,116 स्कूलों में लगभग 60.37 लाख बच्चों को लाभ होगा।

(ट) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को विद्यमान स्कूल भवनों और सामुदायिक भवनों को स्कूली बच्चों के लिए अध्ययन केन्द्र के रूप में प्रयोग में लाने की सलाह दी गई है।

(ठ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा–2005 (एनसीएफ) के आलोक में सभी कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार की गई हैं।

23 राज्यों ने एनसीएफ, 2005 के अनुसार अपने पाठ्यक्रमों को संशोधित कर लिया है। दस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनसीईआरटी सिलेबस का जबकि तीन संघ राज्य क्षेत्रों ने पड़ोसी राज्यों की पाठ्यपुस्तकों अथवा एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करते हैं।

(ड) अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक अपवर्जन और समावेशी

नीति के अध्ययन हेतु 35 विश्वविद्यालयों ने अध्ययन केन्द्रों की शुरूआत की है। यूजीसी ने 23 केंद्रीय विश्वविद्यालयों, 114 राज्य विश्वविद्यालयों, 12 मानद विश्वविद्यालयों तथा 2179 कॉलेजों में अल्पसंख्यक एससी/एसटी/ओबीसी के लिए 2328 समान अवसर प्रकोष्ठों की स्थापना की है और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 46.07 करोड़ रुपए की निर्मुक्ति की।

(ढ) 12वीं योजना में केन्द्रीय प्रायोजित योजना में अन्य बातों के साथ–साथ 196 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/एमसीडी में ब्लॉक अध्यापक शिक्षा संस्थानों की स्थापना की संकल्पना है जो उस मापदंड पर निर्भर करते हुए स्थापित किए जाएंगे जिनके आधार पर ब्लॉक अध्यापक शिक्षा संस्थान स्थापित करने के लिए जिले की पहचान की गई है। इस योजना में 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर किया है। 2015–16 तक 09 राज्यों में 30 ब्लॉक अध्यापक शिक्षा संस्थान अनुमोदित किए गए हैं।

23.3 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय :

समान अवसर आयोग (ईओसी) की संरचना और कार्यों संबंधी अध्ययन और अनुशंसा के लिए गठित विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट 13 मार्च, 2008 को सौंपी। विविधता सूचकांक की अवधारणा को समान अवसर आयोग में शामिल किया गया है। समान अवसर आयोग का प्रारूप विधेयक विधि एवं न्याय मंत्रालय से परामर्श करके तैयार किया गया था और प्रारूप विधेयक को मंत्रिमंडल द्वारा 20.02.2014 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया है। किंतु संसद में विधेयक के प्रस्तुत किए जाने के पूर्व ही आम चुनाव होने थे और नई सरकार बननी थी, अतः वर्तमान दिशा–निर्देशों के अनुसार, ईओसी के गठन का प्रस्ताव, मंत्रिमंडल द्वारा इस पर पुनर्विचार किए जाने के पूर्व इसे अंतरमंत्रालयी परामर्श के लिए पुनः परिचालित किया गया था। मंत्रालय को मसौदा मंत्रिमंडल नोट पर विभिन्न मंत्रालय/विभागों से भिन्न–भिन्न विचार प्राप्त हुए और विभिन्न हितधारिकों के साथ मंत्रालय में मामले की जांच की जा रही है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तथा वक्फ़ संशोधन अधिनियम, 2013 लागू हो गया है।

विकास की कमी का अंतराल पूरा करने के लिए कीमती वक्फ संस्थानों के विकास के लिए विशेष अधिदेश के साथ कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 31.12.2013 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय वक्फ़ विकास निगम (नावाडको) को निगमित किया गया है। नावाडको के पास 500 करोड़ रु. की प्राधिकृत शेयर पूंजी तथा 100 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी है।

अल्पसंख्यक बहुल अभिज्ञात 338 नगरों के विकास हेतु उपयुक्त कार्यनीति और कार्य योजना तैयार करने के लिए गठित अंतरमंत्रालयीन कार्य दल द्वारा 08 नवम्बर, 2007 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। संबंधित मंत्रालयों/विभागों को इन 338 नगरों में अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है। अंतरमंत्रालयीन कार्य दल ने निम्नलिखित व्यापक अनुशंसाएं कीं :

शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य अवसंरचना में पता लगाई गई कमियों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (पूर्व में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना है। मूलभूत सुविधाओं में पता लगाई गई कमियों को शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना है।

(क) अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाएं नामतः – पहली से दसवीं कक्षा के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना, 11वीं से पीएच.डी तक की शिक्षा के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना और पूर्व–स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट – सह – साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इसके अलावा, एमफिल तथा पीएच0डी शोधकर्ताओं हेतु मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमएएनएफ) योजना नामक अध्येतावृत्ति योजना कार्यान्वयनाधीन है।

(ख) सरकार ने मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की समग्र निधि में भी वृद्धि करने का जिम्मा लिया है ताकि यह शैक्षिक संस्थानों और गैर–सरकारी संगठनों को अवसंरचना विकास के लिए सहायता अनुदान और मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान कर सकें। एमएईएफ की मौजूदा समग्र निधि 1,136 करोड़ रु. है।

(ग) वर्ष 2006–07 में संशोधित कोचिंग एवं संबद्ध योजना की शुरूआत की गई थी ताकि अधिक से अधिक अल्पसंख्यक तकनीकी शिक्षा की प्रवेश परीक्षाओं के साथ–साथ सरकारी और अन्य नौकरियों में अर्हता प्राप्त कर सकें।

(घ) वर्ष 2008–09 में 90 अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) की शुरुआत की गई। सरकार ने 12वीं योजना के दौरान, बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु पुनर्गठन को अनुमोदित किया है। योजना की ईकाई को बदलकर जिलों के बजाए ब्लॉकों/नगरों/गांवों के समूह को बना दिया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 710 ब्लॉकों तथा 66 नगरों को कार्यान्वयन हेतु अभिज्ञात किया गया है। वर्ष 2017–18 के दौरान यह कार्यक्रम 12वीं योजना के पैटर्न पर ही कार्यान्वित किया जा रहा है।

23.4 सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय :

सामाजिक–धार्मिक समुदायों के लिए विभिन्न समाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधा मानदंडों से संबंधित आंकड़े संकलित करने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में एक राष्ट्रीय डाटा बैंक स्थापित किया गया है। जनसंख्या संबंधी 200 से ज्यादा तालिकाएं (जनगणना 2001 तथा जनगणना 2011) सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं (30.09.2017 तक)।

23.5 नीति आयोग (पूर्ववर्ती योजना आयोग) :

(क) उचित एवं सुधारात्मक नीतिगत निर्णय लेने के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों के विश्लेषण हेतु योजना आयोग में स्वायत्त आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण स्थापित किया गया था। चूंकि दिनांक 15 जनवरी, 2011 को आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण का कार्यकाल समाप्त हो गया, इसलिए योजना आयोग ने आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण का पुनर्गठन किया और नवपुनर्गठित आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण ने तीन कार्य समूहों का सृजन किया। तीनों कार्य समूहों ने 12.05.2014 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण ने, अन्य बातों के साथ–साथ, कार्यक्रमों की आवधिक मानीटरिंग और उनकी कार्यक्षमता की समीक्षा करने और नीतिगत उपायों के संबंध में सुझाव देने के लिए सिफारिश की है कि अपने सचिवालय के साथ आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण का नियमित संस्थान होना चाहिए। नीति आयोग (पूर्ववर्ती योजना आयोग) ने सलाह दी है कि आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में स्थापित किया जाए। **आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण के स्थान का मुद्दा विचाराधीन है।** इस बीच आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण की रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को परिचालित की दी गई।

(ख) कौशल विकास संबंधी प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद (पीएमएनसीएसडी), योजना आयोग के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वयन बोर्ड (एनएसडीसीबी) तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) को शामिल करते हुए केंद्रीय स्तर पर मई, 2013 तक कौशल विकास हेतु एक त्रि–स्तरीय संस्थागत संरचना कार्य कर रही थी। तथापि, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयानुसार पीएमएनसीएसडी, एनएसडीसीबी तथा कौशल विकास संबंधी प्रधानमंत्री के सलाहकार के कार्यालय को राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) में मिला लिया गया है। एनएसडीए वित्त मंत्रालय के अधीन एक स्वायत निकाय है तथा इसे अन्य बातों के अलावा, सरकार और निजी क्षेत्र के कौशल विकास संबंधी प्रयासों में ताल मेल बिठाने और उनका समन्वयन करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है ताकि 12वीं योजना तथा इसके पश्चात के कौशल संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके तथा सामाजिक, धार्मिक, लैंगिक एवं आर्थिक विभाजन

को दूर किया जा सके।

23.6 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग :

(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सरकारी कर्मचारियों की जानकारी हेतु एक प्रषिक्षण माड्यूल तैयार किए गए हैं। ये माड्यूल प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय/राज्य प्रषिक्षण संस्थानों को भेजे गये हैं।

(ख) कार्मिक और प्रषिक्षण विभाग ने राज्य सरकारों और संघ राज्य–क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के थानों में मुस्लिम पुलिस कार्मिकों तथा मुस्लिम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और षिक्षकों की तैनाती करें।

(ग) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के थानों में मुस्लिम पुलिस कार्मिकों तथा मुस्लिम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और षिक्षकों की तैनाती करने संबंधी आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करते हुए अनुदेश जारी किए हैं। प्रत्युत्तर में, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस संबंध में समुचित परिपत्र जारी किए गए हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सूचित किया है कि वर्ष 2015–16 के दौरान 2,851 (7.5%) (आंकड़े अनंतिम) अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों की भर्ती की है।

23.7 गृह मंत्रालय :

(क) परिसीमन अधिनियम की समीक्षा के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने सच्चर समिति की रिपोर्ट में परिसीमन योजनाओं के तहत आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में खामियों के संदर्भ में व्यक्त चिंताओं पर विचार किया है तथा अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उच्च स्तरीय समिति द्वारा सुझाव दिए गए अनुसार परिसीमन अधिनियम पर मंत्रियों के समूह द्वारा विचार किया गया था तथा इसे मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर, परिसीमन (संशोधन) अध्यादेश, 2008 प्रख्यापित किया गया, जिसे तदनंतर परिसीमन अधिनियम, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(ख) राष्ट्रीय परामर्शी परिषद(एनएसी) में एक कार्यकारी समूह ने ''साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा की रोकथाम (न्याय तक पहुंच एवं क्षतिपूर्ति) विधेयक, 2011" शीर्षक से एक विधेयक का मसौदा तैयार किया था। एनएसी ने विधेयक 25.07.2011 को गृह मंत्रालय को भेजा। उसकी जांच–पड़ताल की गई और बाद में ''साम्प्रदायिक हिंसा की रोकथाम (न्याय तक पहुंच एवं क्षतिपूर्ति) विधेयक, 2013" शीर्षक से एक नया विधेयक तैयार किया गया जिसे मंत्रिमंडल द्वारा 16.12.2013 को अनुमोदित किया गया। संसद के शीतकालीन सत्र में ''साम्प्रदायिक हिंसा की रोकथाम (न्याय तक पहुंच एवं क्षतिपूर्ति) विधेयक, 2014" नामक विधेयक को राज्य सभा में पुरःस्थापित करने के लिए दिनांक 20.01.2014 को राज्य सभा में नोटिस दिया गया। तथापि, दिनांक 05.02.2014 को राज्य सभा में विचार–विमर्श के उपरांत, इसके पुरःस्थापन को आस्थगित कर दिया गया। "साम्प्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण एवं पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005" शीर्षक से एक विधेयक, जो राज्य सभा में लंबित था, 05.02.2014 को वापस ले लिया गया।

23.8 शहरी विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय :

(i) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत शहरी अवसंरचना एवं गवर्नेंस (यूआईजी), लघु एवं मध्यम नगरों में शहरी अवसंरचना विकास की योजना (यूआईडीएसएसएमटी), समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) तथा शहरी गरीबों के लिए आधारभूत सेवायें (बीएसयूपी) के लिए निधियों के प्रवाह को कारगर बनाने हेतु अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों और शहरों में धनराशि के प्रवाह के आवश्यक उपाय किए गए हैं, ताकि ऐसे नगरों और शहरों

से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त प्रावधान शामिल हों। तब से यह योजनाएं बंद कर दी गई हैं।

(ii) आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी और केरल राज्य सरकारों को वक्फ बोर्ड परिसंपत्तियों पर किराया नियंत्रण अधिनियम से छूट दी गई है, जबकि असम, गुजरात, हरियाणा, मेघालय तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने बताया है कि मामला विचाराधीन है। अरूणाचल प्रदेश, दमन दीव, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड राज्यों ने सूचित किया है कि उनके राज्य में वक्फ संपत्ति नहीं है। ओडिशा, मणिपुर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ने स्पष्ट किया गया है कि कोई किराया नियंत्रण अधिनियम नहीं है।

23.9 श्रम और रोजगार मंत्रालय :

असंगठित क्षेत्र में, जिसमें अन्य के साथ–साथ गृह आधारित कामगार शामिल हैं, को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया है।

23.10 संस्कृति मंत्रालय :

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आने वाली वक्फ संपत्तियों की सूची की समीक्षा के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के परिमंडलों की राज्य वक्फ बोर्डों के साथ बैठकें आयोजित की गयी हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा वक्फ़ संपत्तियां, जो केंद्र द्वारा संरक्षित हैं, की सूची तैयार की गई है और इसे संबंधित प्राधिकारियों को अपने–अपने राज्य वक्फ़ बोर्डों के साथ बैठकें आयोजित करने के निर्देश देते हुए परिचालित किया गया है। संस्कृति मंत्रालय एएसआई के अंतर्गत, वक्फ़ों की सूची की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय वक्फ़ परिषद के साथ नियमित बैठक कर रहा है।

23.11 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय :

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़ी योजनाओं से संबंधित सूचनाओं का प्रचार–प्रसार क्षेत्रीय भाषाओं में किया जा रहा है।

23.12 पंचायती राज मंत्रालय एवं शहरी विकास मंत्रालय :

शहरी विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि निम्ननिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए हैं: आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव, हरियाणा, तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन ने सूचित किया है कि द्वीप समूह में किसी भी समुदाय को धार्मिक अथवा भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में घोषित नहीं किया गया है। तथापि, मौजूदा परिषद में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंध रखने वाले सदस्य शामिल हैं, जिन्हें निगम चुनाव की सामान्य प्रक्रिया के तहत चुना गया है। अरूणाचल प्रदेश ने कहा कि पूरे राज्य में विभिन्न जनजातीय समूहों का वास है, जिनकी अलग पहचान एवं संस्कृति है। वे अनुसूचित जनजाति की विशेष सुविधाओं और सामाजिक अधिकारों का लाभ उठाते हैं। अतः इसने अभी तक शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) गठित नहीं किए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार मामले पर विचार कर रही है। गोवा में यूएलबी में अल्पसंख्यकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। हिमाचल प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं है।

पंचायती राज मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को आंघ्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई पहल के आधार पर स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की स्थिति में सुधार लाने के लिए अपेक्षित एडवाइजरी जारी की है। दस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए संगत अधिनियम में उपयुक्त प्रावधान मौजूद हैं अथवा ग्रामीण स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों का समुचित प्रतिनिधित्व है। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप, गोवा, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्य/संघ राज्य क्षेत्र IX राज्य का हिस्सा नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और

दमन एवं दीव ने सूचित किया है कि अल्पसंख्यकों के अलग प्रतिनिधित्व के लिए या तो कोई प्रावधान मौजूद नहीं है अथवा ऐसा प्रावधान करना संभव नहीं है।

23.13 सूचना और प्रसारण मंत्रालय :

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विज्ञापन, फिल्म चित्र जारी किए जाते रहे हैं, जिनमें छात्रवृत्ति योजनाओं तथा सच्चर समिति रिपोर्ट के अनुसरण में की गई पहलों से संबंधित जानकारी शामिल की गई है।

अध्याय–24

हज प्रबंधन

24.1 हज समिति अधिनियम, 2002 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के संचालन सहित हज यात्रा के प्रबंधन से संबंधित कार्य 01 अक्तूबर, 2016 से विदेश मंत्रालय से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया है। तद्नुसार, हज संबंधी मामलों की देख–रेख में मंत्रालय में संयुक्त सचिव (हज) की अध्यक्षता में एक पृथक प्रभाग स्थापित किया गया है। हज प्रभाग में कार्मिकों की क्षमता को पूरित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर 24 पद भी अनुमोदित किए गए हैं।

24.2 मंत्रालय विदेश मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारतीय हज समिति (एचसीओआई) तथा भारत के प्रधान कौंसलावास (सीजीआई), जेद्दा, सऊदी अरब राष्ट्र के साथ तालमेल स्थापित करके हज संबंधी कार्यों का प्रबंध करता है। यह मंत्रालय भारतीय हज समिति, जो हज समिति अधिनियम, 2002 के अधीन स्थापित एक सांविधिक निकाय है, से संबंधित मामलों की देख–रेख भी करता है, सीजीआई जेद्दा के हज संबंधी प्रस्तावों को आवश्यक अनुमोदन प्रदान करता है, सीजीआई, जेद्दा में अल्पकालिक प्रतिनियुक्ति पर प्रशासनिक एवं चिकित्सा / परा चिकित्सा अधिकारियों का चयन, निजी टूर ऑप्रेटरों (पीटीओ) का पंजीकरण तथा पीटीओ को हज कोटे के आबंटन आदि से संबंधित कार्य भी देखता है।

24.3 हज भारत सरकार द्वारा भारत की सीमाओं के बाहर संचालित किया जाने वाला सबसे बड़ा विदेशी क्रियाकलाप है। यद्यपि, यह केवल पांच दिवसीय धार्मिक समागम होता है, वास्तव में यह एक वर्ष का लम्बा प्रबंधकीय अभ्यास है। भारतीय हज यात्री हज करने वाले तीसरे विशालतम राष्ट्रीय समूह हैं। हज 2017 में, कुल 1,69,940 तीर्थ यात्रियों ने हज यात्रा की।

<u>तथ्य और आंकड़ें : हज 2017</u>

भारत के तीर्थयात्रियों की संख्या	भारतीय हज समिति के तीर्थयात्रियों की कुल संख्या	124940
	प्राइवेट टूर ऑपरेटरों के तीर्थयात्रियों की कुल संख्या	45000
	पीटीओ की संख्या	569
हज प्रबंधन हेतु सीजीआई जेद्दा में प्रतिनियुक्ति पर स्टाफ	समन्वयक	3
	सहायक हज अधिकारी	59
	हज सहायक	191
	डॉक्टर	170
	पारामेडिक्स	174
	कुल	597
भारत से उड़ान संचालन	आगमन स्थान	452
	प्रस्थान स्थान	452
भारत में आरोहण स्थल,	सीधे – 21	कुल – 21
मक्का, सऊदी अरब में किराये पर लिए गए भवनों की संख्या	हरे क्षेत्र में भवन	56 (13500 यूनिट)
	अजीजिया में भवन	356 (108956 यूनिट)

भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए सऊदी अरब में अस्थायी शाखाएं और डिस्पेंसरियां स्थापित की गई	मक्का शाखाएं – 13 डिस्पेंसरी – 13 अस्पताल – 40 बेड – 30 बेड – 10 बेड	मदीना शाखाएं – 3 डिस्पेंसरी – 3 अस्पताल – 10 बेड मुख्य डिसपेंसरी
भारतीय चिकित्सा मिशन, सीजीआई, जेद्दा द्वारा संचालित ओपीडी एवं मोबाईल चिकित्सा दल विजिट मामले	557656	

नई दिल्ली में दिनांक 11 मई, 2017 को आयोजित वार्षिक हज सम्मेलन

24.4 भारत सरकार हज यात्रा को उच्च प्राथमिकता देती है। सरकार का यह सतत प्रयास रहा है कि हज यात्रा से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जाए तथा हज यात्रियों के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए। हज यात्रियों को बेहतर सुविधायें एवं सेवायें उपलब्ध कराने के लिए, कई पहलें की गई हैं। इनमें भारतीय हज समिति को हज आवेदन का फार्म ऑनलाईन प्रस्तुत करने, तथा हज यात्रियों को ई–भुगतान विकल्प उपलब्ध कराने; मक्का और मदीना के भवनों में हज यात्रियों हेतु सुविधाओं में सुधार; अजीजिया में ठहराएं गए हाजियों के लिए परिवहन व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने; हज यात्रियों हेतु चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ बनाने; उड़ानों के समय पर पहुंचने एवं रवानगी के कारगर प्रबंधन को सुनिश्चित करते हुए हाजियों के लिए हवाई यात्रा के प्रबंधों को सुप्रवाही बनाना; तीव्र एवं कारगर ऑनलाइन शिकायत प्रबंध प्रणाली; भारतीय हज यात्रियों के लिए सूचना वाले मोबाईल फोन एप्लीकेशन ''इंडियन हाज़ीज इंफोर्मेशन सिस्टम'' का प्रयोग; 24 X 7 हेल्पलाइन, समय पर सूचना उपलब्ध

हज 2017 के लिए प्रतिनियुक्त व्यक्तियों हेतु नई दिल्ली में आयोजित अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

कराने हेतु टॉल फ्री नंबर तथा वॉटस ऐप तथा एसएमएस का उपयोग; वैकल्पिक आधार पर इस्लामिक डेवलेपमेंट बैंक के माध्यम से अज़ही कूपन; भारतीय हज समिति के माध्यम से जा रहे हज यात्रियों के लिए मशाइर क्षेत्र में मेट्रो ट्रेन द्वारा यात्रा की व्यवस्था शामिल हैं।

24.5 मंत्रालय द्वारा हज 2018 की तैयारियां पहले से ही आरंभ कर दी गई है। हज समीक्षा बैठक का आयोजन दिनांक 02.11.2017 को किया गया था जिसमें हज 2017 के लिए प्रबंधों की समीक्षा की गई थी और अगले हज 2018 के लिए योजना अनुमोदित की गई थी। हज 2018–22 के लिए भारतीय हज समिति तीर्थयात्रियों के लिए नई हज नीति अनुमोदित की गई है जिसके आधार पर भारतीय हज समिति ने हज 2018 के लिए दिशा–निर्देश जारी किए और 15.11.2017 से आवेदन आमंत्रित किए। हज 2018 के लिए प्राइवेट टूर ऑपरेटरों के लिए नीति की घोषणा 09.12.2017 को की गई है। हज पीटीओ के लिए दिनांक 14.12.2017 को एक वेब पोर्टल आरंभ किया गया है जो हज 2018 के लिए पंजीकरण एवं कोटा आबंटन हेतु पीटीओ द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना सुलभ बनाएगा।

24.6 माननीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मुख्तार अब्बास नक़वी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने वर्ष 1438एच (2018) हेतु भारतीय हज यात्रियों के लिए व्यवस्थाओं एवं अपेक्षाओं पर चर्चा करने के लिए सऊदी अरब के हज एवं उमरा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ 07 जनवरी, 2018 को आयोजित द्विपक्षीय बैठक के लिए सऊदी अरब का दौरा किया। बैठक के दौरान भारत एवं सऊदी अरब के बीच हज 2018 का वार्षिक द्विपक्षीय हज करार हस्ताक्षरित किया गया। करार के अनुसार, सऊदी अरब सरकार ने पिछले वर्ष की भांति 1,70,025 तीर्थयात्रियों का कोटा आबंटित किया है और हज 2018 के लिए 5000 तीर्थयात्रियों अतिरिक्त कोटा भी आबंटित किया है।

माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री को मुम्बई में हज नीति समीक्षा समिति द्वारा रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण

24.7 मंत्रालय द्वारा की गई पहलें :

- मंत्रालय ने हज नीति 2013–17 की समीक्षा और हज नीति 2018–22 के लिए संरचना का सुझाव देने के लिए 31.01.2017 को एक समिति का गठन किया था। समिति ने दिनांक 07.10.2017 को अपनी रिपोर्ट

प्रस्तुत की। हज नीति समीक्षा समिति (एचपीआरसी) की सिफारिशों और विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों के आधार पर हज 2018–22 के लिए भारतीय हज समिति तीर्थयात्रियों के लिए एक नई हज नीति को अंतिम रूप दिया गया है।

- **महिला तीर्थयात्री :** ''मेहरम'' (पुरूष साथी) के बगैर मुस्लिम महिलाओं द्वारा हज पर जाने पर प्रतिबंध हटाने के सरकार के निर्णय को उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

- देश भर (11 राज्य/संघ शासित क्षेत्रों) से कुल 1304 महिलाओं ने मेहरम के बगैर हज यात्रा के लिए आवेदन दिया है। यह निर्णय लिया गया है कि हज 2018 के लिए कुर्रा के बगैर इन तीर्थयात्रियों का चयन किया जाए।

- **वृद्ध तीर्थयात्री :** यह निर्णय लिया गया है कि हज 2018 के लिए एकल कवर में दो 70 तीथयात्रियों के साथ दो साथी की अनुमति दी जाए।

- **दिव्यांग तीर्थयात्री :** मंत्रालय ने भारतीय हज समिति को परामर्श दिया है कि दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में और अन्य अक्षमताओं वाले व्यक्तियों जिन्हें विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार हज तीर्थयात्रा करने से रोका गया है, के संबंध में प्रावधान की विशेषज्ञों के साथ परामर्श द्वारा समीक्षा की जाए और हज नीति/दिशा–निर्देशों में आवश्वय सुधार/संशोधन करने की सिफारिश करें।

- **आरोहण स्थलों का चयन करने के लिए विकल्प :** पहली बार हज तीर्थयात्रियों को अन्य आरोहण स्थल के लिए विकल्प दिया गया है इससे यह सुनिश्चित होगा कि हज सब्सिडी हटाने के उपरांत भी हज तीर्थयात्रियों पर कोई वित्तीय भार न हो।

- प्राइवेट टूर ऑपरेटरों के लिए नीति के संबंध में एचपीआरसी की सिफारिशें इस मंत्रालय के विचाराधीन है। हज 2018 के लिए पीटीओ हेतु सुचारू और समय पर हज प्रबंध पूरा करने के हित में, यह निर्णय लिया गया है कि हज 2018 के लिए पीटीओ से अनुमोदित पीटीओ नीति 2013–17 के अनुसार आवेदन आमंत्रिण किए जाए। इस दौरान पीटीओ नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा और वर्ष 2019 से अगले पांच वर्षों के लिए कार्यान्वित किया जाएगा।

जेद्दा, सऊदी अरब में भारत और सऊदी अरब राष्ट्र के बीच हज 2018 हेतु वार्षिक द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर के दौरान

अध्याय–25

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

25.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1)(ख) के उपबंधों के अनुसार, इस मंत्रालय ने सभी संगत सूचना अर्थात् मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य और कर्त्तव्य, मंत्रालय में उपलब्ध अभिलेख और दस्तावेज आदि को आम जनता की सूचना और मार्गदर्शन के लिए मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर अपलोड किया है। इसमें, मंत्रालय और इसके विभिन्न संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में भी सूचना उपलब्ध करायी गई है।

25.2 बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रत्येक योजना/कार्यक्रम के तहत प्राप्त उपलब्धियों के आंकड़े तथा इन योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को मंत्रालय की वेबसाइट पर नियमित रूप से प्रदर्शित कर दिया जाता है और अद्यतित किया जाता है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत, राज्य सरकारें छात्रवृत्ति प्रदत्त छात्रों के नामों की सूचियां अपनी वेबसाइट पर अपलोड करती हैं जिसके लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर हाइपर लिंक उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त, बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह अपेक्षित होता है कि पूर्ण हुए और चल रहे कार्यों के फोटोग्राफ प्रस्तुत करें, जिन्हें मंत्रालय की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाता है। मंत्रालय की अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित लाभार्थियों की शंकाओं के समाधान और सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन भी है।

25.3 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इस अधिनियम के अंतर्गत चौदह केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों और आठ प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को पदनामित किया है। वर्ष 2017–18 में (15 फरवरी, 2018 तक) सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 717 आरटीआई आवेदन और 80 अपीलें ऑनलाइन प्राप्त हुईं थीं।

अध्याय–26

सरकारी लेखा–परीक्षा

वर्ष 2016–17 के लिए भारत के महानियत्रक और लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट में नीचे दिए गए अनुसार दो लेखा परीक्षा शामिल किए गए है।

क्र.सं	पैरा सं.	पैरा का शीर्शक	स्थिति
1	2.4.4.4(ख) (अनुलग्नक 2.6 क्र.सं. 8)	सरकारी सेवकों को ऋण और अग्रिम	पीएओ/डीडीओ से प्रतिक्षित टिप्पणियां
2	3.16 (अनुलग्नक 3.13 क्र.सं. 73–74)	उप–शीर्ष के अंतर्गत 100 करोड़ रु. या अधिक की बचत	दिनांक 18.01.2018 को डीजीएसीई, नई दिल्ली को प्रारूप की गई कार्रवाई नोट पुनरीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है।

अध्याय–27

स्वच्छ भारत मिशन

27.1 भारत को 2 अक्तूबर, 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच से मुक्त बनाने के उद्देश्य से, माननीय प्रधानमंत्री ने इच्छा व्यक्त की है कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को कैलेंडर वर्ष में स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित करना चाहिए। मंत्रालय में दिनांक 16 नवम्बर, 2017 से 30 नवम्बर, 2017 अवधि के दौरान स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया गया। पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित क्रियाकलाप किए गएः–

- मंत्रालय के कर्मचारियों/अधिकारियों की उपस्थिति में 16 नवम्बर, 2017 को पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ परिसर में स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया गया। कर्मचारियों को विभिन्न दलों में विभाजित किया गया जिन्होंने कार्यालय ब्लॉक के इर्द–गिर्द के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई का कार्य किया। श्री एस.के. देव वर्मन, अपर सचिव ने कर्मचारियों/अधिकारियों को संबोधित किया और उन्हें पखवाड़े के उपरांत भी स्वच्छता अभियान जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

- मंत्रालय द्वारा 17 नवम्बर, 2017 को मंथन, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ परिसर में कार्यक्रम के प्रति जागरूगता पैदा करने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा पर आधे दिन की कार्यशाला का आयोजन किया गया। मंत्रालय और मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से कर्मचारियों/अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया। निजामुद्दीन दरगाह से विशेष आमंत्रितों ने भी इसमें भाग लिया जिसका उद्घाटन श्री एस.के. देव वर्मन अपर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। व्याख्यानकर्त्ताओं ने रोजमर्रा के जीवन में स्वच्छता के महत्व और इसके सामान्य सकारात्मक प्रभावों पर रोशनी डाली।

- मंत्रालय के अधिकारियों की पांच टीमों जिसका नेतृत्व श्री एस.के. देव वर्मन, अपर सचिव (अल्पसंख्यक कार्य), श्री के.सी. सामरिया, संयुक्त सचिव, श्रीमती नीवा सिंह, संयुक्त सचिव, श्री जे.ए. आलम, संयुक्त सचिव एवं श्री पी.के. ठाकुर, निदेशक ने किया, ने क्रमशः 20 नवम्बर, 2017 को निजामुद्दीन दरगाह, 21 नवम्बर, 2017 को बंग्लासाहेब गुरूद्वारा, 22 नवम्बर, 2017 को कालकाजी मंदिर, 23 नवम्बर, 2017 को पारसी अग्नि मंदिर एवं 24 नवम्बर, 2017 को इस्कॉन मंदिर का दौरा किया और प्रबंधन एवं एमसीडी स्टाफ के साथ अलग–अलग परिसरों में और उनके इर्द–गिर्द सफाई का कार्य किया।

- बाद में, मंत्रालय की टीमों ने संगठन/संस्थानों के प्रबंधन अधिकारियों के साथ बातचीत की जिन्होंने इस पहल की सराहना की और अनुरोध किया कि ऐसे और अभियान चलाए जाएं। मंत्रालय ने प्रत्येक संगठन को 4 ट्रैसबीन भी दिए।

- स्वच्छता पखवाड़ा पर 27 नवम्बर, 2017 को ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 06 प्रतिभागियों ने भाग लिया। स्वच्छता पखवाड़ा पर 28 नवम्बर, 2017 को निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निबंध प्रतियोगिता में कुल 15 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी अधीनस्थ/संबद्ध संगठनों, सांविधिक निकायों, पीएसयू इत्यादि ने भी स्वच्छता पखवाड़ा में भाग लिया।

- यह मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने और निर्धारित तारीख भीतर इसे जमीनी स्तर पर पूरी तरह उतारने और इस क्षेत्र में प्रभाव पैदा करने के लिए इस पहल को जारी रखने के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध है।

मंत्रालय द्वारा आयोजित ''स्वच्छ भारत'' अभियान

27.2 21 जून, 2017 को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की स्मृति में मंत्रालय द्वारा योगा सत्र का आयोजन किया गया जिसमें मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया।

मंत्रालय द्वारा आयोजित ''स्वच्छ भारत'' अभियान

27.3 स्वच्छता कार्रवाई योजना के भाग के रूप में 04 अगस्त, 2017 को स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। सबसे अच्छे तीन स्लोगन नोटिस बोर्ड और मंत्रालय की वेबसाइट पर दर्शाये गए। स्लोगन लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी दिए गए थे।

''एम ए ई एफ में स्वच्छता पखवाड़ा के उद्घाटन पर श्रमदान करते हुए केन्द्रीय मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी''

अध्याय–28

ई–आफिस का कार्यान्वयन

28.1 ई–आफिस का कार्यान्वयन 'डिजिटल इंडिया प्रोग्राम' के अंतर्गत मिशन मोड परियोजना है। डीएआरपीजी सभी मंत्रालयों के ई–आफिस के कार्यान्वयन के प्रगति को लगातार मॉनीटर कर रहा है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने भी इस मंत्रालय को अपनाने पर विचार किया हैं।

28.2 इस मंत्रालय में ई–आफिस का शुभारंभ 12 दिसम्बर, 2016 को किया गया था। अब मंत्रालय के सभी प्रभाग ई–आफिस में कार्य कर रहे है। नोटिस भी ई–आफिस के माध्यम से लगाए जाते है। सभी फाइलों की स्कैनिंग पहले ही 2017 में पूरी की जा चुकी है जो ई–आफिस को सरलता से लागू करने के लिए आवश्यक था। सभी स्कैन्ड फाइलें ई–आफिस के आई–क्लाउड पर अपलोड की गई थी। अधिकतर फाइलें संबंधित प्रभागों द्वारा माइग्रेड की गई है। प्रभाग–वार विवरण संलग्न है।

ई–आफिस के अंतर्गत प्रत्येक प्रभाग के कार्यनिष्पादन का विवरण

प्रभाग	पंजीकृत फाइलें	अपलोड की गई फाइलें	माइग्रेट की गई फाइलें	लंबित फाइलें
बजट	3	13	0	13
स्थापना	288	280	242	38
प्रशासन	259	153	137	16
हज प्रभाग	0	41	0	
पीपी–2	45	95	40	55
वक्फ	184	210	182	28
हैल्पलाइन	2	2	2	0
नई रोशनी	810	841	841	0
सतर्कता	17	13	13	0
आईएम प्रभाग	69	206	176	30
एमएसडीपी	566	573	533	40
निःशुल्क कोचिंग	160	415	328	87
उस्ताद	0	38	38	0
छात्रवृत्ति	22	196	100	96
वित्त	9	1	1	0
हिन्दी	14	46	3	43
एनएमडीएफसी	23	84	5	79
संसद	9	6	0	6
समन्वय	5	30	24	6
मीडिया	85	81	81	0
हमारी धरोहर	2	26	26	0
सीखो और कमाओ	0	157	84	73
रिसर्च	12	25	25	0
नई मंजिल	0	134	134	0
डीडीओ	1	0	0	0
ई–आफिस	3	3	3	0
एंग्लो इंडियन	0	5	5	0
कैश	0	13	0	13
कुल	**2588**	**3687**	**3023**	**664**

अध्याय–29

नागरिक/ग्राहक का चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र

29.1 मंत्रालय के वर्ष 2013–14 के नागरिक/ग्राहक चार्टर जो सेवोत्तम अनुपालक हैं तथा एक अनिवार्य अपेक्षा है, तैयार किया गया था और मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट पर दिनांक 29 मई, 2014 को अपलोड कर दिया गया था।

29.2 मंत्रिमंडल सचिवालय के निष्पादन प्रबंधन प्रभाग के शिकायत निपटान तंत्र हेतु सीपीग्राम्स लिंक को दर्शाने वाला स्क्रीन शॉट मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

अनुलग्नक–I

23.01.2018 के अनुसार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का पदधारिता विवरण

क्र.सं.	पद/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन/ग्रुप	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	सचिव / 80,000 / – रु. निर्धारित / ग्रुप 'ए'	01	01	00
2.	अपर सचिव / एचएजी / ग्रुप 'ए'	01	01	00
3.	संयुक्त सचिव / जी.पी. 10,000 / – रु. / ग्रुप 'ए'	03	03	00
4.	उप महानिदेशक / जी.पी. 10,000 / – रु. / ग्रुप 'ए'	01	00	00
5.	निदेशक / उप सचिव / जी.पी. 8700 / 7600 / ग्रुप 'ए'	11	04	07
6.	संयुक्त निदेशक (राजभाषा) / जी.पी. 7600 / –	01	00	01
7.	अवर सचिव / ग्रे.वे. 6600 / – ग्रुप 'ए'	15	15	00
	उप निदेशक / जी.पी. 6600 / – ग्रुप 'ए'	01	01	00
8.	सहायक निदेशक / ग्रे.वे. 5400 / ग्रुप 'ए'	03	01	02
9.	अनुसंधान अधिकारी / ग्रे.वे. 5400 / ग्रुप 'ए'	01	01	00
10.	सहायक निदेशक (राजभाषा) / ग्रे.वे. 5400 / ग्रुप 'ए'	01	01	00
11.	अनुभाग अधिकारी / ग्रे.वे. 4,800 / ग्रुप 'बी'	10	05	05
12.	पीएसओ / वरिष्ठ पीपीएस / जी.पी. 8700 / 7600 / ग्रुप 'ए'	01	01	00
13.	प्रधान निजी सचिव ग्रे.वे. 6600 / –	04	03	01
14.	सहायक अनुभाग अधिकारी / ग्रे.वे. 4600 / ग्रुप 'बी' (अ.रा.)	14	13	01
15.	वरिष्ठ अनुसंधान अन्वेषक / ग्रे.वे. 4200 / ग्रुप 'बी' (अ.रा.)	04	02	02
16.	वरिष्ठ अन्वेषक / ग्रे.वे. 4200 / ग्रुप 'बी' (अ.रा.)	04	00	04
17.	लेखाकार / ग्रे.वे. 4200 / ग्रुप 'बी' (अ.रा.)	01	00	01
18.	निजी सचिव / ग्रे.वे. 4800 / ग्रुप 'बी'	05	04	01
19.	आशुलिपिक ग्रेड 'सी' / पीए ग्रे.वे. 4600 / ग्रुप 'बी' (अ.रा.)	10	07	03
20.	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक / ग्रे.वे. 4600 / ग्रुप 'बी' (अ.रा.)	01	01	00
21.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक / ग्रे.वे. 4200 / ग्रुप 'बी' (अ.रा.)	03	01	02
22.	आशुलिपिक ग्रेड 'डी' / ग्रे.वे. 2400 / ग्रुप 'सी'	05	03	02
23.	उच्च श्रेणी लिपिक / ग्रे.वे. 2400 / ग्रुप 'सी'	01	00	01
24.	स्टाफ कार चालक / ग्रे.वे. 1900 / ग्रुप 'सी'	02	02	00
25.	एमटीएस ग्रेड / ग्रे.वे. 1800 / ग्रुप 'डी'	14	08	06
26.	सहायक निदेशक (उर्दू) / ग्रे.वे. 5400 ग्रुप 'बी'	01	00	01
27.	वरिष्ठ अनुवादक (उर्दू) / ग्रे.वे. 4600 / ग्रुप 'बी' (अ.रा.)	01	01	00
28.	टाइपिस्ट (उर्दू) / ग्रे.वे. 1900 / – / ग्रुप 'सी'	01	00	01
	योग	**121**	**79**	**42**

संगठनात्मक चार्ट

अनुलग्नक–II

(7 फरवरी, 2018 के अनुसार)

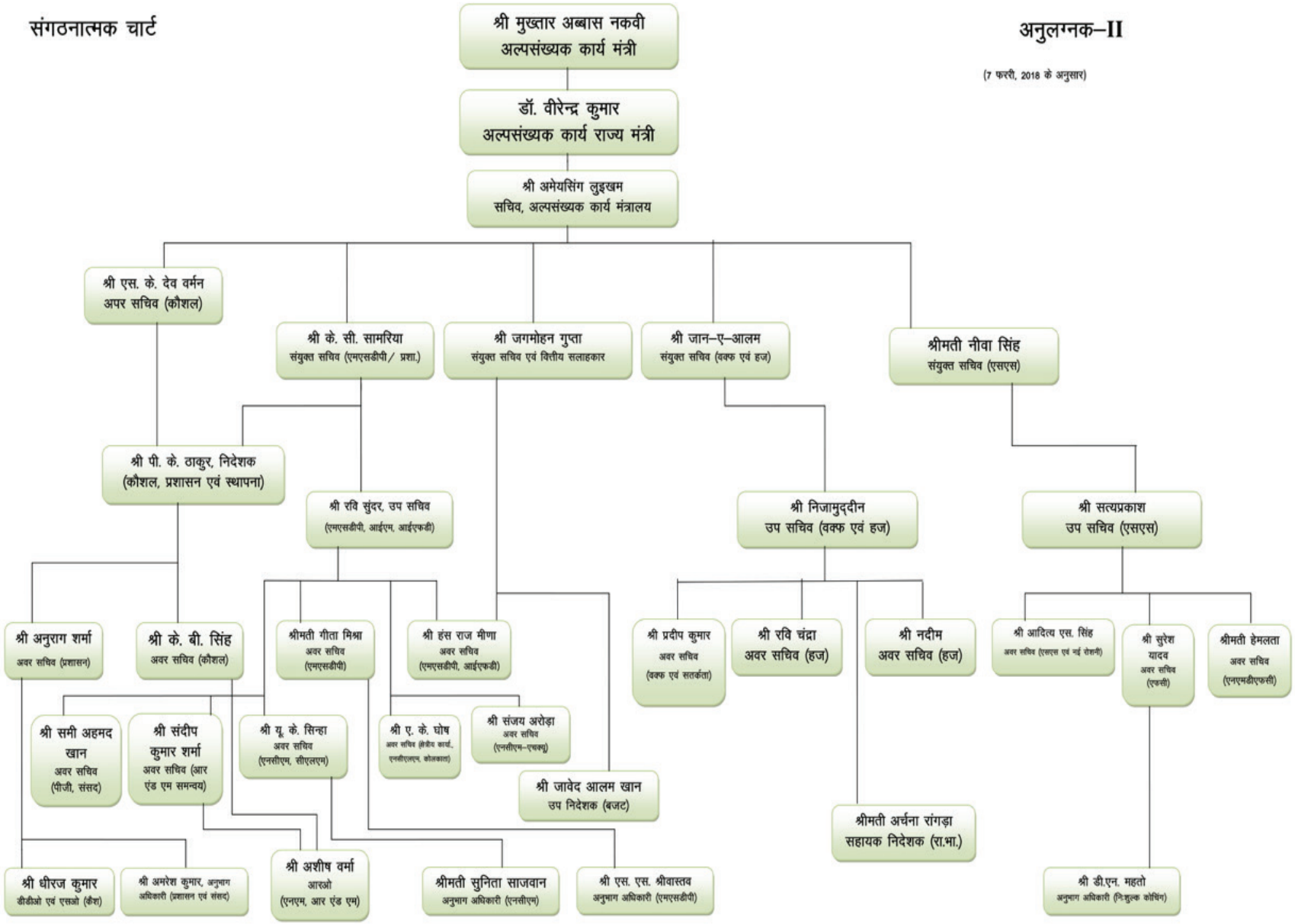

अनुलग्नक–III

वर्ष 2017–18 (31.12.2017 तक) और 2018–19 के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय के योजना/कार्यक्रम–वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान 2017–18	संशोधित अनुमान 2017–18	31.12.2017 तक वास्तविक व्यय	बजट अनुमान 2018–19
1	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के लिए सहायता–अनुदान	113.00	113.01	113.00	125.01
2	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	48.00	48.00	32.22	74.00
3	एनएमडीएफसी की इक्विटी में अंशदान	170.00	170.00	170.00	165.02
4	अल्पसंख्यकों के लिए प्रचार सहित अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और विकास योजनाओं का मूल्यांकन	50.00	50.01	19.34	55.00
5	एनएमडीएफसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता–अनुदान	2.00	2.00	0.00	2.00
6	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना	15.00	17.00	1.65	15.00
7	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	100.00	150.00	99.87	153.00
8	वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण और अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण और वक्फों को सहायता–अनुदान	16.18	15.86	10.52	20.10
9	विदेशों में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋणों पर ब्याज में आर्थिक सहायता	8.00	17.00	6.52	24.00
10	लघु अल्पसंख्यक समुदाय की घटती आबादी को रोकने की योजना	2.00	3.00	1.42	4.00
11	कौशल विकास संबंधी पहलें	250.00	200.00	23.68	250.00

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान 2017–18	संशोधित अनुमान 2017–18	31.12.2017 तक वास्तविक व्यय	बजट अनुमान 2018–19
12	यूपीएससी, एसएससी, राज्य पीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता	4.00	6.00	3.12	8.00
13	स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति	393.54	393.54	215.71	522.00
14	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	950.00	1001.15	766.89	980.00
15	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	550.00	561.29	318.15	692.00
16	चयनित अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	1200.00	1200.00	821.34	1320.00
17	विकास हेतु कौशलों का उन्नयन तथा पारम्परिक कलाओं/शिल्पों का प्रशिक्षण (उस्ताद)	22.00	29.00	14.89	30.00
18	हमारी धरोहर	12.00	12.00	0.59	6.00
19	नई मंजिल	175.95	95.39	0.41	140.00
20	सचिवालय	17.66	18.38	13.56	19.14
21	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	8.41	8.51	5.41	8.62
22	आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक	2.74	2.74	1.50	2.32
23	हज पर व्यय	85.00	81.60	49.13	84.79
	कुल योग	**4195.48**	**4195.48**	**2688.92**	**4700.00**

अनुलग्नक–IV

11वीं पंचवर्षीय योजना

अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टो की वित्तीय प्रगति

क्र. सं.	राज्य	अनुमोदित परियोजनाएं	जारी की गई निधि	राज्य द्वारा सूचित उपयोगिता	जारी निधियों के संबंध में खर्च का प्रतिशत
			रु. लाख में		
1	उत्तर प्रदेश	100300.85	79012.30	68715.71	86.97
2	पश्चिम बंगाल	68579.68	61139.52	61000.00	99.77
3	असम	69275.35	46892.62	42483.40	90.60
4	बिहार	52280.58	40563.07	29035.08	71.58
5	मणिपुर	13912.58	12043.01	10665.83	88.56
6	हरियाणा	4919.90	4187.89	4014.55	95.86
7	झारखंड	17997.54	13944.70	11342.24	81.34
8	उत्तराखंड	5227.77	3235.84	3151.94	97.41
9	महाराष्ट्र	5993.93	5671.69	5549.26	97.84
10	कर्नाटक	3914.40	3793.15	3793.15	100.00
11	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	1242.85	68.25	68.25	100.00
12	ओडिशा	3129.92	2562.21	2558.48	99.85
13	मेघालय	3047.65	3047.65	3039.64	99.74
14	केरल	1500.00	1462.92	1252.55	85.62
15	मिजोरम	3895.33	2724.93	2716.68	99.70
16	जम्मू एवं कश्मीर	1506.21	1349.61	1343.79	99.57
17	दिल्ली	2191.15	1099.73	980.30	89.14
18	मध्य प्रदेश	1493.30	1398.30	1266.30	90.56
19	सिक्किम	1268.59	1100.02	919.53	83.59
20	अरूणाचल प्रदेश	11711.70	8232.15	8232.15	100.00
	योग	**373389.28**	**293529.56**	**262128.83**	**89.30**

11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों/नगरों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)

वास्तविक प्रगति रिपोर्ट

क्र. सं.	राज्य		शिक्षा						कौशल विकास		स्वास्थ्य	आंगनवा. ड़ी केंद्र	पेयजल	पक्का आवास
			स्कूल भवन	अतिरिक्त कक्षा-कक्ष	छात्रा. वास	प्रयोग शाला उप करण	स्कूल में पेयजल एवं शौचालय	शिक्षण सहायता	आई. टीआई भवन	पॉलीटे. क्नीक	कुल स्वास्थ्य	आंगन वाड़ी केंद्र	हैंडपम्प/ पेयजल सुविधा	इंदिरा आवास योजना
1	उत्तर प्रदेश	यू.एस.	61	667	13	2	1578	0	32	19	870	9336	12510	84480
		यू.सी.	38	653	10	0	826	0	23	4	687	8650	11536	75138
		डब्ल्यूआईपी	9	14	3	0	0	0	9	14	17	311	119	1264
2	पश्चिम बंगाल	यू.एस.	41	6965	39	60	66	40	6	3	743	7007	6529	37532
		यू.सी.	34	6940	38	60	66	40	6	3	742	7007	6529	37526
		डब्ल्यूआईपी	7	25	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4
3	असम	यू.एस.	0	3557	38	50	294	16	15	1	133	2077	11192	89836
		यू.सी.	0	1921	11	0	144	0	5	1	101	1315	8805	56282
		डब्ल्यूआईपी	0	425	25	0	4	0	10	0	5	235	271	2516
4	बिहार	यू.एस.	92	2056	41	53	1360	0	3	2	249	4835	2533	35657
		यू.सी.	56	1195	25	53	404	0	1	1	157	1471	2034	21805
		डब्ल्यूआईपी	32	543	12	0	75	0	0	0	61	688	201	7897
5	मणिपुर	यू.एस.	375	0	35	0	0	0	1	0	152	75	679	5940
		यू.सी.	199	0	1	0	0	0	0	0	70	60	422	5940
		डब्ल्यूआईपी	176	0	11	0	0	0	1	0	82	15	224	0

6	हरियाणा	यू.एस.	8	183	0	0	0	0	1	0	6	142	0	2000
		यू.सी.	6	155	0	0	0	0	1	0	2	90	0	2000
		डब्ल्यूआईपी	8	0	0	1	0	0	0	0	4	0	19	0
7	झारखंड	यू.एस.	0	28	8	0	0	1	8	2	237	1335	0	9215
		यू.सी.	0	3	0	0	0	1	1	0	173	1008	0	8764
		डब्ल्यूआईपी	0	0	8	0	0	0	3	1	46	236	0	450
8	उत्तराखंड	यू.एस.	2	69	0	0	17	0	1	2	24	455	914	0
		यू.सी.	2	5	0	0	0	0	1	1	1	412	597	0
		डब्ल्यूआईपी	0	35	0	0	14	0	0	1	10	43	0	0
9	महाराष्ट्र	यू.एस.	0	0	6	0	0	0	0	0	0	626	0	11670
		यू.सी.	0	0	6	0	0	0	0	0	0	458	0	11032
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	282
10	कर्नाटक	यू.एस.	0	50	30	0	0	0	0	0	36	366	0	4400
		यू.सी.	0	50	27	0	0	0	0	0	36	366	0	4400
		डब्ल्यूआईपी	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	यू.एस.	0	0	0	0	0	25	1	0	0	35	0	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	12	0	0	0	11	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	13	0	0	0	15	0	0
12	ओडिशा	यू.एस.	0	11	0	0	64	0	2	0	15	151	0	5740
		यू.सी.	0	11	0	0	58	0	0	0	15	151	0	5740
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	6	0	2	0	0	0	0	0
13	मेघालय	यू.एस.	1	54	5	0	0	0	0	0	0	81	1301	5000
		यू.सी.	1	54	5	0	0	0	0	0	0	81	1301	5000
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	केरल	यू.एस.	0	38	0	0	0	0	0	1	10	0	3	0

		यू.सी.	0	38	0	0	0	0	0	1	10	0	3	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	मिजोरम	यू.एस.	17	37	9	0	0	0	0	0	23	221	24	2758
		यू.सी.	17	36	5	0	0	0	0	0	16	158	10	2480
		डब्ल्यूआईपी	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	14	278
16	जम्मू एवं कश्मीर	यू.एस.	0	15	0	0	0	0	1	1	0	40	82	0
		यू.सी.	0	10	0	0	0	0	0	0	0	2	21	0
		डब्ल्यूआईपी	0	5	0	0	0	0	0	0	0	35	61	0
17	दिल्ली	यू.एस.	2	80	0	0	17	0	1	0	5	0	2	0
		यू.सी.	2	80	0	0	10	0	0	0	2	0	2	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0
18	मध्य प्रदेश	यू.एस.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	200	0	1000
		यू.सी.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	138	0	876
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	102
19	सिक्किम	यू.एस.	6	11	0	0	0	0	0	0	1	56	4	250
		यू.सी.	6	9	0	0	0	0	0	0	0	51	0	250
		डब्ल्यूआईपी	0	2	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0
20	अरूणाचल प्रदेश	यू.एस.	49	240	107	10	2	10	0	0	33	557	0	5743
		यू.सी.	49	218	106	10	2	5	0	0	33	557	0	5743
		डब्ल्यूआईपी	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0
21	आंध्र प्रदेश	यू.एस.												
		यू.सी.												
		डब्ल्यूआईपी												
22	तेलंगाना	यू.एस.												
		यू.सी.												

		डब्ल्यूआईपी												
23	त्रिपुरा	यू.एस.												
		यू.सी.												
		डब्ल्यूआईपी												
24	पंजाब	यू.एस.												
		यू.सी.												
		डब्ल्यूआईपी												
25	राजस्थान	यू.एस.												
		यू.सी.												
		डब्ल्यूआईपी												
26	गुजरात	यू.एस.												
		यू.सी.												
		डब्ल्यूआईपी												
27	छत्तीसगढ़	यू.एस.												
		यू.सी.												
		डब्ल्यूआईपी												
	कुल	**यू.एस.**	**654**	**14061**	**335**	**175**	**3398**	**92**	**72**	**31**	**2537**	**27595**	**35773**	**301221**
		यू.सी.	**410**	**11378**	**238**	**123**	**1510**	**58**	**38**	**11**	**2045**	**21986**	**31260**	**242976**
		डब्ल्यूआईपी	**232**	**1050**	**65**	**1**	**99**	**18**	**26**	**16**	**230**	**1662**	**909**	**12793**

यू.एस.: संस्वीकृत यूनिट, यू.सी.: पूर्ण की गई यूनिट, डब्ल्यूआईपीः कार्य प्रगति पर

आईएवाई=इंदिरा आवास योजना, एडब्ल्यूसी=आंगनवाड़ी केन्द्र, आईटीआई=औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, डीडब्ल्यूएस=पेयजल अपूर्ति, एसीआर=अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, पीएचसी=प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीएचसी=समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आईडब्ल्यूडीपी–एकीकृत जल विकास परियोजना, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी), (एप्रोच रोड, कंप्यूटर समान के साथ, लाइब्रेरी, हैड शेड)

अनुलग्नक-VI

12वीं योजना के दौरान

अल्पसंख्यक बहुल ब्लाकों (एमसीबी), अल्पसंख्यक बहुल शहरों (एमसीटीएस) और गांवों के समूहों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त रिपोर्टो के अनुसार वित्तीय प्रगति

क्र. सं.	राज्य	अनुमोदित परियोजनाएं	जारी की गई निधि	राज्य द्वारा रिपोर्ट किए अनुसार उपयोगिता	व्यय का प्रतिशत जारी की गई निधि के संबंध में
			लाख रु. में		
1	उत्तर प्रदेश	131356.13	109152.22	103791.89	95.09
2	पश्चिम बंगाल	156778.43	131966.31	90000.00	68.20
3	असम	61215.66	46679.58	2073.31	4.44
4	बिहार	62602.10	41686.31	9757.08	23.41
5	मणिपुर	13906.64	11556.33	886.56	7.67
6	हरियाणा	8303.76	4800.33	615.47	12.82
7	झारखंड	11108.48	11040.51	1878.03	17.01
8	उत्तराखंड	6042.74	7758.51	4750.38	61.23
9	महाराष्ट्र	10644.52	5135.92	1384.09	26.95
10	कर्नाटक	20020.56	11442.63	897.00	7.84
11	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	0.00	130.16	25.30	19.44
12	ओडिशा	6711.19	3948.41	909.20	23.03
13	मेघालय	2914.69	2598.81	829.54	31.92
14	केरल	4484.14	3662.33	1413.34	38.59
15	मिजोरम	1396.21	2244.81	1090.51	48.58
16	जम्मू एवं कश्मीर	1564.06	1251.19	323.36	25.84
17	दिल्ली	235.38	790.18	561.45	71.05
18	मध्य प्रदेश	1550.08	1006.17	520.28	51.71
19	सिक्किम	2552.83	1606.72	493.18	30.69
20	अरूणाचल प्रदेश	20690.28	18838.00	7157.31	37.99
21	आंध्र प्रदेश	12501.69	7416.39	2458.26	33.15
22	तेलंगाना	11791.07	5887.72	741.00	12.59
23	त्रिपुरा	16329.16	11854.77	8888.31	74.98
24	पंजाब	2826.27	2135.81	740.10	34.65
25	राजस्थान	16172.51	9721.42	4701.93	48.37
26	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00
27	छत्तीसगढ़	3052.28	2029.80	541.74	26.69
	योग	**586750.86**	**456341.30**	**247428.62**	**54.22**

अनुलग्नक–VII

12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त की गई रिपोर्टों के अनुसार वास्तविक प्रगति रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य			शिक्षा								साइबर ग्राम के अंतर्गत डिजिटल साक्षरता	कौशल विकास			स्वा. स्थ्य	आ. गन वाड़ी केंद्र	पेयजल सुविधा		पक्का मकान	आय सृजक अवसंरचना	विविध	सद्भाव मण्डप	आवासीय विद्यालय	मार्केट शेड
			डिग्री कॉलेज	स्कूल भवन	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	छात्रावास	स्कूल में कम्प्यूटर	प्रयोगशाला उपकरण	स्कूल में पेयजल एवं शौचालय	शिक्षण सहायता	बालिकाओं हेतु निःशुल्क साईकिल		आईटीआई भवन	पॉलीटेक्निक	कौशल प्रशिक्षण	कुल स्वास्थ्य	एडब्ल्यूसी	हैंडपंप	पेयजल सुविधाएं	एआईवाई					
1	उत्तर प्रदेश	यू.एस.	9	241	546	23	112	40	463	572	0	173143	35	6	39255	200	1843	11117	212	574	0	19	0	0	0
		यू.सी.	0	42	193	9	0	0	82	0	0	0	0	0	2139	75	994	5171	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	81	162	9	0	0	18	0	0	0	18	4	750	94	190	234	56	574	0	2	0	0	0
2	पश्चिम बंगाल	यू.एस.	0	67	5195	211	389	0	696	179	0	170005	33	6	63720	346	5034	2933	8100	25280	60	2367	151	0	100
		यू.सी.	0	67	4427	157	381	0	382	0	0	0	25	2	0	241	4017	1565	7126	23383	16	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	690	46	8	0	314	0	0	0	6	4	0	105	1082	1368	974	2600	34	235	0	0	0
3	असम	यू.एस.	0	254	5986	82	0	29	520	0	0	0	0	0	0	237	1096	8743	645	0	0	109	16	0	320
		यू.सी.	0	1	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	26	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	39	3235	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	0	570	0	0	0	0	0	0
4	बिहार	यू.एस.	0	243	2418	42	0	0	42	0	0	0	0	1	0	517	90	49	142	5630	0	1	52	1	0
		यू.सी.	0	54	757	10	0	0	16	0	0	0	0	0	0	44	3	49	134	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	70	465	13	0	0	4	0	0	0	0	0	0	136	45	0	0	0	0	0	15	0	0
5	मणिपुर	यू.एस.	0	155	289	27	0	0	45	0	1668	0	0	0	100	65	32	29	6	1713	0	26	7	0	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	1	0	1	0	0	0	0	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	हरियाणा	यू.एस.	0	1	392	7	0	12	71	0	0	0	1	1	0	20	142	0	178	0	4	1	5	0	0
		यू.सी.	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	1	58	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	26	0	21	0	0	0	0	0	0
7	झारखंड	यू.एस.	0	1	267	13	0	0	0	0	0	0	3	1	0	19	229	0	6	1195	0	0	0	0	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	32	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	16	0	0	200	0	0	0	0	0

8	उत्तराखंड	यू.एस.	3	5	1	2	0	0	0	0	0	0	5	0	0	6	0	576	0	0	0	0	0	0	0
		यू.सी.	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	576	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	महाराष्ट्र	यू.एस.	0	6	384	16	0	0	141	0	0	0	2	1	0	25	82	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.सी.	0	1	16	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	कर्नाटक	यू.एस.	0	48	194	58	0	0	79	0	0	0	0	0	7810	9	2	0	50	1500	0	0	10	13	0
		यू.सी.	0	24	109	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	21	33	21	0	0	17	0	0	0	0	0	0	3	2	0	6	0	0	0	0	0	0
11	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	यू.एस.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ओडिशा	यू.एस.	0	0	183	5	10	1	0	0	0	0	4	0	2850	18	145	1	34	4297	4	0	0	0	0
		यू.सी.	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1854	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	मेघालय	यू.एस.	0	1	46	7	0	0	404	0	2154	0	0	0	0	31	21	563	706	1204	0	5	0	0	0
		यू.सी.	0	1	16	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	563	426	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	154	498	0	0	0	0	0
14	केरल	यू.एस.	0	28	152	0	0	0	0	0	1807	0	0	0	0	22	0	0	16	0	0	0	0	0	0
		यू.सी.	0	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	4	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	7	0	0	0	0	0	0
15	मिजोरम	यू.एस.	0	15	43	0	60	0	12	0	0	0	2	0	0	4	17	0	1	0	1	0	0	0	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	1	34	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0
16	जम्मू एवं कश्मीर	यू.एस.	0	0	29	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	64	50	0	0	0	4	0	0	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	28	0	0	0	0	0	0	0
17	दिल्ली	यू.एस.	0	0	24	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
		यू.सी.	0	0	20	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	मध्य प्रदेश	यू.एस.	0	3	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	4	0	0	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19	सिक्किम	यू.एस.	0	4	25	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	252	0	2	1	0	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	195	0	2	0	0	0
20	अरूणाचल प्रदेश	यू.एस.	0	36	323	113	0	5	48	0	0	0	0	0	0	30	69	0	265	1441	0	6	7	0	0
		यू.सी.	0	14	98	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	56	0	250	1155	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	21	220	73	0	0	42	0	0	0	0	0	0	16	13	0	11	220	0	0	0	0	0
21	आंध्र प्रदेश	यू.एस.	0	10	222	13	0	0	0	0	2700	0	4	0	7125	2	20	0	0	0	0	0	4	6	0
		यू.सी.	0	2	10	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	8	60	6	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	तेलंगाना	यू.एस.	0	4	133	46	0	0	5	27	2896	0	2	0	4225	9	50	0	0	0	0	0	0	7	0
		यू.सी.	0	1	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	1	21	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
23	त्रिपुरा	यू.एस.	1	29	424	8	90	0	0	0	2735	18109	0	0	2520	30	0	0	223	4294	0	1	0	0	0
		यू.सी.	0	29	130	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	223	1750	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	47	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	2546	0	0	0	0	0
24	पंजाब	यू.एस.	0	0	73	0	19	0	0	4	0	0	0	0	0	10	451	0	0	23	1	0	0	0	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	33	0	6	0	0	4	0	0	0	0	0	0	148	0	0	23	1	0	0	0	0
25	राजस्थान	यू.एस.	2	15	966	8	10	0	0	0	0	10400	6	0	0	74	97	0	0	0	0	0	2	0	0
		यू.सी.	1	4	306	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	62	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	1	3	443	4	0	0	0	0	0	0	6	0	0	13	10	0	0	0	0	0	2	0	0
26	गुजरात	यू.एस.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	छत्तीसगढ़	यू.एस.	0	6	318	15	203	0	0	0	0	0	0	0	0	176	0	0	65	0	0	0	0	0	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	**यू.एस.**	**15**	**1172**	**18637**	**710**	**893**	**87**	**2529**	**782**	**13960**	**371657**	**97**	**17**	**127605**	**1856**	**9508**	**24061**	**10649**	**47403**	**70**	**2548**	**272**	**27**	**420**
		यू.सी.	**3**	**241**	**6678**	**253**	**381**	**0**	**482**	**0**	**0**	**0**	**29**	**2**	**2139**	**513**	**5167**	**7936**	**8195**	**28199**	**16**	**0**			
		डब्ल्यूआईपी	**2**	**258**	**5631**	**215**	**14**	**0**	**395**	**4**	**764**	**0**	**40**	**9**	**750**	**630**	**1592**	**1630**	**1800**	**6856**	**35**	**239**			

यू.एस.: संस्वीकृत यूनिट, यू.सी.: पूर्ण की गई यूनिट, डब्ल्यूआईपी: कार्य प्रगति पर

अनुलग्नक -VIII

2017.18

अल्पसंख्यक बहुल ब्लाकों (एमसीबी), अल्पसंख्यक बहुल शहरों (एमसीटीएस) और गांवों के समूहों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त रिपोर्टो के अनुसार वित्तीय प्रगति

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाएं	जारी निधियां
		रु. लाख में	
1	उत्तर प्रदेश	12726.36	8159.815
2	पश्चिम बंगाल	36094.72	17941.27
3	असम	57506.8	30213.19
4	बिहार	2520.3	1592.17
5	मणिपुर	6080.11	3162.55
6	हरियाणा	1056.43	528.21
7	झारखंड	2784.022	1804.45
8	उत्तराखंड	1273.88	636.98
9	महाराष्ट्र	0	412.93
10	कर्नाटक	3372.9	3297.26
11	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	0	0
12	ओडिशा	0	0
13	मेघालय	0	0
14	केरल	1093.26	546.64
15	मिजोरम	329.19	466.51
16	जम्मू एवं कश्मीर	0	0
17	दिल्ली	0	187.43
18	मध्य प्रदेश	0	418.56
19	सिक्किम	601.4	509.75
20	अरूणाचल प्रदेश	611.35	836.908
21	आंध्र प्रदेश	5597.42	2798.71
22	तेलंगाना	6480	3240
23	त्रिपुरा	0	2289.35
24	पंजाब	0	0
25	राजस्थान	3000.83	2312.45
26	गुजरात	0	0
27	छत्तीसगढ़	300.17	150.12
	योग	**141429.14**	**81505.25**

अनुलग्नक-IX

2017–18 के दौरान बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)

क्र. सं.	राज्य		शिक्षा					कौशल विकास	स्वास्थ्य	आंगनवाड़ी केंद्र		विविध	सद्भाव मण्डप	आवासीय विद्यालय	मार्केट शेड
			डिग्री कॉलेज	स्कूल भवन	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	छात्रा. वास	स्कूल में शौच.ालय एवं पेयजल	आई. टीआई भवन	कुल स्वास्थ्य	आंग. नवाड़ी केंद्र	पेयजल सुविधा				
1	उत्तर प्रदेश	यू.एस.		15				1		78	38	40	18		
		यू.सी.													
		डब्ल्यूआईपी													
2	पश्चिम बंगाल	यू.एस.		1	3580	48	428		2	1084		11			16
		यू.सी.													
		डब्ल्यूआईपी													
3	असम	यू.एस.												21	
		यू.सी.													
		डब्ल्यूआईपी													
4	बिहार	यू.एस.		1	219					40	12		7		
		यू.सी.													
		डब्ल्यूआईपी													
5	मणिपुर	यू.एस.		1	3	4	1						18		
		यू.सी.													
		डब्ल्यूआईपी													
6	हरियाणा	यू.एस.		1						7		7			
		यू.सी.													
		डब्ल्यूआईपी													
7	झारखंड	यू.एस.		7	103		25		41	182					
		यू.सी.													
		डब्ल्यूआईपी													

8	उत्तराखंड	यू.एस.	1	5	2					12	1		8		
		यू.सी.													
		डब्ल्यूआईपी													
9	महाराष्ट्र	यू.एस.													
		यू.सी.													
		डब्ल्यूआईपी													
10	कर्नाटक	यू.एस.		16									3	4	
		यू.सी.													
		डब्ल्यूआईपी													
11	अंडमान एवं	यू.एस.													
	निकोबार द्वीप	यू.सी.													
	समूह	डब्ल्यूआईपी													
12	ओडिशा	यू.एस.													
		यू.सी.													
		डब्ल्यूआईपी													
13	मेघालय	यू.एस.													
		यू.सी.													
		डब्ल्यूआईपी													
14	केरल	यू.एस.		18	9										
		यू.सी.													
		डब्ल्यूआईपी													
15	मिजोरम	यू.एस.		5						1	3				
		यू.सी.													
		डब्ल्यूआईपी													
16	जम्मू एवं कश्मीर	यू.एस.													
		यू.सी.													
		डब्ल्यूआईपी													
17	दिल्ली	यू.एस.													
		यू.सी.													
		डब्ल्यूआईपी													
18	मध्य प्रदेश	यू.एस.													
		यू.सी.													
		डब्ल्यूआईपी													

19	सिक्किम	यू.एस.		1	2	3									
		यू.सी.													
		डब्ल्यूआईपी													
20	अरूणाचल प्रदेश	यू.एस.		4		2									
		यू.सी.													
		डब्ल्यूआईपी													
21	आंध्र प्रदेश	यू.एस.		4	8					203			2	2	
		यू.सी.													
		डब्ल्यूआईपी													
22	तेलंगाना	यू.एस.												6	
		यू.सी.													
		डब्ल्यूआईपी													
23	त्रिपुरा	यू.एस.													
		यू.सी.													
		डब्ल्यूआईपी													
24	पंजाब	यू.एस.													
		यू.सी.													
		डब्ल्यूआईपी													
25	राजस्थान	यू.एस.		46	514		25					9	2		
		यू.सी.			0								0		
		डब्ल्यूआईपी			0								0		
26	गुजरात	यू.एस.													
		यू.सी.													
		डब्ल्यूआईपी													
27	छत्तीसगढ़	यू.एस.		17	15		68				11				
		यू.सी.													
		डब्ल्यूआईपी													
	योग	**यू.एस.**	**1**	**142**	**4455**	**57**	**547**	**1**	**43**	**1607**	**65**	**67**	**58**	**33**	**16**
		यू.सी.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		डब्ल्यूआईपी	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

यू.एस.: संस्वीकृत यूनिट, यू.सी.: पूर्ण की गई यूनिट, डब्ल्यूआईपी: कार्य प्रगति पर

ANNUAL REPORT
2017-18

Ministry of Minority Affairs
Government of India

Web - site : www.minorityaffairs.gov.in

Contents

Chapter No.	Chapter Title	Page No.
	Executive Summary	3-5
1	Introduction	6-10
2	Schemes of Multi-Sectoral Development Programme (MsDP)	11-14
3	Scholarship Schemes	15-16
4	Maulana Azad National Fellowship	17
5	NayaSavera - Free Coaching and Allied Scheme	18-19
6	NaiUddan	20-21
7	Pado Pradesh	22
8	Scheme for Leadership Development of Minority women	23
9	Hamari Dharohar	24
10	NaiManzil	25-28
11	Scheme-wise allocation of Budget for implementation of various programmes in North Eastern Region	29
12	Skill Development Initiative for Minorities	30
13	USTTAD	31-32
14	Scheme for containing population declineofparsis in india	33
15	Grant-in-aid Scheme to State Channelising Agencies of National Minorities Development and Finance Corporation	34
16	Commissioner for Linguistic Minorities(CLM)	35
17	National Commission for Minorities(NCM)	36-37
18	Waqf Administration, Central Waqf Council and National Waqf Development Corporation	38-45
19	The Durgah khwajaSaheb Ajmer	46-50
20	National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC)	51-53
21	Maulana Azad Education Foundation	54-56
22	Prime Minister's New 15-Point Programme for the Welfare of Minorities	57-61
23	Sachar Committee Report and Follow up Action	62-67
24	Haj Management	68-71
25	Right to Information Act, 2005	72
26	Government Audit	73
27	SwachhBharat Mission	74-76
28	Implementation of E-Office	77
29	Citizen's Client's Charters and Grievance Redressal mechanism	78
	Annex I to IX	79-96

EXECUTIVE SUMMARY

Achievement of the Ministry of Minority Affairs

- Ministry of Minority Affairs was established on 29th January, 2006.It has been mandated for formulation of policies, schemes and programmes for welfare and socio-economic development of 6 (six) notified minority communities namely, Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Parsis and Jains, which constitute more than 19% of India's population. From October 2016, the mandate of the Ministry has been expanded to manage Haj Pilgrimage as well.
- Ministry adopted a multi-pronged strategy for development of minority communities with focus on educational empowerment; infrastructure development; economic empowerment; fulfilling special needs; and strengthening of minority institutions.
- The welfare and development schemes of the Ministry focus on poor and deprived sections of the minorities. Majority of schemes have devised the eligibility criteria on economic basis to ensure that the benefits reach to poor and deprived sections.
- The educational schemes cover scholarships for all levels, fellowships and interest subsidy to promote higher education and support for providing good quality coaching to enable minorities to go for Government and private jobs.
- In tune with "Skill India Mission" and "Make in India Mission", the Ministry has strengthened and expanded its job linked "Seekho aur Kamao" scheme and implemented new schemes namely, USTTAD for preservation of traditional crafts/arts and "Nai Manzil" to integrate education with skills for economic empowerment of minority communities.
- During 2016-17, the Multi-sectoral Development Programme was re-oriented to cover larger projects for infrastructure development relating to education, skills and health. The scope has been further expanded during 2017-18 to other specific needs. The projects for construction of 58 SadbhavnaMandaps (Multi-purpose Community Centres) and 33 Minority Residential Schools were accordingly sanctioned for various States during 2017-18.
- In order to spread awareness about the Scheme and to obtain feedback/suggestions, 'Progress Panchayats' were organised in various places including Rampur, Uttar Pradesh and Alwar, Rajasthan. Further for effective implementation of the scheme, coordination meetings for different regions of the country have been planned. The first meeting for 9 States of northern zone was organised at Lucknow on 18.01.2018.
- There are special programmes for empowerment of minority women through "Nai Roshni". The other special programmes include "Jiyo Parsi" scheme for containing population decline of Parsi community and "Hamari Dharohar" scheme for preservation of rich heritage and culture of minorities under overall concept of Indian Culture.
- In tune with the Digital India Campaign, Ministry has brought 12 schemes under DBT Mode, viz., (1) Merit-cum-Means Scholarship for Minorities, (2) Post-Matric Scholarship Scheme for Minorities, (3) Pre-Matric Scholarship Scheme for Minorities, (4) Maulana Azad National Fellowship for Minority Students, (5) Padho Pradesh -Interest subsidy on educational loans for Overseas Studies, (6) Nai Udaan - Supporting for students clearing prelims conducted by UPSC,SSC, STATE PUBLIC SERVICE, (7) NaiRoshni, (8) Free Coaching Allied Scheme for Minorities (Naya Savera), (9) Nai Manzil, (10) Skill Development Initiatives – Seekho Aur Kamao, (11) Upgrading the Skills and Training in traditional Arts Crafts for Development (USTTAD), and (12) Hamari Dharohar. Moreover, online portals for Seekho aur Kamao, Nai Roshni, Nai Udaan have also been developed and operationalized. In addition, Ministry has also launched a mobile App for HAJ recently. Ministry has also taken action to shift to the e-office mode.
- Ministry has also undertaken multi media campaign for publicity through print and electronic media

including Doordarshan Network, All India Radio Network including FM channels, private FM channels, private TV channels, Websites, all over the country including North East.In addition, outdoor publicity has also been done at India International Trade Fair 2016 by organizing 'Hunar Haat' to promote traditional crafts/arts and strengthen their market linkages.

- Ministry has celebrated "Swachchta Pakhwada" from 16th to 30th November, 2017 and the entire Ministry has participated. Moreover, Ministry has also taken cleaning up of religious places and its surrounding areas like Nijamuddin Dargah, Bangla Sahib Gurudwara, Kalkaji Temple, Parsi Fire Temple and ISKCON Temple with the local civic agencies and generated awareness during the Pakhwada. Ministry also held Slogan Writing Competition, Essay Writing Competition & Drawing Competition. Ministry has also installed thrash bins at various places in CGO Complex.
- During the Swachhta Hi Sewa campaign, Hon'ble Minister (MA) along with Officers of this Ministry did Shramdan by cleaning of the campus of Maulana Azad Education Foundation at New Delhi Railway Station. He also planted saplings at the campus.
- Yoga Session was held in the Ministry to commemorate the International Yoga Day on 21st June, 2017 wherein Officers/ Officials of the Ministry participated with full enthusiasm.
- Major achievements till 31.12.2017 are as follows:-
- During 2016-17, various projects for identified Minority Concentration areas of the country under MsDP have been sanctioned (as on 31.12.2017) to further strengthen the infrastructure related to Education, Skill, Health, Sanitation etc. The major efforts include the following:-

  (a) Project for construction of Sadbhav Mandap :-58

  (b) Project for construction of Residential Schools:-33

  (c) Project for construction of Health Projects:-43 units

  (d) Project for construction of Hostels and school buildings:-199 units

  (e) Project for construction for Toilets:- 570 units
- Rs.5164.45 crore have been released for awarding 3,40,56,999 scholarships under Pre-Matric Scholarship Scheme during the years 2012-13 to 2017-18 (as on 31.01.2018).
- Rs.2326.01 crore have been released for awarding 42,23,730 scholarships under Post-Matric Scholarship Scheme during during the years 2012-13 to 2017-18 (as on 31.01.2018).
- Rs.1634.99 crore have been released for awarding 6,13,472 scholarships under Merit –cum- Means Scholarship Scheme during during the years 2012-13 to 2017-18 (as on 31.01.2018).
- During financial year 2017-18, an amount of Rs. 99.85 crore has been released to UGC under the Maulana Azad National Fellowship as on 31.12.2017. Fresh selection of 756 students has also been made for award of fellowship by UGC for 2017-18.
- Grants-in-aid amounting to Rs. 32.21 crore (provisional) have been released to various NGOs/ institute for imparting of coaching for 9699 students (as on 31.12.2017) under the Free Coaching and Allied Scheme.
- During the financial year 2017-18 (as on 31.12.2017), Rs. 3.12 crore have been released for providing financial assistance to 681 candidates under the scheme of Nai Udaan (Support for Minority Students clearing Prelims conducted by Union Public Service Commission etc.)
- During the year 2017-18, Rs. 6.52 crore was released towards interest subsidy to Nodal Bank (Canara Bank) for 736 Renewal candidates (as on 31.12.2017) under the Padho Pardesh (Scheme of interest Subsidy on Educational Loans for Overseas Studies.)
- Under "Seekho aur Kamao", during 2017-18, 1,20,000 minorities will be trained with an amount of

Rs. 250.00 Crore. Till 10.02.2018, 1,18,500 Minority Youths have been allocated to PIAs for imparting training.

- During 2017-18 under "USTTAD" scheme, four Hunar Haats namely in Puduherry, IITF, Delhi, Mumbai and Baba Kharak Singh Marg, New Delhi have been organised.
- During 2017-18, Rs. 1.80 crore has been released upto 20.01.2018 for training of women under the "Scheme for Leadership Development of Minority Women" (Nai Roshni).
- During the current financial 2017-18 (upto 31.01.2018), NMDFC has extended loans amounting to Rs. 515.90 crore to 1,08,494 beneficiaries under 'term loan' and 'micro finance' by NMDFC.
- Govt has succeeded in getting India's Haj quota increased for the consecutive second year and now, for the first time after the Independence, record 1,75,025 Indian Muslims will go to Haj.
- Under the scheme "Jiyo Parsi", the Central Sector Scheme for containing population decline of Parsis in India, funds to the tune of Rs.1.42 crore released to Paizor Foundation for Medical Assistance and Advocacy components during 2017-18 (upto 31.12.2017).
- Memorandum of Understanding between Ministry of Minority Affairs and the National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC) was laid in the LokSabha and RajyaSabha.
- Budget Estimates (BE) for 2017-18 is Rs. 4195.48 crores and same has been retained at RE stage. The expenditure up to 31.12.2017 was Rs 2688.92 crores.
- The schemes of the Ministry have been revised suitably based on evaluation reports for implementation during the balance period of the 14th Finance Commission.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

CHAPTER-1

INTRODUCTION

1.1 The Ministry of Minority Affairs was carved out of Ministry of Social Justice & Empowerment on 29th January, 2006 to ensure a more focused approach towards issues relating to the six notified minority communities namely Muslim, Christian, Budhist, Sikhs, Parsis and Jains. Jain community has been included as the sixth Minority community vide notification dated 27th January, 2014. The mandate of the Ministry includes formulation of overall policy and planning, coordination, evaluation and review of the regulatory and development programmes for the benefit of the minority communities.

VISION AND MISSION

1.2 The vision of this Ministry is empowering the minority communities and creating an enabling environment for strengthening the multi-racial, multi-ethnic, multi-cultural, multi-lingual and multi-religious character of our nation.

1.3 The mission is to improve the socio-economic conditions of the minority communities through affirmative action and inclusive development so that every citizen has equal opportunity to participate actively in building a dynamic nation, to facilitate an equitable share for minority communities in education, employment, economic activities and to ensure their upliftment.

1.4 Shri Mukhtar Abbas Naqvi holds the charge of Minister of Minority Affairs and Dr. Virendra Kumar holds the charge of Minister of State for Minority Affairs. The Secretary of the Ministry is assisted by one Additional Secretary, three Joint Secretaries and a Joint Secretary & Financial Adviser. The Ministry has a sanctioned strength of 121 Officers/Staff and 79 officers/staff are in position. The Incumbency Statement of the Ministry is given at Annexure-I. While many of the multifaceted tasks of the Ministry are undertaken by it directly, it is supported by the officers/organizations under its administrative control.

ALLOCATION OF BUSINESS

Subjects allocated to this Ministry as per Second Schedule to the Government of India (Allocation of Business)Rules, 1961 and amendments thereto, are:-

i. Overall policy, planning, coordination, evaluation and review of the regulatory and development programmes of the minority communities.

ii. All matters relating to minority communities except matters relating to law and order.

iii. Policy initiatives for protection of minorities and their security in consultation with other Central Government Ministries and State Government.

iv. Matters relating to Linguistic Minorities and of the Office of the Commissioner for Linguistic Minorities.

v. Matters relating to National Commission for Minorities Act.

vi. Work relating to the Evacuee Waqf properties under the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950) (since repealed)

vii. Representation of the Anglo-Indian community.

viii. Protection and preservation of non Muslim shrines in Pakistan and Muslim shrines in India in terms of the Pant-Mirza Agreement of 1955, in consultation with the Ministry of External Affairs.

ix. Questions relating to the minority communities in neighbour countries, in consultation with the Ministry of External Affairs.

x. Charities and charitable institutions, charitable and religious endowments pertaining to subjects dealt with in the Department.

xi. Matters pertaining to the socio-economic, cultural and educational status of minorities, minority organizations, including the Maulana Azad Education Foundation.

xii. The Wakf Act, 1995 (43 of 1995) and Central Wakf Council.

xiii. The Durgah Khawaja Saheb Act, 1955 (36 of 1955).

xiv. Funding of programmes and projects for the welfare of minorities, including the National Minorities Development and Finance Corporation.

xv. Employment opportunities for minorities in the Central and State public sector undertakings, as also in the private sector.

xvi. Formulation of measures relating to the protection of minorities and their security in consultation with other concerned Central Ministries and State Governments.

xvii. National Commission for Socially and Economically Backward Sections among Religious and Linguistic Minorities.

xviii. All matters relating to the Justice Sachar Committee.

xix. Prime Minister's new 15-Point Programme for Minorities.

xx. Any other issue pertaining to the minority communities.

xxi. Management of Haj Pilgrimage, including administration of the Haj Committee act, 1959 (51 of 1959) and the rules made thereunder.

Discussion on progress of various welfare schemes in a review meeting with officials of Minority Affairs

USE OF OFFICIAL LANGUAGE

1.6 To ensure the compliance of Government of India's well considered Official Language Policy in The Ministry of Minority Affairs and in the offices of its administrative control; one post each of Joint Director (OL), Assistant Director (OL), Senior Hindi Translator and three posts of Junior Hindi Translators have been sanctioned in the ministry. At present, post of Joint Director (OL), and two posts of Junior Hindi Translator are lying vacant in the ministry.

1.6.1 All documents referred to in sub-section (3) of section 3 of the Official Language Act such as resolution, general orders, notification, press releases, administrative reports and the documents to be laid in both the Houses of Parliament were issued bilingually. Letters received in Hindi are replied in Hindi.

1.6.2 Adequate check points have been made for full compliance of Official Language Act and its provisions.

1.6.3 All the schemes of the Ministry for the welfare of minorities like Pre-Matric Scholarship Scheme, Post-Matric Scholarship Scheme, Merit-cum-Means Based Scholarship Scheme, Maulana Azad National Fellowship, Free Coaching and Allied Scheme related to the candidates belonging to minorities, Multi-Sectoral Development Scheme for minorities concentration areas, Learn and Earn, Nai Roshni Scheme for Leadership Development of minority women, Padho Pardesh, Hamari Dharohar, Ustaad, Prime Ministers 15 point programme Nai Manzil, etc. have been published in Hindi.

1.6.4 Under the chairmanship of Hon'ble Minister of Minority Affairs, Hindi Salahakar Samiti has been reconstituted in the Ministry.

Shri K.C.Samaria, JS solemnizing pledge to office employees for doing work in hindi.

1.6.5 Also to monitor and evaluate the progressive usage of Hindi in the Ministry a Departmental Official Language Implementation Committee is working under the Chairmanship of a Joint Secretary. This Committee regularly reviews the implementation of the Official Language in the Ministry.

1.6.6 Workshops were organized to encourage officials/employees to work in Hindi and to train them effectively for making noting and drafting in Hindi.

1.6.7 Hindi Pakhwada was organized in the Ministry from 14 September 2017 to 29 September 2017 and various competitions were organized in which the officials/employees enthusiastically took part on 14th September, 2017 on the occasion of Hindi Diwas. Joint Secretary administered the oath to officers/ employees to do their work in Hindi to encourage use of Hindi in noting and drafting 'Hindi noting and drafting competition' was organized. The winners have been awarded with cash prizes.

Shri SKD Verman, Addl. Secy., distributed cash prizes to winners of Hindi Pakhwada

A candidate delivering lecture in Hindi Pakhwada

1.6.8 The Department of Electronics & Information Technology set up a NIC-CMF team for bilingualization of website of the ministry. With the help of NIC-CMF team the work relating to bilingualization of website has been completed. Bilingual material is available on the website of the ministry.

1.6.9 To simplify and to ease the official work in Hindi the Official Language Division of the Ministry has brought out "Rajbhasha Digdarshika" in which English-Hindi vocabulary and English-Hindi phrases to be used in the day to day work have been included along with the important information about the official language policy of the Government of India.

Vigilance Unit

1.7 Shri Jan-e-Alam, Joint Secretary (Waqf), acted as part-time Chief Vigilance Officer (CVO) of the Ministry and also acted as a link between the Ministry and the Central Vigilance Commission (CVC).

The CVO looks after the vigilance work in addition to his normal duty as Joint Secretary (Haj & Waqf matters) in the Ministry.

1.7.1 The CVO is entrusted with the following tasks:

- ❖ All vigilance and disciplinary matters relating to the Ministry.
- ❖ Scrutiny of complaints as and when received and tasking appropriate action thereon.
- ❖ Enquiry/ investigation/ inspection and follow up action on the same.
- ❖ Coordinating with the Central Vigilance Commission.
- ❖ Obtaining of advice from CVC as and when required.
- ❖ Identification of sensitive areas prone to corruption and transferring of officers in such positions from time to time, thus promoting preventive vigilance.
- ❖ Augment integrity, efficiency and transparency in the functioning of the Government.

1.7.2 Vigilance Clearance has been issued to 13 officials during the period under report.

1.7.3 Actions to be undertaken by Vigilance Section.

- ❖ To keep surveillance on identified areas of sensitive nature.
- ❖ May undertake surprise vigilance inspection in the Ministry.

BUDGET

1.8 An amount of Rs. 4195.48 was allocated to this Ministry for the various schemes/programmes for 2017-18 which has been retained same in the Revised Estimates for 2017-18. A statement showing Budget Estimates, Revised Estimates 2017-18 and actual expenditure upto 31.12.2017 is shown in **Annexure – III**. Meeting with Anglo-Indian community representatives

Meating with Anglo-Indian community representation

1.9 A meeting of Anglo-Indian leader and representatives from different states was held under the chairmanship of Hon'ble Minister of State (Independent Charge) of Ministry of Minority Affairs & Parliamentary Affairs on 13.1.2017 in New Delhi. The meeting was attended by both sitting nominated Anglo-Indian Members of Parliament, Ex MP, MLAs of five states apart from other Anglo-Indian community leaders. The Representatives of the Anglo-Indian community praised the initiative of holding this meeting as a historic as this is the first time that a meeting has been held at the level of Minister in Central Government with the leaders of the Anglo-Indian Community to address the community's issues. The representatives highlighted the various problems and issues facing the Anglo-Indian community and urged the Ministry of Minority Affairs to take steps to address them. The Hon'ble Minister listened to their concerns and agreed to look into these issues in an appropriate manner. He also stated that such meetings will be held more regularly now.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

CHAPTER-2

SCHEME OF MULTI-SECTORAL DEVELOPMENT PROGRAMME (MSDP)

A. An Overview:

2.1 Multi-sectoral Development Programme (MsDP), a Centrally Sponsored Scheme(CSS), was launched in 2008-09 and subsequently restructured in June 2013. It is a special area development programme with the main objective of developing assets and basic amenities in socio-economic backward areas having a substantial minority population. Under the programme, districts having at least 25% minority population and one or both of the backwardness parameters, i.e. socio-economic and basic amenities, which is below the national average have been identified as backward Minority Concentration Districts(MCDs). In the re-structured MsDP, the MCDs have been replaced by Minority Concentration Blocks (MCBs), Minority Concentration Towns (MCT) and Clusters of Villages.

2.2 Identification of Minority Concentration Areas under MsDP.

The following indicators under Socio-economic and Basic Amenities parameters have been used in the identification of unit area for implementation of MsDP:-

(a) Religion-specific socio-economic indicators at the district level -

(i) literacy rate;

(ii) female literacy rate;

(iii) work participation rate; and

(iv) female work participation rate; and

(b) Basic amenities indicators at the district level -

(i) percentage of households with pucca walls;

(ii) percentage of households with safe drinking water;

(iii) percentage of households with electricity;

2.3 Minorities: Muslims, Sikhs, Christians, Buddhists, Jain and Zoroastrians (Parsis) have been notified as minority communities under Section 2 (c) of the National Commission for Minorities Act, 1992. These communities are being treated as minorities for purpose of MsDP.

B. Achievements of MsDP during the 11th and 12th Plan Period.

2.4 During the 11th Five Year Plan and 2012-13, 90 districts which were having at least 25% minority population and found below the national average in respect of one or both of the backwardness parameters, i.e. socio-economic and basic amenities were identified as backward Minority Concentration Districts(MCDs).

2.5 To make the programme more effective and focussed on the targeted beneficiaries, the scheme was restructured in 2013-14. In the restructured MsDP, the MCDs were replaced by Minority Concentration Blocks (MCB), Minority Concentration Towns (MCT) and clusters of villages. These area units were identified on the basis of data of Census, 2001 and with the following criteria:-

i. **Minority Concentration Blocks (MCBs):-** Blocks with a minimum of 25% minority population falling in the backward districts selected on the basis of backwardness parameters adopted during 11th Five Year Plan, were identified as the backward Minority Concentration Blocks (MCBs). In case of 6 States (Lakshadweep, Punjab, Nagaland, Meghalaya, Mizoram and

Jammu & Kashmir), where a minority community is in majority, a lower cut-off of 15% of minority population, other than that of the minority community in majority in that State/UT, have been adopted.

ii. **Cluster of Minority Concentration Villages:-** Within the blocks of backward districts not selected as MCBs, cluster of contiguous minority concentration villages (having at least 50% minority population) were identified. In case of hilly areas of North Eastern States, such villages having minority's population of 25% may be identified. Identification of the clusters fulfilling the above criteria were done by the States/UTs.

iii. **Backward Minority Concentration Towns/Cities:** Towns/cities with a minimum of 25% minority population (in case of 6 States/UTs, 15% of minority population, other than that of the minority community in majority in that State/UT) having both socio-economic and basic amenities parameters below national average, have been identified as Minority Concentration Towns/Cities for the implementation of the programme. A total of 66 minority concentration towns of 53 districts falling outside the 90 MCDs, have been identified for the implementation of the programme. The programme intervened only for the promotion of education, including skill and vocational education for empowering the minority in town/cities.

2.6 The programme has been continued in the 2017-18 on the same format as of 12th Five Year Plan. The proposal for revision in the list of MCBs/MCTs covered under the programme as per the data of Census, 2011 alongwith some other modifications for implementation of MsDP during remaining period of 14th Finance Commission is under consideration.

2.7 As envisaged in the guidelines of revamped Multi-sectoral Development Programme (MsDP), the projects being taken up under MsDP relate to provision of better infrastructure for education, heath, skill development, sanitation, pucca housing, roads, and drinking water besides creating income generating opportunity. Apart from these, projects for supporting computer literacy and modern teaching aids have also been approved under the programme.

2.8 The details of financial and physical progress made during 11th five year plan period and 12th five year plan period upto (31.12.2017) are as under:-

I. During the 11th Plan Period:-

(a) Financial progress: Out of the total allocation of Rs. 3780 crore under the MsDP during 11th Five Year Plan, approval to plans/projects with central share of Rs. 3733.89 crore (99% of allocation) have been given and Rs. 2935.56 crore have been released to the States/UTs. As per reports received, the State Governments have utilized Rs 2621.29 crore for different projects out of the total fund released to them. State-wise detail is given at Annexure-IV.

(b) Physical Progress:

S.No	Name of the Projects	Unit Sanctioned	Unit Completed	Work in Progress
1	IAY	301221	238151	32659
2	Health centres	2537	1992	269
3	Aganwadi centres	27595	20896	2658
4	Drinking water supply	35776	26734	4085
5	Additional class rooms	13508	9747	1515
6	School building	660	395	246
7	Industrial training institute	72	28	26
8	Polytechnic institute	31	10	16
9	Hostels	334	127	152

State wise details is given at **Annexure-V**.

II. During the 12th Plan Period:-

(a) **Financial progress:** Out of the total allocation of Rs. 5775 crore for this programme during 12th Five Year Plan, approval to plans/projects with central share of Rs. 55867.51 crore have been given and Rs. 4563.41 crore have been released to the States/UTs till 31.12.2017. State wise details is at Annexure-VI.

(b) **Physical Progress:** The total number of projects taken up under MsDP during the 12th Five Year Plan include IAY houses - 47403, Health Centres-1856, Aganwadi Centres - 9503, Hand Pumps - 24061, Drinking Water Facility - 10649, Additional Class Rooms - 18637, School Building - 1172, Industrial Training Institute - 97, Polytechnic Institute - 17, Hostels - 710, Free Bicycle - 13960, CyberGram - 371657, Sadbhavna Mandaps-272, Market shed: 420, Minority Residential Schools-27 and Skill Training – 127605. The State wise detail is in **III.**

Girls Hostel Gulvarga, Karnataka

Minority Girls Hostel Limbada, Hingoli Maharashtra

III. During 2017-18:-

(a) **Financial progress:** Out of the total allocation of Rs. 3972 crore for this programme during the remaining period of 14th Finance Commission, approval to plans/projects with central share of Rs. 1414.29 crore have been given and Rs. 815.05 crore have been released to the States/UTs till 31.12.2017. The State wise detail is at Annexure-VIII.

(b) **Physical Progress:** The total number of projects taken up under MsDP during 2017-18 include Degree College-1, Hostel-57, Health centres-43, Aganwadi centres-1529, Hand Pumps-24061, Drinking Water Facility-65, Additional class rooms-4455, School building-142, Industrial training institute-1, Sadbhavna Mandaps-58, Market shed: 16 and Minority Residential Schools-33. The State wise detail is at Annexure-IX.

C. Monitoring mechanism:

2.9 The District and State Level Committees for 15 Point Programme is responsible for monitoring the implementation of this programme at the district and State level respectively. At the Centre, the Empowered Committee also serves as the Oversight Committee to monitor the programme.The progress is also monitored by the PMO on a Quarterly basis.

2.10 The Ministry of Minority Affairs also reviews the progress of this programme through regular conferences of the Secretaries of States/UTs. The Ministry also conducts regional conferences with the district officials and State level officials to review the progress under the programme. Apart from this, video conferences are held with the district and State officials as a measure of constant follow up the implementing officials. Further, communications have been sent from Minister (MA) and Secretary, MA to the Chief Ministers and Chief Secretaries to sensitise them on the important issues pending with their

States. In order to spread awareness about the Scheme and to obtain feedback/suggestions, 'Progress Panchayats' were organised in various places including Rampur, Uttar Pradesh and Alwar, Rajasthan. Further for effective implementation of the schemes, a coordination meeting for 9 States of northern region was organised at Lucknow on 18.01.2018. Similar meeting at other zones of the country have also been proposed.

Inauguration of "Vikas Samanvaya Baithak" of Minority Affairs Ministers and Concerned Senior Officials of 9 States, organized at Lucknow

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

CHAPTER-3

SCHOLARSHIP

This Ministry is implementing the following three scholarship schemes for the educational empowerment of students belonging to the notified minority communities:-

(i) Pre-matric scholarship scheme;

(ii) Post-matric scholarship scheme; and

(iii) Merit-cum-Means based scholarship scheme

To improve transparency in scholarship schemes, a new and revamped version of National Scholarship Portal has been launched for various Ministries of Government of India including Ministry of Minority Affairs for extending scholarships during 2017-18. All the above three scholarship schemes of this Ministry are on this portal. The scholarships are transferred in the bank accounts of students under Direct Benefit Transfer (DBT) mode.

(i) PRE-MATRIC SCHOLARSHIP SCHEME

3.1 The Pre-matric scholarship scheme for students belonging to the Minority Communities was approved on 30th January, 2008. It is a Central Sector Scheme with 100% Central funding. The students who secure 50% marks in the previous examination and whose parents'/ guardians' annual income does not exceed Rs. 1.00 lakh, are eligible for award of the Pre-matric scholarship under the scheme. Under the scheme, 30 lakh Fresh scholarships are proposed to be awarded every year in addition to the renewals. 30% of scholarships have been earmarked for girl students. The scholarship of Rs. 1000/- to Rs. 10,700/- is awarded to every selected student.

3.2 An outlay of Rs.5000 crore has been provided in the XII Five Year Plan to award 414.50 Lakh scholarships fresh and renewals during the Plan period (2012-17). Rs.5164.45 crore have been released for awarding 3,40,56,999 scholarships during XII Five Year Plan and for financial year 2017-18 (upto 31.01.2018) including 50.87% girls.

(ii) POST-MATRIC SCHOLARSHIP SCHEME

3.3 The scheme of Post-matric scholarship for students belonging to the minority communities was launched in November, 2007. It is a Central Sector Scheme. Post-matric Scholarship is awarded for studies in India in a government higher secondary school/college including residential government higher secondary school/college and eligible private institutes selected and notified in a transparent manner by the State Government/Union Territory Administration concerned. The scholarship of Rs. 6000/- to Rs. 15000/- is awarded to every selected student.

3.4 Students who secure 50% marks in the previous year's final examination and whose parents' / guardians' annual income does not exceed Rs. 2.00 lakh are eligible for award of scholarship. Under the scheme, 5 lakh Fresh scholarships are proposed to be awarded every year in addition to the renewals. 30% of scholarships have been earmarked for girl students. In case sufficient numbers of girl students are not available, then eligible boy students are given these scholarships.

3.5 An outlay of Rs. 2850.00 crore has been provided in the 12th Five Year Plan to award 37.02 lakh Fresh scholarships and Renewals during the Plan period (2012-18). Rs.2326.01 crore have been released for awarding 42,23,730 scholarships during XII Five Year Plan and for financial year 2017-18 (upto 31.01.2018) including 55.92% girls.

(iii) MERIT-CUM-MEANS BASED SCHOLARSHIP SCHEME

3.6 The Merit-cum Means Scholarship Scheme is a Central Sector Scheme launched in 2007. The entire expenditure is being borne by the Central Government. Scholarships are awarded for pursuing professional and technical courses, at under-graduate and post-graduate levels, in institutions recognized by appropriate authority. Under the scheme, 60,000 Fresh scholarships are proposed to be awarded every year in addition to the renewals. 30% of these scholarships are earmarked for girl students, which may be utilized by eligible boy students, if an adequate numbers of eligible girl students are not available.

3.7 85 institutes for professional and technical courses have been listed in the scheme. Eligible students from the minority communities admitted to these institutions are reimbursed full course fee. A course fee of Rs.20,000/- per annum is reimbursed to students studying in other institutions. Besides, a student is also eligible for maintenance allowance. Rs. 5000/- for day scholar or Rs. 10000/- for hostellers.

3.8 To be eligible, a student should have secured admission in any technical or professional institution, recognized by an appropriate authority. In case of students admitted without a competitive examination, students should have secured not less than 50% marks. The annual income of the family from all sources should not exceed Rs.2.50 lakh.

3.9 An outlay of Rs. 1580 crore has been provided in the XII Five Year Plan to award 4.91 Lakh scholarships fresh and renewals during the plan period (2012-17). Rs.1634.99 crore have been released for awarding 6,13,472 scholarships during XII Five Year Plan and for financial year 2017-18 (upto 31.01.2018) including 35.13% scholarships have been awarded to girl students.

Students being imparted education under the scheme

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

CHAPTER-4

MAULANA AZAD NATIONAL FELLOWSHIP

4.1 The Maulana Azad National Fellowship (MANF) scheme for Minority Students was launched on 11th April, 2009 as a Central Sector Scheme (CSS). The Scheme is implemented through University Grants Commission (UGC). 100% Central Assistance is provided under the Scheme. The objective of the scheme is to provide five year fellowships in the form of financial assistance to students from notified minority communities, as notified by the Central Government to pursue higher studies such as M.Phil and Ph.D. courses. The Fellowship covers all Universities/Institutions recognized by the University Grants Commission (UGC). The Fellowship under the Maulana Azad National Fellowship for Minority students is on the pattern of University Grants Commission (UGC). Fellowship is awarded to research scholars pursuing regular and full time M.Phil and Ph.D. courses In order to qualify for the award of JRF/SRF, the UGC norms would be applicable at pre-M.Phil and pre-Ph.D stage, respectively, including the minimum score of 55% at post graduate level. 30% of the fellowships have been earmarked for female candidates. In case there is shortage of female candidates, the fellowship can be passed on to male candidates of the same minority community.

4.2 The scheme has been approved by competent authority for its continuation beyond 12th five Years plan period up-to remaining period of 14th Finance Commission i.e. 2019-20 with some modifications.

4.3 As per revised scheme number of fellowships has been increased from 756 to 1000 for the years 2018-19 & 2020. The annual income ceiling of the parents/guardian of the candidate to be eligible for availing of the fellowship has been increased from 2.50 lakh to 6.0 lakh. Prior clearance of CBSE-NET/ CSIR-NET examination will be a prerequisite for award of fellowship under this scheme. The fellowship amount to the selected candidates is disbursed directly into the account of beneficiaries in Direct Benefit Transfer (DBT) mode.

4.4 An outlay of Rs. 494.40 crores has been approved for the remaining period of 14th Finance Commission (2017-18 to 2019-20) to provide financial assistance in form of fellowship to 2756 fresh scholars in addition to the renewals.

4.5 During the financial year 2017-18, 756 fresh students have been awarded the fellowships under the scheme. As on date 31/12/2017, an amount of Rs.99.85 crores has been released to UGC for further disbursement of fellowship amount to the eligible scholars.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

CHAPTER-5

NAYA SAVERA - FREE COACHING AND ALLIED SCHEME

5.1 The "Free Coaching and Allied Scheme for the candidates belonging to "minority communities" was launched on 17th July 2007 by this Ministry.

5.2 The objective of the scheme, is to enhance skills and knowledge of students and candidates from minority communities to get employment in Government Sector/ Public Sector Undertaking, jobs in private sector, and admission in reputed institutions in technical and professional courses at under-graduate and post-graduate levels.

5.3 The scheme has been approved by competent authority for its continuation beyond 12th five Years plan period upto remaining period of 14th Finance Commission i.e. 2019-20 with some modifications.

5.4 As per the revised scheme, candidates belonging to the notified Minority Communities, having total family income from all sources not exceeding Rs.6.00 lakh per annum, will be eligible for availing of the benefit of the scheme. The organisations/implementing agencies need to obtain income certificate from the concerned student/candidate issued by the competent authorities in the respective States/UTs. 30% of the numbers sanctioned for coaching have been earmarked for girl students/candidates. In case, the sufficient number of eligible female candidate/ students are not available the remaining slots will be filled by male students/candidates with prior permission/intimation to the Ministry.

5.5 A New Component under Free Coaching & Allied Scheme was added from 2013-14 for focused preparation of Minority Students at classes 11 & 12 with Science subjects viz (Physics, Chemistry, Biology and/or Mathematics) and it was launched on pilot basis in 10 States/ UTs only. However, as per revised scheme this New Component is proposed to be implemented on PAN India subject of availability of eligible institution/organization and sufficient funds. A one year residential coaching programme for the students who have passed 12th class with 75% marks with science subjects has also been added to the New Component.

5.6 Apart from above, a special residential coaching programme for composite preparation of Civil Service Exams has also been added in the scheme. However, students who would take residential coaching for composite preparation Civil Services exam will not be eligible to get benefit under "Nai Udaan" Scheme of the ministry.

5.7 Under the scheme, financial assistance is provided to the selected coaching institutions/ organizations for imparting free coaching to minority students for preparation of entrance examinations/ competitive exams for professional courses and government jobs. The rate of coaching fees payable to the coaching institutions/organization and stipend amount to the students are given below:

Type of Coaching	Coaching fee per Candidate	Amount of Stipend per Month per student	Duration
Residential coaching programme for composite preparation of Civil Service Exams	As fixed by the institute, subject to a maximum of Rs. 1.00 lakh	No stipend to be paid. Residential programme with free boarding and lodging.	9 months
Group 'A' Services	As fixed by the institute, subject to a maximum ceiling of Rs. 50,000/-	Rs. 2500/- per month	6 months

Type of Coaching	Coaching fee per Candidate	Amount of Stipend per Month per student	Duration
Entrance examination for technical/ professional Courses	As fixed by the institute, subject to a maximum ceiling of Rs. 50,000/-	-Do-	6 months
Group 'B' Services	As fixed by the institute, subject to a maximum ceiling of Rs. 30,000/-	-Do-	4 months
Group 'C' Services	As fixed by the institute, subject to a maximum ceiling of Rs. 20,000/-	-Do-	3 months
New Component (Focused Coaching for preparation of Engineering/ Medical entrance exam.	As fixed by the institute subject of maximum of ceiling of Rs. 1.0 lakh.	No stipend to be paid. Residential programme with free boarding and lodging.	8-10 months.

5.8 An outlay of Rs. 238.75 crore has been approved for the remaining period of 14th Finance Commission (2017-18 to 2019-20) for providing free coaching to about 33000 students from notified minority communities. Budget allocation for 2017-18 is Rs. 48.00 crore out of which, as on 31.12.2017, Rs. 32.21 crore have been released to various coaching institutions/organizations towards providing free coaching to 9699 students under the scheme.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

CHAPTER-6

NAI UDAAN

Support for Minority Students clearing Prelims conducted by Union Public Service Commission (UPSC), Staff Selection Commission (SSC), State Public Service Commissions (SPSCs) etc.

6.1 The objective of the Scheme is to provide financial support to the minority candidates clearing prelims conducted by Union Public Service Commission, Staff Selection Commission and State Public Service Commissions to adequately equip them to compete for appointment to Civil Services in the Union and the State Governments and to increase the representation of the minority in the Civil Services by giving direct financial support to candidates clearing Preliminary Examination of Union Public Service Commission (UPSC); State Public Service Commissions (SPSCs) and Staff Selection Commission (SSC) etc.

6.2 The scheme has been approved by competent authority for its continuation beyond 12th five Years plan period upto remaining period of 14th Finance Commission i.e. 2019-20 with some modifications.

6.3 As per the revised scheme, for availing of the benefit under the scheme, the total annual family income of the candidates has been increased from Rs. 4.50 lakh to Rs. 6.00 lakh. The financial support can be availed by a candidate only once. The candidate will not be eligible to benefit from any other similar Scheme of the Central or State Governments /UT Administrations. Also , candidates who have availed the benefit of this Scheme shall not be eligible to avail the benefit under the Free Coaching and allied scheme of the Ministry

6.4 Every year up to a maximum of 2000 candidates will be given financial support under the scheme throughout the country on fulfilling the eligibility criteria. Selection of the candidates will be based on exam wise/community wise numbers of slots are fixed. The rate of financial assistance will be maximum Rs. One lakh only (Rs. 1,00,000/- for clearing Civil Services Preliminary exam conducted by Union Public Service Commissions; Rs. Fifty Thousand only (Rs.50,000/-) for clearing prelims exam conducted by State Public Service Commissions etc. (Gazetted post); and Rs. Twenty Five Thousand (Rs. 25,000/-) for clearing preliminary exam conducted by Staff Selection Commissions-Combined Graduate Level (SSC-CGL) for Non- Gazetted Post. The revised rate is applicable for the applications received after 29.09.2017.

6.5 Eligible candidates may apply online through the portal i.e. www.naiudaanmoma.gov.in for availing of the benefit under the Scheme within one month from the date of declaration of result. The amount of the financial assistance is credited directly into the account of the beneficiaries

6.6 The total projected cost of the scheme for three Financial Years i.e. (2017-18, 2018-19 & 2019-20) has been approved at Rs. 24.75 crores for providing financial assistance to about 6000 minority candidates. During the Financial Year 2017-18 (as on 31.12.2017), budget allocation is Rs. 4.0 crore out of which Rs. 3.12 crore have been released to 681 candidates who have cleared Prelims conducted by UPSC and various States Public Service Commissions.

Felicitation ceremony under the scheme

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

CHAPTER-7

PADHO PARDES

SCHEME OF INTEREST SUBSIDY ON EDUCATIONAL LOANS FOR OVERSEAS STUDIES FOR THE STUDENTS BELONGING TO THE MINORITY COMMUNITIES

7.1 The objective of the Scheme is to award interest subsidy to meritorious students belonging to economically weaker sections of notified minority communities so as to provide them better opportunities for higher education abroad and enhance their employability. The interest subsidy under the scheme shall be available to the eligible students only once, either for Masters or Ph.D levels. The student should have secured admission in the approved courses at Masters, M.Phil or Ph.D levels abroad for the courses. The scheme is implemented through a nodal bank i.e. Canara Bank as per the MOU signed between MOMA and Canara Bank.

7.2 Interest payable by the students availing of the education loans of the IBAfor the period of moratorium (i.e. course period, plus one year or six months after getting job, whichever is earlier) as prescribed under the Education Loan Scheme of the IBA, shall be borne by the Government of India. After the period of moratorium is over, the interest on the outstanding loan amount shall be paid by the student, in accordance with the existing Educational Loan Scheme as may be amended from time to time. The Candidate will bear the Principal amount and interest beyond moratorium period. The scheme has been approved by the competent authority w.e.f 29.09.2017.

7.3 The total income from all sources of the employed candidate or his/her parents/guardians in case of unemployed candidate shall not exceed Rs. 6.00 lakh per annum. 35% seats will be earmarked for girl students. In case of non-availability of girl students, seats can be transferred to boys students.

7.4 The scheme has been approved by competent authority for its continuation beyond 12th five Years plan period upto remaining period of 14th Finance Commission i.e. 2019-20 with projected cost of Rs. 64.00 Crore and physical target of 1200 in addition to renewals.

7.5 During the year 2017 (as on 31/12/2017) out of total budget allocation of Rs. 8.0 crore , Rs. 6.52 crores has been released to the Canara Bank, for reimbursement of interest subsidy in respect of 736 renewal candidates under the scheme.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

CHAPTER-8

NAI ROSHNI

The Scheme for Leadership Development of Minority Women

8.1 Ministry of Minority Affairs implements an exclusive scheme "Nai Roshni" the scheme for Leadership Development of Minority Women with an aim to empower and instill confidence in women by providing knowledge, tools and techniques for interacting with Government systems, banks and intermediaries at all levels. The scheme is implemented through empanelled Non-Governmental Organizations (NGOs).

8.2 It is six days (five days for residential) sensitization programme followed by handholding for a period of one year on specific Training modules designed by the Ministry covering issues relating exclusively to women. The Training modules cover issues relating to women viz. Leadership of Women through participation in decision making, Educational Programmes for women, Health and Hygiene, Legal rights of women, Financial Literacy, Digital Literacy, Swachch Bharat, Life Skills, and Advocacy for Social and Behavioral change.

8.3 In 2015-16, Ministry has launched an Online Application Management System (OAMS) which has brought transparency, simplified online application procedure, curtailed delays and enabled online issue of sanctions.

8.4 Since inception, training of more than 2.97 lakh women have been sanctioned across the country in 27 States with an amount of Rs.66.00 crore. The implementation of the scheme is monitored by the District Administration.

Financial and physical achievements during 12th Five Year Plan (2012-13-2016-17)

Year	B.E	RE in Rs. Crores	Expenditure (Rs. in Crore)	Physical Target (No. of Women to be Trained)	Achievement (Trainees/Sanctioned women)
2012-13	15.00	12.80	10.45	40,000	36,950
2013-14	15.00	14.74	11.96	40,000	60875
2014-15	14.00	14.00	14.00	40,000	71075
2015-16	15.00	15.00	14.99	40,000	58725
2016-17	15.00	15.00	14.72	40,000	69125
Total	74.00	71.54	66.12	2,00,000	2,96,750

8.5 The Scheme "Nai Roshni" is approved for 3 years i.e. period of 14th Financial Commission (2017-2020) with revised guidelines, with special emphasis on identification of those women who are willing and can be further trained under any short duration training for Economic empowerment besides general handholding so that they could get sustainable economic livelihood opportunities through suitable wage employment or self-employment / micro-enterprises, which includes programme for Handicapped Women.

Status of the scheme 'Nai Roshni'- scheme for Leadership Development of Minority Women 2017-18 (as on 20/01/2018)

Year	Financial Target (BE/RE) (in Rs. Crore)	Physical Target (BE/RE)	Financial achievements as on 20/01/2018 (in Rs. Crore)	Physical Achievement
2017-18	17.00	50,000	1.80	Yet to Sanction

CHAPTER-9

HAMARI DHAROHAR

A scheme to preserve Rich Heritage of Minority Communities of India under the Overall Concept of Indian Culture

9.1 A scheme for selective intervention to showcase the contribution of minorities in rich heritage of India.

9.2 Approved during 2014-15.

9.3 The scheme has the following objectives:

(i) To curate rich heritage of minorities under overall concept of Indian Culture.

(ii) Curating iconic exhibitions.

(iii) Preservation of literature/ documents etc.

(iv) Support and promotion of calligraphy etc.

(iv) Research and Development.

9.4 Activities covered under the scheme (for preservation of heritage) are s under:

a. Curating exhibitions including iconic exhibitions/Performing art for showcasing and preserving heritage.

b. Support and promotion of calligraphy etc.

c. Preservation of literature, documents, manuscripts etc.

d. Documentation of oral traditions and art forms.

e. Support to ethnic museums (not supported under schemes of Ministry of Culture or its bodies) for showcasing and preserving heritage of minority communities.

f. Support for organizing heritage related seminars/ workshops.

g. Fellowship for research in preservation of heritage and development.

h. Any other support to individual/ organization in furtherance of cause of protection and promotion of rich heritage of minority communities.

9.5 Projects undertaken so far:

1. The Everlasting Flame:

Hon'ble FM in his Budget Speech for 2015-16 announced the Exhibitions on Parsi culture namely "the Everlasting Flame". Three exhibitions- "The Everlasting Flame", "Threads of Continuity" and "Across the Oceans and Flowing Silks" were held during 2015-16 to exhibit Parsi culture. Rs. 18.73 crore were released for the project.

2. Project implemented by Dairatul Maarifil Osmania, Osmania University:

For translation of 240 documents belonging to medieval period from Arabic to English, their digitization and re-printing. Rs. 2.77 crore were released to the Organisation during 2015-16.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

CHAPTER-10

NAI MANZIL

An Integrated Education and Livelihood Initiative for the Minority Communities

10.1 Nai Manzil is a new initiative of the Government. It was launched on 8th August, 2015 at Patna, Bihar. The Scheme aims to benefit the minority youths who do not have a formal school leaving certificate, i.e those in the category of school- dropouts or educated in community education institutions like Madarsas, in order to provide them formal education and skills, and enable them to seek better employment and livelihoods in the organized sector.

10.2 The Scheme has been approved with the cost of Rs.650.00 Crore for five years with 50% funding from the World Bank. The World Bank has approved the funding of US$50 million. This is the first World Bank supported programme for minority welfare in this Ministry. The scheme is also significant as it combines education with skills for school dropouts which will significantly enhance their employability.

The scheme is being implemented by 38 Project Implementing Agencies (PIAs)through 72 projects spread across the Country in 22 states, who provide non- residential integrated education and skill training for 9 to 12 months, of which a minimum of 3 months be devoted to skill training compliant with the National Skills Qualifications Framework (NSQF). After completion of skill training according to the defined framework, the beneficiaries will be placed in jobs appropriate to their qualifications.

10.3 Total target number of beneficiaries to be covered under the Nai Manzil Scheme 1lakh persons, however in the present phase number of target beneficiaries targeted to be covered is 69840 persons. Process for hiring new PIAs for covering remaining 30160 persons / beneficiaries in the Scheme is underway. A newspaper advertisement for empanelment of more PIAs was released on 2nd Dec 2017.

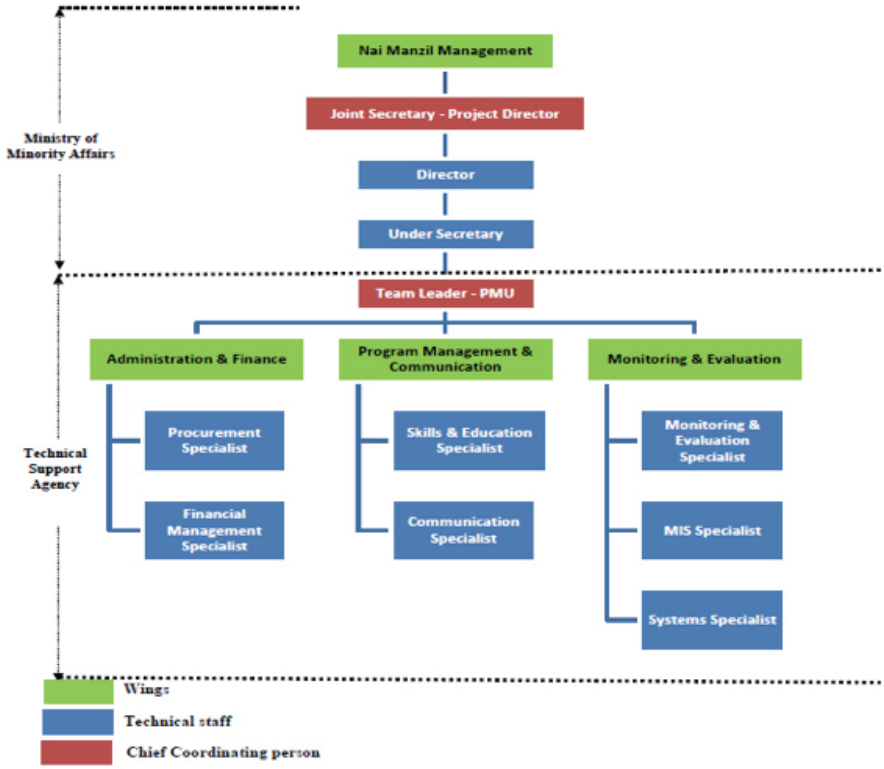

Nai Manzil Scheme Implementation Structure

10.4 To manage day to day functions of the Scheme a Project Management Unit (PMU) is being set up within the Ministry consisting of seven technical experts and a team leader consisting of:

Team Leader, Education and Skills Specialist, Communication Specialist, MIS Specialist, Procurement Specialist, Finance Management Specialist, M&E Specialist and System Analyst.

10.5 As per As per data collected through excel based MIS of the Scheme as of Dec 2017, 38 PIAs comprising of 19 societies, 1 Govt. organization, 5 trusts and 13 companies have been given a target of covering 69840 persons, implementing the Scheme through 72 projects comprising of 970 beneficiaries each. While 28% of candidates are enrolled in Open Basis Education (OBE)61% of candidates are enrolled in Secondary Education. At the ground level 228 Key resource persons are being appointed across PIAs comprising of 1129 teachers to support the students in their studies and 473 other staff are supporting in the implementation of the scheme, altogether there are 1803 operational staff supporting at field level.

Nai Manzil Bhilwara centre, Rajasthan

Nai Manzil Patna centre, Bihar

10.6 For the year 2017-18 Rs 125.00 Crores have been earmarked for implementation of the Nai Manzil Scheme. To facilitate Scheme implementation process of hiring/ empanelling four external technical support agencies i.e. Independent Verification Agency for Disbursement Linked Indicators, MIS (design, development & management) agency, Agency for Monitoring & Evaluation, Agency for developing IEC strategy and Implementation is underway.

10.7 Two Steering Committee Meetings were held to supervise the implementation of Nai Manzil Scheme. First Steering Committee Meeting was held on 13th October 2017 while the Second one was held on 13th December 2017.

Students of Nai Manzil Scheme in Meghalaya

Trainers Teaching at Nai Manzil Centre at Boniyar Centre Distt Baramulla, J&K

10.8 A full day Orientation Workshop for Nai Manzil Project Implementing Agencies (PIA) was organized on 31st October, 2017 at Park Hotel, New Delhi by the Ministry of Minority Affairs (MoMA) Govt. of India and the World bank. The daylong workshop was aimed at orientation of 38 Project Implementing Agencies implementing the Scheme in 22 states of the country. Director MoMA, Secretary NIOS, World bank officials, PIAs and officials from MOMA attended the Workshop. Detailed report of the Workshop was published on the Ministry website.

10.9 All the members of PMU undertook Systematic Tracking of Exchanges in Procurement (STEP) training by the World Bank to build capacity of the Team to undertake procurement in desired manner.

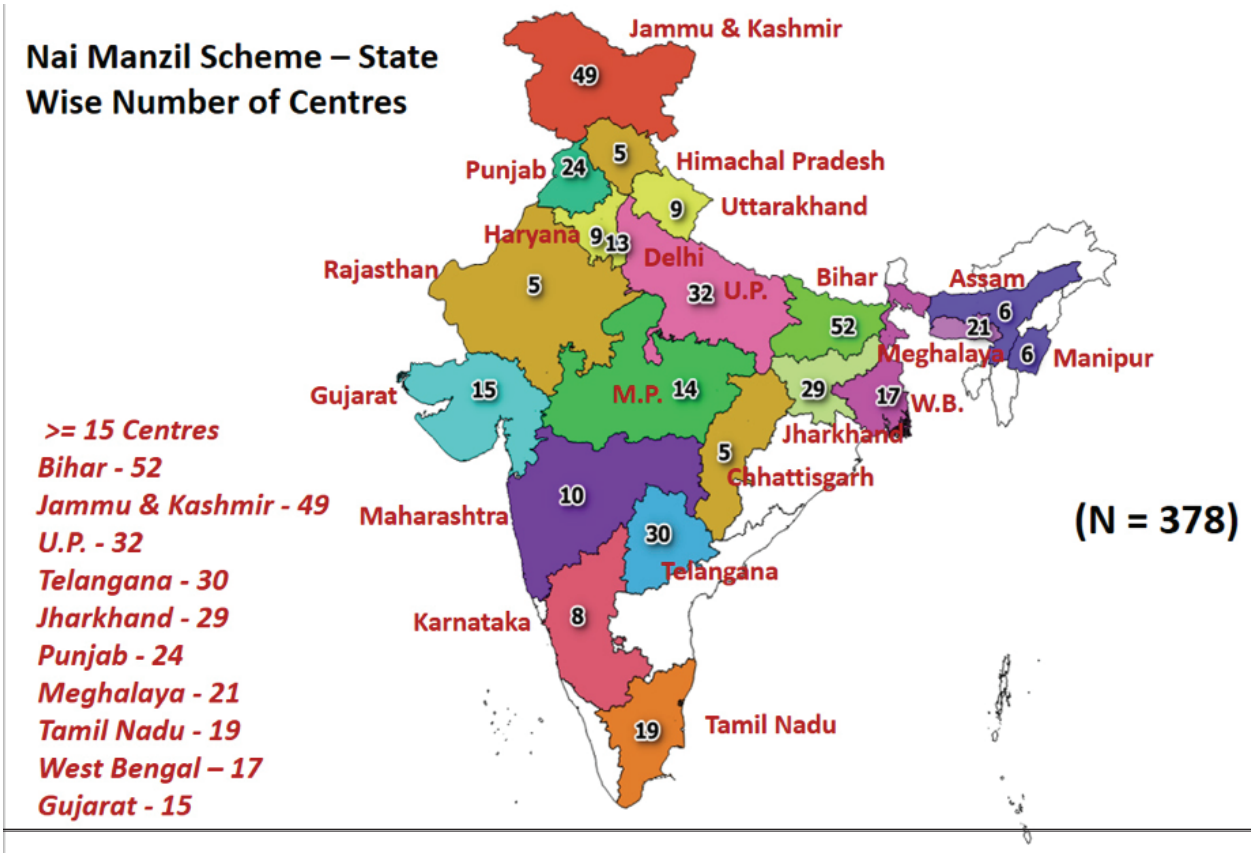

10.10 10.10 Under the Environmental Safeguards, the candidates will be taken through a three hour module on Health Safety and Environment, also a brief session on labour welfare legislation will be included as its part. Under the Social Safeguards eight states have been identified where Scheduled Tribes are about 10% and more. For each these states, an Indigenous Peoples Development Plan is being created through community consultations in catchment areas around the Nai Manzil centres.

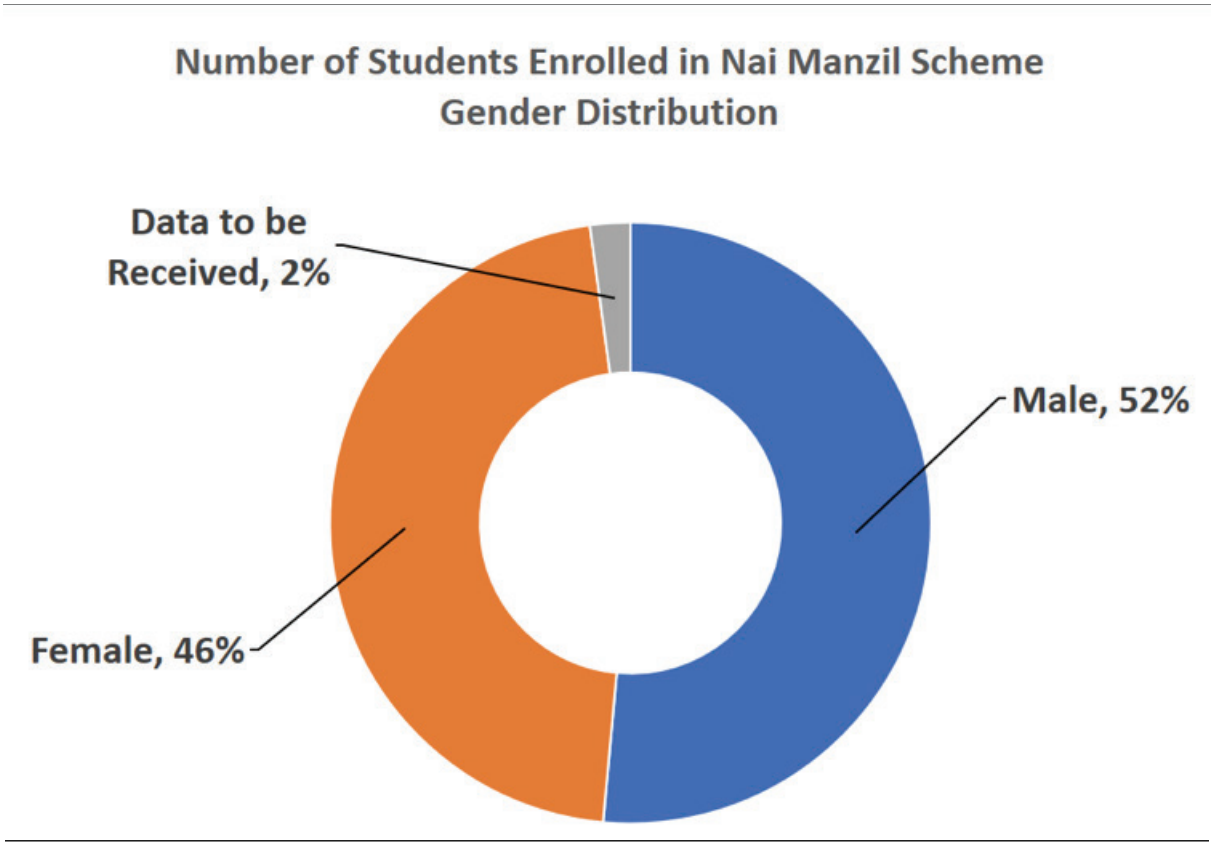
Number of Students Enrolled in Nai Manzil Scheme
Gender Distribution
Data to be Received, 2%
Male, 52%
Female, 46%

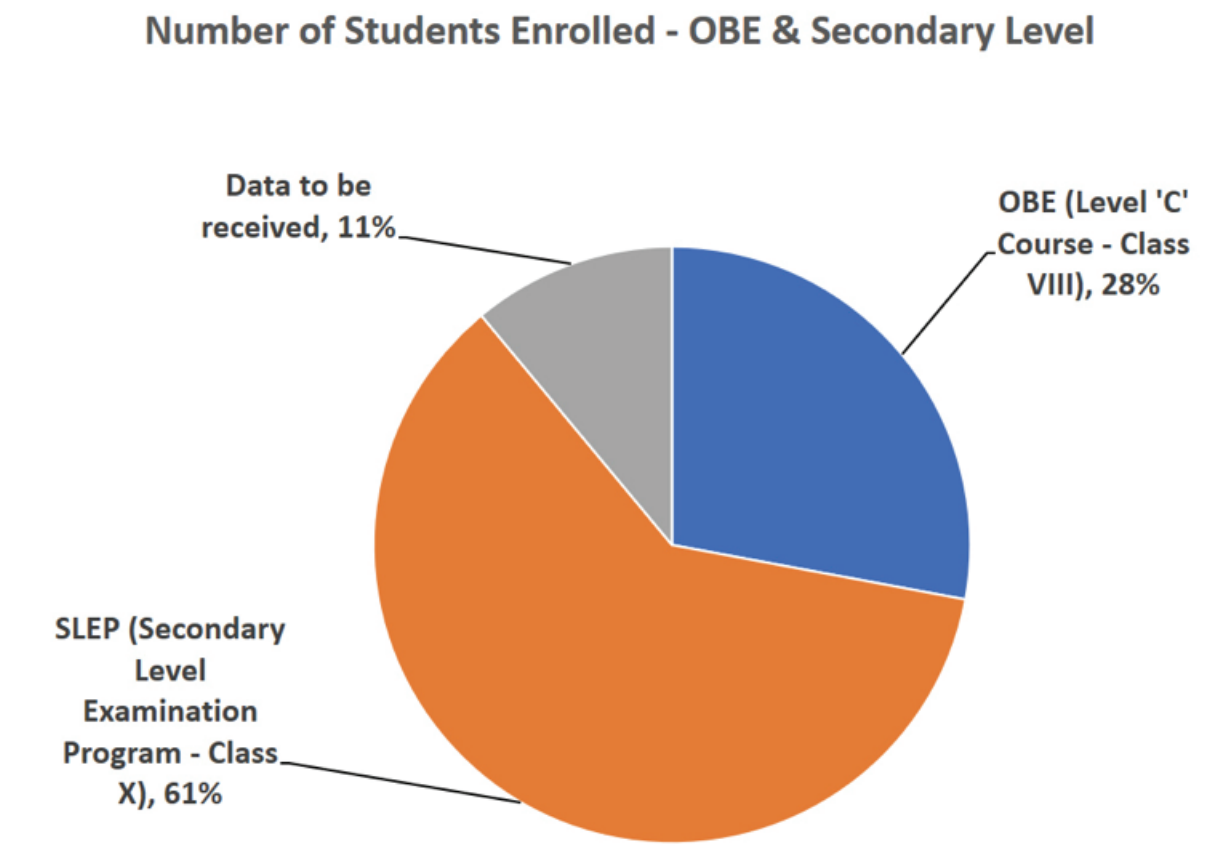
Number of Students Enrolled - OBE & Secondary Level
Data to be received, 11%
OBE (Level 'C' Course - Class VIII), 28%
SLEP (Secondary Level Examination Program - Class X), 61%

CHAPTER-11

Scheme-wise allocation of Budget for implementation of various programmes in North Eastern Region for the year 2017-18 & 2018-19.

(Rs. In Crore)

S.No.	Name of Scheme	BE 2017-18	RE 2017-18	BE 2018-19
1	Merit-cum-Means Scholarship for professional and technical courses for minorities	20.00	20.00	25.00
2	Pre-Matric Scholarship for Minorites	41.50	41.50	50.00
3	Post-Matric Schloarship for Minorities	30.00	30.00	40.00
4	Grant-in-Aid to State Channelizing Agencies (SCAs) engaged for implementation in NMDFC programmes	0.20	0.20	0.30
5	Scheme for Leadership Development of Minority	1.50	1.50	2.00
6	Computerization of records of State Waqf Boards	0.30	0.70	1.30
7	Strengthening of State Waqf Boards	0.50		
8	National Fellowship for Students from Minority Communities	8.00	8.00	18.00
9	Skill Development Initiatives	25.00	25.00	28.00
10	Investment in Public Enterprises, NMDFC	15.00	15.00	15.00
11	Multi-sectoral Development Programme for Minorities (MsDP)	124.91	142..11	233.84
12	Support for Students clearing Prelims conducted by UPSC, SSC etc.	0.40	0.40	1.00
13	Free Coching & Allied Scheme for Minorities	3.00	3.00	6.00
14	Nai Manzil			12.00
	Grant Total	**270.31**	**287.41**	**432.44**

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

CHAPTER-12

SKILL DEVELOPMENT INITIATIVE FOR MINORITIES

"Seekho aur Kamao" (Learn & Earn)

12.1 Ministry has launched "Seekho aur Kamao (Learn & Earn)", a placement linked Skill Development scheme for Minorities in 2013. The scheme aims to upgrade the skills of minority youth in various modern/ traditional skills depending upon their qualification, present economic trends and market potential, which can earn them suitable employment or make them suitably skilled to go for self-employment.

12.2 The scheme is implemented through Selected Project Implementing Agencies (PIAs).

12.3 Under the scheme, Common Norms of Ministry of Skill Development & Entrepreneurship (MSDE) for skill development program are followed. National Skill Qualification Framework (NSQF) compliant courses are taken up. In addition, traditional skills being practiced by the minority communities are also taken up for up-gradation and market linkages.

12.4 The scheme ensures placements of minimum 75% trainees, out of which at least 50% placement is in organized sector.

12.5 Post placement tracking of trainees is mandatory for PIAs for one year. During the post placement tracking, particularly for those who are engaged in organized sector, PIAs are required to maintain information bank account number of the placed candidates, salary slips etc.

12.6 Minimum 33% seats are earmarked for minority girls/ women under the scheme.

12.7 During 2013-14, Rs.17.00 Crore was released for skill development training of 20,164 minority youths. Out of them 19524 candidates were trained and 15,247 candidates were placed.

12.8 During 2014-15, Rs. 46.21 crore was released for training of 20,720 trainees. Out of them, 20,686 minority youth were trained and 15694 trainees have been placed.

12.9 During 2015-16, Rs. 191.96 crore was released for training of 1,23,330 minority youths. As per report received till 31.12.2017, training of 96,494 minority youths have been completed and out of them 45496 trainees have been placed.

12.10 During 2016-17, Rs. 204.93 Crore was released for skill training of 53,240 minority youths. As per reports received till 31.12.2017, training of 47,947 minority youths have been completed.

12.11 During 2017-18, 1,20,000 minorities will be trained. Till 31.12.2017, training of 83,000 minority youth has been allocated. Efforts have been made to align the monitoring and assessment standards with those of National Skill Development Corporation (NSDC), Ministry of Skill Development & Entrepreneurship (MSDE).

12.12 Ministry has also launched an Online portal of Seekho aur Kamao i.e. www.seekhoaurkamao-moma.gov.in. for Management Information System (MIS) with details of Project Implementing Agencies (PIAs), trainees, trainers, location of projects etc. Important information about Project Implementing Agencies, training centres, locations, trainees, sector of training etc., for the information of general public as well as employers.

CHAPTER-13

Upgrading the Skills and Training in Traditional Arts/ Crafts for Development (USTTAD)

13.1 USTTAD (Upgrading the Skills and Training in Traditional Arts/ Crafts for Development) was formally launched on 14th May, 2015 at Varanasi (U.P.).

13.2 The scheme aims capacity building and updating the traditional skills of master craftsmen and artisans; documentation of identified traditional arts/crafts of minorities; set standards of traditional skills; training of minority youths in various identified traditional arts/crafts through master craftsmen; and develop national and international market linkages.

13.3 The Ministry has engaged the institutions of national repute namely, National Institute of Fashion Technology (NIFT), National Institute of Design (NID) and Indian Institute of Packaging (IIP) to work in various craft clusters for design intervention; product range development; packaging; exhibitions, tying up with e-marketing portals to enhance sales; and brand building.

13.4 Out of earmarked Budget of Rs. 17.01 crore for 2015-16, Rs. 16.90 crore (more than 99%) was utilized.

13.5 During 2016-17, Rs 20.00 Crore was earmarked for training in traditional crafts in 2016-17. Total 16,200 trainees were sanctioned to Project Implementing Agencies (PIAs) for implementation of scheme in 11 States and Rs. 19.77 crore have been released to 38 PIAs.

13.6 During 2017-18 (upto 31.12.2017), Rs. 14.89 crore have been released to PIAs of remaining installment of 2016-17.

13.7 Selection of new PIAs for implementation of USTTAD scheme during 2017-18 is under process.

13.8 The Ministry of Minority Affairs organized following 3 “Hunar Haat”, an exhibition to promote the traditional arts/crafts being practiced by minority communities under the brand USTTAD through National Minorities Development and Finance Corporation during 2017-18:

(i) Puducherry – 24th September to 30th September 2017

(ii) India International trade Fair – 2017 (14th Nov. to 27th Nov. 2017).

(iii) Mumbai – 3rd to 10th January 2018.

“Union Minister Shri Mukhtar Abbas Naqvi inaugurated the HUNAR HATT at 37th Indian International Trade Fair, at Pragati Maidan, New Delhi”

"HUNAR HATT" organized at Puducherry

Haat organized at Baba Kharak Singh Marg, New Delhi

CHAPTER-14

JIYO PARSI - SCHEME FOR CONTAINING POPULATION DECLINEOF PARSIS IN INDIA

For containing the population decline of the Parsi community a Central Sector Scheme 'Jiyo Parsi' was launched during 2013-14. The objective of this scheme is to reverse the declining trend of Parsi population by adopting a scientific protocol and structured interventions to stabilize their population and balance their population in India.

14.1 The Scheme is implemented by the Parzor Foundation, New Delhi with the help of the Bombay Parsi Panchayat (BPP) and through the organizations/societies /Anjumans and Panchayat of the community concerned in existence for not less than three years.

14.2 The Scheme has been revised w.e.f 29.09.2017 by adding a new component i.e. Health of the Community under the Scheme. It covers crèche/childcare support, senior citizen honorarium for childcare, assistance to elderly. The component of assistance for elderly dependents is envisaged to provide monetary assistance to Parsi couples with family income below Rs. 10 lakhs who have elderly members residing with the family and in cases where such responsibility is a deterrent to starting or increasing the number of children.

14.3 There are three component under the scheme namely, Advocacy, Health of the Community and Medical Assistance. Total budgetary provision of Rs. 12 crore for these three components has been made for implementation of the scheme during 2017-2018 to 2019-2020. Fund can be transferred from one component to other component with the approval of the competent authority.

14.4 During the year 2017 (as on 31/12/2017), out of total budget allocation of Rs. 4.0 crore an amount of Rs. 1.42 crore has been released to Parzor Foundation for Medical Assistance and Advocacy components. As on 07/01/2018, 131 babies have been born with the assistance of the Jio Parsi Scheme since 2013-14.

Union Minister Shri Mukhtar Abbas Naqvi addressing the Parsi Community

CHAPTER-15

SCHEMES TO STATE CHANNELISING AGENCIES OF NATIONAL MINORITIES DEVELOPMENT AND FINANCE CORPORATION (NMDFC)

15.1 The National Minorities Development and Finance Corporation implements its schemes primarily through the State Channelising Agencies (SCAs) nominated by the respective State Governments. The SCAs identify beneficiaries, channelize the lending and make recoveries from the beneficiaries. However, the most of the State Channelising Agencies have a very weak infrastructure leading to a weak delivery system. Consequently, the performance and the ambit of coverage of NMDFC may not improve unless the infrastructure of these agencies is improved.

15.2 During 2007-08 the Ministry launched a scheme of Grants-in-Aid for improving the infrastructure of the SCAs. Under the scheme, 100% assistance is provided by the Central Govt. to the SCAs through NMDFC. The 10% State share which was earlier a requisite of the scheme has been dispensed with from 2013 onwards. Moreover, the scheme has been simplified by removing the ceiling of expenditure on various components of the scheme giving the SCAs liberty to utilize funds as per their need. The details of amount allocated and released by the Ministry for this scheme is as under:-

(Rs. in crore)

Year	BE	RE	Amount Released by the Ministry
2007-2008	10.00	10.00	10.00
2008-2009	5.00	2.30	0.00
2009-2010	2.00	2.00	2.00
2010-2011	4.00	4.00	3.83
2011-12	2.00	2.00	1.35
2012-13	2.00	0.60	0.00
2013-14	2.00	2.00	2.00
2014-15	2.00	2.00	2.00
2015-16	2.00	2.00	2.00
2016-17	2.00	2.00	1.27
2017-18	2.00	2.00	---

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

CHAPTER-16

COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES (CLM)

16.1 The Office of the Commissioner for Linguistic Minorities (CLM) was established in July, 1957, in pursuance of the provision under Article 350-B of the Constitution, which came into existence as a result of the Constitution (7thAmendment) Act, 1956 consequent to the recommendation of the States Reorganization Commission (SRC). Article 350-B envisages investigation by CLM of all matters relating to the safeguards provided for the linguistic minorities in India under the Constitution and reporting to the President upon these matters at such intervals as the President may direct and the President causes all such reports to be laid before each House of the Parliament and sent to the Government/Administrations of States/UTs concerned. The CLM Organization has its headquarters at Delhi with three Zonal Offices at Belagvi, Chennai and Kolkata. The CLM interacts with States/UTs on all the matters pertaining to the issues concerning implementation of the Constitutional and Nationally agreed Safeguards provided to linguistic minorities. The 52nd Report of the Commissioner for Linguistic Minorities covering the period from July, 2014 to June, 2015, was laid on the table of the Rajya Sabha and Lok Sabha on 03rd May, 2016 and 04th May, 2016 respectively.

CONSTITUTIONAL SAFEGUARDS FOR LINGUISTIC MINORITIES

16.2 Under the Constitution of India, certain Safeguards have been granted to the religious and linguistic minorities. Article 29 and 30 of the Constitution provides for to protect the interests of minorities and recognize their right to conserve their distinct language, script or culture and to establish and administer educational institutions of their choice. Article 347 makes provision for presidential direction for recognition of any language spoken by a substantial proportion of the population of a State or any part thereof for such purpose as the President may specify. Article 350 gives the right to submit representation for redress of grievances to any authority of the Union or a State in any of the languages used in the Union/States. Article 350A provides for instruction in the mother tongue at the Primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups. Article 350B provides for a Special Officer designated as Commissioner for Linguistic Minorities to investigate all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities under the Constitution.

FUNCTIONS AND ACTIVITIES OF THE CLM ORGANIZATION

16.3 The CLM Organization takes up all matters relating to safeguards for linguistic minorities brought to their notice by linguistic minorities-individuals/groups/associations/organization. The CLM personally visits linguistic minority areas and educational institutions for an on-the-spot assessment of the status of implementation of the scheme of safeguards. In this connection the Commissioner holds discussions, when required, with the Chief Ministers, Governors and Lt. Governors of the States, Union Territories. The CLM also holds discussions at the highest levels of administration viz. Chief Secretary, Principal Secretary, (Education) and Principal Secretaries of the Departments entrusted with the monitoring of the implementation of the scheme of Safeguards for linguistic minorities.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

CHAPTER-17

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITIES

17.1 In January, 1978, Government of India, vide an executive order, set up a "Minorities Commission" to safeguard the interests of minorities. With the enactment of the National Commission for Minorities Act, 1992, the Minorities Commission became a statutory body and was renamed as the" National Commission for Minorities".

17.2 The first statutory commission was constituted on 17th May, 1993 The Government of India vide Notification dated 23rd October, 1993 notified five religious communities viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Zoroastrians (Parsis) as minority communities under Section 2(c) of the NCM Act, 1992, vide Government of India notification dated 27th January, 2014, Jains have been notified as minority community under Section 2(c) of the National Commission for Minorities Act, 1992.

17.3 In terms of Section 3(2) of NCM Act, 1992, the Commission shall consist of a Chairperson, a Vice Chairperson and five members to be nominated by the Central Government from amongst persons of eminence, ability and integrity. Five member including the Chairperson are from amongst the minority communities. In accordance with Section 4(1) of the NCM Act, 1992, each member including the Chairperson holds office for a period of three years from the date of assumption of office.

17.4 The main functions of the Commission are to evaluate the progress of the development of minorities, monitor the working of the safeguards provided in the Constitution and in laws enacted by the Central Government/State governments, for the protection of the interests of minorities and look into specific complaints regarding deprivation of the rights of minorities. It also causes studies, research and analysis to be undertaken on the issues relating to socio economic and educational development of minorities and make recommendations for the effective implementation of the safeguards for the protection of the interests of minorities.

17.5 As in 8.11.2017, the Commission consists of the following persons:

i)	Shri Syed Ghayorul Hasan Rizvi	Chairman
ii)	Shri George Kurian	Vice Chairman
iii)	Shri Sunil Singhi	Member
iv)	Ms. Sulekha Kumbhare	Member
v)	Shri Khurshed K. Dastoor	Member
vi)	Shri Manjit Singh Rai	Member

17.6 The National Commission for Minorities, in accordance with Section 12 of the National Commission for Minorities Act, 1992, prepares and submits its Annual report to the Ministry. In accordance with Section 13 of the NCM Act, 1992, the Annual report of the Commission, together with a Memorandum of Action Taken on the recommendations contained therein, in so far as they relate to the Central Government, and the reasons for the non-acceptance, if any, of any such recommendation, is to be laid before each House of Parliament. Recommendations pertaining to various State Governments/UT Administrations are forwarded to them by NCM to take necessary action in accordance with Section 9(3) of the NCM Act, 1992.

17.7 The National Commission for Minorities has submitted Annual Reports up to the year 2016-17 to the Ministry for laying in the Parliament.

17.8 State Governments of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, National Capital Region of Delhi, Jharkhand, Karnataka, Kerala , Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telengana, Uttar Pradesh, Uttaranchal, and West Bengal have set up State Minorities Commissions.

The inauguration of Annual Conference of State Minorities Committee organised by the National Commision of Minorities in New Delhi on January 17, 2017.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

CHAPTER-18

WAQF ADMINISTRATION, CENTRAL WAQF COUNCIL AND NATIONAL WAQF DEVELOPMENT CORPORATION

18.1 Ministry of Minority Affairs is responsible for implementation of the Waqf Act, 1995, which came into force with effect from 1st Janurary, 1996. The Act was last amended in 2013. The Act extends to whole of India except the State of Jammu & Kashmir. Thirty two States/UTs have constituted Waqf Boards under this Act, excluding J & K, which has its own Act.

Framing of Model Waqf Rules

18.2 In order to assist State/UT Waqf Boards to frame Waqf Rules under Section 109 of Waqf Act, 1995 as amended, this Ministry formulated Model Waqf Rules 2016 in consultation with Ministry of Law and Justice. These Rules have been circulated among all State/UT Waqf Boards (SWBs).

Study of restructuring of Central Waqf Council (CWC)

18.3 National Institute of Labour Economics Research and Development (an organization under NITI Aayog) has been awarded the work of Study of restructuring of Central Waqf Council. The Agency has submitted its Final Report. Necessary action on viable recommendation is under consideration.

Appointment of organization heads made in various bodies

i. Shri Rameshwar Prasad Gupta, IAS (GJ:1987) appointed as Managing Director in National Waqf Development Corporation Ltd. (NAWADCO).

ii. Shri I. B. Preezada, IAS (retd.), appointed as Nazim, Durgah Khwaja Saheb, Ajmer

The Waqf Division is implementing the following two schemes:

(i). Quami Waqf Board Taraqqiati Scheme (Formerly known as Scheme of Computerization of Records & Strengthening of State Waqf Boards).

This scheme has been modified this year and two ongoing schemes have been merged in this scheme. Earlier, there were two separate schemes namely Computerization of Records of State Waqf Boards and Strengthening of State Waqf Boards. Under the modified scheme, these are made as component. In the scheme of Quami Waqf Board Taraqqiati Scheme, the GIA is provided in two components.

The component wise details of scheme is furnished as under:-

Component-I:-

Computerization of Records of State Waqf Boards:

The scheme is intended to help streamlining record keeping, introduce transparency, and to computerize the various functions/processes of the Waqf Boards. For this purpose, a web-based software application namely Waqf Management System of India (WAMSI) was developed by NIC for keeping the centralized database covering the following four modules:

(i) Registration of Waqfs

(ii) Mutawalli returns assessments

(iii) Leasing details of properties

(iv) Litigation tracking

Following new provisions have been added in the modified schemes:

i. Financial Assistance @ Rs.550/- per Waqf Property will be provided to SWB for collection of coordinates of Waqf Property for GIS Mapping. For the years during 2017-18 to 2019-20 it is intended to cover GIS Mapping of 10%, 20% and 20% Waqf Property respectively each year.

ii. To Facilitate SWBs to complete data entry in WAMSI Modules, financial assistance for deployment of manpower in form of Assistant Programmer through outsourced agency will be provided.

iii. Financial Assistance for maintenance of Centralized Computing Facility (CCF) in 32 SWBs @ Rs.3.00 lakh per annum for SWBs having more than 6000 Waqf Properties and Rs.2.00 lakh per annum for SWBs having less than 6000 Waqf Property.

iv. One time grant @ Rs.3.00 lakh per SWB would be provided to CWC for ERP Solution for better administration of SWBs.

v. Financial Assistance for setting up of Video Conferencing facility in SWBs & CWC.

vi. Provision of cash award to Muttawalli/Management Committee adopting best practices in computerization of their operation.

As on date, data entry of 5,67,522 of immovable waqf properties have been entered in WAMSI on-line Registration Module.

Component-II:-

Strengthening of State Waqf Boards:

The objective of this component is to strengthen the Waqf Boards resulting in a more transparent and accountable administration and management of their waqf properties and allow improvement in income generation & attaining self-sufficiency. This helps them in removal of encroachment from waqf properties by strengthening their enforcement wing. GIA is provided to SWB subject to certain conditions that will ensure that the functioning and institutional capacity of the State Waqf Boards improves their income generation and become self-sufficient. Improvement in their capabilities will facilitate enhancement in their income that will reduce, and over the period of time, eliminate their dependence on outside financial support.

Earlier, this component was a separate scheme and was in operation since 2014-15. An amount of Rs.15.30 crore was released to State/UT Waqf Board through National Waqf Development Corporation Ltd. (NAWADCO) since inception of the scheme.

Under this component, GIA is provided to SWB for following:

- Financial assistance to SWBs is provided to strengthen their legal & accounting section as well as for training & administrative cost of SWBs.
- GIA is provided for appointment of Survey Assistant, Accountant and Legal Assistant and setting up of Zonal Office in those Waqf Boards having more number of Waqf Properties.
- Financial Assistance @ Rs.3.00 lakh per SWB having more than 6000 Waqf Properties and Rs.2.00 lakh per SWB having less than 6000 Waqf Property to be provided for capacity

building of Muttawalli/Management Committee.

- GIA for Survey Commissioner.
- In the modified scheme CWC has been made Implementing Agency from FY 2017-18 onward.

BE for FY 2017-18 is Rs.13.00 crore. An amount of Rs.7.31 crore during the FY 2017-18 has been released to CWC.

(ii). Shahari Waqf Sampatti Vikas Yojana Scheme (Formerly known as Scheme for the Development of Urban Waqf Properties)

Auqaf are permanent dedications of movable or immovable properties for the purpose recognized by the Muslim law as pious, religious or charitable. Apart from their religious aspects, the auqaf are also instruments for social welfare as the benefits accrue to the needy in social and educational fields. However, majority of the auqaf in the country have a limited and almost static income. The result is that generally the Mutawallis (Managers of the auqaf) find it difficult to adequately fulfill the intention of waqf or the purposes for which these Auqaf are created. Most of the urban waqf lands have potential for development but the Mutawallis and even the Waqf Boards are not in a position to muster enough resources or construction of modern functional buildings on these lands.

With a view to improve the financial position of waqf and the auqaf Boards and to enable them to enlarge the area of their welfare activity, the Central Government provides grant-in-aid to the Central Waqf Council for the specific purpose of advancing financial assistance to Waqf Boards/Waqf Institutions in the country for the development of their Urban Waqf properties.

The Central Waqf Council extends loan to SWBs / Waqf Institutions for specific economically / commercially viable development projects approved by the Council. These projects include construction or reconstruction of commercially viable buildings on waqf land. The augmented income is utilized to enable the Waqf Boards/waqf to strengthen their financial position and to widen their welfare and charitable activities.

BE for FY 2017-18 is Rs.3.16 crore. An amount of Rs.3.16 crore during the FY 2017-18 has been released to CWC.

CENTRAL WAQF COUNCIL

Background and the Statutory provision under Waqf Act

Waqf refers to a religious endowment i.e. a voluntary and irrevocable dedication of movable or immovable property for the purpose as recognized by the Muslim law, as pious, religious or charitable to help the poor, orphans, widows etc. Waqf properties are spread across the country in rural and urban areas, managed by the Mutawallis/Managing Committees under the jurisdiction of the State Waqf Boards. Central Waqf Council is the apex organization of Auqaf under the administrative control of the Ministry of Minority Affairs, which was established in 1964 under the provisions of the Waqf Act, 1954 as Advisory Body to the Central Government on matters concerning the working of the Waqf Boards and the due administration of Auqaf in the country. However, the role of the Council was expanded after the enactment of Waqf (Amendment) Act, 2013 which has empowered it to advise the Central Government, State Governments and State Waqf Boards. In addition, the provision has also been incorporated under section 9(4) of the Waqf Act, 1995 as amended which has also vested with powers to the Council to issue directives to the Boards/ State Governments to furnish information to the Council on the performance of the Boards, particularly on their financial performance, survey, revenue records, encroachment of Waqf properties, Annual and Audit Report etc.

Present composition

The Central Waqf Council consists of Chairperson, who is the Union Minister In-charge of Waqf and such other members, not exceeding 20 in numbers from different categories as stipulated in the Act, may be appointed by the Government of India. During the period under report, Shri Mukhtar Abbas Naqvi, Hon'ble Minister of Minority Affairs is the ex-officio Chairman of the Central Waqf Council. The 11th Council was constituted on 23rd November, 2015 as per provision given in Sub-Section (1) and (2) of Section 9 of the Waqf Act, 1995 as amended. The office of the Central Waqf Council is housed in Central Waqf Bhawan, P-13 & 14, Pushp Vihar, Sector-6, Opposite Family Court, Saket, New Delhi.

Vision

Protection, Retrieval, Development, better Management & E-monitoring of Auqaf under the provision of Waqf Act, 1995 as amended.

Mission

Proactive role in safeguarding the interest of Auqaf and to work with the State Waqf Boards to improve their efficiency and to ensure effective functions for the protection and development of Auqaf across the country to augment the resources for enlarging the welfare activities for community development.

Functions of Central Waqf Council

- To issue directive to the State Waqf Boards on their financial performance, survey, maintenance of Waqf deeds, revenue record, encroachment of Waqf properties, annual report and audit report.
- To advise Central Government, State Governments, State Waqf Boards on matters concerning the working of the Boards and due administration of Auqaf.
- To monitor the implementation of the provisions of Waqf Act, 1995 as amended in States and UTs.
- To render legal advice on protection and retrieval of the Waqf Properties and for removal of encroachment etc.
- To implement the Scheme for Development of Urban Waqf Properties & Identification of potential Waqf land for development.
- To implement Educational and Women Welfare Scheme for skill development and empowerment of the poor, especially Women.
- To implement the Scheme of Computerization of Records and Strengthening of State Waqf Boards, a Central Sector Scheme of Ministry of Minority Affairs, Government of India.
- To seek information from the State Governments/Waqf Boards on the performance of the State Waqf Boards under Section 9(4) of the Waqf Act, 1995 as amended.
- To take up issues concerning Waqf with various departments of Central and State Governments such as ASI, Railways, Revenue and Forest etc.
- To undertake awareness programmes to promote the interest of the Council and to sensitize the Waqf institutions and Board about their roles and responsibilities.

76th Meeting of Central Waqf Council in New Delhi on 29th June, 2017

Progress of the Shahari Waqf Sampatti Vikas Yojana during the year under Report

During the period under report, the Waqf Development Committee (WDC) in its meeting held on 28.12.2017 made recommendation for release of loan to the following projects:

S.No.	Name of Project	Amount recommended
1	Development Project of Syed Suleman Badshah Khadri Dargah,Laxmeshwar(Karnataka)	Rs. 81.50 lacs
2	Development Project of Hidayathul Iquvan Sangham,Ernakulam(Kerala)	Rs. 200.00 lacs
3	Development project of Syed Hasan Mian Zaidi waqf,Jansath, Muzaffarnagar(UP)	Rs.41.00 lacs
	Total	**Rs. 322.50 lacs**

(Rupees Three Crores Twenty Two Lacs Fifty Thousand only)

The Ministry of Minority Affairs during the current financial year has also released a sum of Rs.316.00 lakhs to CWC for the development of the three new projects.

Minor projects funded out of the Revolving Fund

The principal amount repaid by the loanee Waqf forms the Revolving Fund of the Council which is again utilized for advancing loans to minor projects up to Rs.75.00 lacs on the same terms & conditions.

Under the minor projects, the Council has extended total loans amounting to Rs.781.11 lakhs to 100 minor projects out of which 70 projects have been completed.

Scheme of "Quami Waqf Board Taraqqiati Scheme (formerly known as Computerization of Records and Strengthening of State Waqf Boards)

The Central Waqf Council has been designated as the implementing agency of the modified Scheme of "Quami Waqf Board Taraqqiati Scheme" during the period 2017- 2020. Central Waqf Council was earlier authorized to implement the Scheme of "Computerization of the records of State Waqf Boards" and similarly the National Waqf Development Corporation Ltd. (NAWADCO) was assigned to implement the scheme of "Strengthening of State Waqf Boards". However, consequent to the decision to assign the work of both the aforesaid schemes to the Council, renamed it as "Quami Waqf Board Taraqqiati Scheme", the Council has taken over the responsibility of implementing/completing the modified scheme. The office of CWC has already initiated necessary action for effective implementation of the modified scheme under the overall guidance of the Ministry of Minority Affairs, Government of India. During the year 2017-18, the Ministry has released a sum of Rs.7,31,40,925.00 (Rupees Seven Crores Thirty One Lacs Forty Thousand Nine Hundred Twenty Five only) under the modified scheme.

State/UT Waqf Board's Staff training on WAMSI On-Line System

A training programme on WAMSI On-Line System for the staff of State/UT Waqf Board are also conducted through the master trainer of M/s Datapro Computers Pvt. Ltd. an empanelled vendor of NICSI so that the staff could utilize the various features of WAMSI On-Line system and update the records in all the modules. During the period under report training to the staff of the following Boards have been provided.

S.N.	Name of State/UT Waqf Board	Date of Training
1	Bihar(Sunni) & Bihar(Shia)	17.04.2017 to 21.04.2017
2	Gujarat	01.05.2017 to 05.05.2017
3	Punjab & Chandigarh	03.07.2017 to 07.07.2017
4	Haryana	10.07.2017 to 14.07.2017
5	Maharashtra and Dadra & Nagar Haveli	07.08.2017 to 11.08.2017
6	Manipur	21.08.2017 to 26.08.2017
7	Delhi	28.08.2017 to 01.09.2017
8	Meghalaya	30.10.2017 to 03.11.2017
9	Jammu & Kashmir	27.11.2017 to 01.12.2017

Visit to State Waqf Boards by Members and Officers of the Central Waqf Council

During the period under report, Members and officers of the Central Waqf Council visited Maharashtra State Waqf Board, U.P. Sunni & Shia Waqf Boards, Karnataka State Waqf Board, West Bengal Waqf Board, Punjab Waqf Board, Chandigarh Waqf Board, Telangana Waqf Board and Tamil Nadu Waqf Board.

Swachhata Pakhwara

Swachhata Pakhwara (an effort to make India green and clean) was organized in the office of the Central Waqf Council from 15th September to 2nd October, 2017. Various participants of the Council presented their views to motivate the people to participate in such programmes to make it success and achieve the mission of a green and clean Swatch India.

Constitution Day

Constitution Day was celebrated in the office of the Central Waqf Council on 24th November, 2017.

Vigilance Awareness Week

Vigilance Awareness Week was celebrated in the office of the Central Waqf Council from 30.10.2017 to 04.11.2017.

National Waqf Development Corporation Ltd. (NAWADCO)

Background:

India has the largest Waqf land in the world. As per estimation by Sachar Committee Report, 2006 there are about 4.9 lakh registered Waqf properties comprising of about 6 lakh acres of land, approximate market value of these properties is Rs. 1.20 lakh crore. Most of these properties are situated at urban locations, they have the potential of generating an annual income of Rs. 12,000 crores per annum (as per data available in 2006) i.e. at 10% return on market value, if the properties are developed and managed properly. The surplus annual income from these properties would be used for welfare of the people in the Community.

To facilitate development of Waqf Properties, National Waqf Development Corporation Limited (NAWADCO), was established with an authorized capital of Rs. 500 crores, paid up share capital has since reached Rs.19.74 crore. This Corporation is under the aegis of the Ministry of Minority Affairs (MoMA) under the Companies Act, 1956. The mandate is to develop Waqf properties on the preparedness of the interested Muttawallis/State Waqf Boards across India to enhance the income of State Waqf Boards/ Waqf Institutions for socio-economic empowerment of minorities. The shareholding pattern of the Corporation is as under:

S.No.	Name of the Organisation	Percentage (%)
1.	National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC)	49
2.	Central Waqf Council (CWC)	09
3.	Retail Segment (Waqf Institutions & Public including bodies corporate)	42
	Total	**100**

II. Identification of Waqf Properties: -

NAWADCO has been able to identify more than 100 (One Hundred) Waqf properties across India, which could be considered by the concerned waqf institutions for commercial development. On the basis of preparedness/keenness of the States to arrange necessary statutory approvals, the financially viable properties could be undertaken by NAWADCO.

Number of Waqf properties identified by NAWADCO for commercial development are as under: -

S.No.	Name	No. of properties identified	Evaluation/Feasibility carried out by NAWADCO
1	Andhra Pradesh	3	2
2	Bengal	2	
3	Bihar	7	3
4	Chandigarh	1	
5	NCT Delhi	12	
6	Gujarat	8	
7	Haryana	1	1

8	Himachal Pradesh	2	
9	Karnataka	15	
10	Madhya Pradesh	6	
11	Maharashtra	12	
12	Punjab	1	
13	Rajasthan	5	4
14	Tamil Nadu	8	
15	Telangana	5	
16	Uttarakhand	7	
17	Uttar Pradesh	6	
		101	**10**

During the period extensive efforts have been made to create awareness about the objectives of NAWADCO and to identify the potential Waqf properties.

III. Evaluation of Waqf Properties: -

A Real Expert agency, M/S JLL, was appointed to evaluate financial feasibility of the potential waqf properties across India. Based on the preparedness of the Waqf Boards four (4) land parcels of Rajasthan, three (3) of Bihar, two (2) of Andhra Pradesh, one (1) were got evaluated by NAWADCO. The feasibility reports of which were also shared with the related States/Waqf Boards.

NAWADCO has also empanelled six (6) reputed Real Estate agencies to provide Transaction Advisory services to keep itself in readiness to undertake developmental process immediately on receipt of approval from the State/State Waqf Boards u/s 56 of extant Waqf Act to lease for a period upto 30 years.

IV. Agreements with State Waqf Boards: -

(a) NAWADCO signed agreement with Karnataka State Board of Waqfs to develop 3 (three) Waqf properties in Bengaluru. However, three Projects are stuck-up due to non-receipt of clearances from State Government by the State Waqf Board. Alternative business plans were also provided to the Waqf Board. However, no progress could be made.

(b) The discussions to execute the general MoU & Project specific Agreement with Rajasthan are in advance stage. The efforts are continuing to take up projects in the other states.

After receipt of feasibility reports from NAWADCO, Bihar got motivated and is now considering to develop one (1) property i.e., Bailey Road, Patna by itself, without involving NAWADCO.

IV. Finance: -

- The Statutory audit and CAG audit for the financial year 2016-2017 has been conducted and the Balance Sheets were published on time. Fourth AGM of the company was held on 21.09.2017.
- Trademark of NAWADCO under different classes has been registered by the Trademark Registry Authority.

V. Website: -

Consequent upon completion of designing and development of NAWADCO's website by Developer, the Company has engaged another agency for conducting security audit which is under process. Meanwhile the Company and developer are in co-ordination with the National Informatics Centre (NIC) for requisite credentials for up-loading NAWADCO's website at NIC Server.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

CHAPTER-19

THE DURGAH KHWAJA SAHEB, AJMER

Durgah Committee, Durgah Khwaja Saheb (R.A.), Ajmer for the year 2017-2018 (as on 31.12.2017)

19.1 Management of Durgah Sharif

The mandate of the Dargah Committee is to provide Service to the Pilgrims through Development of infrastructure as per the provisions of Dargah Khwaja Saheb Act, 1955 and its Bye Laws 1958.

19.2 Unique Position

The management of the affairs of Durgah Sharif has always attracted special consideration of the rulers and in independent India, it is the only Durgah Sharif, the management of which is governed by a special Act known as Durgah Khwaja Saheb, Act 1955, passed by the Parliament of India.

19.3 A brief regarding services rendered by Durgah Committee during 2017-18.

- Daily presentation of flowers, sandal and candles on the Holy Shrine.
- Management of Annual Urs of HazratKhwajaGharib Nawaz (R.A.).
- Management of Muharram Sharif inside Dargah Sharif and opening of Chilla of Hazrat Baba Farid(R.A.).
- Fateha of Khulfa-e-Rashedeen and Buzurgan-e-Deen.
- Daily Langar for poor with special Sehri / Iftar arrangement during holy month of Ramzan.
- Running of DarulUloom Moinia Usmaniya Dargah Sharif by providing the knowledge of Theology.
- Running of Khwaja Model Secondary School, (an English Medium School) recognized by CBSE up to class XII standard. It is imparting education along with basic knowledge of Theology and Moral education.
- Management of Gharib Nawaz Computer Center.
- Stipend to widows and needy persons.
- Maintenance of two separate dispensaries viz. Unani and Homeopathic.
- Scholarships to needy and meritorious students undergoing medical, engineering and other technical courses.
- Maintenance of Idgah and Financial assistance to various mosques.
- Burial of unclaimed dead bodies.
- Arrangements of filtered drinking water in Dargah.
- Water arrangements for wazoo. Hot water is provided during the winter season.
- Uninterrupted electric supply.
- Maintenance of Guest House consisting of about 180 rooms.
- Round the clock cleanliness in Dargah and Guest House.

- Providing Shamiyanas in Dargah premises to protect the 'Zaireen' from seasonal hazards. Similarly shelter is also provided at the time of Urs and periodical Religious congregations.
- Payment of Huqooq (Honorarium) to hereditary staff.
- Programme on National Integration.
- Programme for legal literacy among the weaker section of the society.
- Provision has been made for infrastructure and supervision of the examinations conducted by the Rajasthan Public Service Commission and Revenue Department.
- Protection & periodical maintenances and development of properties and endowment.

19.4 Major Achievements during the Year:

Amenities:

- Excellent arrangements of filtered water supply, uninterrupted electricity with standby arrangements of generators, lodging and cleanliness.
- Development of VishramSthali (now Gharib Nawaz Mehmankhana) for one Lakh zaireen with parking facility of 1600 buses.
- Jhalra water project, a unique project for the supply of pure drinking water @ 4 lakh liter per day.
- Supply of Hot water in winter and cold water in summer.
- Cleanliness through floor cleaning machine.
- Computerization of guest house, on line booking system of guest house & on line donations (Nazur section).
- Construction of four additional rooms in Dargah Guets House for the stay of pilgrims.

Development of Properties:

- Chalked out a sustainable strategy for Protection of Dargah Properties.
- 99% success in Legal Matters.
- Legal action against the unauthorized occupants.

Education and Other Academic Activities:

- Development of academic infrastructure for Khwaja Model Secondary School, Computer Centre & Darul Uloom.
- To Conduct RAS, RJS, Patwari, Secretariat Staff and Computer exams on behalf of State Govt. and Govt. of India.
- Seminar / Conference on National Integration.
- Maintenance of play grounds for Khwaja Model School students.
- Financial assistance to Minority Status Schools.
- Educational Trips for students and teachers.

Finance:

– Increase in Income.

– Investment in FDR Rs.95 lakhs during current financial year (thus total FDR now 7.79+95=8.79 crores.)

Publicity:

– Publicity about the Dargah Committee affairs through website / booklets / print media.

Security:

– Provision of Security Infrastructure viz. cameras, wiring, computers. LCDs, Generators furniture, security guards etc.

– Installation of flood lights.

– Fire safety measures.

Urs& Congregations:

– Successful Management of 805th Urs of Khwaja Sahab, Mini Urs 2017 (Muharram 1439 Hijri) and a number of congregations.

19.5 Welfare & Charities:

- Services to Aazmeen-e- Haj.
- Financial aid to needy and academically brilliant students.
- Medical services through three dispensaries.
- Pension to widows.
- Provide food for about 400 poor people during Ramzan month, arrangements of Eitekaf &Taraveeh.
- Daily langar.

19.6 Management of Urs and other Congregations:

The 805th Annual Urs ofKhwajaGharib Nawaz (R.A.) was held in March/ April 2017 in which around 5.0 lacs pilgrims visited the Shrine. The Urs was incident free with full infrastructure of amenities provided to the pilgrims. These arrangements were appreciated at National level. Various dignitaries also visited the Shrine to pay homage to the Great Sufi Saint.

The Durgah Committee also made arrangements during Moharrum (Mini Urs). The Committee records its sincere thanks to the Distt. Administration, Police, Intelligence Agencies and the Local Bodies for their spontaneous cooperation. The Kayad Vishram Sthali (Gharib Nawaz Mehman Khana) is used for zaireen during Urs and Muharram (Mini Urs)

19.7 PROJECTS:

A. Khwaja Model Senior Secondary School :

Construction of basement and 24 additional rooms have been completed. Modification of labs of Khwaja Model School has been completed.

(i) Introduction:

Khwaja Model Senior Secondary School, Ajmer (KMS) was founded on 14th July, 1994 under the auspices of Dargah Committee , Dargah Khwaja Saheb Ajmer. As an English Medium Day School, it started with 35 students, whereas today its strength is over 1600 plus. It offers education through distinctive co-curricular programme. Being, primarily a day school, the campus is spread over five bighas of land with beautiful location. During 2014-15 Durgah Committee submitted school building plan for sanction from Nagar Nigam Ajmer and got it approved. Construction of basement and 24 rooms have been completed as per CBSE norms. The School is opened for all (irrespective of caste, class, creed or community) with co-education. The School has also been providing backstage support for the following activities i.e., conduct / arrangement for RAS, RJS, Patwari, Secretariat Staff and Computer exams on behalf of State Government and Government of India. Seminar / Conference on National Integration. Educational Trips for students and teachers.

(ii) Aims & Objectives:

The school aims to achieve excellence in academics, extra curricular activities, games & sports and character building by providing all-round, meaningful and liberal education with moral values in value with the tradition of SUFIs who never supported orthodoxy of religion or ideas .

(iii) Qualified Teaching Staff:

Subsequent to the affiliation by CBSE the School has inducted qualified and trained teachers through a transparent selection process by experts and Members of Durgah Committee.

(iv) Subsidy in Fee:

- The fee of the school is minimum vis-à-vis reputed Convent Schools of Ajmer.
- The very purpose of such skeleton fee structure is to provide financial support to the students coming from the down trodden strata of the society. Therefore, Durgah Committee is providing subsidy every year to the School.

B. **Vishram Sthali at Kayad – Ajmer.**

- Located at National Highway No. 8 Ajmer – Jaipur Road – 13 Kms away from Dargah Sharif.
- Spread over 230 Bighas (80 Bighas of Dargah Committee + 150 Bighas allotted by Govt. of Rajasthan.)
- To be used during Annual Urs & Muharram for Approximate. 18 days.
- Proposal for construction of 27 Dormitories to accommodate one lac pilgrims.
- Parking facility for 1600 buses.
- Complete and comprehensive infrastructure for security, Transport, Health Services, Electricity, Water, Bus and Railway bookings.
- Availability of commodities at fixed rates by Distt. Supply Officer.
- Construction of Parks, rain water harvesting etc.

Future Plans of Vishram Sthali:

- Construction of one over Head Water Tank capacity 3 lac litres and 200 toilets are in under consideration of Government of India.
- Construction of 100 Addl. toilets starts shortly from the funds of MAEF, by Sulabh International.

C. Functioning of Darul Uloom Moinia Usmaniya:-

The Committee has been successfully managing Darul Uloom Moinia Usmaniya, a school of theology which is also imparting the preaching's of Hazrat Khwaja Gharib Nawaz. The Darul Uloom have five number of Aalim, Fazil, Kamil, Hafiz, Qari and Librarian. There are 50 number of students in the classes viz. Edadiya, Oola, Saniya, Rabiya, Tehtaniya and Hifz. The Committee has also made lodging and boarding arrangements for students.

Union Minister Shri Mukhtar Abbas Naqvi offering the "Chadar" at Durgah.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

CHAPTER-20

National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC)

20.1 The National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC) was incorporated on 30th September 1994 as a non-profit company under Section 25 of the Companies' Act, 1956 (now section 8 of Companies Act, 2013). NMDFC provides concessional loans for self-employment and income generating activities for the socio¬ economic development of the 'backward sections' amongst the notified minorities.

20.2 The concessional credit schemes of NMDFC viz., Term Loan, Education Loan, Micro Finance & Mahila Samridhi Yojana are implemented through the State Channelising Agencies (SCAs) nominated by the respective State Governments/UT Administrations.

20.3 For availing assistance under NMDFC schemes, the annual family income eligibility criterion is Rs.98,000/- for rural areas and Rs.1,20,000/- for urban areas. In order to ensure wider outreach, NMDFC has recently introduced higher annual family income eligibility criterion of upto Rs.6.00 lakh for providing higher quantum of loans at slightly higher interest rates.

20.4 The Government has increased the Authorized Share Capital of NMDFC from Rs.1500.00 crore to Rs.3000.00 crore in 2015 and has also revised the share holding pattern to 73:26:1 from 65:26:9 for Central Government, State Governments/UT Administrations and Institutions/Individuals respectively. The Govt, of India has contributed Rs.1435.00 crore as central equity to NMDFC till 31.1.2017 whereas States have contributed Rs.360.60 crore.

20.5 In addition to loaning activity, NMDFC assist the target group in Vocational Training and Marketing Assistance under its promotional schemes through the SCAs for capacity building of the target groups for self/ wage employment.

20.6 Achievements:

- Since its inception in 1994 till 31.1.2017, NMDFC has disbursed loans amounting to 4513.23 crore to 13,93,513 beneficiaries.
- During 2016-17, an amount of Rs.503.32 crore was disbursed to 1,08,588 beneficiaries.
- During the current financial 2017-18 (upto 31.1.2018), NMDFC has extended loans amounting to Rs.515.90 crore to 1,08,494 beneficiaries.

20.7 SCHEMES AND PROGRAMMES OF NMDFC - The existing concessional credit line of NMDFC has been bifurcated into two streams:-

Credit Line 1:- This is the existing stream of concessional credit, being disbursed on the basis of income limits of Rs.98,000/- per annum for rural areas and Rs.1,20,000/- per annum in urban areas, at the concessional interest rate.

Credit Line 2:- Concessional credit is provided to the section of Minority population with annual family income of up to Rs.6.00 lakh, defined on the basis of "Creamy Layer" criterion of OBC by Government of India. It will get concessional credit at a rate of interest which is higher than credit line 1.

i. Term Loan Scheme

This scheme is for individual beneficiaries and is implemented through the SCAs. Under the Term Loan Scheme, projects costing up to Rs.20.00 Lakhs (up to Rs.30.00 Lakh for credit line-2) are considered for financing. NMDFC provides loan to the extent of 90% of the project cost. The remaining cost of

project is met by the SCA and the beneficiary. However the beneficiary has to contribute minimum of 5% of the project cost. The rate of interest charged from the beneficiary is 6% per annum. For credit line-2, up to Rs.30.00 Lakh is given at the interest rate of 8% per annum for male beneficiaries and 6% per annum for women beneficiaries.

Assistance under Term Loan Scheme is available for any commercially viable and technically feasible venture, which for the purpose of convenience, are classified into the following sectors.

a) Agriculture & allied

b) Technical trades

c) Small business

d) Artisan and traditional occupations, and

e) Transport and services sector

ii. Educational Loan Scheme

This scheme is also for the individual beneficiaries and is implemented through the SCAs. The NMDFC extends educational loans with an objective to facilitate job oriented education for the eligible persons belonging to Minorities. Under this scheme, loan of up to Rs.20.00 lakh for credit line – 1 & 2 is available for 'technical and professional courses' of durations not exceeding five years. Further, for courses abroad, maximum amount of Rs.30.00 lakhs is available under credit line-1 & 2 for a course duration of maximum 5 years. Funds for this purpose are made available to the SCAs at an interest rate of 1 % per annum for on-lending to the beneficiaries at 3% interest per annum. Under credit line -2, funds are made available to the SCAs at an interest rate of 2% per annum for on- lending to the beneficiaries at 8% interest per annum for male beneficiaries and at 5% per annum for women beneficiaries. The loan is payable in maximum five years after completion of the course.

iii. Micro Financing Scheme

Under the Micro Financing Scheme, micro-credit is extended to the members of the Self Help

Groups (SHGs), through SCAs/NGOs. Under this scheme, small loans up to a maximum of Rs. 1.00 lakh per member of SHG are provided. Funds are given to the NGOs /SCAs at an interest rate of 1%, which further on-lend to the SHGs, at an interest rate not more than 7% per annum. Under credit line-2, Rs.1.50 lakh per member of SHG is given at an interest rate not more than 10% per annum for male beneficiaries and 8% per annum for women beneficiaries. The repayment period under the scheme is maximum of 36 months.

iv. Mahila Samridhi Yojana

It is a unique scheme linking micro-credit with the training to the women members formed in to SHGs, in the trades such as tailoring, cutting and embroidery, etc. It is being implemented by NMDFC, through the State Channelising Agencies of NMDFC. Under the Mahila Samridhi Yojana, training is given to a group of around 20 women in any suitable women friendly craft activity. The women are formed into Self Help Group during the training itself and after the training, micro-credit is provided to the members of the SHG so formed. The maximum duration of the training is of six months with maximum training expenses of Rs.1,500 p.m. per trainee. During the training a stipend of Rs. 1,000 p.m. is also paid to the trainees. The training cost and stipend is met by NMDFC as grant. After the training, need based micro credit subject to a maximum of Rs. 1.00 lakh is made available to each member of SHG, so formed, at simple interest rate of 7% p.a.

20.8 Promotional Schemes of NMDFC

i. **Vocational Training Scheme** - The Vocational Training Scheme of NMDFC aims at imparting skills to the targeted individual beneficiaries leading to self/wage employment. The scheme is implemented through the State Channelising Agencies, which organize need based vocational training programmes in their States with the help of local Government owned / recognized training institutes in trades having potential for self/wage employment. The cost of the training programme is upto Rs.2000 per candidate per month for courses of maximum duration of 6 months. Stipend @ Rs.1000 per month per trainee is also offered during the training.

ii. **Marketing Assistance Scheme** - The Marketing Assistance Scheme is meant for individual crafts-persons, beneficiaries of NMDFC as well as SHGs and is implemented through the SCAs. With a view to support the crafts-persons to promote marketing and sale of their products at remunerative prices, NMDFC assists the SCAs in organizing State /District level exhibitions at selected locations. In these exhibitions, handloom /handicraft products of crafts-persons belonging to Minority Communities are exhibited and sold. Such exhibitions also serve the purpose of organizing "buyer-seller meet", which is considered very useful for product development and market promotion, for domestic market as well as for exports. NMDFC provides grants for organizing exhibitions.

Inauguration of the Annual Conference of SCAs of NMDFC in Hyderabad on July 8, 2017

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

CHAPTER-21

GRANTS-IN-AID TO MAULANA AZAD EDUCATION FOUNDATION

Introduction

21.1 Maulana Azad Education Foundation (MAEF) is an autonomous body under the Ministry of Minority Affairs, Govt. of India established to promote education amongst the educationally backward minorities. The MAEF was established in July, 1989 as a registered Society under the Societies Registration Act, 1860 and it is fully funded by the Govt. of India. Hon'ble Minister of Minority Affairs is ex-officio President of the Foundation and the Joint Secretary, MoMA (in-charge of MAEF) is also ex-officio member of MAEF. The General Body of MAEF consists of 15 members out of which six members are ex-officio and nine members are nominated by the President, MAEF. The management of MAEF rests with its Governing Body.

Resources

21.2 The Grants-in-Aid Scheme of MAEF is a Plan scheme of the Ministry of Minority Affairs, Govt. of India. The Foundation has so far received total Corpus Fund of Rs.1362.00 crore from the Ministry of Minority Affairs, Govt. of India meaning thereby that the principal amount will remain intact and the interest accrued from the investment of the corpus fund shall be utilized by the Foundation for implementation of its educational schemes. Out of Rs.1362.00 crore, an amount of Rs.113 crore has been received during the current year 2017-18. With the investment of existing Corpus Fund in fixed deposit with banks, the MAEF earns interest income of Rs.100 crore approximately every year.

Schemes of MAEF

21.3 MAEF is implementing the following schemes:

1. Grants-in-aid to NGOs for infrastructure development of educational institutions
2. Begum Hazrat Mahal National Scholarship for meritorious girls belonging to minorities
3. Bridge Course under Nai Manzil scheme
4. Gharib Nawaz Skill Development Training for minorities
5. Swachh Vidyalaya Initiative

The schemes mentioned at sl.no. 4 & 5 above are launched during the current year 2017-18.

1. **Grants-in-aid to NGOs: Under this scheme, MAEF provides financial assistance to NGOs for**
   - ➢ construction/expansion of school buildings,
   - ➢ construction of hostel buildings,
   - ➢ construction / expansion of B.Ed/D.Ed. Colleges,
   - ➢ construction of Technical Institutions/VTC,
   - ➢ purchase of lab equipment, furniture etc.

This scheme has helped small institutions to expand its infrastructure resulting in overall improvement

in educational activities amongst the target group. It is a unique scheme which is implemented directly by MAEF without any intervention of State Governments or any outside agency. Now from the current year, this scheme has been made online which will help in early processing of proposal and better monitoring of the same. 80 proposals under Grant-in-aid scheme are ready for sanctioning and approx. 150 proposals are in pipeline. There is a budget provision of Rs.30 crore for Grants-in-aid scheme for 2017-18.

2. **Begum Hazrat Mahal National Scholarship:** MAEF had started this scholarship scheme in 2003-04. This was the first scholarship scheme at national level for meritorious girls belonging to minorities for their higher secondary level education i.e., for class 11th& 12th. This scholarship scheme has not only encouraged the minorities' girls for continuing their education but has also resulted in overall improvement in their literacy rate. From the year 2017-18, MAEF decided to extend the scholarship to minorities girls studying in classes 9th and 10th also. The applications are submitted online. The MAEF has received more than two lakh applications under scholarship scheme during the current year 2017-18, which are being scrutinized and likely to be finalized shortly. There is a budget provision of Rs.70 crore for scholarship scheme this year 2017-18.

3. **Bridge Course for Madarsa Students under Nai Manzil:** The MAEF is providing financial assistance to Jamia Millia Islamia, New Delhi and Aligarh Muslim University, Aligarh for running Bridge course for Madarsa students under Nai Manzil scheme. Bridge courses are being provided to madarsa students/ dropouts for helping them to continue mainstream education. After completion of bridge course, these students are taking admission in various regular courses of these universities at graduate and post graduate level. There is a target of 200 beneficiaries for each university for the current year 2017-18 and the total outlay is Rs.2.20 crore for this purpose for this year.

4. **Gharib Nawaz Skill Development Training for minorities:** The MAEF has launched the new scheme titled Gharib Nawaz Skill Development Training from the current year 2017-18 so that short term job oriented skill development courses may be provided to minorities' youth in order to enable them for skill based employment. The said scheme was approved by the General Body of MAEF. This scheme will be implemented as per common norms of the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship (MSD&E) through the empanelled Program Implementation Agencies (PIAs).

   The MAEF has allocated target of 1,06,600 beneficiaries to 108 PIAs from 31 States. There is financial outlay of Rs. 160 crore under this scheme for the current year 2017-18 towards release of first installment to these PIAs. MoUs are being executed with empanelled PIAs and first installment is likely to be released shortly after physical inspection on training centres.

5. **Swachh Vidyalaya Initiative:** The scheme of Swachh Vidyalaya Initiative has been approved by the General Body of MAEF. Under this scheme schools/recognized/ registered and reputed madarsas would be provided with separate toilet facilities for boys and girls in view of Swachh Bharat Mission. MAEF will implement this scheme through the empanelled PIAs.

21.4 Other Activities of MAEF during the year 2017-18:

- **Establishment of Schools/Community Colleges/ National Institutes:** The MAEF had constituted a high level committee for looking into the establishment of educational institutions for minorities. The said committee has submitted its report in July,2017 which was adopted by the General Body of MAEF. In its report, the committee has recommended a pyramid structure of educational institutions for minorities to be established by MAEF having 211 Central Schools at the bottom, 25 Community Colleges at the middle and 5 National Institutes at the

top. For establishment of the proposed educational instiutions, the land would be provided by the concerned State Government, Construction would be done by the Ministry of Minority Affairs under MSDP and recurring / running expenditure would be borne by MAEF. The MAEF is working on the modalities of these institutions in consultation with the Ministry of Minority Affairs.

➢ **Implementation of Seekho aur Kamao scheme of Ministry:** The Ministry of Minority Affairs has released an amount of Rs. 129 crore to MAEF for releasing funds under Seekho aur Kamao scheme of MoMA being implemented by the Maulana Azad National Academy for Skills (MANAS).

➢ **Empanelment of Inspecting Authorities:** The MAEF has prepared a list of 291 Inspecting Authorities (IAs) from various States/UTs. Most of the IAs are retired / serving Government servants who are very much helpful in conducting physical inspection under various schemes of MAEF. The services of these IAs are also being utilized by the Ministry for carrying out inspection of its projects.

➢ **Workshop of Inspecting Authorities (IAs):** The MAEF has organized two workshops during the current year 2017-18 (first on 10.07.2017 and second one on 13.01.2018) at New Delhi for equipping the IAs with complete knowledge of the schemes of MAEF and their role and responsibilities in this regard.

Inauguration of the Workshop for Inspecting Authorities of MAEF in New Delhi

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

CHAPTER-22

PRIME MINISTER'S NEW 15 POINT PROGRAMME (PM's New 15-PP) FOR THE WELFARE OF MINORITIES

22.1 The Prime Minister's New 15 Point Programme (PM's New 15-PP) for the welfare of minorities was announced in June, 2006. It provides programme specific interventions, with definite goals which are to be achieved in a specific time frame. The objectives of the programme are: (a) Enhancing opportunities for education; (b) Ensuring an equitable share for minorities in economic activities and employment, through existing and new schemes, enhanced credit support for self-employment, and recruitment to State and Central Government jobs; (c) Improving the conditions of living of minorities by ensuring an appropriate share for the minorities in infrastructure development schemes; and (d) Prevention and control of communal disharmony and violence.

22.2 An important aim of the programme is to ensure that the benefits of various Government schemes for the under privileged reach the disadvantaged sections of the minority communities. In order to ensure that the benefits of the schemes flow equitably to the minorities, the programme envisages location of a certain proportion of development projects in minority concentration areas. It also provides that, wherever possible, 15% of targets and outlays under various schemes should be earmarked for the minorities.

22.3 The target group of the programme consists of the eligible sections among the minorities notified under Section 2(c) of the National Commission for Minorities Act, 1992, viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Zoroastrians (Parsis) and Jains. In States, where one of the minority communities notified under Section 2(c) of the National Commission for Minorities Act, 1992 is, in a majority, the earmarking of physical/ financial targets under different schemes will be only for the other notified minorities. These States/UTs are Jammu &Kashmir, Punjab, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Lakshadweep.

22.4 The progress of implementation of this programme is monitored by each of the Ministries/ Departments concerned on monthly basis. At the Central level, Ministry of Minority Affairs monitors and reviews the overall progress on quarterly basis with the Nodal officers of all implementing Ministries. The progress is also reviewed once in six months by the Committee of Secretaries, and thereafter, a report is submitted to the Union Cabinet. As envisaged in the guidelines, the States/UTs are required to constitute the State Level Committees to monitor the progress at State/UT level. Similar mechanism has also been stipulated at the district level.

22.5 At the time of launching of the PM's New 15-PP, there were 24 Schemes/Programmes/Initiatives of 11 Ministries/Departments. However, over a period of time, some of the Schemes/Programmes have been either discontinued or have reached saturation level. These schemes are:

(i) Scheme for Upgradation of ITIs into Centres of Excellence, (M/o Skill Development & Entrepreneurship),

(ii) Integrated Child Development Services (M/o Women & Child Development),

(iii) Basic Service for Urban Poor (BSUP) (M/o Housing& Urban Poverty Alleviation),

(iv) Integrated Housing and Slum Development Programme (IHSDP) (M/o Housing & Urban Poverty Alleviation),

(v) Urban Infrastructure and Governance (UIG)(M/o Urban Development).

(vi) Urban Infrastructure Development Scheme for Small & Medium Towns (UIDSSMT) (M/o Urban Development).

The schemes at (i) and (ii) above have saturated while others have been discontinued.

22.6 Progress made under various schemes under PM's New 15 PP for minorities during 2017-18 is given below:

A. Progress under schemesamenable toearmarking of 15% is as under:

I. Physical:

S. N.	Scheme / Programme / Initiative		Achievement (Nos.)
1.	Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) {implemented by Department of Higher Education} **(As on 30.09.2017)**		No targets were fixed.
	(i) No. of Primary Schools constructed		
	(ii) No. of upper primary schools constructed		
	(iii) No. of Additional Classrooms constructed.		
2.	Below Poverty Line (BPL) families assisted under PradhanMantriAwaasYojana (Gramin), PMAY-G (earlier Indira AwaasYojana) {implemented by Department of Rural Development} – **(As on 30.09.2017)**		2,03,014
3.	Beneficiaries assisted under Deen Dayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihood Mission (DAY-NRLM) (earlier SGSY / Aajeevika) {implemented by Departmentof Rural Development} – **(As on 30.9.2017)**		
	Component	**Target**	**Achievement**
	a) Social Mobilization- No. of SHGs promoted	1,08,749	56,751
	b) No. of SHGs provided with Revolving Fund	71,013	20,973
	c) No. of SHGs provided with Community Investment Fund	45,655	4,313
4.	Beneficiaries assisted under Deendayal Antyodaya Yojana – National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM) {implemented by Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation}(As on 30.9.2017)		
	(i) No. of beneficiaries to be skill trained	45,000	Not available.
	(ii) No. of beneficiaries assisted for setting up of micro-enterprises (individual and group)	5,775	-do-
	(iii) No. of beneficiaries covered under self-help groups (SHGs) formed	68,475	-do-
	(iv) No. of beneficiaries in SHGs covered under SHG-Bank Linkages	57,750	-do-
5.	Operationalisation of Anganwadi Centres under Integrated Child Development Services (ICDS) scheme for providing services through Anganwadi Centres {implemented by Ministry of Women & Child Development}		As the scheme has saturated, no targets were fixed.

II. Financial:

S. N.	Scheme / Programme / Initiative	Achievement (Rs. in crore) (As on 30.9.2017)
1	Pradhan Mantri Awaas Youjana –Gramin (PMAY-G)	3,248.72
2	DeendayalAntyodayaYojana National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM)	No targets have been fixed.
3	Priority Sector Lending	2,98,716.25 (cumulative figures outstanding as on 30.09.2017
4	Deen Dayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihood Mission (DAY-NRLM) (Amount disbursed as Revolving Fund) (Rs. crore)	25. 27
5	Deen Dayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihood Mission (DAY-NRLM) (Amount disbursed as CIF (Rs. crore)	20.42
6	Upgradation of ITIs into Centres of Excellence {implemented by Ministry of Skill Development & Entrepreneurship}	As the scheme has saturated, no targets were fixed for 2017-18.

B. Progress under schemes included in the programme and implemented by M/o Minority Affairs (schemes meant exclusively for minorities) during 2017-18 is as under

S. N.	Scheme	Physical (Nos.) 2017-18		Financial (Rs. in crore) 2017-18	
		Target	Achievement	Target	Achievement
1	Pre-Matric Scholarship Scheme (as on 31.01.2018)	30,00,000	3,40,56,999	950.00	5164.45
2	Post-Matric Scholarship Scheme (as on 31.01.2018)	5,00,000	42,23,730	550.10	2326.01
3	Merit-cum-Means Based Scheme (as on 31.01.2018)	60,000	6,13,472	393.54	1634.99
4	Post Graduate Fellowship/ Maulana Azad National Fellowship (as on 31.01.2018)	756	756	100.00	99.85
5	Loan schemes of National Minorities Development & Finance Corporation for economic activities (as on 31.01.2018)	75,000	1,08,494	-	515.90
6.	(i) Grants-in-aid (GIA) to NGOs for infrastructure development of educational institutions (as on 31.01.2018)	150	77	60	Under process.
	(ii) Begam Hazrat Mahal National Scholarship (as on 31.01.2018)	50,000	48,000	70	-do-
7	Free Coaching & Allied Scheme (as on 31.01.2018)	9,000	9699	48.00	32.21

C. The achievements under the schemes included as special initiatives for minority institutions / schools during 2016-17 are as under: (As on 30.09.2017)

S. N.	Scheme / Programme / Initiative	Achievement
1.	Scheme for Providing Quality Education in Madarsas (SPQEM) {implemented by Department of School Education & Literacy}	Rs. 50.95 crore released assisting 9,939 teachers in 3,712 Madarsas.
2.	Infrastructure Development in Minority Institutions (IDMI) {implemented by Department of School Education & Literacy}	Nil
3.	Greater Resources forteaching Urdu {implemented by Department of School Education & Literacy}	Not available. (Scheme is demand driven)

D. The achievements under schemes, included in the PM's New 15-PP, where the flow of funds/ benefits to development projects in minority concentration areas is monitored in 2017-18, are as under:

S. N.	Scheme / Programme / Initiative	Achievement (Project cost sanctioned and number of cities / towns covered having a substantial minority population)
1	Basic Services for Urban Poor {erstwhile implemented by Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation}	Scheme since discontinued.
2	Integrated Housing & Slum Development Programme { erstwhile implemented by Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation}	Scheme since discontinued.
3	Urban Infrastructure & Governance {erstwhile implemented by Ministry of Urban Development}	Scheme since discontinued.
4	Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns {erstwhile implemented by Ministry of Urban Development}	Scheme since discontinued.
5	National Rural Drinking Water Programme {implemented by Ministry of Drinking Water & Sanitation **(As on 30.09.2017)**	Released Rs. 163.27crore (6.84% of total) for 1,264 habitations (7.12% of total).

E. Recruitment of minorities in Government Departments/Organizations (information given by Department of Personnel & Training):

The status of recruitment of minorities in Central Government, public sector undertakings, banks, etc. is given below (figures in bracket indicate the %age of minorities recruited to total recruitment):

Organization	2013-14	2014-15	2015-16
Ministries / Departments, Sub / attached offices	5,814 (8.21)	*5,161 (8.92)	
Public Sector Banks & Fin. Institutions	10,504 (10.83)	5,572 (8.58)	
Para Military Forces	2,576 (8.55)	2,303 (8.44)	
Posts	710 (14.66)	777 (8.50)	
Railways	5,598 (7.00)	4,176 (8.68)	
Public Sector Undertakings (PSUs)	1,03,762 (7.69) for 234 CPSEs#	833 (6.61)	
Total	**1,28,964 (7.89)**	****18,822 (8.56)**	**@7,851 (7.5)**

*Data received from 74 Ministries/Departments

**Data received from 79 Ministries/Departments

#CPSEs: Central Public Sector Enterprises

@ Data received from 44 Ministtries/Departments

F. Guidelines on Communal Harmony (information given by Ministry of Home Affairs):

Ministry of Home Affairs has issued revised guidelines to the States and Union Territories in June, 2008 to promote communal harmony. A Bill titled "The Communal Violence (Prevention, Control and Rehabilitation of Victims) Bill, 2005" which was introduced and pending in the Rajya Sabha was withdrawn and the Bill titled "The Prevention of Communal Violence (Access to Justice and Reparations) Bill, 2013" was prepared and the said Bill was approved by the Cabinet on 16.12.2013. Notice for introduction of the Bill in the RajyaSabha was sent on 17.12.2013 but could not be introduced. Notice was again given on 20.01.2014 for introduction of the said Bill titled "Prevention of Communal Violence (Access to Justice and Reparations) Bill, 2014". However, the House after a discussion in the Rajya Sabha on 05.02.2014 deferred its introduction.

During 2017 (up to September, 2017), a total of 611 communal incidents were reported in the country in which 88 persons were killed and 1,793 persons were injured.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

CHAPTER-23

SACHAR COMMITTEE REPORT & FOLLOW UP ACTION

A High Level Committee, constituted under the Chairmanship of Justice (Retired) Rajinder Sachar to gather data/information for preparation of a comprehensive report on the social, economic and educational status of the Muslim community of India submitted its report on 17th November, 2006. The Government took several decisions on the recommendations of the Sachar Committee and the status of implementation of the decisions taken by the various Ministries/Departments concerned is as under:

23.1 Department of Financial Services:

(i) All public sector banks have been directed to open more branches in districts having a substantial minority population. As on 30.09.2017, a total of 21273 Bank branches were operating in minority concentration districts (MCDs).

(ii) RBI revised its Master Circular on 1st July, 2017 on priority sector lending (PSL) for improving credit facilities to minority communities. As on 30.09.2017, credit of Rs. 2,98,716.7562 crore, which is 14.94.% of total PSL, was outstanding against minorities.

(iii) District Consultative Committees (DCCs) of lead banks are regularly monitoring the disposal and rejection of loan applications in respect of minorities.

(iv) To promote micro-finance among women, 7,02,096 accounts have been opened for minority women with Rs.9,607crore as micro-credit (Outstanding as on 30.09.2017).

(v) All public sector banks are organizing awareness campaigns in blocks/districts/towns with substantial minority population. During 2017-18 (up to 30.06.2017), 10,808 awareness campaigns were organized in such areas.

(vi) Lead Banks have organized 2,725 entrepreneurial development programmes in blocks/ districts/ towns with substantial minority population during 2017-18 (up to 30.09. 2017) and the number of beneficiaries was 47,475 and an amount of Rs.152.97 crore was financed to 17,082 beneficiaries.

23.2 Ministry of Human Resource Development:

A multi-pronged strategy to address the educational backwardness of the Muslim community, as brought out by the Sachar Committee, has been adopted, as given below:-

a) Under the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV) scheme, criteria of educationally backward blocks has been revised with effect from 1st April 2008 to cover blocks with less than 30% rural female literacy and in urban areas with less than national average of female literacy. So far, 554 KGBVs out of 560 KGBVs sanctioned in minority concentration areas since 2006-07 up to 30,06.2017 are operational..

b) Scheme for universalization of access to quality education at secondary stage- called Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) has been approved. The scheme stipulates preference to minority concentration areas in opening of Government schools. State Governments have been advised to accord priority to setting up of new/upgraded schools in minority concentration areas while appraising proposals under this scheme. Since inception of RMSA in 2009-10 and up to 30.09.2017, out of a total of 12,682 New Secondary schools sanctioned in the country with an amount of Rs.8,482.51 crore, 1,375 (10.84%) have been sanctioned in MCDs with an amount of Rs.903.69crore (10.65%).

c) Under the scheme of Sub-mission on Polytechnics, at the national level 291 districts are

targeted for financial assistance, out of which 55 Districts (18.90% of total) are Minority Concentration Districts (MCDs). Cumulatively, from 2009 up to 2015-16, Rs. 2,442.44 crore was released for 295 polytechnics at the national level, out of which Rs. 413.78 crore was released for 55 polytechnics in the MCDs. Achievement during 2017-18 has been 'Nil' as on 30.09.2017.

d) Preference is given by the University Grants Commission for provision of girls' hostels in universities and colleges in the areas where there is concentration of minorities especially Muslims. Since inception of the programme up to 30.09.2017, out of 2,291 Women's hostels sanctioned at the national level, 348 have been approved /sanctioned in MCDs.

e) The Area Intensive & Madarsa Modernisation Programme has been revised and bifurcated into two schemes. A Scheme for Providing Quality Education in Madarsas (SPQEM) had been launched in the Eleventh Five-Year Plan. It contains attractive provisions for better teachers' salary, increased assistance for books, teaching aids and computers and introduction of vocational subjects, etc. The other scheme is Infrastructural Development of Minority Institutions (IDMI) which provides financial assistance for Infrastructural Development of Private aided/ unaided Minority Institutes During 2017-18, funds of Rs.8.84 crore have been released for assisting 1,405 Madarsas and 3,433 teachers. The two schemes are demand driven. Achievement under IDMI has been 'Nil'.

f) For subsequent access to higher education, the Certificates issued by the State Madarsa Boards, whose Certificates and qualifications have been granted equivalence by the corresponding State Boards, would be considered equivalent by the Central Board of Secondary Education (CBSE), Council of Board of School Education in India (COBSE) or/and by any other school examination board. From 2005 to 01.03.2017, the National Commission for Minority Educational Institutions (NCMEI) has issued 12,842 Certificates granting minority educational institutions.

g) Under the revised scheme, financial assistance is given for appointment of Urdu teachers in a Government school in any locality where more than 25% of the population is from Urdu speaking community. The financial assistance would be based on the prevailing salary structure of Urdu teachers employed with schools of the State Government. Honorarium is also admissible to part-time Urdu teachers. During 2014-15, an amount of Rs. 1.18 crore was sanctioned to the Government of Punjab for the salary of 42 Urdu Teachers. The scheme has been further revised as per which the Government of India would provide financial assistance for appointment of Urdu teachers, where 15 or more students in a class opt for it. During 2016-17, no targets for sanctioning of Urdu Teachers have been fixed.

h) 'Saakshar Bharat', the new variant of the National Literacy Mission, was launched on 08.09.2009 for implementation during the 11th Plan with an objective to make 70 million non-literate adults literate by the end of the Plan. The scheme has special focus on women, belonging to Minorities. It proposes to cover 12 million Muslim (10 million women and 2 million men) under the programme. Saakshar Bharat is being implemented in 395 districts out of 410 eligible districts in 26 States and UTs where adult female literacy is 50% or below as per 2001 Census. Besides, Maulana Azad Taleem-e-Balighan, a target focused approach under overall umbrella of Saakshar Bharat Programme has been launched in February 2014 to improve literacy in Muslims, especially in women.

A Mass Mobilization Campaign has been designed keeping all forms of media (print and electronic), folk, cultural and religious events, popular in the Muslim community, to be utilized for generating demand for literacy and propagating its benefits. Under this campaign, State Resource Centres (SRCs) have been set up in 11 States comprising of 61 MCDs have been covered under Saakshar Bharat. MHRD has informed that a suitable budget provision has been kept in the annual action plans of SRCs approved by NLMA (National Literacy Mission Authority) for 2014-15. Since the first assessment conducted by the National Literacy Mission

Authority in collaboration with the National Institute of Open Schooling in August 2010 to March 2016, 5.12crore adults have been certified as literates, out of which, 147 lakh (9.18% of total) are reported certified learners from minority community. During 2016-17, the Saakshar Bharat Programme continues to be implemented in the districts including the Saakshar Bharat eligibility districts of the minority concentration districts.

i) Jan Shikshan Sansthans (JSSs) are imparting vocational training in 33 out of the 88 Muslim dominated districts in the country. Action for covering additional districts with substantial minority population is under process. The coverage under this programme during 2012-13 was 12.2%. In the year 2013-14 (upto October, 2013) out of 2,48,757 beneficiaries, 30,629 (12.31%) belong to minorities. No new JSS was set up for the during 2015-16 and in the first quarter of 2016-17. MHRD has proposed to set up 10 new JSSs in Muslim Concentrated Districts under Maulana Azad Taleem-e-Balighan initiative.

j) The Mid Day Meal scheme was extended to all areas in the country from the year 2007-08 onwards and also covers upper primary schools. Blocks with concentration of Muslim population are covered under this scheme. Children in Madarsas are also covered under the programme. The erstwhile Planning Commission (NITI Aayog) has approved the extension of the scheme to students studying in privately managed unaided schools located in SC, ST and Minority Concentrated Districts; benefitting approximately 60.37 lakh children in 29,116 schools in MCDs and special focused districts.

k) All State Governments/UT administrations have been advised for using existing school buildings and community buildings as study centres for school children.

l) National Council of Educational Research and Training (NCERT) has prepared text books for all classes in the light of the National Curriculum Framework-2005 (NCF). 23 States have revised their curriculum as per the NCF 2005. 10 States/UTs are following NCERT syllabus while 3 UTs have adopted textbooks of neighboring States or NCERT textbooks.

m) Thirty five universities have started centers for studying social exclusion and inclusive policy for minorities and scheduled castes and scheduled tribes. UGC has established 2328 Centres of Equal Opportunity for Minorities SC/ST/OBCs in 23 Central Universities, 114 State Universities, 12 Deemed Universities and 2179 Colleges and Rs. 46.07 crore released during the 11th Five Year Plan.

n) The Centrally Sponsored Scheme in the XII Plan inter-alia envisages establishment of Block Institutes of Teachers Education in 196 SC/ST/MCDs, depending upon the criterion for which the district has been identified for setting up the BITE. The scheme has covered 15 States/ UTs. Up to 2015-16, 30 BITES have been approved in 9 States.

23.3 Ministry of Minority Affairs:

An expert group, constituted to study and recommend the structure and functions of an Equal Opportunity Commission (EOC), submitted its report on 13th March, 2008. The concept of diversity index has been subsumed in the EOC. The draft Bill for EOC, formulated in consultation with the Ministry of Law & Justice, was also approved by the Cabinet in its meeting held on 20.02.2014. However, before the Bill could be introduced in the Parliament, General Elections were held and a new Government was formed. As such, as per the extant Guidelines, the proposal for setting up of EOC was re-circulated for inter-ministerial consultations, before its reconsideration by the Cabinet. The Ministry has received divergent views from various Ministries/Departments on the draft Cabinet Note and the matter is under further examination in the Ministry in consultation with various stakeholders.

Waqf (Amendment) Bill, 2013 has been passed by both the Houses of Parliament and the Waqf Amendment Act, 2013 has come into force.

To fill the gap of development deficit, National Waqf Development Corporation Limited (NAWADCO) was

established under the aegis of the Ministry of Minority Affairs on 31.12.2013, under the Companies Act 1956, with specific mandate to develop invaluable Waqf institutions. NAWADCO has an authorized share capital of Rs.500 crore and paid up capital of Rs.100 crore.

An inter-ministerial Task Force constituted to devise an appropriate strategy and action plan for developing 338 identified towns having substantial minority population, submitted its report on 8th November, 2007. The concerned Ministries/Departments have been advised to give priority to these 338 towns in the implementation of their schemes. The following were the broad recommendations of the Inter-ministerial Task Force:[The identified deficiencies in educational and health infrastructure are to be attended by Min. of Women & Child Development, Deptt. of School Education & Literacy, Deptt. of Higher Education, Min. of Skill Development & Entrepreneurship (erstwhile Min. of Labour & Employment) and Min. of Health & Family Welfare. The identified deficiencies in basic civic amenities are to be attended on priority by Min. of Urban Development and M/o of Housing & Urban Poverty Alleviation].

Three scholarship schemes for minority communities namely, Pre-matric scholarship scheme for classes-I to X, Post-matric scholarship scheme for classes XI to PhD and Merit-cum-means based scholarship scheme for technical and professional courses at under-graduate and post- graduate levels are under implementation. Further, a fellowship scheme called Maulana Azad National Fellowship scheme for M.Phil and Ph.D. scholars is also under implementation, through University Grants Commission.

The Government has also undertaken to increase the corpus of Maulana Azad Education Foundation (MAEF) so that it can provide grants-in-aid for infrastructure development of educational institutions and NGOs and scholarships to meritorious girl students. The present Corpus of MAEF is Rs. 1,136 crore.

A revised Coaching and Allied scheme was launched in 2006-07 so that more and more minorities qualify in entrance examinations of technical education as well as in Government and other jobs.

Multi-sectoral Development Programme (MsDP) was launched in 90 identified minority concentration districts in 2008-09. Later the Government re-structured Multi-sectoral Development Programme (MsDP) for implementation during 12th Plan. The unit of planning was changed from districts to blocks/towns/cluster of villages. 710 blocks and 66 towns have been identified for implementation during the 12th Five Year Plan. During 2017-18, the programme is being implemented in the same pattern as of 12th Plan.

23.4 Ministry of Statistics and Programme Implementation:

A National Data Bank, to compile data on the various socio-economic and basic amenities parameters for socio-religious communities, has been set up in the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI). Around 200 tables on population (Census 2001 and Census 2011) have been uploaded on the website of the MoSPI (up to 30.09.2017).

23.5 NITI Aayog (erstwhile Planning Commission):

(a) An autonomous Assessment & Monitoring Authority (AMA), to analyze data collected for taking appropriate and corrective policy decisions, was set up in the Planning Commission. After the end of term of the AMA on 15th January, 2011, the Planning Commission reconstituted the AMA and the newly reconstituted AMA formed three Working Groups. All the three Working Groups submitted their report to Planning Commission on 12.05.2014. The AMA, inter alia, recommended for having a regular institution of AMA with its own Secretariat to periodically monitor and review the efficacy of programmes and to suggest policy measures. The NITI Aayog (erstwhile Planning Commission) has advised that the AMA may be located in the M/o Minority Affairs. The issue regarding location of AMA is under consideration. Meanwhile, the report of the AMA has been circulated to all the States/UTs and the Ministries/Departments of the Central Government for necessary action.

(b) A three-tier institutional structure for skill development was functioning till May, 2013 at the

Central level involving the Prime Minister's National Council on Skill Development (PMNCSD), National Skill Development Co-Ordination Board (NSDCB) under the Planning Commission and the National Skill Development Corporation (NSDC). However, as per a decision of the Union Cabinet the PMNCSD, NSDCB and O/o Adviser to PM on Skill Development has been subsumed in the National Skill Development Agency (NSDA). The NSDA is an autonomous body under the M/o Skill Development and Entrepreneurship and has been set up, inter alia, to coordinate and harmonize the Skill Development efforts of the Government and the Private Sector to achieve the skilling targets of the 12th Plan and beyond and endeavor to bridge the Social, Regional, Gender and Economic Divide.

23.6 Department of Personnel and Training:

(a) Department of Personnel & Training has developed training modules for sensitization of government officials for the welfare of minorities. These modules have been sent to the Central/ State Training Institutes for training.

(b) State Governments and Union Territory Administrations have been advised by Department of Personnel &Training for posting of Muslim police personnel in Thanas and Muslim health personnel and teachers in Muslim concentration areas.

(c) DoPT has issued instructions to Ministries of HRD, Home Affairs and Health & Family Welfare for issuing necessary guidelines regarding posting of Muslim police personnel in Thanas and Muslim health personnel and teachers in Muslim concentration areas. In response, suitable circulars have been issued by MHA, Ministry of Health and Ministry of Family Welfare and M/o HRD in this regard. Department of Personnel and Training has reported that during 2015-16, 2,851 (7.5%) (figures provisional). minority candidates were recruited.

23.7 Ministry of Home Affairs:

(a) A High Level Committee, set up to review the Delimitation Act, has considered the concerns expressed in the Sachar Committee report regarding anomalies with respect to reserved constituencies under the delimitation schemes and submitted its Report. The Delimitation Act as suggested by the High level Committee was considered by a Group of Ministers and the same was placed before the Cabinet. On the basis of the decision of the Cabinet, the Delimitation (Amendment) Ordinance 2008 was promulgated which was later replaced by the Delimitation Act, 2008.

(b) A Working Group in the National Advisory Council (NAC) drafted a Bill titled "Prevention of Communal and Targeted Violence (Access to Justice & Reparations) Bill, 2011". The NAC sent the Bill to Ministry of Home Affairs on 25.07.2011. The same was examined and subsequently a new Bill titled "The Prevention of Communal Violence (Access to Justice and Reparations) Bill, 2013" was prepared, which was approved by the Cabinet on 16.12.2013. Notice was given in the Rajya Sabha on 20.01.2014 for introduction of the Bill titled "The Prevention of Communal Violence (Access to Justice and Reparations) Bill, 2014" in the winter session of Parliament. However, the House, after discussion in the Rajya Sabha on 05.02.2014, deferred its introduction. The Bill titled "The Communal Violence (Prevention, Control and Rehabilitation of Victims) Bill, 2005" which was pending in the Rajya Sabha was withdrawn on 05.02.2014.

23.8 Ministry of Urban Development and Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation:

23.8.1 For facilitating the flow of funds under the Jawarharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM), four schemes e.g. Urban Infrastructure & Governance (UIG), Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT), Integrated Housing & Slum Development Programme (IHSDP) and Basic Services for Urban Poor (BSUP) were under implementation in towns and cities, having a substantial concentration of minority population. These schemes have since been discontinued.

23.8.2 Governments of Andhra Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh, Jharkhand, Uttar Pradesh, Karnataka, Punjab, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Lakshadweep, Chandigarh, Puducherry and Kerala have given exemption to Waqf Board properties from Rent Control Act, while Assam, Gujarat, Haryana, Meghalaya and NCT of Delhi have stated that the matter is under consideration. Arunachal Pradesh, Daman & Diu, Mizoram, Sikkim and Nagaland have informed that no Waqf property exists in these States. Odisha, Manipur and Andaman & Nicobar Islands have clarified that there are no Rent Control Acts.

23.9 Ministry of Labour and Employment:

An Act has been passed by the Parliament for providing social security to workers in the un-organized sector, which, inter-alia, includes home based workers.

23.10 Ministry of Culture:

Meetings of circles of Archeological Survey of India have been held with State WaqfBoards to review the list of Waqf properties which are under the Archeological Survey of India. The list of Waqf properties which are centrally protected has been prepared by Archeological Survey of India (ASI) and circulated to the concerned authorities with the direction to hold meetings with respective State Waqf Boards. The Ministry of Culture is holding regular meeting with Central Waqf Council to review the list of Waqfs under the ASI.

23.11 Ministry of Health and Family Welfare:

Dissemination of information regarding health and family welfare schemes is being undertaken in regional languages in minority concentration areas.

23.12 Ministry of Panchayati Raj & Ministry of Urban Development:

Ministry of Urban Development have informed that the following States/UTs have taken action for improving the representation of minorities in local bodies- Andhra Pradesh, Chandigarh, Karnataka, Kerala, Lakshadweep, Daman & Diu, Haryana, Tamil Nadu, Odisha and West Bengal. Andaman Nicobar Islands Administration informed that no community has been declared as minority community in Islands either on religious or linguistic grounds. However, the present council consists of member belonging to minority communities who has been elected in normal course of municipal election. Arunachal Pradesh has stated that 'the whole State is inhabited by various ethnic Tribal Groups having distinct identities and culture. They enjoy the privileges and social rights as Scheduled Tribe. Thus, it has not constituted Urban Local Bodies (ULBs) so far. The Government of Chhattisgarh is considering the matter. There is no representation of minorities in ULBs in Goa. In Himachal Pradesh there is no provision in HP municipal Acts for representation of minorities in ULB.

M/o Panchayati Raj has issued requisite advisory letter to all the State Governments for improving representation of minorities in local bodies on the lines of the initiative taken by the Andhra Pradesh government. Ten States/UTs have informed that suitable provisions exist in the relevant Act for providing representation of minorities or there is adequate representation of minorities in Rural Local Bodies. States/ UTs of Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Maharashtra, Tripura, Uttarakhand, West Bengal, Andaman & Nicobar, Lakshadweep, Goa, Meghalaya, Mizoram and Nagaland are non-Part of IX State. Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Chandigarh and Daman & Diu have informed that either no provision exists for separate representation of minorities or it is not feasible to make such provision.

23.13 Ministry of Information & Broadcasting:

The Ministry of Information & Broadcasting has been regularly releasing features of various themes associated with minority welfare covering issues such as scholarship schemes and initiatives taken in pursuance of the Sachar Committee Report.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

CHAPTER-24

HAJ MANAGEMENT

24.1 The work related to management of Haj pilgrimage including administration of the Haj Committee Act, 2002 and Rules made there under has been transferred from the Ministry of External Affairs to the Ministry of Minority Affairs from 1st October, 2016. Accordingly, a separate Division in the Ministry headed by Joint Secretary (Haj) has been set up to look after the Haj affairs. 24 posts at different levels have also been approved for manning the Haj Division.

24.2. The Ministry manages the Haj work in coordination with Ministry of External Affairs, Ministry of Civil Aviation, Ministry of Health, Haj Committee of India (HCOI) and Consulate General of India (CGI), Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. The Ministry also looks after all the matters related to Haj Committee of India, a Statutory body established under the Haj Committee Act, 2002, accord necessary approval to the Haj related proposals of CGI, Jeddah, selection of administrative and medical/ paramedical officials on short term deputation to CGI, Jeddah, registration of Private Tour Operators (PTOs) and allocation of Haj Quota to PTOs' etc.

24.3 Haj is the largest overseas activity undertaken by Government of India outside Indian borders. Although it is only a five day long religious congregation, it is virtually a yearlong managerial exercise. Indian pilgrims constitute the third largest national group performing the Haj. In Haj 2017, a total of 1,69,940 pilgrims undertook the Haj pilgrimage.

FACTS AND FIGURES: HAJ 2017

Number of Pilgrims from India	Total No. of HCOI Pilgrims	124940
	Total No. of PTO Pilgrims	45000
	No. of PTOs	569
Staff on Deputation to CGI, Jeddah for Haj management	Coordinators	3
	Assistant Haj Officer	59
	Haj Assistant	191
	Doctors	170
	Paramedics	174
	Total	597
Flight Operation from India	Arrival Phase	452
	Departure Phase	452
Embarkation points in India	Direct – 21	Total – 21
Number of Buildings hired in Makkah, Saudi Arabia	Buildings in Green area	56 (13500 units)
	Buildings in Aziziya	356 (108956 units)

Temporary Branches and Dispensaries set up in Saudi Arabia for Indian pilgrims	Makkah	Madinah
	Branches – 13	Branches – 3
	Dispensaries – 13	Dispensaries – 3
	Hospital – 40 bedded	Hospital – 10 bedded (main dispensary)
	30 bedded	
	10 bedded	
OPD & Mobile Medical Team visit cases handled by Indian Medical Mission, CGI, Jeddah	557656	

Annual Haj Conference held on 11th May, 2017 at New Delhi

24.4 Government of India attaches high priority to Haj pilgrimage. It has been the constant endeavor of Government to address issues related to Haj pilgrimage and to make improvements in the arrangements for the Haj pilgrims. To provide better facilities and amenities for Haj pilgrims, several initiatives have been undertaken. These include Online submission of Haj Application form to Haj Committee of India and providing e-payment option to pilgrims; Improvement of amenities for Haj pilgrims in buildings in Makkah and Madinah; Strengthening of transport arrangements for Hajis accommodated in Azizia; Strengthening of medical services for Haj pilgrims; Streamlining of air travel arrangements for Hajis by ensuring effective management

Orientation cum Training Programme for deputationists for Haj 2017 organised at New Delhi

of timely arrival and departure of flights; Speedy and effective online complaint management system; Use of Mobile Phone Application "Indian Hajis Information system" with information for Indian pilgrims; 24x7 helpline, toll free number and use of Whatsapp and SMS for providing timely

information;

Procurement of Adahi coupons through Islamic Development Bank on optional basis; Provision of travel by metro train in Mashaer region for pilgrims going through Haj Committee of India;

24.5 Preparations for Haj 2018 has been initiated by the Ministry. Haj Review Meeting was held on 02.11.2017 in which arrangements for Haj 2017 were reviewed and plan for next Haj 2018 has been approved. The New Haj Policy for Haj Committee of India Pilgrims for Haj 2018-22 has been approved based on which Haj Committee of India issued guidelines for Haj 2018 and invited application from 15.11.2017. The Policy for Private Tour Operators (PTOs) for Haj 2018 has been announced on 09.12.2017. A web portal for Haj PTOs has been launched on 14.12.2017, which will facilitate submission of online applications by the PTOs for registration and allocation of quota for Haj 2018.

24.6 A High Level Delegation led by Shri Mukhtar Abbas Naqvi, Minister of State (Independent Charge) for Minority Affairs visited Saudi Arabia for the bilateral meeting held on 7th January, 2018 with the officials of the Saudi Arabian Ministry of Haj and Umra to discuss the arrangements and requirements of the Indian pilgrims for the year 1439H (2018). The Annual Bilateral Haj Agreement for Haj 2018 between India and Saudi Arabia was signed during the meeting. As per the Agreement, the Government of Saudi Arabia has allocated the quota of 1,70,025 pilgrims as was during last year and an additional quota of 5000 Pilgrims for Haj 2018.

Submission of Report to Hon'ble Minister of Minority Affairs by the Haj Policy Review Committee at Mumbai

24.7 Initiatives taken by the Ministry

- The Ministry had constituted a Committee on 31.01.2017 to review the Haj Policy 2013-17 and to suggest framework for Haj Policy 2018-22. The Committee submitted its report on 07.10.2017. Based on the recommendations of the Haj Policy Review Committee (HPRC) and

suggestions received from various quarters, new Haj Policy for Haj Committee of India (HCoI) Pilgrims for Haj 2018-22 has been finalized.

- Lady Pilgrims: The Government's decision to lift ban on Muslim women for going to Haj without "Mehram" (male companion) has received encouraging response.

- A total of 1304 women have applied from across the country (11 States/ Union Territories) for Haj without Mehram. It has been decided to select these pilgrims for Haj 2018 without qurrah.

- Elderly Pilgrims: It has been decided to allow two companions with two 70+ pilgrims in a single cover for Haj 2018.

- Differently-abled pilgrims: The Ministry has advised the Haj Committee of India to review the provision with regard to differently-abled persons and other disabilities barring people from undertaking Haj pilgrimage in terms of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 in consultation with the experts and recommend necessary corrections/ amendments in the Haj Policy/ guidelines.

- Option to choose Embarkation Points: For the first time, option has been given to Haj pilgrims to opt for another embarkation point. This will ensure that there is no financial burden on Haj pilgrims even after removal of Haj subsidy.

- The recommendations of the HPRC regarding Policy for Private Tour Operators (PTOs) are under consideration of the Ministry. In the interest of smooth and timely completion of Haj arrangements for PTOs for Haj 2018, it has been decided to invite applications from PTOs for registration for Haj – 2018 as per the approved PTO policy 2013-17. In the meantime, the PTO Policy will be finalised and implemented for next five years from the year 2019 onwards.

Signing of Annual Bilateral Agreement for Haj 2018 between India and kindom of Saudi Arabia at Jeddah, Saudi Arabia

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

CHAPTER-25

RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

25.1 In accordance with the provisions of Section 4(1)(b) of the Right to information Act, 2005 this Ministry has uploaded all the relevant information viz the Ministry's organizational set-up, functions and duties of its officers and employees, records and documents available in the Ministry, etc. in the Ministry's website www.minorityaffairs.gov.in for information and guidance of the general public. This also provides information about the schemes, projects and programmes being implemented by the Ministry and its various organizations.

25.2 To promote greater transparency and accountability, all the details, Frequently Asked Questions (FAQ), statistics of achievements under each Scheme/Programme implemented by the Ministry are hosted on the website of the Ministry and updated regularly. Under the various scholarship schemes, the State Governments display the lists of the names of students awarded scholarships on their websites to which a hyper link is provided in the website of the Ministry. Further, under the MsDP, the States/UTs submit photographs of the ongoing and completed works which are also hosted on the Ministry's website. The Ministry also has a dedicated helpline to provide information and address the doubts of beneficiaries about the schemes/programmes in the Ministry.

25.3 The Ministry of Minority Affairs has designated fourteen (15) CPIOs and eight (7) First Appellate Authorities under this Act. In the 2017-18 (upto 15th February, 2018), 717 RTI applications and 80 Appeals online under the RTI Act were received.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

CHAPTER-26

GOVERNMENT AUDIT

Two audit Paras as detailed below have been included in the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 2016-17.

S.N.	Para No.	Title of the Para	Status
1	2.4.4.4(b) (Annexure 2.6 S.No. 8)	Loans and Advances to Govt. servants	Comments awaited from PAO/ DDOs
2	3.16(Annexure 3.13-S.No. 73-74)	Saving of Rs. 100 crore or more under a Sub head	Draft Action Taken Note sent to DGACE, New Delhi on 18.01.2018 for vetting.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

CHAPTER-27

SWACHH BHARAT MISSION

27.1 With the aim to make India clean and Open Defecation Free by 2nd October, 2019, Hon'ble Prime Minister has desired that all Central Government Ministries/ Departments should observe Swachhta Pakhwada in a calendar year. Swachhta Pakhwada of the Ministry was observed during the period from 16th November, 2017 to 30th November, 2017. The following activities were taken during the Pakhwada:-

- The Swachhta Pakhwada commenced on 16th November 2017 at the Pt. Deen Dayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex in presence of Officials/ officers of the Ministry. The officials were divided into different teams which took up the cleaning of different areas surrounding the Office Block. Sh. S.K. Dev Verman, Addl. Secretary addressed the officials/officers and encouraged them to continue the cleanliness drive after the Pakhwada also.
- A half Day workshop on Swachhta Pakhwada was organised by the Ministry on 17th November, 2017 at Manthan, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex to create awareness on the program. Officials/officers from the Ministry and from the attached/subordinate offices of the Ministry attended the Workshop. Special invitees from Nizamuddin Dargah also attended the same which was inaugurated by Shri S.K. Dev Verman, Addl. Secretary, Minority Affairs. The speakers highlighted the importance of cleanliness in everyday life and its general positive effect.
- Five teams of officials of the Ministry led by Sh. S.K. Dev Verman, Addl. Secy(MA), Sh. K.C. Samria, Joint Secretary, Smt. Niva Singh, Joint Secretary, Sh. J.A. Alam, Joint Secretary & Sh. P.K. Thakur, Director had visited Nizamuddin Dargah on 20th November,2017 Bangla Sahib Gurudwara on 21st November, 2017, Kalkaji Temple on 22nd November, 2017, Parsi Fire Temple on 23rd November, 2017 & ISKCON Temple on 24th November, 2017 respectively and took up cleaning activities in and around the respective premises along with the management & MCD staff.
- The Ministry's teams later on interacted with the officials of management of organization/ institutions who appreciated the initiative and requested that more such campaigns may be taken up. The Ministry also handed over four Trash bins to each of the organization.
- Drawing competition on Swachhta Pakhwada was held on 27th November, 2017. Six nos. of participants took part in the competition. Essay writing competition on Swachhta Pakhwada was held on 28th November, 2017. A total of 15(fifteen) participants took part in the essay competition.
- All organizations, Statutory Bodies, PSUs, etc. working under this Ministry also participated in the Swachhta Pakhwada.
- This Ministry is dedicated and committed to make the Swachh Bharat Mission of Hon'ble Prime Minister successful and visible on ground in letter and spirit within targeted date and to continue the initiative to create impact in field.

27.2 Yoga Session was held in the Ministry to commemorate the International Yoga Day on 21st June, 2017 wherein Officers/ Officials of the Ministry participated with full enthusiasm.

27.3 Slogan Writing Competition was also held on 4th August, 2017 as a part of Swachhta Action Plan. The best three slogans were put up on notice board and also website of the Ministry. The winners of the Slogan Writing Competition was also awarded the prizes.

"Swacch Bharat" campaign organized by the Ministry

"Swacch Bharat" campaign organized by the Ministry

"Shramdaan by Union Minister Shri Mukhtar Abbas Naqvi on inauguration of Swachhta Pakhwara at MAEF"

CHAPTER-28

IMPLEMENTATION OF E-OFFICE

28.1 Implementation of e-office is the Mission Mode project under the "Digital India Programme". DARPG is continuously monitoring the progress of e-office implementation of all Ministries. The Ministry of Minority Affairs has also considered the adoption of the programme.

28.2 The e-office was started in this Ministry on 12th December, 2016. Now all divisions of the Ministry are working in e-office. Notices are also put through e-office. Scanning of all files have already been completed in 2017 which was essential to apply e-office smoothly. All the scanned files were uploaded on i-cloud of e-office. Most of the files are migrated by the respective Divisions. Division- wise detail is enclosed.

Detail of the performance of each Division under e-office

Division	Files Registered	Files Uploaded	Files Migrated	Pending Files
Budget	3	13	0	13
Establishment	288	280	242	38
Admin	259	153	137	16
Haj Division	0	41	0	
PP-2	45	95	40	55
WAQF	184	210	182	28
Helpline	2	2	2	0
Nai Roshni	810	841	841	0
Vigilance	17	13	13	0
IM Division	69	206	176	30
MSDP	566	573	533	40
Free Coaching	160	415	328	87
Usttad	0	38	38	0
Scholarship	22	196	100	96
Finance	9	1	1	0
Hindi	14	46	3	43
NMDFC	23	84	5	79
Parliament	9	6	0	6
Co-ordination	5	30	24	6
Media	85	81	81	0
Hamari Dharohar	2	26	26	0
Seekho Aur Kamao	0	157	84	73
Research	12	25	25	0
Nai Manzil	0	134	134	0
DDO	1	0	0	0
e-office	3	3	3	0
Anglo Indian	0	5	5	0
Cash	0	13	0	13
Total	**2588**	**3687**	**3023**	**664**

CHAPTER-29

CITIZEN's CLIENT's CHARTERS AND GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM

29.1 The Citizen's/Clients Charter of the Ministry for the year 2013-2014 which is Sevottam compliant and a mandatory requirement was prepared and uploaded on the Cabinet Secretariat's website on 29th May 2014.

29.2 A screen shot showing the CPGRAMS link for grievance redressal mechanism of the Performance Management Division of the Cabinet Secretariat has been uploaded on the Ministry's website.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

ANNEXURE-I

Incumbency Statement of Ministry of Minority Affairs as on 23.01.2018

Sl No.	Post/Pay Band/Grade Pay/Group	Sanctioned Strength	Working Strength	Vacancy
1.	SECRETARY/ Rs.80,000/- Fixed/ Gr. 'A'	01	01	00
2.	ADDITIONAL SECRETARY/ HAG / Gr. 'A'	01	01	00
3.	JOINT SECRETARY/ G.P. 10000/- / Gr. 'A'	03	03	00
4.	DEPUTY DIRECTOR GENERAL/ G.P. 10000/- / Gr. 'A'	01	00	01
5.	DIRECTOR/ DEPUTY SECRETARY/ G.P. 8700/- / 7600/- Gr. 'A'	11	04	07
6.	JOINT DIRECTOR (OL) GP: 7600/-	01	00	01
7.	UNDER SECRETARY/ G.P. 6600/-/ Gr. 'A'	15	15	00
	DEPUTY DIRECTOR/ GP 6600/- / Gr. 'A'	01	01	00
8.	ASSISTANT DIRECTOR/ G.P. 5400/- / Gr. 'A'	03	01	02
9.	RESEARCH OFFICER/ 5400/- / Gr. 'A'	01	01	00
10.	ASSISTANT DIRECTOR (OFFICIAL LANGUAGE)/ G.P. 5400/- /Gr. 'B'	01	01	00
11.	SECTION OFFICER/ G.P. 4800/- / Gr. 'B'	10	05	05
12.	PSO/Sr. PPS G.P. 8700/7600/- / Gr. 'A'	01	01	00
13.	PPS GP Rs.6600/-	04	03	01
14.	ASSISTANT SECTION OFFICER/ G.P. 4600/- / Gr. 'B' (NG)	14	13	01
15.	SR. RESEARCH INVESTIGATOR/ G.P. 4200/- / Gr. 'B' (NG)	04	02	02
16.	SENIOR INVESTIGATORS/ G.P. 4200/- / Gr. 'B' (NG)	04	00	04
17.	ACCOUNTANT/ G.P. 4200/- / Gr. 'B' (NG)	01	00	01
18.	PRIVATE SECRETARIES/ G.P. 4800/- / Gr. 'B'	05	04	01
19.	STENO GRADE 'C'/PA G.P. 4600/- / Gr. 'B' (NG)	10	07	03
20.	SENIOR HINDI TRANSLATOR/ G.P. 4600/- /Gr. 'B' (NG)	01	01	00
21.	JUNIOR HINDI TRANSLATOR Rs.4200/-	03	01	02
22.	STENO GRADE 'D'/ G.P. 2400/- Gr. 'C'	05	03	02
23.	UDC. /G.P. 2400/ Gr. 'C'	01	00	01
24.	STAFF CAR DRIVER G.P. 1900/- / Gr. 'C'	02	02	00
25.	MTS/ G.P. 1800/- / Gr. 'D'	14	08	06
26.	ASSISTANT DIRECTOR (URDU) G.P. 5400/- / Gr. 'B'	01	00	01
27.	Sr. TRANSLATOR (URDU) G.P. 4600/- / Gr. 'B' (NG)	01	01	00
28.	TYPIST (URDU) G.P. 1900/- / Gr. 'C'	01	00	01
	Total	**121**	**79**	**42**

ANNEXURE-II

Organizational Chart

(As on 7th February, 2018)

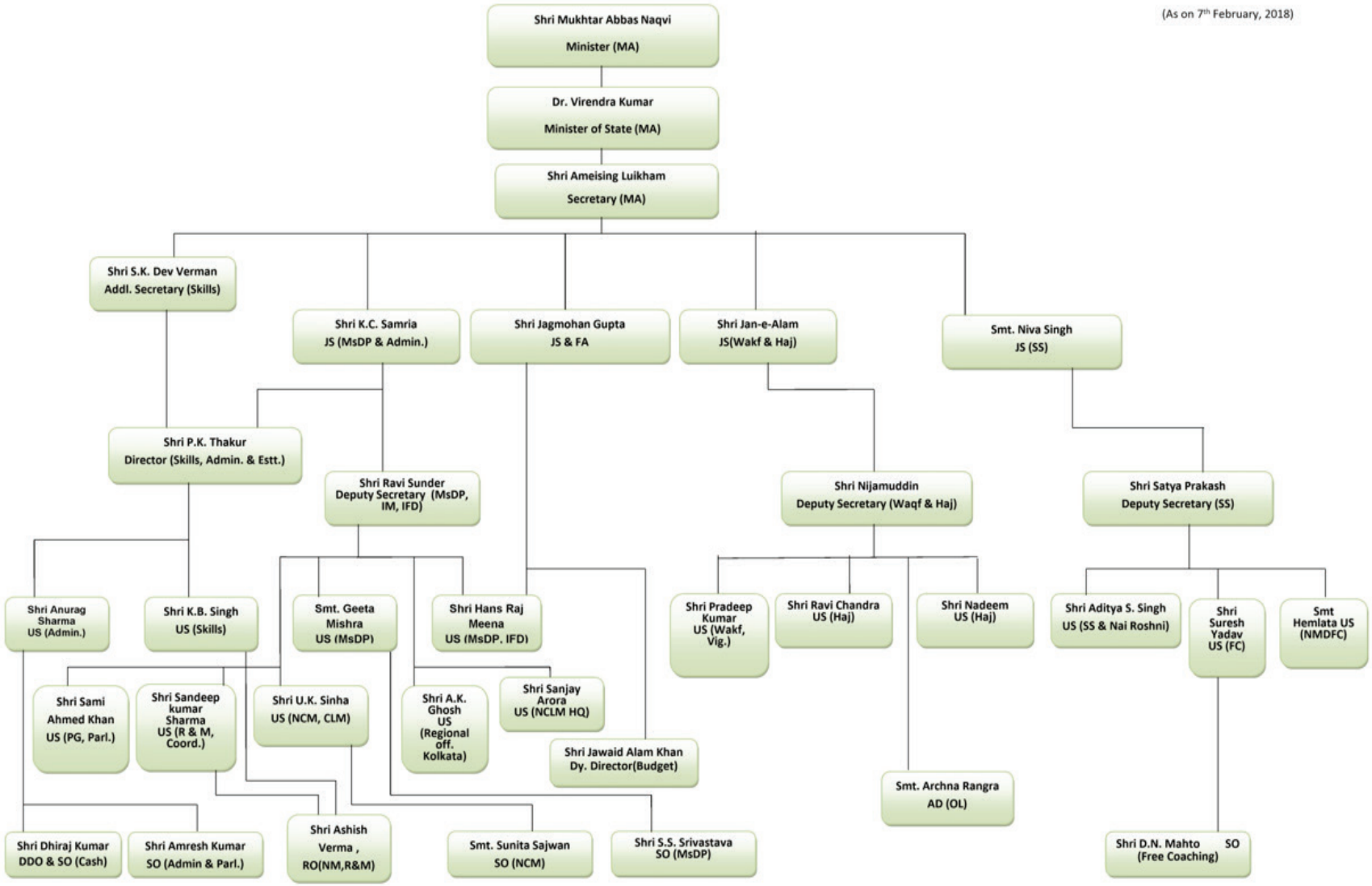

Annexure-III

Statement showing Scheme/Programme-wise Budget Estimates, Revised Estimates 2017-18, Actual Expenditure (upto 31.12.2017) and BE 2018-19

(Rs. in crore)

S.N.	Name of Scheme	Budget Estimates 2017-18	Revised Estimates 2017-18	Actual Expenditure upto 31.12.2017	Budget Estimates 2018-19
1	Grant-in-aid To Maulana Azad Education Foundation	113.00	113.01	113.00	125.01
2	Free Coaching and Allied Schemes for Minorities	48.00	48.00	32.22	74.00
3	Contribution of Equity to NMDFC	170.00	170.00	170.00	165.02
4	Research/ Studies, monitoring & evaluation of Schemes for Minorities including publicity	50.00	50.01	19.34	55.00
5	GIA to State Channelsing Agencies (SCA) engaged for impelemenation in NMDFC Programmes	2.00	2.00	0.00	2.00
6	Scheme for Leadership Development of Minority Women	15.00	17.00	1.65	15.00
7	Maulana Azad National Fellowship for minority students	100.00	150.00	99.87	153.00
8	Computerization of Records and Strengthening of Waqf Boards and Grants-in-Aid to Waqfs	16.18	15.86	10.52	20.10
9	Interest subsidy on Educational Loans for overseas studies	8.00	17.00	6.52	24.00
10	Scheme for containing population decline of small minorities	2.00	3.00	1.42	4.00
11	Skill Development Initiatives	250.00	200.00	23.68	250.00
12	Support for Students clearing Prelims conducted by UPSC,SSC State PSCs etc	4.00	6.00	3.12	8.00
13	Merit cum Means Scholarship for professional and technical courses of undergraduate and post-graduate	393.54	393.54	215.71	522.00
14	Pre Matric Scholarship for Minorities	950.00	1001.15	766.89	980.00
15	Post Matric Scholarship for Minorities	550.00	561.29	318.15	692.00
16	Multi-sectoral Development Programme for Minorities in selected of minority concentration districts	1200.00	1200.00	821.34	1320.00

(Rs. in crore)

S.N.	Name of Scheme	Budget Estimates 2017-18	Revised Estimates 2017-18	Actual Expenditure upto 31.12.2017	Budget Estimates 2018-19
17	Upgrading Skill and Training in Traditional Arts/Crafts for Development (USTAAD)	22.00	29.00	14.89	30.00
18	Hamari Dharohar	12.00	12.00	0.59	6.00
19	Nai Manzil	175.95	95.39	0.41	140.00
20	Secretatiat	17.66	18.38	13.56	19.14
21	National Commission for Minorities	8.41	8.51	5.41	8.62
22	Commission for Lingiuistic Minorities	2.74	2.74	1.50	2.32
23	Expenditure on Haj	85.00	81.60	49.13	84.79
	Grand Total	**4195.48**	**4195.48**	**2688.92**	**4700.00**

ANNEXURE-IV

11th Five Year Plan					
Multi-sectoral Development Programme(MsDP) for Minority Concentration Districts(MCDs)					
Financial Progress as per reports received from States/UTs					
Sl. No.	**State**	**Projects Approved**	**Fund Released**	**Utilization reported by State**	**Percentage expenditure w.r.t. Releases**
			Rs. in lakh		
1	Uttar Pradesh	100300.85	79012.30	68715.71	86.97
2	West Bengal	68579.68	61139.52	61000.00	99.77
3	Assam	69275.35	46892.62	42483.40	90.60
4	Bihar	52280.58	40563.07	29035.08	71.58
5	Manipur	13912.58	12043.01	10665.83	88.56
6	Haryana	4919.90	4187.89	4014.55	95.86
7	Jharkhand	17997.54	13944.70	11342.24	81.34
8	Uttrakhand	5227.77	3235.84	3151.94	97.41
9	Maharashtra	5993.93	5671.69	5549.26	97.84
10	Karnataka	3914.40	3793.15	3793.15	100.00
11	Andaman & Nicobar Island	1242.85	68.25	68.25	100.00
12	Odisha	3129.92	2562.21	2558.48	99.85
13	Meghalaya	3047.65	3047.65	3039.64	99.74
14	Kerala	1500.00	1462.92	1252.55	85.62
15	Mizoram	3895.33	2724.93	2716.68	99.70
16	Jammu & Kashmir	1506.21	1349.61	1343.79	99.57
17	Delhi	2191.15	1099.73	980.30	89.14
18	Madhya Pradesh	1493.30	1398.30	1266.30	90.56
19	Sikkim	1268.59	1100.02	919.53	83.59
20	Arunachal Pradesh	11711.70	8232.15	8232.15	100.00
	Total	**373389.28**	**293529.56**	**262128.83**	**89.30**

Annexure-V

Multi sectoral Development Programme (MsDP) for Minority Concentration Blocks/Towns (MCBs/MCTs) for 11th Five Year Plan
Physical Progress Report

S.No	State		Education						Skill Development		Health	Aganwadi Centre	Drinking Water	Pucca Housing
			School building	Additional class rooms	Hostels	Lab equip.	Toilet & DW in School	Teaching aid	ITI Building	Polytechnic	Total of Health	AWC	Hand pumps/ DWS	IAY
1	Uttar Pradesh	U.S.	61	667	13	2	1578	0	32	19	870	9336	12510	84480
		U.C	38	653	10	0	826	0	23	4	687	8650	11536	75138
		WIP	9	14	3	0	0	0	9	14	17	311	119	1264
2	West Bengal	U.S.	41	6965	39	60	66	40	6	3	743	7007	6529	37532
		U.C	34	6940	38	60	66	40	6	3	742	7007	6529	37526
		WIP	7	25	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4
3	Assam	U.S.	0	3557	38	50	294	16	15	1	133	2077	11192	89836
		U.C	0	1921	11	0	144	0	5	1	101	1315	8805	56282
		WIP	0	425	25	0	4	0	10	0	5	235	271	2516
4	Bihar	U.S.	92	2056	41	53	1360	0	3	2	249	4835	2533	35657
		U.C	56	1195	25	53	404	0	1	1	157	1471	2034	21805
		WIP	32	543	12	0	75	0	0	0	61	688	201	7897
5	Manipur	U.S.	375	0	35	0	0	0	1	0	152	75	679	5940
		U.C	199	0	1	0	0	0	0	0	70	60	422	5940
		WIP	176	0	11	0	0	0	1	0	82	15	224	0
6	Haryana	U.S.	8	183	0	0	0	0	1	0	6	142	0	2000
		U.C	6	155	0	0	0	0	1	0	2	90	0	2000
		WIP	8	0	0	1	0	0	0	0	4	0	19	0
7	Jharkhand	U.S.	0	28	8	0	0	1	8	2	237	1335	0	9215
		U.C	0	3	0	0	0	1	1	0	173	1008	0	8764
		WIP	0	0	8	0	0	0	3	1	46	236	0	450

S.No	State		Education						Skill Development		Health	Aganwadi Centre	Drinking Water	Pucca Housing
			School building	Additional class rooms	Hostels	Lab equip.	Toilet & DW in School	Teaching aid	ITI Building	Polytechnic	Total of Health	AWC	Hand pumps/ DWS	IAY
8	Uttrakhand	U.S.	2	69	0	0	17	0	1	2	24	455	914	0
		U.C	2	5	0	0	0	0	1	1	1	412	597	0
		WIP	0	35	0	0	14	0	0	1	10	43	0	0
9	Maharashtra	U.S.	0	0	6	0	0	0	0	0	0	626	0	11670
		U.C	0	0	6	0	0	0	0	0	0	458	0	11032
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	282
10	Karnataka	U.S.	0	50	30	0	0	0	0	0	36	366	0	4400
		U.C	0	50	27	0	0	0	0	0	36	366	0	4400
		WIP	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Andaman & Nicobar Island	U.S.	0	0	0	0	0	25	1	0	0	35	0	0
		U.C	0	0	0	0	0	12	0	0	0	11	0	0
		WIP	0	0	0	0	0	13	0	0	0	15	0	0
12	Odisha	U.S.	0	11	0	0	64	0	2	0	15	151	0	5740
		U.C	0	11	0	0	58	0	0	0	15	151	0	5740
		WIP	0	0	0	0	6	0	2	0	0	0	0	0
13	Meghalaya	U.S.	1	54	5	0	0	0	0	0	0	81	1301	5000
		U.C	1	54	5	0	0	0	0	0	0	81	1301	5000
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kerala	U.S.	0	38	0	0	0	0	0	1	10	0	3	0
		U.C	0	38	0	0	0	0	0	1	10	0	3	0
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mizoram	U.S.	17	37	9	0	0	0	0	0	23	221	24	2758
		U.C	17	36	5	0	0	0	0	0	16	158	10	2480
		WIP	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	14	278

S.No	State		Education						Skill Development		Health	Aganwadi Centre	Drinking Water	Pucca Housing
			School building	Additional class rooms	Hostels	Lab equip.	Toilet & DW in School	Teaching aid	ITI Building	Polytechnic	Total of Health	AWC	Hand pumps/ DWS	IAY
16	Jammu & Kashmir	U.S.	0	15	0	0	0	0	1	1	0	40	82	0
		U.C	0	10	0	0	0	0	0	0	0	2	21	0
		WIP	0	5	0	0	0	0	0	0	0	35	61	0
17	Delhi	U.S.	2	80	0	0	17	0	1	0	5	0	2	0
		U.C	2	80	0	0	10	0	0	0	2	0	2	0
		WIP	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0
18	Madhya Pradesh	U.S.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	200	0	1000
		U.C	0	0	4	0	0	0	0	0	0	138	0	876
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	102
19	Sikkim	U.S.	6	11	0	0	0	0	0	0	1	56	4	250
		U.C	6	9	0	0	0	0	0	0	0	51	0	250
		WIP	0	2	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0
20	Arunachal Pradesh	U.S.	49	240	107	10	2	10	0	0	33	557	0	5743
		U.C	49	218	106	10	2	5	0	0	33	557	0	5743
		WIP	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0
21	Andhra Pradesh	U.S.												
		U.C												
		WIP												
22	Telangana	U.S.												
		U.C												
		WIP												
23	Tripura	U.S.												
		U.C												
		WIP												

S.No	State		Education						Skill Development		Health	Aganwadi Centre	Drinking Water	Pucca Housing
			School building	Additional class rooms	Hostels	Lab equip.	Toilet & DW in School	Teaching aid	ITI Building	Polytechnic	Total of Health	AWC	Hand pumps/ DWS	IAY
24	Punjab	U.S.												
		U.C												
		WIP												
25	Rajasthan	U.S.												
		U.C												
		WIP												
26	Gujarat	U.S.												
		U.C												
		WIP												
27	Chattisgarh	U.S.												
		U.C												
		WIP												
	Total	**U.S.**	**654**	**14061**	**335**	**175**	**3398**	**92**	**72**	**31**	**2537**	**27595**	**35773**	**301221**
		U.C	**410**	**11378**	**238**	**123**	**1510**	**58**	**38**	**11**	**2045**	**21986**	**31260**	**242976**
		WIP	**232**	**1050**	**65**	**1**	**99**	**18**	**26**	**16**	**230**	**1662**	**909**	**12793**

Abbreviation :- U.S: Unit Sanctioned

IAY=Indira Awas Yojana, AWC= Anganwadi Centres, ITI= Industrial Training Institute, DWS= Drinking Water Supply, ACRs= Additional Classrooms, PHC= Primary Health Centre, CHC= Community Health Centre, Mis= (IWDP- Integrated Water Development Project, District Institute of Education and Trainig (DIET), Approach Rorad, Computer with accesoriies, Libraray, Hat Sheds)

Annexure-VI

12th Five Year Plan					
Multi-sectoral Development Programme(MsDP) for Minority Concentration Blocks(MCBs), Minority Concentration Towns(MCTS) and Clusters of Villages					
Financial Progress as per reports received from States/UTs					
Sl. No.	**State**	**Projects Approved**	**Fund Released**	**Utilization reported by State**	**Percentage expenditure w.r.t. Releases**
			Rs. in lakh		
1	Uttar Pradesh	131356.13	109152.22	103791.89	95.09
2	West Bengal	156778.43	131966.31	90000.00	68.20
3	Assam	61215.66	46679.58	2073.31	4.44
4	Bihar	62602.10	41686.31	9757.08	23.41
5	Manipur	13906.64	11556.33	886.56	7.67
6	Haryana	8303.76	4800.33	615.47	12.82
7	Jharkhand	11108.48	11040.51	1878.03	17.01
8	Uttrakhand	6042.74	7758.51	4750.38	61.23
9	Maharashtra	10644.52	5135.92	1384.09	26.95
10	Karnataka	20020.56	11442.63	897.00	7.84
11	Andaman & Nicobar Island	0.00	130.16	25.30	19.44
12	Odisha	6711.19	3948.41	909.20	23.03
13	Meghalaya	2914.69	2598.81	829.54	31.92
14	Kerala	4484.14	3662.33	1413.34	38.59
15	Mizoram	1396.21	2244.81	1090.51	48.58
16	Jammu & Kashmir	1564.06	1251.19	323.36	25.84
17	Delhi	235.38	790.18	561.45	71.05
18	Madhya Pradesh	1550.08	1006.17	520.28	51.71
19	Sikkim	2552.83	1606.72	493.18	30.69
20	Arunachal Pradesh	20690.28	18838.00	7157.31	37.99
21	Andhra Pradesh	12501.69	7416.39	2458.26	33.15
22	Telangana	11791.07	5887.72	741.00	12.59
23	Tripura	16329.16	11854.77	8888.31	74.98
24	Punjab	2826.27	2135.81	740.10	34.65
25	Rajasthan	16172.51	9721.42	4701.93	48.37
26	Gujarat	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Chattisgarh	3052.28	2029.80	541.74	26.69
	Total	**586750.86**	**456341.30**	**247428.62**	**54.22**

Multi sectoral Development Programme (MsDP) during 12th Five Year Plan
Physical Progress Report as per reports received from States/Uts

S. N.	State		Education									Digital Literacy under Cyber Gram	Skill Development			Health	Agan-wadi Centre	Drinking Water		Pucca Housing	Income Generation Infrastructure	Misc	Sadbhav Mandap	Residential School	Market shed
			Degree College	School building	Additional class rooms	Hostels	Computers in School	Lab equip.	Toilet & DW in School	Teaching aid	Free Bicycle for Girls		ITI Building	Polytechnic	Skill Training	Total of Health	AWC	Hand pumps	Drinking Water Facilities	IAY					
1	Uttar Pradesh	U.S.	9	241	546	23	112	40	463	572	0	173143	35	6	39255	200	1843	11117	212	574	0	19	0	0	0
		U.C	0	42	193	9	0	0	82	0	0	0	0	0	2139	75	994	5171	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	81	162	9	0	0	18	0	0	0	18	4	750	94	190	234	56	574	0	2	0	0	0
2	West Bengal	U.S.	0	67	5195	211	389	0	696	179	0	170005	33	6	63720	346	5034	2933	8100	25280	60	2367	151	0	100
		U.C	0	67	4427	157	381	0	382	0	0	0	25	2	0	241	4017	1565	7126	23383	16	0	0	0	0
		WIP	0	0	690	46	8	0	314	0	0	0	6	4	0	105	1082	1368	974	2600	34	235	0	0	0
3	Assam	U.S.	0	254	5986	82	0	29	520	0	0	0	0	0	0	237	1096	8743	645	0	0	109	16	0	320
		U.C	0	1	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	26	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	39	3235	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	0	570	0	0	0	0	0	0
4	Bihar	U.S.	0	243	2418	42	0	0	42	0	0	0	0	1	0	517	90	49	142	5630	0	1	52	1	0
		U.C	0	54	757	10	0	0	16	0	0	0	0	0	0	44	3	49	134	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	70	465	13	0	0	4	0	0	0	0	0	0	136	45	0	0	0	0	0	15	0	0
5	Manipur	U.S.	0	155	289	27	0	0	45	0	1668	0	0	0	100	65	32	29	6	1713	0	26	7	0	0
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	1	0	1	0	0	0	0	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Haryana	U.S.	0	1	392	7	0	12	71	0	0	0	1	1	0	20	142	0	178	0	4	1	5	0	0
		U.C	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	1	58	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	26	0	21	0	0	0	0	0	0
7	Jharkh-and	U.S.	0	1	267	13	0	0	0	0	0	0	3	1	0	19	229	0	6	1195	0	0	0	0	0
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	32	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	16	0	0	200	0	0	0	0	0
8	Uttrakhand	U.S.	3	5	1	2	0	0	0	0	0	0	5	0	0	6	0	576	0	0	0	0	0	0	0
		U.C	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	576	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

S. N.	State		Education									Digital Literacy under Cyber Gram	Skill Development			Health	Agan-wadi Centre	Drinking Water		Pucca Hous-ing	Income Gener-ation Infra-struc-ture	Misc	Sad-bhav Man-dap	Resi-dential School	Market shed
			Degree College	School build-ing	Addi-tional class rooms	Hostels	Com-puters in School	Lab equip.	Toilet & DW in School	Teach-ing aid	Free Bicycle for Girls		ITI Build-ing	Poly-technic	Skill Train-ing	Total of Health	AWC	Hand pumps	Drink-ing Water Facili-ties	IAY					
9	Mahar-ashtra	U.S.	0	6	384	16	0	0	141	0	0	0	2	1	0	25	82	0	0	0	0	0	0	0	0
		U.C	0	1	16	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Karnataka	U.S.	0	48	194	58	0	0	79	0	0	0	0	0	7810	9	2	0	50	1500	0	0	10	13	0
		U.C	0	24	109	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	21	33	21	0	0	17	0	0	0	0	0	0	3	2	0	6	0	0	0	0	0	0
11	Andaman & Nicobar Island	U.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Odisha	U.S.	0	0	183	5	10	1	0	0	0	0	4	0	2850	18	145	1	34	4297	4	0	0	0	0
		U.C	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1854	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Meghalaya	U.S.	0	1	46	7	0	0	404	0	2154	0	0	0	0	31	21	563	706	1204	0	5	0	0	0
		U.C	0	1	16	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	563	426	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	154	498	0	0	0	0	0
14	Kerala	U.S.	0	28	152	0	0	0	0	0	1807	0	0	0	0	22	0	0	16	0	0	0	0	0	0
		U.C	0	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	4	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	7	0	0	0	0	0	0
15	Mizoram	U.S.	0	15	43	0	60	0	12	0	0	0	2	0	0	4	17	0	1	0	1	0	0	0	0
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	1	34	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0
16	Jammu & Kashmir	U.S.	0	0	29	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	64	50	0	0	0	4	0	0	0
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	28	0	0	0	0	0	0	0
17	Delhi	U.S.	0	0	24	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
		U.C	0	0	20	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

S. N.	State			Education								Digital Literacy under Cyber Gram	Skill Development			Health	Aganwadi Centre	Drinking Water		Pucca Housing	Income Generation Infrastructure	Misc	Sadbhav Mandap	Residential School	Market shed
			Degree College	School building	Additional class rooms	Hostels	Computers in School	Lab equip.	Toilet & DW in School	Teaching aid	Free Bicycle for Girls		ITI Building	Polytechnic	Skill Training	Total of Health	AWC	Hand pumps	Drinking Water Facilities	IAY					
18	Madhya Pradesh	U.S.	0	3	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	4	0	0	0
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Sikkim	U.S.	0	4	25	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	252	0	2	1	0	0
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0
		WIP	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	195	0	2	0	0	0
20	Arunachal Pradesh	U.S.	0	36	323	113	0	5	48	0	0	0	0	0	0	30	69	0	265	1441	0	6	7	0	0
		U.C	0	14	98	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	56	0	250	1155	0	0	0	0	0
		WIP	0	21	220	73	0	0	42	0	0	0	0	0	0	16	13	0	11	220	0	0	0	0	0
21	Andhra Pradesh	U.S.	0	10	222	13	0	0	0	0	2700	0	4	0	7125	2	20	0	0	0	0	0	4	6	0
		U.C	0	2	10	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	8	60	6	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Telamgana	U.S.	0	4	133	46	0	0	5	27	2896	0	2	0	4225	9	50	0	0	0	0	0	0	7	0
		U.C	0	1	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	1	21	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Tripura	U.S.	1	29	424	8	90	0	0	0	2735	18109	0	0	2520	30	0	0	223	4294	0	1	0	0	0
		U.C	0	29	130	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	223	1750	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	47	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	2546	0	0	0	0	0
24	Punjab	U.S.	0	0	73	0	19	0	0	4	0	0	0	0	0	10	451	0	0	23	1	0	0	0	0
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	33	0	6	0	0	4	0	0	0	0	0	0	148	0	0	23	1	0	0	0	0
25	Rajasthan	U.S.	2	15	966	8	10	0	0	0	0	10400	6	0	0	74	97	0	0	0	0	0	2	0	0
		U.C	1	4	306	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	62	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	1	3	443	4	0	0	0	0	0	0	6	0	0	13	10	0	0	0	0	0	2	0	0
26	Gujarat	U.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

S. N.	State		Education									Digital Literacy under Cyber Gram	Skill Development			Health	Agan-wadi Centre	Drinking Water		Pucca Housing	Income Generation Infrastructure	Misc	Sadbhav Mandap	Residential School	Market shed
			Degree College	School building	Additional class rooms	Hostels	Computers in School	Lab equip.	Toilet & DW in School	Teaching aid	Free Bicycle for Girls		ITI Building	Polytechnic	Skill Training	Total of Health	AWC	Hand pumps	Drinking Water Facilities	IAY					
27	Chattisgarh	U.S.	0	6	318	15	203	0	0	0	0	0	0	0	0	176	0	0	65	0	0	0	0	0	0
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	U.S.	15	1172	18637	710	893	87	2529	782	13960	371657	97	17	127605	1856	9508	24061	10649	47403	70	2548	272	27	420
		U.C	3	241	6678	253	381	0	482	0	0	0	29	2	2139	513	5167	7936	8195	28199	16	0			
		WIP	2	258	5631	215	14	0	395	4	764	0	40	9	750	630	1592	1630	1800	6856	35	239			

Abbreviation :- U.S: Unit Sanctioned.

Annexure-VIII

2017-18			
Multi-sectoral Development Programme(MsDP) for Minority Concentration Blocks(MCBs), Minority Concentration Towns(MCTS) and Clusters of Villages			
Financial Progress as per reports received from States/UTs			
Sl. No.	**State**	**Projects Approved**	**Fund Released**
		Rs. in lakh	
1	Uttar Pradesh	12726.36	8159.815
2	West Bengal	36094.72	17941.27
3	Assam	57506.8	30213.19
4	Bihar	2520.3	1592.17
5	Manipur	6080.11	3162.55
6	Haryana	1056.43	528.21
7	Jharkhand	2784.022	1804.45
8	Uttrakhand	1273.88	636.98
9	Maharashtra	0	412.93
10	Karnataka	3372.9	3297.26
11	Andaman & Nicobar Island	0	0
12	Odisha	0	0
13	Meghalaya	0	0
14	Kerala	1093.26	546.64
15	Mizoram	329.19	466.51
16	Jammu & Kashmir	0	0
17	Delhi	0	187.43
18	Madhya Pradesh	0	418.56
19	Sikkim	601.4	509.75
20	Arunachal Pradesh	611.35	836.908
21	Andhra Pradesh	5597.42	2798.71
22	Telangana	6480	3240
23	Tripura	0	2289.35
24	Punjab	0	0
25	Rajasthan	3000.83	2312.45
26	Gujarat	0	0
27	Chattisgarh	300.17	150.12
	Total	**141429.14**	**81505.25**

Multi sectoral Development Programme (MsDP) during 2017-18

S.No	State		Education					Skill Develop-ment	Health	Aganwa-di Centre		Misc.	Sadbhav Mandap	Resi-dential School	Market shed
			Degree College	School building	Addition-al class rooms	Hostels	Toilet & DW in School	ITI Build-ing	Total of Health	AWC	Drinking Water Facilties				
1	Uttar Pradesh	U.S.		15				1		78	38	40	18		
		U.C													
		WIP													
2	West Bengal	U.S.		1	3580	48	428		2	1084		11			16
		U.C													
		WIP													
3	Assam	U.S.												21	
		U.C													
		WIP													
4	Bihar	U.S.		1	219					40	12		7		
		U.C													
		WIP													
5	Manipur	U.S.		1	3	4	1						18		
		U.C													
		WIP													
6	Haryana	U.S.		1						7		7			
		U.C													
		WIP													
7	Jharkhand	U.S.		7	103		25		41	182					
		U.C													
		WIP													
8	Uttrakhand	U.S.	1	5	2					12	1		8		
		U.C													
		WIP													
9	Maharashtra	U.S.													
		U.C													
		WIP													

S.No	State		Education					Skill Development	Health	Aganwadi Centre		Misc.	Sadbhav Mandap	Residential School	Market shed
			Degree College	School building	Additional class rooms	Hostels	Toilet & DW in School	ITI Building	Total of Health	AWC	Drinking Water Facilties				
10	Karnataka	U.S.		16									3	4	
		U.C													
		WIP													
11	Andaman & Nicobar Island	U.S.													
		U.C													
		WIP													
12	Odisha	U.S.													
		U.C													
		WIP													
13	Meghalaya	U.S.													
		U.C													
		WIP													
14	Kerala	U.S.		18	9										
		U.C													
		WIP													
15	Mizoram	U.S.		5						1	3				
		U.C													
		WIP													
16	Jammu & Kashmir	U.S.													
		U.C													
		WIP													
17	Delhi	U.S.													
		U.C													
		WIP													
18	Madhya Pradesh	U.S.													
		U.C													
		WIP													
19	Sikkim	U.S.		1	2	3									
		U.C													

S.No	State		Education					Skill Development	Health	Aganwadi Centre		Misc.	Sadbhav Mandap	Residential School	Market shed
			Degree College	School building	Additional class rooms	Hostels	Toilet & DW in School	ITI Building	Total of Health	AWC	Drinking Water Facilties				
		WIP													
20	Arunachal Pradesh	U.S.		4		2									
		U.C													
		WIP													
21	Andhra Pradesh	U.S.		4	8					203			2	2	
		U.C													
		WIP													
22	Telamgana	U.S.												6	
		U.C													
		WIP													
23	Tripura	U.S.													
		U.C													
		WIP													
24	Punjab	U.S.													
		U.C													
		WIP													
25	Rajasthan	U.S.		46	514		25					9	2		
		U.C			0								0		
		WIP			0								0		
26	Gujarat	U.S.													
		U.C													
		WIP													
27	Chattisgarh	U.S.		17	15		68				11				
		U.C													
		WIP													
	Total	**U.S.**	**1**	**142**	**4455**	**57**	**547**	**1**	**43**	**1607**	**65**	**67**	**58**	**33**	**16**
		U.C	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		WIP	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Abbreviation :- U.S: Unit Sanctioned.

अल्प संख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत संगठन :–

1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम), नई दिल्ली
2. केन्द्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी), नई दिल्ली
3. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी), नई दिल्ली
4. राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम (नावाडको), नई दिल्ली
5. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ), नई दिल्ली
6. दरगाह ख्वाज़ा साहेब, अजमेर
7. आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यक, इलाहाबाद

Organisation under the Ministry of Minority Affairs:-

1. National Commission for Minorities (NCM), New Delhi
2. Central Waqf Council (CWC), New Delhi
3. National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC), New Delhi
4. National Woqf Development Corporation (NAWADCO), New Delhi
5. Maulana Azad Education Foundation (NAEF), New Delhi
6. Durgah Khawaja Saheb, Ajmer
7. Commissioner for Linguistic Minorities, Allahabad

www. minorityaffairs.gov.in

Shri Ganesh Associates 011-22914661, 9810096326